भारत सरकार

परिणाम बजट
2015-2016

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

परिणाम बजट
2015-2016

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

विषय-सूची

कार्यकारी सारांश

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 2
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 3
भारतीय जनसंचार संस्थान 3
फोटो प्रभाग 4
भारतीय प्रेस परिषद 4
पत्र सूचना कार्यालय 6
प्रकाशन विभाग 6
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक 7
न्यू मीडिया विंग 7
गीत एवं नाटक प्रभाग 7
मुख्य सचिवालय की सूचना विंग की स्कीमें
(क) नीति संबंधी अध्ययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि (प्रसार भारती को छोड़कर) 8
(ख) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण 8
(ग) अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम 9

फिल्म क्षेत्र

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 9
बाल फिल्म समिति, भारत 10
फिल्म समारोह निदेशालय 10
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे 11
फिल्म प्रभाग 12
भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार 12
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 12

मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग की स्कीम
(क) एंटी पायरेसी पहल 13
(ख) फिल्म सामग्री का विकास, संचार और प्रसार 13
(ग) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन 14
(घ) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 15

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) 15
प्रसार भारती 15
मुख्य सचिवालय के प्रसारण विंग की स्कीमें

(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन..... . 20
(ख) प्रसारण विंग का स्वचालितीकरण..... 21
(ग) डिजिटलाइजेशन का मिशन..... 21

अध्याय - I

उद्देश्य एवं लक्ष्य, नीति निर्धारण एवं नीतिगत ब्योरा

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 23
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 24
भारतीय जनसंचार संस्थान 24
फोटो प्रभाग 25
भारतीय प्रेस परिषद 25
पत्र सूचना कार्यालय 25
प्रकाशन विभाग 28
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक 35
न्यू मीडिया विंग 36
गीत एवं नाटक प्रभाग 37

मुख्य सचिवालय की सूचना विंग की स्कीमें
(क) नीति संबंधी अधययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि (प्रसार भारती को छोड़कर) 38
(ख) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण 38
(ग) अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम 39

फिल्म क्षेत्र

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 39
बाल फिल्म समिति, भारत 40
फिल्म समारोह निदेशालय 41
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे 42
फिल्म प्रभाग 43
भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार 43
सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 44
मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग की स्कीमें
(क) एंटी पायरेसी पहल 45
(ख) फिल्म सामग्री का विकास, संचार और प्रसार 45
(ग) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन 46
(घ) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 47

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) 47
प्रसार भारती 48

मुख्य सचिवालय के प्रसारण विंग की स्कीमें

(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन 54
(ख) प्रसारण विंग का स्वचालितीकरण 55

(ग) डिजीटलाइजेशन का मिशन 55

अध्याय-II

वित्तीय परिव्यय, अनुमानित वास्तविक परिणाम एवं अनुमानित परिणाम

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 57
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 59
भारतीय जनसंचार संस्थान 61
फोटो प्रभाग 64
भारतीय प्रेस परिषद 66
पत्र सूचना कार्यालय 67
प्रकाशन विभाग 69
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक 71
न्यू मीडिया विंग 74
गीत एवं नाटक प्रभाग 75
मुख्य सचिवालय की सूचना विंग की स्कीमें
(क) नीति संबंधी अधययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि। (प्रसार भारती को छोड़कर) 76
(ख) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण 77
(ग) अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम 78

फिल्म क्षेत्र

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 79
बाल फिल्म समिति, भारत 82
फिल्म समारोह निदेशालय 84
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे 86
फिल्म प्रभाग 88
भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार 92
सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 93

मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग की स्कीमें
(क) एंटी पायरेसी में पहल 96
(ख) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन 97
(ग) फिल्म सामग्री का विकास, संचार एवं प्रसार 98
(घ) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 100

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र 101

प्रसार भारती 102

मुख्य सचिवालय के प्रसारण विंग की स्कीमें

(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन 127
(ख) प्रसारण विंग का स्वचालितीकरण 129
(ग) डिजीटलाइजेशन का मिशन 130

अध्याय - III

सुधार के लिए उठाए गए कदम और नीतिगत पहल

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 131
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 132
भारतीय जनसंचार संस्थान 132
फोटो प्रभाग 132
भारतीय प्रेस परिषद 133
पत्र सूचना कार्यालय 134
प्रकाशन विभाग 135
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक 136
गीत एवं नाटक प्रभाग 137
मुख्य सचिवालय की सूचना विंग की स्कीमें
(क) नीति संबंधी अध्ययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि (प्रसार भारती को छोड़कर) 138
(ख) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण 138

फिल्म क्षेत्र

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 139
बाल फिल्म समिति, भारत 139
फिल्म समारोह निदेशालय 140
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे 140
फिल्म प्रभाग 140
भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार 141
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 141
मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग की स्कीमें
(क) एंटी पायरेसी में पहल 141
(ख) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन 142
(ग) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 142

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र 143
प्रसार भारती 143
मुख्य सचिवालय के प्रसारण विंग की स्कीम
(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन 147
(ख) प्रसारण विंग का स्वचालितीकरण 148
(ग) डिजिटलाइजेशन का मिशन 150

अध्याय - IV

सूचना क्षेत्र

पिछले कार्य प्रदर्शन की समीक्षा

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 151
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 155

भारतीय जनसंचार संस्थान 156
फोटो प्रभाग 159
भारतीय प्रेस परिषद 161
पत्र सूचना कार्यालय 163
प्रकाशन विभाग 167
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक 171
न्यू मीडिया विंग 174
गीत एवं नाटक प्रभाग 175
मुख्य सचिवालय की सूचना विंग की स्कीमें
(क) नीति संबंधी अध्ययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि (प्रसार भारती को छोड़कर) 176
(ख) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण 177
(ग) अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम 178

फिल्म क्षेत्र

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 179
बाल फिल्म समिति, भारत 181
फिल्म समारोह निदेशालय 183
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे 184
फिल्म प्रभाग 186
भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार 189
सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 192
मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग की स्कीमें
(क) फिल्म सामग्री का विकास, संचार एवं प्रसार 193
(ख) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन 194
(ग) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 195

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र 196
प्रसार भारती 197

मुख्य सचिवालय की प्रसारण विंग की योजनाएं .....
(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन 255
(ख) डिजिटलाइजेशन का मिशन 257

अध्याय - V

वित्तीय समीक्षा 258

अध्याय - VI

स्वायत्तशासी संस्थाओं का प्रदर्शन एवं समीक्षा

प्रसारण क्षेत्र

भारतीय जनसंचार संस्थान 280
भारतीय प्रेस परिषद 280

फिल्म क्षेत्र

बाल फिल्म समिति, भारत 282
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे 283
सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 284

प्रसारण क्षेत्र

प्रसार भारती 285

कार्यकारी सारांश

सूचना और प्रसारण मंत्रालय सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, कार्यकर्मों और सूचना को जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रचारित करता है। इस मीडिया में फिल्में, रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस, प्रिंट प्रकाशन, विज्ञापन समाज के सभी वर्गों के लाभ के लिए संचार के पारंपरिक तरीके जैसे गीत और नाटक प्रभाग शामिल हैं। सभी आयु समूहों की मनोरजंन जरूरतों के प्रबंधन में मंत्रालय जुटा हुआ है। मंत्रालय परिवार कल्याण, राष्ट्रीय अखंडता, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण संरक्षण, निरक्षरता उन्मूलन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके अलावा महिलाओं, बच्चों एवं अल्पसंख्यकों, लाभ से वंचित समाज के अन्य वर्गों से जुड़े मुद्दों पर लोगों का ध्यान केंद्रित करने का काम भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय कर रहा है।

मंत्रालय के कामों को मुख्यत: तीन प्रभागों सूचना, प्रसारण और फिल्मों द्वारा संचालित किया जाता है। सूचना प्रभाग प्रेस और प्रिंट मीडिया के नीति संबंधी मामलों और सरकार की प्रचार जरूरत को संभालता है। प्रसारण प्रभाग दूरदर्शन और आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो), एफएम रेडियो एवं सामुदायिक रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित नीति मामलों को संभालता है। फिल्म, फिल्म पुरस्कार और चलचित्र (फिल्म) प्रदर्शनी की जिम्मेदारी फिल्म विभाग संभालता है।

वर्ष 2015-16 के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए 3711.11 करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया गया। इसमें 914.53 करोड़ रुपये योजना राशि के रूप में और 2796.58 करोड़ रुपये गैर-योजना फंड के लिए शामिल हैं। मंत्रालय अपनी 21 मीडिया ईकाइयों/ संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक सेवा इकाइयों(पीएसयू) के माध्यम से कार्य करता है। इन कार्यों के कार्य संचालन, उपलब्धियों और विभिन्न योजना परियोजनाओं के परिणाम आगे दिए गए अध्यायों में सारांश रूप में दिए गए हैं।

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

क) डी ए वी पी की भूमिका : विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी ए वी पी) भारत सरकार की प्रमुख मल्टी मीडिया विज्ञापन एजेंसी है जो विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए जनता तक पहुँचाने का कार्य करती है। माध्यमों के रूप में यह समाचार पत्रों में विज्ञापन, इलेक्ट्रानिक मीडिया श्रव्य-दृष्य स्पॉट, जिंगल्स आदि, डिजीटल सिनेमा, मोबाइल, टेलीफोनी इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट, मुद्रित प्रचार साहित्य, पुस्तिकाएं, ब्रोशर, पोस्टर, बाह्य प्रचार माध्यमों होर्डिंग्स, मेट्रो रेल पैनल, बस पैनल, कियोस्क, सार्वजनिक सुविधाएं इत्यादि, फोटो प्रदर्शनी आदि का प्रयोग करती है। सेक्टोरल प्रचार के लिए जहां एक और डीएवीपी मंत्रालयों/विभागों से राशि प्राप्त करती है वहां दूसरी ओर एक समग्र पहुंच की आवश्यकता को देखते हुए डीएवीपी अपनी योजनागत/गैर योजनागत कोष में से भी प्रचार लागू करती है।

ख) योजना व्यय के लिए राशि: विभिन्न लोक कल्याण एवं भागीदारी युक्त कार्यक्रमों के प्रचार को समग्र रूप से मजबूत करने के लिए तथा अपनी सेवाओं के प्रभावकारी रूप में प्रदान करने के लिए डी ए वी पी ने अपनी दो योजनागत स्कीमों नामत: (1) विकास संचार के जरिए जन सशक्तीकरण तथा (2) मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम के लिए बढ़ी हुई राशि की मांग की तथा उसे प्राप्त भी किया।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए ''विकास संचार के जरिए जन सशक्तीकरण '' योजना के तहत 467.50 करोड़ रूपये तथा ''मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम'' योजना के तहत 15 करोड़ रूपए का प्रारम्भिक परिव्यय उपलब्ध कराया गया।

ग) प्रचार के प्रवाह को नियंत्रित करना : सरकार में प्रचार तथा विज्ञापन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने तथा इस सम्बन्ध में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने प्रिंट मीडिया के लिए नई विज्ञापन नीति तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए विज्ञापन के लिए श्रव्य दृश्य नीति जारी की है। अखबारों का नए तरीके से पैनल बनाया गया जबकि श्रव्य दृश्य मीडिया की दरों को तय करना जारी है।

घ) इलेक्ट्रानिक पेमेन्ट मोड : अपने भुगतानों की गति में सुधार के लिए तथा पारदर्शिता लाने के लिए डी ए वी पी ने अपने सभी भुगतानों को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफर सिस्टम (एन ई एफ टी एस) के जरिए करना प्रारम्भ किया है। डी ए वी पी की वेबसाइट www.davp.nic.in पर बिलों की स्थिति देखी जा सकती है।

ड) आर टी आई तथा शिकायत निवारण को दुरुस्त करना: डी ए वी पी के आर टी आई ढांचे को विकेन्द्रित कर दिया गया है तथा प्रत्येक स्कन्ध के प्रमुख निदेशक को लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है। अपने सिटीजन चार्टर को शिकायत निवारण के 'सेवोत्तम' तन्त्र की तरह प्रयोग करने हेतु संशोधित करते हुए डी ए वी पी ने नागरिकों को समय बद्ध सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित कराया है।

च) व्यय की निगरानी: डी ए वी पी की योजनागत/ गैर योजनागत व्यय की वित्तीय तथा भौतिक उपलब्धियों के विश्लेशण तथा साथ ही वार्षिक योजना के दौरान तय किए गए लक्ष्यों के साथ नियमित रुप से निगरानी की जाती है।

छ) डी ए वी पी संरचना तथा सेवाओं का आधुनिकीकरण: डी ए वी पी तथा इसकी सेवाओं की डिलीवरी के आधुनिकीकरण से सम्बन्धित एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वतन्त्र सलाहकार द्वारा तैयार की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह लागू की जा रही है।

ज) प्रभाव मूल्यांकन: विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए प्रारम्भ किए गए विज्ञापन अभियानों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए डी ए वी पी एक पद्धति तथा प्रक्रिया प्रारम्भ कर रही है। इस उद्देश्य के लिए 7 प्रमुख एजेन्सियों को पैनल में रखा गया है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिदेश के अनुपालन में सरकार की नीतियों/कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रति आम जन में जागरूकता फैलाने के लिए क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय क्षेत्रीय कार्यक्रमों को करने का कार्य करता है। सरकार की विभिन्न विकासात्मक तथा कल्याणकारी पहल से सम्बन्धित योजनाओं का लाभार्थियों के हक के अनुसार प्राप्त कर सकने की जागरूकता पर आधारित है। इस रूप में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय आमजन के सूचित हिस्से को इन योजनाओं/कार्यक्रमों में लिप्त करता है। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के जागरूकता निर्माण के प्रयास ''अंर्तव्यक्तिगत संचार'' पर आधारित है। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय स्थानीय ओपिनियन नेताओं तथा लक्षित लाभार्थियों के साथ परिचर्चा सत्र आयोजित करके, घर-घर जाकर, जनसभा आयोजित करके कार्य करता है।

इन प्रयासों में पारंपरिक तथा लोक माध्यमों तथा अन्य पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक तरीकों का प्रयोग भी शामिल है। इस प्रक्रिया में डी एफ पी को अन्य केन्द्रीय तथा राज्य विभागों/अभिकरणों द्वारा सहायता मिलती है। डी एफ पी की क्षेत्रीय कार्यकारी इकाइयों लागूकरण अभिकरणों के लाभ के लिए सरकार के कार्यक्रमों/योजनाओं के लागू करने पर फीडबैक भी एकत्र करती है।

निदेशालय के उद्देश्य :

- भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के अंर्तगत आमजन को उनके अधिकारों लाभों एवं कर्त्तव्यों के बारे में सूचित तथा सशक्तीकरण करना। आमजन के लाभ के लिए तैयार की गई योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में जनता से अपने कर्मचारियों को मुखातिब करता है।
- आमजन के बीच मूलभूत राष्ट्रीय मूल्य यथा-लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा सांप्रदायिक सौहार्द का संवर्द्धन करना।
- विकासात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए मूलभूत स्तर पर आमजन के बीच तारतम्य स्थापित करना साथ ही लोक मत में गति लाने तथा कल्याणकारी एवं विकासात्मक कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जन भागीदारी का संवर्द्धन करना।
- सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रति जन प्रतिक्रिया एकत्र करना तथा उचित कार्यवाही हेतु उन्हें लागू करना।

भारतीय जनसंचार संस्थान

भारतीय जन संचार संस्थान का मुख्य उद्देय देश के सामाजिक-आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के विशेष संदर्भ में मीडिया और जनसंचार के इस्तेमाल एवं विकास के लिए प्रशिक्षण और शोध का आयोजन करना है। भारत सरकार, सूचना व प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से कुल वार्षिक सहायता अनुदान के रूप में इस संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

भारतीय जनसंचार संस्थान के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आम लोगों के लिए खुले हैं और उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। यह संस्थान विदेश मंत्रालय के सहयोग से विकासशील देशों के कार्यरत पत्रकारों और सूचना अधिकारियों के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के दौरान विकास पत्रकारिता

में दो पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है। यह संस्थान भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के गुप 'ए' और ग्रुप 'बी' के परिवीक्षार्थियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करता है। इसके अलावा यह भारत सरकार, राज्य सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विभिन्न विभागों/संगठनों के अधिकारियों के लिए भी कई अन्य अल्पकालीन पाठ्यक्रम चलाता है। अधिकांश अध्ययन प्रायोजित होते हैं। यह समय-समय पर पत्रकारिता/जनसंपर्क पर पुस्तकें आदि भी प्रकाशित करता है।

यह अनुभव किया गया है कि वर्तमान स्थिति में इस संस्थान द्वारा चलाए जा रहे एक वर्ष के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को दो वर्षीय एडवांस पाठ्यक्रमों के समकक्ष घोषित किये जाने और इन पाठ्यक्रमों को एमए की डिग्री के समकक्ष घोषित किये जाने की जरूरत है। वर्तमान में भारतीय जनसंचार संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के स्तर तक अपग्रेड करने हेतु संचार अनुसंधान विभाग को सशक्त किया जाना नितांत आवश्यक है। भारतीय जनसंचार संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिए संसद अधिनियम लाए जाने के बाद एडवांस पाठ्यक्रम तथा डायरेक्ट कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं।

योजनागत गतिविधियां:

उपर्युक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में''भारतीय जनसंचार संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नयन'' विषयांतर्गत 62.00 करोड़ रुपये के सकल परिव्यय के लिए 51.50 करोड़ रुपये का बजट अनुमोदित किया। यह सरकार की 43 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता के साथ यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नई योजना ''भारतीय जन संचार संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना'' को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कुल परिव्ययय 94.20 करोड़ रुपये है और शुद्ध बजटीय सहायता 90.00 करोड़ रुपये है।

फोटो प्रभाग

फोटो विभाग एक ऐसा मीडिया इकाई है जो भारत सरकार के लिए आंतरिक और बाह्य प्रचार के लिए दृश्य दस्तावेज और तस्वीरें तैयार करता है। फोटो विभाग देश में घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं का तस्वीरों के रूप में रिकॉर्ड रखता है और विकास के विभिन्न आयामों को दर्ज करता है। यह फोटो प्रतियोगिताओं और कार्यशालाओं के जरिए युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देता है। विभाग गैर - प्रचार संगठनों और आम लोगों को भी भुगतान पर तस्वीरों की आपूर्ति करता है। देश के पूर्वोत्तर के विकास पर जोर देते हुए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फोटोग्राफी उद्योग में बदले रूझानों के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए 'नेशनल सेंटर ऑफ फोटोग्राफी एंड स्पेशल ड्राइव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स' नाम से एक प्लान योजना चलाई गई है।

भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद प्रेस के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) में निहित मौलिक अधिकार के लिए संस्थागत समर्थन का प्रतीक हैं। यह एक तरफ प्रेस की आजादी के संरक्षक के तौर पर काम करती है जबकि दूसरी तरफ यह नैतिक ईमानदारी के रास्ते पर मार्गदर्शक तथा विवेक रक्षक के रूप में काम करती है।

10 अक्तूबर, 2014 को भारतीय प्रेस परिषद के 12 वें कार्यकाल के गठन के बाद माननीय अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री सी. के. प्रसाद ने 25 नवम्बर, 2014 को अपने पूर्ववर्ती अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री मार्कंडेय काटजू से भारतीय प्रेस परिषद की विरासत को संभाल लिया।

वर्ष 2014–15 में परिषद के मुख्य उद्देश्यों के मद्देनजर तेलंगाना, आंध्रप्रदेश तथा हरियाणा के हिसार से कथित खतरों को लेकर तथ्यान्वेषी टीमों का गठन किया। इसने आम चुनाव, 2014 के दौरान पेड न्यूज के मामलों का विशेष संज्ञान लिया और परिषद इस संबंध में कार्रवाई निर्धारित करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, प्रेस तथा साथ ही साथ अधिकारियों के लाभ के लिये बनाये गये दिशा निर्देशों को सार्वजनिक रूप से जारी किये जाने के बाद एक सक्रिय उपाय के रूप में, दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान रिपोर्टिंग पर निगरानी रखने के लिये पेड न्यूज समिति का गठन किया गया।

निर्णय संबंधी मोर्चे पर परिषद मौखिक पूछताछ के माध्यम से 80 मामलों में फैसला देने वाली है जबकि अध्यक्ष प्रेस परिषद जांच नियमों के तहत प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुए अन्य 800 मामलों में अपना फैसला सुनाने वाले हैं।

प्रेस परिषद के तत्वाधान में देश भर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2014 का आयोजन हुआ जो ''सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता : प्रेस की भूमिका'' पर केन्द्रित था। इसके जरिये सशक्त मीडिया के लिये विपुल मात्रा में सामग्रियां तैयार की गयी। इस मौके पर छत्तीसगढ़ जैसे छोटे से आदिवासी क्षेत्र से लेकर देश के महानगरों में प्रेस जगत के विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यवान योगदानों को पहचान प्रदान करने के लिये पुरस्कार प्रदान किये गये। अंतर्राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देने के लिये परिषद ने प्रेस की नैतिकता एवं आजादी को बढ़ावा देने के लिये नेपाल की प्रेस परिषद के साथ समझौता किया। परिषद सार्क देशों में प्रेस परिषदों के संघ की स्थापना की संभावना भी तलाश रही है।

ई–गवर्नेंस और पारदर्शिता के माध्यम के रूप में, प्रेस परिषद की वेबसाइट पर निर्णयों, रिपोर्टों और अन्य घोषणाओं को अपलोड कर दिया गया। ये सभी द्विभाषी रूप में उपलब्ध हैं और यह तथ्य इस बात का प्रतीक है कि परिषद हिन्दी को न केवल आधिकारिक भाषा के रूप में बल्कि जन भाषा के रूप में बढ़ावा देने पर जोर देती है।

परिषद को उम्मीद है कि प्रेस परिषद कानून में संशोधन के जरिये इसके सशक्तिकरण के लिये सरकार को दिये गये प्रस्तावों पर गंभीरता के साथ विचार– विमर्श होगा जिसके वे हकदार हैं।

2015–16 में मुख्य लक्ष्य हैं :

क – भारतीय प्रेस परिषद के सशक्तिकरण के प्रस्तावों को आगे बढ़ाना।

ख –

1. मीडिया से संबंधित विभिन्न मुद्दों के अध्ययन की रिपोर्ट को अंतिम रूप देना।
2. परिषद के समक्ष दायर शिकायतों के तत्काल निपटान/अधिनिर्णय।
3. प्रेस परिषद की वेबसाइट के माध्यम से प्रेस की अथवा प्रेस के विरूद्ध शिकायतों के संबंध में हुए फैसलों की सूची को अपडेट एवं उपलब्ध करना।
4. मीडिया से संबंधित मुद्दों पर विचार– विमर्श का आयोजन।
5. पुस्कालय का स्वचालन।
6. सभी कर्मचारियों के संबंध में व्यक्तिगत आंकड़ों के साथ सेवा ब्यौरे का डिजिटलीकरण।
7. कार्यालय के महत्वपूर्ण अभिलेखों का डिजिटलीकरण।
8. लेवी रिकॉर्ड, समाचार पत्रों पर लेवी के बकाया शुल्क को वसूल करने के लिये उठाये जाने वाले कदम
9. कार्यालय स्वचालन।
10. एनआईसी/सीसीडब्ल्यू के साथ समन्वय में लैन कनेक्टिविटी।
11. चरणबद्ध तरीके से ई–मंजूरी पर कार्रवाई की शुरूआत।

पत्र सूचना कार्यालय

1 पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है, जो सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी जनता तक पहुंचाती है। मीडिया (प्रिंट एवं इलेट्रॉनिक) के साथ संवाद के लिये सरकार के मुख्य चैनल के रूप में पत्र सूचना कार्यालय सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों तथा इसकी सूचना नीति के बारे में जानकारी आम लोगों तक पहुंचाता है। यह इस बुनियादी अवधारणा के आधार पर काम करता है कि किसी भी लोकतंत्र में सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रेस और अन्य मीडिया के जरिये इसकी नीतियां एवं कार्यक्रम सही तरीके से आम लोगों के समक्ष पेश हों जिनके समर्थन एवं सद्भावना के आधार पर सरकार सत्ता में बनी रहती है।

2. पीआईबी मुख्यालय के अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के संपर्क में बने रहते हैं और मीडिया को संबद्ध मंत्रालयों की गतिविधियों के बारे में सूचित करते रहते हैं। यही नहीं अधिकारी मीडिया के सलाहकार के तौर पर भी कार्य करते हैं और जनपरक नीतियों के प्रचार- प्रसार के लिए मीडिया के साथ तालमेल बनाए रखते हैं।

3. पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालय/शााखाएं कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। ब्यूरो का इंटरनेट पर एक होमपेज भी है, जिसे www.pib.nic.in पर देखा जा सकता है। इस पेज पर देश और विदेशों में इस्तेमाल की जा सकने वाली सूचनाएं एवं प्रचार सामग्री मौजूद रहती है। क्षेत्रीय शाखाओं के अलावा पीआईबी की विज्ञप्तियां कंप्यूटर नेटवर्क की बदौलत स्थानीय समाचार पत्रों और स्थानीय संवाददाताओं को भेजी जाती हैं। फीचर और ग्राफिक्स भी इंटरनेट नेटवर्क पर मौजूद रहते हैं।

4. मीडिया प्रतिनिधियों को ब्यूरो कार्यकारी सुविधाएं भी मुहैया कराता है। इसके लिए भारतीय एवं विदेशी मीडिया के पत्रकारों, कैमरामैन, और तकनीशियनों को मान्यता दी जाती है। दिसंबर, 2014 तक 1413 संवाददाताओं और 473 कैमरामैनों को ब्यूरो मुख्यालय से मान्यता दी गई है। इसके अलावा 85 तकनीशियनों, संवाददाता सह कैमरामैन, लंबे समय तक सेवा देने वाले तथा प्रतिष्ठित 19 पत्रकारों एवं 121 संपादकों/मीडिया समीक्षकों को भी मान्यता प्रदान की गयी। भारतीय एवं विदेशी संवाददाताओं की जरूरतों की पूर्ति के लिये नयी दिल्ली में ब्यूरो का राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र काम कर रहा है जहां आधुनिक संचार सुविधायें उपलब्ध है। अप्रैल से दिसंबर, 2014 के दौरान 169 संवाददाताओं तथा 53 कैमरोमैनों को नयी मान्यता प्रदान की गयी।

5. मीडिया कर्मियों तक सूचना के प्रेषण के लिये कई तरीके अपनाये जाते हैं। इन तरीकों में प्रेस विज्ञप्तियां और फीचर, प्रेस ब्रीफिंग्स, प्रेस कांफ्रेंस और निर्धारित टूर शामिल हैं।

6. पीआईबी के आउटपुट की मॉनिटरिंग प्रेस विज्ञप्तियों, प्रेस कांफ्रेंसों, फीचरों आदि के आधार पर मीडिया में प्रकाशित स्टोरियों की संख्या के आधार पर तत्काल हो जाती है।

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग देश में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। निदेशालय द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकें देश के नागरिकों के अनुरूप होती हैं जो लोगों की समझ का दायरा विस्तृत कर रही हैं।

इस विभाग का उद्देश्य आम लोगों को भारतीय पैनोरमा के विभिन्न पहलुओं तथा विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रगति के बारे में सही सूचना देने तथा लोगों को इन सब के बारे में अवगत कराने के लिये राष्ट्रीय महत्व तथा विरासत से संबंधित विषयों पर सस्ती पुस्तकों और पत्रिकाओं का उत्पादन और बिक्री करना है। यह राजस्व अर्जित करने वाला विभाग है।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय

भारत के समाचार पत्र पंजीयक कार्यालय की स्थापना जुलाई 1956 को प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 में संशोधन करके की गई थी। वैधानिक दायित्वों के तहत आरएनआई भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का सांख्यिकी रेकार्ड बरकरार रखना, नये समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के शीर्षकों की जांच करना, प्रकाशकों के प्रसार संबंधी दावों की जांच करना, प्रकाशकों की ओर से प्रस्तुत वार्षिक आंकड़ों का विश्लेषण करना, ''भारत में प्रेस'' के नाम से मुद्रित माध्यम की स्थिति पर वार्षिक रिर्पोट तैयार करना है। आरएनआई गैर–वैधानिक दायित्वों के तहत आरएनआई के तहत पंजीकृत वास्तविक उपयोगकर्ताओं को अखबारी कागजआयात करने के लिए समाचारपत्रों को योग्यता प्रमाण पत्र जारी करती है। इसके अलावा आरएनआई प्रिंटिंग मशीनें (मुद्रण) और अन्य संबंधित सामग्री संबंधी आवश्यक जरूरतों का मूल्यांकन और प्रमाण पत्र जारी करती है।

न्यू मीडिया विंग

1945 में स्थापित गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग का नया नाम 'न्यू मीडिया विंग' है। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए सूचना सेवा इकाई के रूप में कार्य करती है। मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या ए50013/167/2013–एडमिन-IV दिनांक 4 सितंबर, 2013 के अनुसार न्यू मीडिया विंग मंत्रालय में नव गठित सोशल मीडिया स्कंध (सेल) को कार्यात्मक और प्रचालन सहयोग उपलब्ध कराएगा। न्यू मीडिया सेल की अध्यक्षता संयुक्त सचिव (पी एंड ए) करेंगे। ओएसडी(सी) संयुक्त सचिव (पी एंड ए) की सहायता करेंगे। न्यू मीडिया विंग के तहत गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग के सभी वर्तमान सदस्य / अवसंरचनात्मक ढांचा शामिल होंगे। मंत्रालय के सोशल मीडिया सेल से जुड़े ग्रेड ए और ग्रेड बी के आईआईएस अधिकारियों को न्यू मीडिया विंग को मजबूती प्रदान करने के लिए विंग के साथ जोड़ा गया है। ये अधिकारी सीधे तौर पर न्यू मीडिया विंग के अतिरिक्त महानिदेशक को रिपोर्ट करेंगे जो आगे मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे। वर्तमान में विंग को सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक, यू–ट्यूब और ट्विटर आदि पर प्रचार प्रतिपुष्टि और सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने का नया कार्य सौंपा गया है। इस विंग का कार्य मंत्रालय, इसके माध्यम एककों एवं जन संचार में शामिल अन्य के उपयोग में आने वाला बैकग्राउंड, संदर्भ और शोध सामग्री उपलब्ध कराना और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम एककों को प्रकाशित रचनाओं आदि के संबंध में शोध हेतु सामग्री के संकलन और तैयार करने में सहायता प्रदान करना, महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी का एक सार–संग्रह तैयार करना और माध्यम एककों के उपयोग के लिए वर्तमान एवं अन्य विषयों पर मार्गदर्शन और बैकग्राउंड नोट तैयार करना है। अभियान के दौरान माध्यम प्रमुखों के साथ माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव एवं अपर सचिव की अध्यक्षता में बैठकों में चर्चा और विवेचना के लिए विभिन्न समाचारपत्रों के विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, संस्करणवार रिपोर्ट, वितरण के मुताबिक रिपोर्ट आदि जैसे विभिन्न रिपोर्ट तैयार करती है।

गीत एवं नाटक प्रभाग

गीत एवं नाटक प्रभाग की स्थापना 1954 में संचार उद्देश्यों के लिए प्रचुर लोक परंपरागत स्वरूपों को सामने लाने हेतु एक प्रयोगात्मक इकाई के रूप में की गई। सजीव प्रचार माध्यम, जैसा कि अब बहुत बड़े पैमाने पर पहचाना जाता है, बहुत ही प्रभावशाली साबित हुआ क्योंकि इसने जनसमुदाय के साथ सीधे सम्पर्क के लाभों को अंतर्निहित (inherent) कर लिया और समसामयिक मुद्दों, विचारों एवं तरीकों को प्रतिबद्धता के साथ लागू करने में नम्यता (flexibility) को अपना लिया। दुर्गम पहाड़ी,

मरुस्थल, एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों/क्षेत्रों और सीमा क्षेत्र सहित जमीनी स्तर पर संचार स्थापित करने के लिए इसके क्षेत्र में वृद्धि करने, पहुंच और प्रभाव बढ़ाने हेतु इस प्रभाग के प्रयोजन और आकार में बढ़ोतरी की गई थी। ।

मुख्य सचिवालय की सूचना विंग की स्कीमें

(क) मीडिया इकाइयों सहित (प्रसार भारती को छोड़कर) तीन क्षेत्रों के लिये नीति संबंधित अध्ययन, संगोष्ठी, मूल्यांकन आदि

अर्थव्यवस्था के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में उच्च विकास क्षमता निहित है। इसीलिए विकास की गति को हासिल करने के लिए और परिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस संदर्भ में यह भी जरूरी है कि सतत मूल्याकंन और निगरानी के लिए एक तंत्र की स्थापना की जाये। इस योजना में प्रसार भारती को छोड़कर इन तीन क्षेत्रों के लिये "नीति संबंधी अध्ययन, संगोष्ठी, मूल्याकंन आदि को निम्नलीखित उद्देश्यों के साथ 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के दौरान क्रियांवित किया जा रहा है।

- फिल्म, सूचना और प्रसारण में प्रबंध सूचना प्रणाली (एम आई एस) का विकास करने के लिये
- फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्र के संबंध में नियामक एवं विकास नीतियों के प्रभावों का अध्ययन और मूल्याकंन करने के लिये
- मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में संगोष्ठी, कार्यशाला, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में पपत्रों की प्रस्तुति आदि में भाग लेने तथा इनका आयोजन करने के लिये
- मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु गतिविधियां शुरू करने के लिये।

(ख) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण

सिविल सेवा में बदलाव लाने हेतु, व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्यों से उनकी क्षमता का मेल करने और वर्तमान तथा भविष्य की भूमिका के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता में कमी को दूर करने के लिए एक रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन तंत्र की आवश्यकता होती है। इन क्षमताओं में नेतृत्व, संचार, वित्तीय और लोक प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, परियोजना प्रबंधन आदि शामिल हैं। अन्य प्रकार की क्षमताओं में मीडिया प्रबंधन आदि जैसे पेशेवर या विशेष कौशल शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना, प्रसारण और फिल्म क्षेत्र के लिए एक अधिकृत मंत्रालय है। मंत्रालय के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी अपने सेवा काल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और अंतर्वैयक्तिक मीडिया इकाइयों में पदस्थापित रहते हैं। इसी प्रकार से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के अधिकारी मीडिया क्षेत्र के लिए नीति निर्माण में संलग्न होते हैं और विभिन्न मीडिया इकाइयों को प्रशासनिक सुविधाएं मुहैया कराते हैं। अधिकारियों को चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सौंपे जाने के लिए उनका प्रशिक्षित होना जरूरी है।

विदेश में स्थित संस्थानों में मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण और सेवाकाल में आईआईएस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की नियोजित योजना मुख्य सचिवालय द्वारा संचालित की जाती है।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम

यह मंत्रालय द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत लागू की गई नई योजना स्कीम 'मानव संसाधन विकास' के घटकों में से एक है। इस कार्यक्रम में माध्यम विनिमय कार्यक्रम, सूचना एवं फिल्म क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेमीनारों / कार्यशालाओं के क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्त कार्य समूह एवं अनुबंध आदि शामिल हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- राष्ट्रों के बीच बेहतर समझ विकसित करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना और मीडियाकर्मियों के बीच घनिष्ठता को बढ़ाकर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना तथा एक दूसरे के बारे में सूचना का आदान प्रदान करना।
- लोकतांत्रिक मूल्यों तथा समाज में सहनशीलता को बढ़ाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका की पहचान करना।
- इस योजना का व्यापक उद्देश्य सूचना और जन माध्यमों के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ नजदीकी संबंध स्थापित और विकसित करने के सामूहिक उद्देश्य से प्रेरित होकर सूचना और प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में बेहतर समझ विकसित कर विभिन्न देशों के बीच दोस्ताना संबंध को मजबूत करना है।
- भारत तथा अन्य देशों के बीच संबंध को मजबूत करना।
- भारत तथा अन्य देशों के बीच जन माध्यमों, प्रसारण और फिल्मों के क्षेत्र में विचार विनिमय को बढ़ावा देना।
- उच्च स्तरीय मीडिया प्रशिक्षण
- आपातकालीन संचार
- सोशल और मल्टीमीडिया प्रशिक्षण

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 1.50 करोड़ रुपये के परिव्यय की योजना है, जिसमें से 15 लाख वर्ष 2015-16 के लिए रखा गया है।

फिल्म क्षेत्र

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई

फिल्म सेंसर बोर्ड का नाम जून, 1983 में बदलकर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टीफिकेशन - सीबीएफसी) रखा गया। इस बोर्ड की स्थापना लोक प्रदर्शनी हेतु फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 की धारा 3 के तहत किया गया।

2. बोर्ड के वर्तमान सदस्यों में एक अध्यक्ष और 24 गैर-कार्यालयी सदस्य होते हैं। बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरू, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में हैं।

3. प्रमाणीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिष्चित करने के लिए, सीबीएफसी ऑनलाइन प्रमाणीकरण की योजना पर कार्य कर रहा है। सीबीएफसी की गतिविधियां प्रेस विज्ञप्तियों तथा इसके बेबसाइट http://cbfcindia.gov.in के माध्यम से प्रचारित की जाती हैं।

बाल फिल्म समिति, भारत

बाल चित्र समिति, भारत का प्रारंभिक उद्देश्य मूल्य आधारित मनोरंजन को हर बच्चे का अधिकार बनाना, बच्चों के चलचित्रों को बढ़ावा देना और इस अभियान को मजबूती प्रदान करना तथा इस तरह फिल्मों के माध्यम से अच्छे भावी नागरिकों के रूप में बच्चों के विकास में योगदान देना है।

उपर्युक्त उद्देश्यों को निम्नलिखित हिस्सों में बांटा गया है :

1. फिल्मों का निर्माण
2. स्कूलों में फिल्मों का प्रदर्शन और
3. फिल्म समारोह

फिल्मों के निर्माण पर फिल्म जगत की हस्तियों वाली समितियों और फिल्म प्रस्तावों को दाखिल करने के लिए शुरू की गई कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया द्वारा नजर रखी जाती है।

स्कूलों में फिल्में प्रदर्शित करने के लिए, लक्षित बच्चों तक पहुंच बनाने हेतु गैर सरकारी संगठनों और राज्य सरकार के अधिकारियों को शामिल किया गया है। वैबसाइट द्वारा व्यापक प्रचार और निगरानी की जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को आकर्षित करने और सीएफएसआई द्वारा बनाई गई फिल्मों को मंच उपलब्ध कराने हेतु हर दूसरे वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय बालकेफिल्म समारोह का आयोजन किया जाता है। हर दूसरे वर्ष राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि बच्चों के लिए फिल्म बनाने वाले तैयार किये जा सके और जिस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन नहीं किया जा रहा हो, उसमें बच्चों द्वारा निर्मित फिल्मों को प्रचार और पहचान दिलाई जा सके। सीएफएसआई फिल्मों को विपणन और पहुंच के उद्देश्य से सुदूर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेने/प्रतियोगिता में द्यामिल होने हेतु भी भेजा जाता है।

उपयुक्त निगरानी सुनिश्चित करने और सार्वजनिक सूचना प्रणाली तैयार करने के लिए उपर्युक्त सभी गतिविधियां सीएफएसआई की वेबसाइट पर विस्तृत रूप से प्रदर्शित की गई हैं।

फिल्म समारोह निदेशालय

फिल्म समारोह निदेशालय की स्थापना देश में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के फिल्म समारोह आयोजित करने के उद्देश्य से की गई थी। फिल्म समारोह निदेशालय विदेश में होने वाले फिल्म समारोह में भारत की भागीदारी, सांस्कृतिक भागीदारी के तौर पर भारत में विदेशी फिल्मों और भारतीय फिल्मों के विदेश में प्रदर्शन के साथ-साथ राष्ट्रीय फिल्म अवॉर्ड समारोह भी आयोजित करता है।

सांस्कृतिक विनिमय के वाहक के तौर पर फिल्म समारोह निदेशालय अंतरराष्ट्रीय मित्रता का प्रसार करता है, विश्व सिनेमा के नये चलन तक पहुंचने का रास्ता बनाता है, स्वस्थ प्रतियोगिता का माहौल बनाता है और भारतीय फिल्मों का स्तर सुधारने में मदद करता है।

1. फिल्म समारोह निदेशालय निम्नलिखित मुख्य आयोजन करता है:

1. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

2. विदेशी फिल्म समारोह में भागीदारी

3. भारतीय फिल्मों का चयन

4.सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम

5. भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह

इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से जुड़ी गतिविधियां, भारतीय फिल्मों का चयन और विदेशी फिल्म समारोहों में भागीदारी अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य सचिवालय के अंतर्गत श्भारत और विदेश में फिल्म समारोह और फिल्म बाजार के द्वारा 12वी योजना 'फिल्म संबंधी विषयों के विकास, संचार और प्रचार' का अहम घटक तैयार करती है।

12वीं योजघ्ना 'फिल्म क्षेत्र से संबंधी ढांचागत विकास' के घटक 'सिरी फोर्ट कॉम्पलेक्स' के उन्नतिकरण के अंतर्गत सिरी फोर्ट प्रेक्षागृह में मिलने वाली सुविधाओं में नियमित सुधार के अलावा यह योजना सिरी फोर्ट सांस्कृतिक कॉम्पलेक्स के संपूर्ण परिवेश में सुधार का ध्यान रखती है, प्रोजेक्शन सिस्टम में सुधार और उन्नतिकरण, साउंड, लाइटिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम में सुधार के साथ-साथ बिजनेस प्रमोशन और इसके द्वारा प्रेक्षागृह को नई तकनीक से लैस करना, ताकि प्रेक्षागृह के उपयोग अनुकूल स्तर तक बढ़ाकर इससे सरकार को ज्यादा राजस्व उपलब्ध कराया जा सके।

2. इन मुख्य गतिविधियों के बारे में जनता को निम्नलिखित तरीकों द्वारा जानकारी दी जाती है-

1. पीआईबी द्वारा नियमित प्रेस रिलीज

2. डीएवीपी द्वारा अखबारों में नियमित विज्ञापन

3. डीएवीपी के कार्यक्रमों द्वारा बैनर और पोस्टर का प्रदर्शन

4. आयोजनों के दौरान समारोह प्रकाशन जारी करना

5. भारत में विदेशी शिष्टमंडल और विदेश में भारतीय शिष्टमंडल को सूचना

6. वेबसाइट http://www-dff-nic-in पर भी सूचना दी जाती है

भारत का फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे फिल्म और टीवी कार्यक्रम निर्माण की कला और तकनीक के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने वाला एक प्रमुख संस्थान है। आगामी अध्याय योजना, गैर योजना आवंटन, संस्थान के कार्य, विभिन्न गतिविधियों के प्रस्तावित लक्ष्य, बीते सालों के दौरान प्राप्त किए गए लक्ष्य, पूर्व कामकाज की समीक्षा, प्रस्तावित नीतियों की अगुवाई पर चर्चा की गई है। प्रिंट मीडिया और वेबसाइट पर भी कोर्स या विज्ञापन को विस्तृत कवरेज देने और पारदर्शिता का एक आदर्श स्तर प्राप्त करना भी इसके लक्ष्यों में शामिल हैं। इस संस्थान की सभी गतिविधियां सार्वजनिक रूप से एफटीआईआई की वेबसाइट www.ftiindia.com पर दी गई हैं।

फिल्म प्रभाग

फिल्म डिविजन अप्रैल 1948 में व्यवहार में आया था। उसका मुख्यालय मुंबई में है और राज्य की राजधानियों और मुख्य शहरों में 10 वितरण शाखाओं के अतिरिक्त तीन प्रोडक्शन केंद्र बंगलुरु, कोलकाता और नई दिल्ली में स्थित हैं। फिल्म डिविजन डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट और एनिमेशन फिल्मों का निर्माण और संरक्षण करता है। इनके विषय खेती से लेकर कला, संस्कृति और उद्योग जगत से लेकर स्वास्थ्य, आवास, विज्ञान और तकनीक जैसे सामाजिक मुद्दों पर आधारित होते हैं।

देश में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट और एनिमेशन फिल्मों का प्रसार करने की दृष्टि से फिल्म डिविजन द्विवार्षिक मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करता है।

फिल्म डिविजन की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जनता तक सूचना विभिन्न तरीकों से पहुंचाई जाती है।

- पीआईबी के जरिये नियमित रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी करना।
- फिल्म डिविजन की वेबसाइट www.filmsdivision.org द्वारा सूचना
- सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिये।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे

एनएफएआई देश की फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय ख्याति का एक संगठन है। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एनएफएआई विभिन्न योजनाओं, जिनमें अभिलेखीय सामग्री का अधिग्रहण और संरक्षण के लिए और बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है, प्रयासरत है। साल 2015-16 के दौरान एनएफएआई परिकल्पित योजनाओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दो योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रस्ताव रखता है-

1) अभिलेखीय फिल्म और फिल्म सामग्री का अधिग्रहण

2) जयकर बंगला समेत एनएफएआई के बुनियादी ढांचे का उन्नयन और डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना

एनएफएआई की योजना योजनाओं की प्रगति पर नियमित रूप से मासिक / तिमाही / छमाही भौतिक और वित्तीय प्रगति स्टेटमेंट्स के माध्यम से मंत्रालय द्वारा नजर रखी जाती है। विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की सूचना एनएफएआई द्वारा विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के अंतर्गत शुरू की जाती है और यह एनएफएआई की वेबसाइट 'nfaipune.gov.in' पर उपलब्ध है।

सत्यजित रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

सत्यजित रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला दूसरा राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, जो फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण से जुड़ी कला व तकनीक में प्रशिक्षण देता है। आगामी अध्याय योजना, गैर योजना आवंटन, संस्थान के कार्य, विभिन्न गतिविधियों के प्रस्तावित लक्ष्य, बीते सालों के दौरान प्राप्त किए गए लक्ष्य, पूर्व कामकाज की समीक्षा, प्रस्तावित नीतियों की अगुवाई पर चर्चा की गई है। प्रिंट मीडिया और वेबसाइट पर भी कोर्स या विज्ञापन को विस्तृत कवरेज देने और पारदर्शिता का एक आदर्श स्तर प्राप्त करना भी इसके उद्देश्य में शामिल है। इस संस्थान की सभी गतिविधियां सार्वजनिक रूप से एसआरएफटीआई की वेबसाइट srfti.ac.in पर दी गई हैं।

मुख्य सचिवालय-फिल्म विंग स्कीम

(क) एंटी पाइरेसी पहल

जबकि, उपभोक्ता चोरी के विभिन्न रूपों में निष्क्रिय भागीदारी कर रहे हैं, अत: अर्थव्यवस्था पर चोरी के प्रभाव हेतू उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने की अविलम्ब आवश्यकता है। अत: ये प्रस्तावित किया गया है कि 12वीं योजना के समयावधि के दौरान फिल्म और संगीत उद्योग से सभी हितधारकों को सम्मिलित करते हुए, मल्टी मीडिया अभियान सहित एक प्रभावशाली और सम्मिलित प्रचार अभियान किया जायेगा. साथ हीं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर नघ्ल के वास्तविक अनुमान के आकलन हेतू अनुसंधान और विकास शुरू करने की जरूरत है।

पायरेसी विरोधी योजना का लक्ष्य निम्नलिखित गतिविधियों पर सहयोग प्रदान करना होगा:

अ) पायरेसी से सम्बन्धित मल्टी मीडिया अभियानों का प्रसार

ब) प्रशिक्षण कार्यक्रमओं और कार्यशालाओं का आयोजन कॉपीराइट अधिनियम के बारे में पुलिस, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों ने संवेदनशील बनाने के लिए।

स) पायरेसी के प्रभाव पर संसोधन का संचालन और पायरेसी का सामना करने हेतू विकास को सशक्त करना और साथ हीं सार्वजनिक-निजी रणनीति का कार्यान्वयन करना।

(ख) फिल्म सामग्री का विकास, संचार एवं प्रसार

उत्पादन, प्रसार और भारतीय फिल्मों के संरक्षण के लिए सूचना व प्रसारण मंत्रालय और मीडिया इकाइयों की गतिविधियों के साथ तालमेल बिठाने की दृष्टि से 12 वीं योजना के दौरान "फिल्म संबंधी विषयों के विकास, संचार और प्रचार" नामक एक विस्तृत परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के घटक इस प्रकार हैं-

1. फिल्म समारोह और फिल्म बाजार के माध्यम से भारत और विदेश में भारतीय सिनेमा का प्रसार
2. विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्म और डॉक्यूमेंट्री का निर्माण
3. भारतीय सिनेमा की एक सदी का उत्सव
4. फिल्म प्रभाग की फिल्म अभिलेखागार की वेबकास्टिंग।
5. अभिलेखीय फिल्मों और फिल्म सामग्री का अधिग्रहण

इन योजनाओं का क्रियान्वयन निम्नलिखित मीडिया इकाइयों द्वारा किया जा रहा है-

1. फिल्म समारोह निदेशालय
2. सीएफएसआई
3. फिल्म्स डिविजन
4. एनएफएआई

5. एनएफडीसी

2. इन मुख्य गतिविधियों के बारे में जनता को निम्नलिखित तरीकों द्वारा जानकारी दी जाती है-

1. पीआईबी द्वारा नियमित प्रेस रिलीज

2. डीएवीपी द्वारा अखबारों में नियमित विज्ञापन

3. डीएवीपी के कार्यक्रमों द्वारा बैनर और पोस्टर का प्रदर्शन

4. आयोजनों के दौरान समारोह प्रकाशन जारी करना

5. वेबसाइट http://www-dff-nic-in पर भी सूचना दी जाती है।

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन

भारत में चलचित्र निर्माण की शुरुआत के बाद से 1930 और 1931 के बीच लगभग 1300 मूक फिल्मों का निर्माण किया गया है और साल 2010 तक 40,000 से ज्यादा फीचर फिल्म बनाई जा चुकी हैं। इसके साथ ही वर्तमान में भारत में हर साल लगभग 900 शॉर्ट फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती हैं। सरकार देश की इस फिल्म विरासत को डिजिटलाइजेशन और पुन:संग्रहण के जरिये सहेजने के लिए योजनारत है।

इस योजना का लक्ष्य है प्रिजर्वेशन विदआउट एरर, एक्सेस विदआउट एंड। इसके अनुसार इसमें 12वीं योजना के काल के दौरान निम्नलिखित लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय फिल्म विरासत अभियान तैयार करने का प्रस्ताव दिया गया है।

1) फिल्म संग्रहण की फिल्म स्थिति का जायजा लेना और फिल्म की बाकी बची अवधि को सुनिश्चित करना।

2) 1,32,000 फिल्म रीलों का बचाव संरक्षण

3) 1050 ऐतिहासिक फीचर फिल्मों की 2के/4के तस्वीरें और ध्वनि संग्रहण और भारतीय सिनेमा के 960 शॉर्ट्स और प्रत्येक फिल्म की नई तस्वीरों की रिकॉर्डिंग और साउंड इंटर-नेगेटिव।

4) 1050 फीचर फिल्मों और 1200 शॉर्ट्स का डिजिटाइजेशन

5) एनएफएचएम के अंतर्गत संग्रहित की गई सामग्री के लिए धूलरहित, न्यून नमी और तापमान वाले वातावरण में एनएफएआई,पुणे के कैंपस में अभिलेखीय और संरक्षण सुविधाओं का निर्माण।

6) इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाली अंतरराष्ट्रीय समितियों के साथ तालमेल के जरिये अभिलेखन, संग्रहण और संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यशाला और पाठ्यक्रम।

राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के अंतर्गत भारतीय फिल्म विरासत के संरक्षण और संग्रहण का कार्य अभियान के तौर पर शुरू करना 2014-15 से 2020-21 तक किया जाना है। यह योजना 12 वीं पंचवर्षीय के दौरान कुल 597.41 करोड़ से 291 करोड़ की कुल लागत और 13वीं परियोजना के दौरान 306.41 करोड़ की लागत के अनुसार परिकल्पित की गई है।

(घ) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

एनीमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स सेक्टर की उत्कृष्टता हेतु केंद्र की स्थापनाः

वैश्विक मनोरंजन के क्षेत्र में एनिमेशन और गेमिंग विकास और सफलता के क्षेत्र में एक सफल विस्तार के रूप में उभरा है। यद्यपि, इस उद्योग में यह स्वीकार किया गया है कि इस कार्यक्षेत्र में विकास की जबरदस्त संभावना है, इस विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त मानव शक्ति इस उद्योग के भविष्य की सफलता की कुंजी है। एनिमेशन और गेमिंग हेतु प्रशिक्षित श्रमशक्ति की मांग तात्कालिक आपूर्ति से काफी अधिक है और प्रतिभाओं कि गैर उपलब्धता भारतीय संगठनों की एक प्रमुख चुनौती है। अत: इस क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की जरूरत है। विशेषत:, अन्य एशियाई बाजारों से मुकाबले की दृष्टि में।

अत:, सूचना और प्रषारण मंत्रालय के अंतर्गत एनीमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स सेक्टर की उत्कृष्टता हेतु केंद्र की स्थापना प्रस्तावित की गई है। इसके लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है और योजना आयोग ने इस परियोजना के लिए 12 वीं योजना परिव्यय को समत्ति दे दी है। पंजाब सरकार ने मोहाली में इस केंद्र हेतु 12 एकड़ जमीन नि:शुल्क आवंटित की है।

अग्रकालिक योजना में, एनीमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स सेक्टर की उत्कृष्टता हेतु केंद्र की स्थापना हेतु पूर्ण परिव्यय 57 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। यह परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली पर चलाने हेतु प्रस्तावित की गई है।

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र (ईएमएमसी)

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर(ईएमएमसी) का गठन चैनलों की रिकॉर्डिंग और 24x7 निगरानी रखने के मकसद से किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चैनलों की संख्या 300 से बढ़ाकर 1500 करने की योजना पर ईएमएमसी को भी निगरानी के लिए अपनी क्षमता में विस्तार करना है। 600 टीवी चैनलों की मौजूदा निगरानी क्षमता बढ़ाकर 900 टीवी चैनल करने पर काम चल रहा है। सुचारू रूप से चलने वाली ईएमएससी एक मॉडल मॉनिटरिंग सेंटर बन जाने से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय महत्वपूर्ण टीवी चैनलों, निजी एफएम चैनलों और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर नजर रख सकेगा। इस सेंटर के बन जाने से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उचित विषय सामग्री के उल्लंघन पर कंट्रोल किया जा सकेगा।

प्रसार भारती

प्रसार भारती, देश में लोक सेवा प्रसारक है। उसके दो संघटक –आकाशवाणी और दूरदर्शन हैं। प्रसार भारती 23 नवम्बर 1997 को अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य जनता को सूचना देने, शिक्षित करने और उसका मनोरंजन करने वाली लोक प्रसारण सेवाओं का आयोजन और संचालन करना तथा देश में प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।

संगठनात्मक ढांचा

निगम के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन प्रसार भारती बोर्ड करता है। बोर्ड समय-समय पर बैठकें करता है और महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करता है व नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश देता है। कार्यकारी सदस्य निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्य करते हैं और बोर्ड का नियंत्रण और निरीक्षण करते हैं। सीईओ बोर्ड के उन अधिकारों का इस्तेमाल और उन दायित्वों का निर्वहन करते हैं, जो उन्हें बोर्ड द्वारा प्रदत्त किये जाते हैं। प्रसार भारती के दो स्कंध - आकाशवाणी और दूरदर्शन हैं, जिनका नेतृत्व महानिदेशक स्तर के अधिकारियों के हाथ में है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक बोर्ड के नीति-निर्देशों और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की रोजमर्रा के मामलों के प्रबंधन के लिए सदस्य (वित्त), सदस्य (कार्मिक) और सीईओ के निकट सहयोग से कार्य करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन में, विभिन्न गतिविधियों, जैसे प्रोग्राम, इंजीनियरिंग, प्रशासन और वित्त के लिए मोटे तौर पर चार अलग-अलग स्कंध हैं। इनके अतिरिक्त, दोनों निदेशालयों में एक-एक समाचार सेवा प्रभाग भी है, जिनकी कमान भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के हाथ में होती है।

उपरोक्त निर्दिष्ट भरे हुए और रिक्त पद सदैव अपरिवर्तित नहीं रहते और समय-समय होने वाली नियमित सेवानिवृत्ति और प्रसार भारती द्वारा की जाने वाली नयी भर्तियों की वजह से बदलते रहते हैं।

आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसार भारती के दो संघटक हैं, जिनका देश भर में स्टेशनों, केंद्रों और अन्य प्रतिष्ठानों वाला विशाल नेटवर्क है, उनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :

निदेशालय	इकाई	ट्रांसमीटर्स/प्रतिष्ठान					
	स्टेशन	एमडब्ल्यू	एफएम	एसडब्ल्यू		कुल	आरएनयू
आकाशवाणी	413	145	391	48		584	45
	केंद्र	एपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	टीआरपीएसआर		आरएनयू
दूरदर्शन	67	215	811	372	18	1416	29
कुल	480	360	1202	420	18	2000	74

सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए शुरुआत में 5583 करोड़ रुपये के कुल बजट को स्वीकृति दी थी, जिसमें से 2633 करोड़ रुपये का परिव्यय जारी योजनाओं के लिए और 2950 करोड़ रुपये नई योजनाओं के लिए था। इसे संशोधित कर 3826 करोड़ रुपये कर दिया गया है जिसमें से 2614.86 करोड़ रुपये जारी योजनाओं के लिए और 1211.14 करोड़ रुपये नई योजनाओं के लिए हैं। अन्य कार्यों में 3826 करोड़ रुपये का संशोधित परिव्यय है, जिसमें से 3500 करोड़ रुपये की राशि व्यापक योजनाओं 'प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास' के लिए, 186 करोड़ रुपये की राशि 'विषयवस्तु विकास एवं प्रसार' के लिए और 140 करोड़ रुपये की राशि 'विशेष परियोजनाओं' के लिये निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 की वार्षिक योजना के दौरान किसान चैनल के लिए 100 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया, जो वर्तमान सरकार की नयी पहल है। इससे 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रसार भारती का कुल परिव्यय बढ़कर 3926 करोड़ रुपये हो गया है।

वर्ष 2015-16 की वार्षिक योजना के लिए स्वीकृत कुल परिव्यय 605.03 करोड़ रुपये है, जिसमें से 35 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता-साधारण, योजना-किसान चैनल के लिए और 570.03 करोड़ रुपये का अनुदान 'प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास' योजना के अंतर्गत पूंजीगत संपत्ति तैयार करने (जीसीसीए) के लिए है। पूंजीगत

संपत्ति तैयार करने हेतु अनुदान में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किसान चैनल के लिए और 10 लाख रुपये की राशि विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत आकाशवाणी के ऑडिटोरियम के लिए है।

आकाशवाणी

प्रसार भारती का अभिन्न अंग आकाशवाणी (एआईआर), प्रसार भारती अधिनियम, 1990 में दिए गए अधिदेश के तहत कार्य करता है। आकाशवाणी, देश भर में फैले विभिन्न स्टेशनों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को सूचना देता है, शिक्षित करता है और उसका मनोरंजन करता है। यह ध्वनि प्रसारण के माध्यम से देश के सभी लोगों को सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी देता है। इसके कार्यक्रम संस्कृति शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, महत्वपूर्ण समाचार और प्रासंगिक रुचि की समसामयिक घटनाओं पर आधारित होते हैं। यह शिक्षा और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के लिए अपने प्रसारण के माध्यम से विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम संतुलित और निष्पक्ष हैं। आकाशवाणी, प्रसारण भाषाओं (22) और बोलियों (146), अपनी सेवाओं के दायरे में आने वाली सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक विविधता की रेंज के संदर्भ में दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण नेटवर्कों में से एक है। इसकी घरेलू सेवाओं में देशभर संचालित में 145 एमवी 391 एफएम और 48 एसडब्ल्यू ट्रांसमीटरों वाले 413 स्टेशन शामिल है। इनके अलावा महानिदेशक (समाचार), आकाशवाणी के अंतर्गत 44 आरएनयू कार्य कर रहे है, जिसका विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है। आकाशवाणी के प्रसारण का दायरा देश के 92 प्रतिशत भूभाग और 99.19 प्रतिशत आबादी तक फैला है।

वार्षिक योजना 2015-16 के लिए आकाशवाणी का स्वीकृत परिव्यय 260.01 करोड़ रुपये है जिसमें 260.01 करोड़ रुपये का आवंटन पूंजी घटक के अंतर्गत 'प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास' के लिए है। इस योजना में मुख्य रूप से आकाशवाणी नेटवर्क के डिजिटलीकरण, सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी/दूरदर्शन की कवरेज के सुदृढ़ीकरण, एफएम सेवा के विस्तार और ई-गवर्नेंस पर बल दिया गया है। संचालित की जाने वाली इन गतिविधियों का विवरण **अध्याय-2** में दिया गया है।

सार्वजनिक प्रसारक के रूप में अपने दायित्व पूरे करने के लिए संगठन के और आगे विकास करने से संबंधित नीतिगत फैसलों के आधार पर आकाशवाणी द्वारा विभिन्न तरह की पहल की गई हैं। इन्हें आम जनता और विशेष लक्षित समूहों, जैसे अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के कल्याण की जरूरतों, महिला सशक्तीकरण और उत्तर-पूर्व के विकास को ध्यान में रखकर लागू किया जाता है। (**अध्याय-3**)

वार्षिक योजना 2013-14 और 2014-15 के दौरान वास्तविक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन का योजना-वार विवरण अध्याय-4 में दिया गया है। आकाशवाणी के लिए वार्षिक योजना 2013-14 का स्वीकृत परिव्यय 318.50 करोड़ रुपये था और खर्च 269.18 करोड़ रुपये था। इसी प्रकार, वार्षिक योजना 2014-15 का कुल परिव्यय 227.01 करोड़ रुपये है जिसमें से नवम्बर 2014 तक 149.28 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

निगरानी प्रणाली

आकाशवाणी की सभी योजना स्कीमों के कार्य निष्पादन का आकलन उसके द्वारा मंत्रालय को सौंपे जाने वाले मासिक खर्च के विवरण के माध्यम से किया जाता है और खर्च में हुई प्रगति और मंत्रालय द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के पूरा होने के आधार पर प्रसार भारती को अनुदान जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकार/योजना आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अर्द्धवार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (एचपीआर) तैयार की जाती है। प्रसार भारती (आकाशवाणी) के वित्तीय कार्य निष्पादन के योजना-वार विवरण की नियमित निगरानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के योजना समन्वयन प्रकोष्ठ द्वारा मासिक वक्तव्य के माध्यम से की जाती है।

सदस्य (वित्त), प्रसार भारती, योजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी करते हैं और जहां कहीं आवश्यकता होती है, सुधार के उपाय करते हैं।

आरएफडी में शामिल की गई योजनओं की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी भी नामित किये गये।

वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशकों के वित्तीय अधिकार 20 करोड़ रुपये कर दिये गये हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जनवरी, 2012 को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद हेतु प्रसार भारती बोर्ड के लिए वित्तीय अधिकार 300 करोड़ रुपये के वर्धित वित्तीय अधिकार प्रदत्त किये थे।

योजनाओं के लिए खरीद और अन्य सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है और उसकी प्रगति की भी तय कार्यक्रम के अनुसार निगरानी की जाती है। उपकरण की खरीद संबंधी प्रक्रिया को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए ई-निविदा प्रणाली अपनायी गई है।

उपरोक्त के अलावा, परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों और सिविल निर्माण प्रकोष्ठ में नियमित समीक्षा बैठकें होती हैं।

दूरदर्शन

भारत में दूरदर्शन प्रसारण की शुरुआत सितंबर 1959 में, दिल्ली में प्रायोगिक ट्रांसमिशन के साथ हुई जिसे बाद में 1965 में नियमित सेवा के तौर पर उन्नत किया गया। अप्रैल 1976 तक दूरदर्शन आकाशवाणी का ही हिस्सा रहा, तत्पश्चात इसे अलग किया गया और महानिदेशक की अध्यक्षता में इसे अलग विभाग बना दिया गया। रंगीन टीवी और राष्ट्रीय नेटवर्क की शुरुआत 1982 में की गई। तब से दूरदर्शन प्रसारण के क्षेत्र में नयी तकनीकी विकास के साथ अपना नेटवर्क पूरे देश में फैला रहा है। दूरदर्शन वर्तमान में 33 सेटेलाइट चैनलों का संचालन करता है और उसका 67 स्टूडियो और 1416 ट्रांसमीटरों वाला विशाल नेटवर्क है, जो देश की करीब 92 प्रतिशत आबादी तक दूरदर्शन की पहुंच उपलब्ध करवा रहा है। इसके अलावा समाचार एवं समसामयिक मामलों के प्रसार के लिए महानिदेशक (समाचार), दूरदर्शन के तहत देश में 29 आरएनयू का संचालन हो रहा है।

इसके अलावा दूरर्दशन फ्री-टू-एयर डीटीएच सेवा उपलब्ध करवा रहा है। आज दूरदर्शन की गणना दुनिया के प्रमुख प्रसारण संगठनों में होती है।

दूरदर्शन के सेटेलाइट चैनल

दूरदर्शन वर्तमान में 33 सेटेलाइट चैनलों का संचालन करता है। इनका विवरण इस प्रकार है:-

अखिल भारतीय चैनल	**5**	डीडी नेशनल डीडी स्पोर्ट्स	डीडी उर्दू डीडी न्यूज	डीडी भारती	
क्षेत्रीय चैनल	**16**	डीडी पोगाली डीडी मलयालम डीडी बिहार डीडी गुजराती (गिरनार)	डीडी पूर्वोत्तर डीडी चंदना डीडी सह्याद्रि डीडी यूपी	डीडी ओडिया डीडी राजस्थान डीडी कश्मीर डीडी एमपी	डीडी बांग्ला डीडी पंजाबी डीडी यादागिरी डीडी सप्तगिरी
राज्य नेटवर्क	**11**	उत्तराखंड झारखंड मेघालय छत्तीसगढ़	अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश त्रिपुरा मणिपुर	मिज़ोरम नागालैंड हरियाणा	
अंतर्राष्ट्रीय चैनल	**1**	डीडी इंडिया			

दूरदर्शन नेटवर्क

कार्यक्रम निर्माण केंद्र

देशभर में इन-हाउस कार्यक्रम निर्माण के लिए 67 स्टूडियो केंद्र हैं इनमें राज्यों की राजधानियों में 17 बड़े स्टूडियो केंद्र, गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय निर्माण केंद्र और देश के विभिन्न भागों में 49 अन्य स्टूडियो केंद्र शामिल हैं।

भूभागीय ट्रांसमीटर

भूभागीय कवरेज के लिए, देश भर में अलग-अलग क्षमता के 1416 ट्रांसमीटर लगाये गए हैं। ये सभी चालू हैं। इन ट्रांसमीटरों का ब्यौरा इस प्रकार **है:**

सेवा	एचपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	ट्रांसपोटर	कुल
डीडी1 ट्रांसमीटर	138	733	355	18	1244
डीडी समाचार ट्रांसमीटर	73	78	17	–	168
अन्य ट्रांसमीटर (डिजीटल)	4	–	–	–	4
कुल	215	811	372	18	1416

राज्यवार स्थापित ट्रांसमीटरों की संख्या **अनुलग्नक-2** में दी गई है। भूभागीय मोड में डीडी-1 (राष्ट्रीय) चैनल की कवरेज का दायरा देश की करीब 92 प्रतिशत आबादी तक उपलब्ध है। डीडी न्यूज चैनल की भूभागीय कवरेज अनुमानित रूप से करीब 49 प्रतिशत आबादी तक उपलब्ध है। डीडी-1 और डीडी-न्यूज की क्षेत्र वार कवरेज क्रमश: 81 प्रतिशत और 26 प्रतिशत है।

फ्री-टू-एयर डीटीएच ''डीडी फ्री डिश''

दूरदर्शन ने अपनी फ्री-टू-एयर डीटीएच सेवा, ''डीडी डायरेक्ट प्लस'' (हाल ही में इसका नाम बदलकर ''डीडी फ्री डिश''कर दिया गया)दिसम्बर 2004 में 33 टीवी चैनलों के समूह के साथ शुरू की। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य अब तक भू-भागीय प्रसारण से अछूते रह गये क्षेत्रों को टेलीविजन कवरेज उपलब्ध कराना था। इसके बाद डीटीएच प्लेटफार्म की क्षमता बढ़ाकर इसमें 59 टेलीविजन चैनल शामिल कर लिए गए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर डीटीएच सिग्नल (केयू-बैंड) देश के सभी हिस्सों में छोटे आकार की डिश के जरिए उपलब्ध हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सितम्बर 2009 में सी-बैंड के साथ 10 चैनलों वाली डीटीएच सेवा शुरू की गई।

वार्षिक योजना 2015-16 में दूरदर्शन के लिए स्वीकृत परिव्यय 345.02 करोड़ रुपये है। इसमें 35 करोड़ रुपये विशिष्ट तौर पर किसान चैनल के लिए सहायता अनुदान सामान्य और 310.02 करोड़ रुपये पूंजी परिसम्पत्ति (किसान चैनल के लिए 10 करोड़ रुपये सहित) के अंतर्गत 'प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास' के अंतर्गत कवर की जाने वाली योजनाओं हेतु अनुदान सहायता के लिए हैं। इस योजना में मुख्य रूप से दूरदर्शन नेटवर्क के डिजिटलीकरण, डीटीएच का विस्तार, एचडीटीवी का विस्तार, दूरदर्शन स्टूडियो, ट्रांसमीटर और सेटेलाइट प्रसारण उपकरण का आधुनिकीकरण और भारत-नेपाल सीमा पर दूरदर्शन के कवरेज के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया है। इस तरह, 35 करोड़ रुपये का शेष परिव्यय किसान चैनल के लिए विषयवस्तु विकास एवं प्रसार हेतु आवंटित किया गया है। (**अध्याय-2)**

वार्षिक योजना 2013-14 और 2014-15 के दौरान वास्तविक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन का योजना-वार विवरण **अध्याय-4** में दिया गया है। वार्षिक योजना 2013-14 में स्वीकृत परिव्यय 395.50 करोड़ रुपये और खर्च 365.59 करोड़ रुपये था। इसी प्रकार, वार्षिक योजना 2014-15 में कुल परिव्यय 278.02 करोड़ रुपये मंजूर किया गया जिसमें से नवम्बर 2014 तक 126.63 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

निगरानी की व्यवस्था

प्रत्येक वर्ष दूरदर्शन की सभी प्रमुख परियोजनाओं के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों की निगरानी क्षेत्रीय कार्यालय के साथ-साथ निदेशालय द्वारा की जाती है, ताकि उन्हें समय पर संपन्न किया जा सके और अतिरिक्त समय और लागत को रोका जा सके। सिविल कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय एडीजी (ई) सीसीडब्ल्यू अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करते हैं। ई-इन-सी स्तर पर निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय और सीसीडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से परियोजना समीक्षा बैठके होती हैं। डीजी:डीडी एवं प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर पर भी समय-समय पर समीक्षा बैठके होती हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी डीडी योजनाओं के कार्यान्वयनों की निगरानी के लिए समय समय पर समीक्षा बैठकें बुलाता है। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए दूरदर्शन हर संभव कदम उठा रहा है।

मुख्य सचिवालय की प्रसारण विंग की स्कीमें

(क) सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग

विकास और लोकतंत्र की सफलता का केंद्र संचार होता है। ऐसे समुदायों में जहां, ज्यादातर लोग लिख और पढ़ नहीं सकते, सामुदायिक रेडियो एक महत्वपूर्ण संचार माध्यम के रूप में उभरा है। दबी आवाजों की आवाज उठाने का सामुदायिक रेडियो एक आवश्यक और असाधारण माध्यम है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन और समुदायों को शक्ति प्रदान करने के लिए सामुदायिक रेडियो का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से किया है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन मूलत: कम शक्तिशाली रेडियो स्टेशन होते हैं, जिसे स्थानीय समुदायों द्वारा लगाया और संचालित किया जाता है। एक सामुदायिक रेडियो की जड़े स्थानीय समुदायों से जुड़ी होती हैं। ये सामुदायिक रेडियो स्थानीय इलाकों के स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा और पोषण पर ध्यान देने का काम करते हैं।

बीते 4 सालों में मंत्रालय का सामुदायिक रेडियो की तरफ नजरिया और ध्यान अपेक्षाकृत बेहतर हुआ है। सामुदायिक रेडियो के लिए मंत्रालय का नजरिया अब महज लाइसेंस देने के अलावा सुविधा देने का भी बना है। इस जरूरी झुकाव की वजह से भारत में सामुदायिक रेडियो की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। भारत में इस वक्त 170 सामुदायिक रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं जबकि 300 से ज्यादा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को बनाने पर काम चल रहा है। रेडियो स्टेशनों की संख्या में ये वृद्धि शांति से क्रांति करने के लिए तैयार है।

रेडियो स्टेशन लगाने के लिए आवेदन को आसान, आवेदन के बाद पारदर्शिता, मंजूरी, जागरूकता, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए वित्तीय सहायता संबंधी योजनाओं पर मंत्रालय की ओर से बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं। हिस्सेदारों और सरकार के सहयोग से सामुदायिक रेडियो ब्रॉडकास्ट एक अर्थपूर्ण विकास की ओर बढ़ रहा है।

(ख) प्रसारण शाखा का स्वचालितीकरण

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को वर्ष 2011 में अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में टेलीविजन चैनलों को अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की अनुमति जारी करने का अधिकार है तथा इसके साथ ही मंत्रालय को मल्टी सिस्टम आपरेटर की अनुमति, डीटीएच लाईसेंस, एचआईटीएस लाईसेंस और सीआरएस, तथा आईपीटीवी सेवा की मंजूरी देने का भी अधिकार है। मंत्रालय ने इन सेवाओं के प्रदाताओं को विभिन्न मंजूरियां देने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली शुरू की है। भारत की जमीन से पहली बार निजी टेलीवजन चैनल को अपलिंकिंग की मंजूरी वर्ष 2000 में दी गयी थी। इससे पहले अपलिकिंग विदेशी जमीन से होती थी। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास के साथ ही भारतीय जमीन से टीवी चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की अनुमति देने की मांग जोर पकड़ने लगी। जिससे वर्ष 2002 में अपलिंकिंग और 2005 में डाउनलिंकिंग की नीति-निर्देश घोषित कर दिए गए। इन दिशा-निर्देशों को 2011 में एक बार फिर संशोधित किया गया। मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों को इन दिशा निर्देशों के तहत अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की अनुमति प्रदान कर दी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रसारण शाखा के विभिन्न भागों को स्वाचालित करने का प्रस्ताव किया गया। इनमें टीवी विभाग, बीपी एंड एल विभाग और सीआरएस विभाग और प्रसारण सेवा की अनुमति देने वाले कई विभाग शामिल थे। इस परियोजना में समग्र ऑनलाइन पोर्टल का विकास, परीक्षण और उसका स्थापन शामिल है। योजना राजस्व के अंतर्गत इस नयी योजना का नाम प्रसारण शाखा का स्वचालितीकरण रखा गया। इस योजना का कार्यान्वयन एनआईसी को टर्न की के आधार पर करना होगा। इसमें प्रणाली, श्रम और अगले पांच वर्ष की अवधि तक कार्यान्वयन रखरखाव भी शामिल है।

इस योजना का उददेश्य कम्प्यूटर आधारित प्रणाली तैयार करना है जिससे पंजीकरण और अनुमति मांगने वाले आवेदकों को मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी लायी जा सके। आवेदन का साफटवेयर अन्य संबद्ध मंत्रालयों को भी उपलब्ध होगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को वर्ष 2011 में अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में टेलीविजन चैनलों को अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की अनुमति जारी करने का अधिकार है। विभिन्न अनुमतियां मांगने वाले आवेदकों के लिए मंत्रालय ने सिंगल विंडो प्रणाली उपलब्ध कराई है। सामान्यतया आवेदकों को मंजूरी लेने में बहुत सारे कागजातों का प्रबंध करना होता है और कई अधिकारियों के पास जाना होता है। इससे जरूरी अनुमति और लाईसेंस जारी करने में अनावश्यक देरी होती है और योजनाबद्ध तरीके से काम करना मुश्किल हो जाता है। यह कई बार प्रणाली की नाकामी के रूप सें देखा जाता है।

आवेदनों की पूरी प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन लाइन पोर्टल का प्रस्ताव का किया है। इससे विभाग के अधिकारी और संबद्ध पक्ष आवेदन की स्थिति देख सकते है और पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम से कम होता है।

(ग) डिजिटलाइजेशन का मिशन

भारत में केबिल नेटवर्क को चार चरणों में डिजीटाइज करने का महत्वाकांक्षी प्रयास प्रारम्भ किया गया है। यूनियन कैबिनेट ने मंत्रालय के उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है जिससे 31 दिसम्बर 2016 तक सभी एनॉलाग टी वी सेवाएं डिजीटाइज हो जाएंगी। केबिल टी वी डिजीटाइजेशन के प्रथम दो चरण सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। पहले चरण में, जो कि 31 अक्टूबर 2012 तक पूरा किया जाना था, चार मेट्रो षहरों में से दिल्ली, मुम्बई तथा कोलकाता में पूर्ण डिजीटाइजेशन किया जा चुका है। लंबित कोर्ट मामलों के कारण चेन्नई में पूर्ण डिजीटाइजेशन अभी भी किया जाना शेष है। दूसरे चरण में, जो कि 31 मार्च 2013 को पूर्ण हुआ, 14 राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र के 36 शहरों (जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है) में डिजीटाइजेशन प्रक्रिया पूरी की गई। दूसरे चरण में 36 शहरों में डिजीटाइजेशन की प्रक्रिया लगभग पूरी की जा चुकी है तथा शेष 2 शहरों में भी इसका कार्य प्रगति पर है। पहले दो चरणों में तीन करोड़ से अधिक सेट टॉप बॉक्स लगाए गए।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मंत्रालय ने इलेक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया की मदद से एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। टी वी तथा रेडियो पर प्रसारण के लिए वीडियो स्पॉट तथा रेडियो जिंगल तैयार किए गए। मोबाइल फोन पर एस एम एस का विस्तृत अभियान भी चलाया गया। साथ ही बस स्टैन्ड इत्यादि पर सिनेमा स्लाइड तथा होर्डिंग भी लगाई गई। मंत्रालय द्वारा सभी टी वी चैनलों पर विज्ञापित ''ब्लैक आउट विज्ञापन'' ने डिजीटाइजेषन डेडलाइन के बारे में एक सघन जन जागरूकता का विस्तार किया। 200 से अधिक चैनलों ने एक ही दिन तथा समय पर मंत्रालय के ''ब्लैक आउट विज्ञापन'' का प्रसारण किया जो अपने आप में एक अनूठा रिकार्ड है। विभिन्न एम एस ओ तथा डी टी एच ऑपरेटरों द्वारा सेट टॉप बॉक्स लगाने की मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती रही है। पूरी प्रक्रिया को सरल करने के लिए विभिन्न स्टेक होल्डरों को समाहित कर एक विषेश कार्यदल का गठन भी किया गया है। डिजीटाइजेशन पर एक विशेष वेबसाइट को भी मंत्रालय ने प्रारम्भ किया । राष्ट्रीय स्तर के एम एस ओ, स्वतन्त्र एम एस ओ तथा स्थानीय केबिल आपरेटर्स के लिए मंत्रालय द्वारा गठित उप-समूह ने मंत्रालय को मूलभूत स्तर से फीडबैक प्राप्त करने में सहायता पहुँचाई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों तथा मंत्रालय के अंर्तगत पी एस यू बेसिल (बी ई सी आई एल) के तकनीकी अधिकारियों की टीम ने गहन क्षेत्रीय निरीक्षण भी किया। इन यात्राओं का उद्देश्य मूलभूत वास्तविकताओं का मूल्यांकन करना तथा सतत् फीडबैक उपलब्ध कराना था जिससे डिजीटाइजेशन प्रक्रिया क्षेत्र से सीख लेकर उसे अपना सके। डिजीटाइजेषन के बारे में विभिन्न प्रश्नों का उत्तर प्रदान करने के लिए एक टोल फ्री नम्बर का प्रावधान भी किया गया। डिजीटाइजेशन के काउन्टडाउन के रूप में मंत्रालय ने एक कन्ट्रोल रूम की भी स्थापना की जिसमें 5 टेलीफोन लाइनें आम जन के प्रश्नों का उत्तर प्रदान करने के लिए रखी गईं।

डिजीटाइजेशन के पहले दो चरणों में सभी स्टेकहोल्डरों के लिए अपेक्षा अनुरूप परिणाम आए। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रारम्भिक आंकड़े दर्शाते हैं कि मनोरंजन कर संग्रह में दो से तीन गुनी तक वृद्धि हुई है। प्रथम चरण के शहरों में समाचार प्रसारण कैरिज फीस भुगतान में 30 प्रतिशत गिरावट दर्शाते हैं। एम एस ओ से प्राप्त आंकड़े यह दर्षा रहे हैं कि प्रसारकों के सब्सक्रिप्शन भुगतान में 35 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

चरण -3 के अंर्तगत शेष शहरी क्षेत्र (जो कि प्रथम तथा द्वितीय चरण में कवर नहीं हुए हैं) आच्छादित होंगे जबकि चौथे चरण में शेष भारत को कवर किया जाएगा। चरण-3 तथा चरण-4 को क्रमश: 30 सितम्बर 2014 तथा 31 दिसम्बर 2014 तक पूरा हो जाना था जिसे अब गजट नोटिफिकेशन संख्या एस ओ संख्या 2308 (ई) दिनांक 11.9.2014 के जरिए क्रमश: 31 दिसम्बर 2015 तथा 31 दिसम्बर 2016 तक बढ़ा दिया गया है। इस चरण में सेट टॉप बॉक्स की अनुमानित मांग ग्यारह करोड़ है। चरण-3 तथा चरण-4 को लागू करने के लिए ब्लूप्रिन्ट तैयार किया जा चुका है। केबिल नेटवर्क सेवाओं के पूर्ण डिजीटाइजेशन हो जाने से भारतीय केबिल टी वी सेटअप में महत्वपूर्ण वृद्धि हो जाएगी।

अध्याय-1

अधिदेश, लक्ष्य, उद्देश्य, नीतिगत ढांचा तथा नीति वक्तव्य

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

अधिदेश, लक्ष्य, उद्देश्य, नीतिगत ढांचा तथा नीति वक्तव्य

1.1 अधिदेश: विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी ए वी पी) भारत सरकार की प्रमुख मल्टी मीडिया विज्ञापन एजेंसी है। यह विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए जनता तक पहुंचाने का काम करती है। डी ए वी पी अनेक स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रचार आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। समाज से जुड़े संदेशों को आम आदमी तक पहुँचाने के लिए यह निम्नलिखित माध्यमों का सहारा लेती है।

क. समाचार पत्रों में विज्ञापन

ख. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रव्य-दृश्य स्पॉट, जिंगल्स आदि

ग. उभरता नया मीडिया अर्थात् डिजीटल सिनेमा, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट

घ. मुद्रित प्रचार साहित्य, पुस्तिकाएं, ब्रोशर, पोस्टर आदि

ड. बाह्य प्रचार माध्यमों होर्डिंग्स, मेट्रो रेल पैनल, बस पैनल, कियोस्क, सार्वजनिक सुविधाएं इत्यादि

च. ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के भीड़भाड़ वाले इलाकों में चुने हुए विषयों पर फोटो प्रदर्शनी, इनमें मेले भी शामिल हैं।

1.2 नीतिगत ढांचा: कुल मिला कर डी ए वी पी कई वर्षों से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और विकास के क्षेत्र में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। यह जनता के बीच जागरुकता निभाने, विकासात्मक गतिविधियों में जनता की भागीदारी प्राप्त करने और गरीबी तथा अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में अहम भूमिका निभा रहा है। मुद्रित माध्यम प्रचार तथा श्रव्य-दृश्य प्रचार, बाह्य प्रचार और नया मीडिया प्रचार जैसे डिजीटल सिनेमा, इंटरनेट सोशल मीडिया और एस एम एस को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी क्रमश: विज्ञापन नीति और दृश्य प्रचार नीति के तहत किया जाता है।

1.3 लक्ष्य: www.davp.nic.in को वेबसाइट पर उपलब्ध चार्टर अपने ग्राहकों, नागरिकों आदि को मात्रात्मक तरीके से सेवाएं देने का एक प्रयास है। डी ए वी पी वर्तमान में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बार बार गुणवत्ता बोध के साथ ग्राहक समर्पित संगठन बनने के लिए तैयार कर रहा है। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी, सेवाओ का व्यवसायीकरण तथा कार्य प्रक्रियाओं और ढांचे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आगे, मीडिया आउटलेट के लिए विभागों / मंत्रालयों की आवश्यकताओं के लिए मात्र डाकघर होने के स्थान पर डी ए वी पी ऐसी सामग्री/ विषय वस्तु को तैयार करने का लक्ष्य बना रहा है जो कि सरकारी सूचना और सरकारी माध्यमों के लिए एकीकृत भूमिका निभा सके।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

मंत्रालय की मीडिया इकाइयों में से एक है क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय जो सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के प्रचार कार्य में जुटा हुआ है। वह यह प्रचार कार्य 22 क्षेत्रीय कार्यालयों की देखरेख में 207 क्षेत्रीय प्रचार ईकाइयों के अपने नेटवर्क के माध्यम से कर रहा है।

चार क्षेत्रीय कार्यालयों के नियंत्रण में 32 क्षेत्रीय प्रचार ईकाइयों के साथ 1953 में क्षेत्र प्रचार निदेशालय अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना ''पंचवर्षीय योजना प्रचार संगठन'' के आंतरिक प्रचार कार्यक्रम के तहत् की गई। मंत्रालय ईकाइयों और क्षेत्रीय कार्यालयों पर सीधा प्रशासनिक नियन्त्रण करता है। बाद में क्षेत्रीय कार्यालयों की गतिविधियों पर नजर रखने और संचालन करने हेतु 1959 में पूर्ण विकसित निदेशालय स्थापित किया गया और इसे नाम दिया गया क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय।

सन् 1962 में चीन-भारत युद्ध और 1965 में भारत-पाक युद्ध के बाद डीएफपी की कार्यप्रणाली में कुछ आधारभूत परिवर्तन किए गए जो देश के मनोबल को बढ़ाने और किसी भी बाहरी खतरे से निपटने के लिए लोगों को मानसिक तौर पर तैयार करने के दृष्टिकोण के तत्काल रूप से आवश्यक थे। तदनुसार 1963 में 34 नई इकाइयां स्थापित की गई और 1965 में प्रचार के लिए, अन्य 33 इकाइयां विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्र के लिए स्थापित की गई।

भारतीय जनसंचार संस्थान

भारतीय जनसंचार संस्थान का अस्तित्व 17 अगस्त 1965 को सामने आया। इसकी शुरुआत बहुत कम कर्मचारियों से हुई जिनमें यूनेस्को के दो सलाहकार भी शामिल हैं। शुरू में यह संस्थान मुख्यत: केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता था और संस्थान ने छोटे पैमानों पर शोध अध्ययन भी किए। पिछले करीब 48 सालों से संस्थान विकसित होकर अब आधुनिक समय में बदलते और तेजी से फैलते मीडिया एवं सूचना उद्योग की विभिन्न एवं अहम जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक विशिष्ट पाठ्यक्रमों को भी शुरू कर रहा है।

संस्थान न केवल भारत की जरूरतों के लिये बल्कि विकासशील देशों की जरूरतों के लिए अनुकूल सूचना संरचना को बनाने तथा उसे मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। यह संस्थान देश के भीतर और देश के बाहर के अन्य संस्थानों/निकायों के लिए अपनी विशेषज्ञता और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। यह संस्थान केन्द्र/राज्य/सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रोंके संगठनों के विभागों/संगठनों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है।

क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के मद्देनजर तथा प्रशिक्षण गतिविधियों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए संस्थान ने पूर्वी क्षेत्र की मांगों की पूर्ति के लिए 1993 में ढेंकनाल, ओडिशा में एक क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की। इसके अलावा अगस्त, 2011 में अमरावती (महाराष्ट्र) और आइजोल (मिजोरम) में संबंधित राज्य सरकारों की ओर से अस्थायी तौर पर उपलब्ध कराये गये स्थानों पर दो नए क्षेत्रीय केंद्र कार्य कर रहे हैं। साथ ही अगस्त 2012 में जम्मू (जम्मू-कश्मीर) और कोट्टायम (केरल) में दो केन्द्र खोले गये।

वित्तीय समर्थन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा संस्थान को उपलब्ध कराया गया है। संस्थान की गतिविधियों जिसका वर्तमान अध्यक्ष भी आईआईएमसी सोसायटी के अध्यक्ष है, जो सचिव (सूचना एवं प्रसारण), है इसकी कार्यकारी परिषद, द्वारा निर्देशित कर रहे हैं। परिषद के अन्य सदस्यों, अन्य बातों के साथ, संस्थान के निदेशक जनरल, संस्थान के संकाय के प्रतिनिधियों और मीडिया और संचार की दुनिया की प्रख्यात हस्तियों में शामिल हैं।

संस्थान को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जरिये भारत सरकार की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। संस्थान की गतिविधियों को दिशा - निर्देश संस्थान की कार्य परिषद की ओर से किया जाता है जिसके मौजूदा अध्यक्ष हैं सचिव (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) जो आईआईएमसी सोसायटी के अध्यक्ष भी हैं। परिषद के अन्य सदस्यों में संस्थान के महानिदेशक, संस्थान के संकाय के प्रतिनिधि तथा मीडिया एवं संचार के क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां होते हैं।

फोटो प्रभाग

फोटो विभाग का मुख्य कार्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों और उसके कारण से देश में हो रहे सामाजिक बदलावों का तस्वीरों के माध्यम से दस्तावेज तैयार करना है। फोटो विभाग भारत के प्रधानमंत्री और उप राष्ट्रपति के देश या देश के बाहर दिन-प्रतिदिन के कार्यों के आधिकारिक फोटो कवरेज करने के प्रति पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। विभाग पत्र सूचना कार्यालय और डीएवीपी को इसके प्रदर्शनी व सरकारी घटनाक्रमों के आंतरिक प्रचार के लिए तथा देश के अंदर या बाहर प्रचार के लिए विदेश मंत्रालय के एक्सपी प्रभाग को फोटो की आपूर्ति करता है। लोक सभा सचिवालय की फोटो संबंधी जरूरतों को पूरा करने में भी फोटो विभाग सहायता करता है।

उपरोक्त के अलावा फोटो विभाग भुगतान के आधार पर केंद्र / राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और आम जन को ''मूल्य स्कीम'' के तहत तस्वीरों की आपूर्ति करता है।

भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना प्रथम प्रेस आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 1966 में की गई थी। यह वर्तमान में प्रेस परिषद कानून 1978 के अतंर्गत कार्य करती है। प्रेस की आजादी को बनाए रखने और उसके स्तर में सुधार लाने के अपने दोहरे उत्तरदायित्व की पूर्ति की दिशा में परिषद बहुमुखी भूमिका अदा करती है। जहां एक ओर यह दीवानी न्यायालय की शक्तियों सहित न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है, वहीं परामर्शदायी भूमिका में यह प्रेस और सरकारी अधिकारियों का प्रेस की आजादी और उसके संरक्षण से जुड़े मसलों पर मार्गदर्शन भी करती है।

प्रेस परिषद का मुखिया, अध्यक्ष कहलाता है जो परंपरा के अनुसार देश के उच्चतम न्यायालय का वर्तमान/सेवानिवृत न्यायाधीश होता है। इसके अलावा परिषद के 28 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। पांच संसद के दोनों सदनों से आते हैं और तीन सदस्य सांस्कृतिक, साहित्यिक और विधि के क्षेत्रों से होते हैं जिन्हें क्रमश: साहित्य अकादमी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय बार काउंसिल द्वारा नामित किया जाता है।

परिषद का वित्त पोषण करने के लिये पंजीकृत समाचारपत्रों से उनकी प्रसार संख्या के अनुसार शुल्क वसूला जाता है, घाटा केंद्र सरकार के अनुदान से पूरा किया जाता है। परिषद वित्तीय रूप से काफी हद तक सरकार पर आश्रित है, फिर भी अपने काम में इसने कभी भी किसी बाहरी प्रभाव को हावी नहीं होने दिया है। परिषद के अर्ध न्यायिक कार्य प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 14 और 15 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाते हैं और परामर्शदायी एवं मार्गदर्शन के कार्य धारा 13 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत किए जाते हैं।

पत्र सूचना कार्यालय

1. पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की उन प्रमुख एजेंसियों में से एक है जिनका कार्य नीतियों, कार्यक्रमों और विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसके आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, भोपाल, चंडीगढ़, गुवाहाटी, लखनऊ और हैदराबाद में स्थित हैं। इसके 27 शाखा कार्यालय, 5 कार्यालय- सह- सूचना केंद्र और दो सूचना केंद्र हैं जो देश भर में फैले हुए हैं। इन स्थानों से अनेक पत्र- पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं और नित्य प्रति बड़ी संख्या में पत्रकार वहां आते हैं। मंत्रियों/ सचिवों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भारत सरकार की नीतियों की जानकारी देने के लिए प्रेस कांफ्रेंस आयोजित करते हैं।

2. पिछले कुछ वर्षों के दौरान समाचार जगत में दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं – प्रथम इंटरनेट का बड़े पैमाने पर विस्तार और दूसरे- चौबीसों घंटे चलने वाले न्यूज चैनल। इन दोनों के कारण संचार की गति तेज हो गई है, राष्ट्रों की सीमा के मध्य सूचनाओं का आदान- प्रदान हो रहा है और समाचार संग्रह तथा वितरण में बहुत तेजी आ गई है। इन हालात में जहां परंपरागत मीडिया- खास तौर से प्रिंट मीडिया का महत्व बना हुआ है, वहीं अब पत्र सूचना कार्यालय को नए माध्यमों की जरूरतें पूरी करने के लिए भी काम करना है। नए उभरते साधनों का इस्तेमाल करते हुए अब उसे पूरी जनसंख्या तक पहुंचना है।

3. आजकल इंटरनेट के जरिए सूचनाएं जल्दी मिल जाती हैं और उनमें पारदर्शिता रहती है अत: इस कार्यालय के पुराने साधनों को आधुनिक और आज की मीडिया की जरूरतों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। इसलिये पत्र सूचना कार्यालय अपने ग्राहकों को अधिक आकर्षक एवं उपयोगी तरीकों के जरिये सूचना उपलब्ध कराने के लिये आधुनिक प्रणालियों का इस्तेमाल करता है।

4. पत्र सूचना कार्यालय अखबारों और अन्य मीडिया से मिलने वाली प्रतिक्रिया विभिन्न सरकारी विभागों को उपलब्ध कराता है ताकि वे उसके अनुकूल कदम उठा सकें और अपने प्रयासों को नई दिशा दे सके।

5 इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों/ स्कीमों/ परियोजनाओं को चलाने का प्रस्ताव है :

1. नई दिल्ली में नेशनल मीडिया सेंटर की स्थापना

नेशनल और इंटरनेशनल पत्रकारों को मीडिया सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई दिल्ली में पीआईबी नेशनल मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है। इसका अपना भवन है, जिसमें ऑडिटोरियम, प्रेस लाउंज, ब्रीफिंग/ कांफ्रेंस रूम, लाइब्रेरी समेत आधुनिक सुविधाएं हैं।

परियोजना की संभावनाओं और इसके बढ़ते खर्च को ध्यान में रखते हुए इसकी लागत 35 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपये हो गई। इसे 15 सितंबर 2009 को ईएफसी ने अनुमोदित किया। नेशनल मीडिया सेंटर के निर्माण के लिए 22 मार्च 2010 को पीआईबी और एनबीसीसी के बीच, पुराने एमओयू के स्थान पर एक अनुबंध किया गया था।

वित्त वर्ष 2013-14 में पीआईबी की तरफ से एनबीसीसी को कुल 60 करोड़ की राशि में से कुल 57.41 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था।

वार्षिक योजना 2014-15 र(बी ई) के दौरान एनबीसीसी को भुगतान करने के लिए पत्र सूचना कार्यालय को 2.50 करोड़ रुपये आबंटित किये गये। इस समय यह बिल्डिंग पूरी तरह तैयार हो चुकी है। 24 अगस्त 2013 को इसका उद्घाटन समारोह हुआ था और इसमें कार्यालय का कामकाज किया जा रहा है।

हालांकि पीआईबी ने मंत्रालय को मंत्रालय द्वारा किये गये बदलावों को मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया ताकि एनबीसीसी को शेष भुगतान किये जाने की प्रक्रिया की जा सके। मंत्रालय की मंजूरी अब प्राप्त हो चुकी है तथा सीसीए को फाइल भेज दी गयी है। मंजूरी मिलने के बाद एनबीसीसी को 2.25 करोड़ रूपये के भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी।

जरूरत के मुताबिक, 2.50 करोड़ रुपये के बीई आंकड़े को 2014-15 के आर. ई. में बरकरार रखा गया। इस योजना के तहत इस 2.50 करोड़ रूपये में से दिसंबर, 2014 तक निर्धारित खर्च 2.25 करोड़ रुपये है।

2. मीडिया आउटरीच प्रोग्राम और विशेष इवेंट्स का प्रचार : इस योजना में शामिल मदें इस प्रकार हैं :-

(क) मीडिया आउटरीच प्रोग्राम

(ख) इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया

(ग) प्रवासी भारतीय दिवस समारोह

इन सभी मदों को 12 वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है, जिनके बारे में विस्तृत विवरण इस प्रकार है :-

(क) मीडिया आउटरीच प्रोग्राम

इस योजना का लक्ष्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार प्रसार विभिन्न विधियों से करना है। इन विधियों में जनसंपर्क अभियानों का आयोजन, मीडिया इंटरैक्टिव सेशन, सफलता की कहानियों का प्रचार- प्रसार और प्रेस टूर्स का आयोजन शामिल है।

वार्षिक योजना 2013-14 के लिए इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति 27. 06. 2012 को मिल गई थी। इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालयों को भी 29 जून 2012 को आबंटित कर दिया गया था।

वर्ष 2014- 15 के दौरान ब्यूरो को 100 जन सूचना अभियानों (पीआईसी), 2 मीडिया विचार विमर्श सत्रों और 10 प्रेस दौरों को आयोजित करने के लिए ब्यूरो को 9.88 करोड़ रुपये (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये 1.00 करोड़ रुपये सहित) आबंटित किये गये। लोकसभा के चुनावों के दौरान आचार संहिता लागू होने के कारण, वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही के दौरान ब्यूरो की ओर से कोई भी मीडिया गतिविधियों जैसे - पीआईसी, प्रेस दौरे आदि का आयोजन नहीं किया जा सका। हालांकि दिसंबर, 2014 तक 51 पीआईसी और 4 प्रेस टूर आयोजित करने के लिये 5.41 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। आरई स्तर पर पीआईबी को 7.50 करोड़ रूपये की प्रस्तावित जरूरत के एवज में केवल 5.50 करोड़ रूपये (पूर्वोत्तर के लिये 40 लाख रूपये सहित) आबंटित किये गये।

(ख) इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया और प्रवासी भारतीय दिवस समारोह

फेस्टिवल के आयोजन स्थल पर मीडिया सेंटर की स्थापना की गई है, जहां पत्रकारों का न केवल बेहतर स्वागत सत्कार होगा, बल्कि उन्हें प्रत्यायन सेवाएं भी मिल सकेंगी। वर्ष 2014-15 के लिये एसबीजी के रूप में 12.00 लाख रुपये आबंटित किये गये। फेस्टिवल के स्थल पर मीडिया सेंटर बनाया गया जहां पत्रकारों को विशेष प्रत्यायन आतिथ्य व्यवस्था, प्रेस कांफ्रेंस, प्रेस रिलीज बनाने के लिए कंप्यूटर एवं इंटरनेट रूम, टेलीफोन, न्यूजपेपर्स, स्टेनशनी, फोटोकॉपी मशीन इत्यादि सहित कार्य कक्ष जैसी सुविधायेंद दी गयी। जहां तक प्रवासी भारतीय दिवस समारोह की बात है, पीआईबी प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान पत्रकारों को विशेष प्रत्यायन देने और पत्रकारों को सुविधा देने, मीडिया सेंटर में पत्रकारों को सुविधायें देने के कंप्यूटर किराये पर लेने के लिए अपने अधिकारियों को तैनात करती है। आईएफएफआई के मद में वर्ष 2014-15 के दौरान 12 लाख रुपये का आबंटन किया गया था, जिसमें से मार्च, 2014 तक 10.24 लाख रुपये का उपयोग किया गया।

योजना 3 : पीआईबी का आधुनिकीकरण

यह योजना 12 वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित की गई है। इस योजना का उद्देश्य पीआईबी में इसके मुख्यालय तथा इसके क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों की दक्षता में व्यापक बदलाव लाने के लिये तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिये पीआईबी में संचार एवं सूचना वितरण प्रणाली को आधुनिक एवं अधुनातन बनाना है।

2014- 15 के लिये इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये 5.00 करोड़ रूपये आबंटित किये गये। प्रस्तावित गतिविधियां इस प्रकार है।

1. वेबसाइटों का बड़े पैमाने पर उन्नयन करके उनमें अधुनातन संपर्क और डिलीवरी के साधन का समावेश।
2. मीडिया मान्यता की प्रक्रिया में आवेदन प्राप्ति, उस पर विचार और फैसले और उसे सूचित करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाना।
5. पुराने रिकार्डों का डिजीटलीकरण एवं ई क्लिपिंग
6. साफ्टवेयर विकास
7. पांच क्षेत्रीय कार्यालयों में सूचना के प्रसार के लिए आधुनिक वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधाओं को शुरू करना।
8. हार्डवेयर, लैन, नेटवर्क का आधुनिकीकरण जारी रखना और आईपी टेलीफोनी की स्थापना करना
9. अधिकारियों को स्मार्ट उपकरण उपलब्ध कराना।

10. तकनीकी एचआर सहायता को आउटसोर्स करना।

दिसंबर, 2014 तक इस योजना के तहत 1.30 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया। आरई 2014-15 स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन के लिये 1.50 करोड़ रुपये आबंटित किये गये। ।

प्रकाशन विभाग

परिचय

1.1 प्रकाशन विभाग की स्थापना 1941 में की गई थी। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा प्रकाशन संस्थान है जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे-इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, कला एवं संस्कृति तथा भारत की धरोहर पर भारत में और विदेशों में पाठकों तक कम मूल्यों पर प्रामाणिक सूचनाएं, जानकारियां पहुंचाना है। निदेशालय के महत्वपूर्ण प्रकाशनों में शामिल हैं - महात्मा गांधी के संकलित कार्यों की श्रृंखलाएं, राष्ट्रीय नेताओं के भाषण और राष्ट्रीय हित के विषयों पर शिक्षात्मक ,वं सूचनात्मक पुस्तकें, बाल साहिय एवं रोजगार समाचार। यह राजस्व अर्जित करने वाला विभाग है।

1-1 विभाग की गतिविधियां

1) राष्ट्रीय महत्व के उन विषयों पर पुस्तकों का प्रकाशन करना तथा आम लोगों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना जिन विषयों को अन्य प्रकाशन संस्थानों की ओर शामिल नहीं किया जाता है।

2) विविधता में एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता की अवधारणा एवं भावना को बढ़ावा देना तथा मजबूत बनाना।

3) गांधीवादी साहित्य को प्रकाशित करना, महात्मा गांधी के संकलित कार्यों (सीडब्ल्यूएमजी) के सम्पूर्ण वाड्मय (अंग्रेजी और हिन्दी में 100 खंडों में) को प्रकाशित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि इनके स्टॉक हमेशा उपलब्ध रहे तथा महात्मा गांधी के संकलित कार्यों के प्रमाणित ई-वर्जन - सर्च किये जा सकने वाले पीडीएफ स्वरूप में उपलब्ध कराने की कोशिश करना और और इसके स्टॉक खत्म हो जायें तो दोबारा मुद्रण कराना। आधुनिक भारत के निर्माताओं की जीवनियों का प्रकाशन (श्रंखला)।

- भारत के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के चुनिंदा भाषणों का प्रकाशन ताकि वे (भाषण) भावी पीढ़ी के लिए संग्रहणीय हो सके।

- प्रकाशन विभाग ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन की पुस्तकों की श्रृंखलाओं को छापने के काम को हाथ में लिया है।

- इंडिया/भारत शीर्षक से वार्षिक संदर्भ ग्रंथ प्रकाशित करना जिसमें विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों के जरिये देश की प्रगति का व्यापक सार प्रस्तुत करना।

- समसामयिक विषयों, खास तौर पर महिला सशक्तिकरण पर पुस्तकों, बच्चों की पुस्तकों, राष्ट्रीय स्वधीनता संग्राम, बौद्ध धर्म, आयुर्वेद, हिन्दी सिनेमा आदि पर पुस्तकों का प्रकाशन।

प्रकाशन विभाग निदेशालय की पत्रिकाओं (उदाहरण के लिये - योजना, कुरूक्षेत्र, आजकल, बाल भारती, इम्प्लाइमेंट न्यूज) के जरिये विभिन्न क्षेत्रों तथा डीपीडी पत्रिकाओं के अनुकूल स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, क्लीन गंगा, आदर्श ग्राम सांसद योजना आदि जैसी भारत सरकार की विभिन्न नयी योजनाओं को शामिल करते हुये सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करना।

- इम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार-समाचार के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के अवसरों की सूचना उपलब्ध कराना।

– अपने प्रकाशन की पुस्तकों को वृहद वर्ग तक पहुंचाने के लिए भारत और विदेशों में पुस्तक मेलों का आयोजन और उनमें भाग लेना।

– बच्चों में सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

– सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से, पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन में मौलिक हिन्दी लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए भारतेंदु हरिश्चन्द्र पुरस्कारों का आयोजन। पुरस्कारों में महिला विषयों, बाल साहित्य एवं राष्ट्रीय अखंडता जैसे विषयों पर पुरस्कार भी शामिल है।

1.2 कार्यव्यापार नियमों के आवंटन के अनुसार डीपीडी का उद्देश्य सस्ते दामों पर राष्ट्रीय महत्व की गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन करना, बिक्री करना तथा वितरण करना है। इसके उद्देश्यों के अनुरूप डीपीडी हिन्दी, अंग्रेजी एवं भारत की अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में सस्ते दामों पर राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है ताकि व्यापक स्तर पर लोगों तक उनकी पहुंच बन सके।

ऐसा करते हुए निदेशालय निम्नलिखित उद्देश्यों को हासिल करने का लक्ष्य करता है :

1) राष्ट्रीय महत्व के उन विषयों पर पुस्तकों का प्रकाशन करना तथा आम लोगों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना जिन विषयों को अन्य प्रकाशन संस्थानों की ओर शामिल नहीं किया जाता है।

2) विविधता में एकता, सांप्रदायिक सदभाव और राष्ट्रीय अखंडता की अवधारणा एवं भावना को बढ़ावा देना तथा मजबूत बनाना।

2013–14 तथा अप्रैल 2014 – दिसंबर 2014 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों की सूची

भाषा

अंग्रेजी

1. लॉस एंड गार्डन
2. हूज हू ऑफ इंडियन मर्टियर्स (वॉल्यूम 1) (पी बी)
3. हूज हू ऑफ इंडियन मर्टियर्स (वॉल्यूम 1) (एच बी)
4. इंडियन सिविलाइजेशन एंड द साइंस ऑफ फिंगर प्रिंटिंग
5. चिल्ड्रेन्स विवेकानंद (पुनर्प्रकाशन)
6. हूज हू ऑफ इंडियन मर्टियर्स (वॉल्यूम 3) (पीबी)
7. हूज हू ऑफ इंडियन मर्टियर्स (वॉल्यूम 3) (एचबी)
8. बोंसाई (पुनर्प्रकाशन)
9. इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस
10. नटी फ्रेंड्स एंड अदर स्टोरीज
11. एस्थेटीशियंस (पुनर्प्रकाशन)
12. सी डल्यू एम जी बुक (वॉल्यूम–22)
13. हूज हू ऑफ इंडियन मर्टियर्स (वॉल्यूम 2) पुनर्प्रकाशन (पीबी)

14. हूज हू ऑफ इंडियन मर्टियर्स (वॉल्यूम 2) पुनर्प्रकाशन (पीबी)
15. चिल्ड्रेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया (पुनर्प्रकाशन)
16. सेलेक्टेड स्पीचेज ऑफ सुभाष चंद्र बोस (पुनर्प्रकाशन) (पीबी)
17. इंडिया–2014 (अ रिफ्रेंस एनुअल)
18. मैडम भीखाजी रुस्तम कामा (बी एम आई) (पुनर्प्रकाशन)
19. मैडम भीखाजी रूस्तम कामा (बी एम आई) (पुनर्प्रकाशन) (एचबी)
20. बसोहली पेंटिंग (डीलक्स) (पुनर्प्रकाशन)
21. इंडिया–2014 (पुनर्प्रकाशन)
22. वोट और अकाउट 2014–15 (एम/ओ आईएंडबी)
23. कैटेलॉग–2014 ऑफ डीपीडी बुक्स
24. इंडिया–2014 (पुनर्प्रकाशन)
25. एशियंट इंडिया (क्रद्गश्च)
26. द वर्ल्ड ऑफ थिन फिल्म कोटिंग
27. भारतेन्दु हरिश्चंद्र पुरस्कार (बाइलिंगुअल)
28. सीड ल्यूएमजी–बुक (वॉल्यूम–038)
29. 1857–द अपराइजिंग
30. चार्ल्स फ्रीरर एंड्रयूज (बीएमआई)
31. इंडियन बीमैन–रिविजिटेड (पेपर–बैक)
32. इंडियन वीमैन–रिविजटेड (हार्ड बाउंड)

हिन्दी

1. ग्लोबल वार्मिंग
2. डॉ. भीमराव अम्बेडकर (बीएमआई) (पुनर्मुद्रण)
3. सुरों के साधक
4. राजकमल चौधरी : जीवन और सृजन
5. साहसी की सदा जय

6. अज्ञेय–अपने बारे में (पीबी)
7. अज्ञेय–अपने बारे में (एचबी)
8. आचार्य नरेंद्र देव (बीएमआई)
9. प्राचीन भारत में पेड़ पौधों का ज्ञान
10. शहीद बच्चों की गौरव गाथा
11. बुद्ध गाथा (पीबी)
12. बुद्ध गाथा (एचबी)
13. बदरूद्दीन तैयबजी (बीएमआई) (पुनर्मुद्रण)
14. धोड़ो केशव कर्वे (बीएमआई) (पुनर्मुद्रण)
15. चुन्नू–मुन्नू का स्कूल
16. भगत सिंह–अमर विद्रोही
17. हंसने वाला कुत्ता (पुनर्मुद्रण)
18. विज्ञान के नए क्षितिज
19. भारतीय कला के हस्ताक्षर (पीबी)
20. भारतीय कला के हस्ताक्षर (एचबी)
21. हमारे डाक टिकट : रंग भारत के (पीबी)
22. हमारे डाक टिकट : रंग भारत के (एचबी)
23. गीतों की फुलवारी
24. भारत के पक्षी
25. पर्यावरण संरक्षण चुनौतियां और समाधान
26. रजिया सुल्तान
27. उपेन्द्रनाथ अश्क जीवन और सृजन
28. भारतीय सिनेमा का सफरनामा (पीबी)
29. भारतीय सिनेमा का सफरनामा (एचबी)
30. शमशेर बहादुर सिंह
31. बेगम हजरत महल

32. ग्रह नक्षत्रों की आत्मकथाएं

33. केदारनाथ मित्र

34. स्वामी विवेकानंद (बीएमआई)

35. हाथी दादा की चौपाल (पुनर्मुद्रण)

36. भारत–2014

37. धार की दाढ़ी (पुनर्मुद्रण)

38. कुर्बानी अनजान शहीदों की (पुनर्मुद्रण)

39. ज्योति प्रसाद अग्रवाल (बीएमआई)

40. हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत में घराना परम्परा (पुनर्मुद्रण)

41. मध्य भारत के आदिवासी और स्वतंत्रता आंदोलन

42. मदन मोहन मालवीय (बीएमआई)

43. भारतेन्दु हरिश्चंद्र

44. जाने अपने जिगर को

45. भारतीय बाग

46. माउंट एवरेस्ट की गाथा

क्षेत्रीय भाषाएं:

1. खुदीराम बोस (बंगाली)

2. आइचे माया (मराठी)

3. एशियंट इंडिया (तेलुगु)

4. अवर नेशनल फ्लैग (तमिल)

5. डॉ. बी आर अम्बेडकर (बीएमआई) (तमिल)

6. मदन मोहन मालवीय (बीएमआई) (उर्दू)

अंग्रेजी = 32

हिंदी = 46

क्षेत्रीय भाषाएं = 06

कुल = 84

अप्रैल, 2014 से लेकर दिसंबर, 2014 तक प्रकाशित पुस्तकें

भाषा

अंग्रेजी

1. सलेक्टेड स्पीचेज आफ सुभाष चन्द्र (पुनर्मुद्रण)
2. इडियन वूमेन रिविजिटेड
3. देवकी जैन एवं सी पी सुजय का संग्रह
4. ए टल आफ टू रोबोट्स
5. चार्ल्स फ्रीर एन्ड्रुज (बीएमआई) (पुनर्मुद्रण)
6. सूर्य रू सोलर एस लोरेशंस
7. ए हिस्ट्री आफ सोशलिज्म (पीबी)
8. ए हिस्ट्री आफ सोशलिज्म (एचबी)
9. सलक्टेड स्पीच आफ पी एम मनमोहन सिंह
10. मदन मोहन मालवीय (बीएमआई) (पुनर्मुद्रित)
11. आउटकम बजट 2014–15
12. इंद्रधनुष (राष्ट्रपति भवन)
13. विंग्ड वंडर्स आफ राष्ट्रपति भवन
14. स्वामी विवेकानंद (बीएमआई) (पुनर्मुद्रण)
15. बैफलिंग ब्रेन
16. सी सुब्रमण्यम भारती
17. सीडब्ल्यूएमजी वॉल्यूम 47 हार्ड बाउंड
18. सीडब्ल्यूएमजी वॉल्यूम 89 हार्ड बाउंड
19. सीडब्ल्यूएमजी वॉल्यूम 36 हार्ड बाउंड
20. सीडब्ल्यूएमजी वॉल्यूम 42 हार्ड बाउंड
21. सीडब्ल्यूएमजी वॉल्यूम 45 हार्ड बाउंड
22. सीडब्ल्यूएमजी वॉल्यूम 71 हार्ड बाउंड
23. सीडब्ल्यूएमजी वॉल्यूम 37 हार्ड बाउंड

24. सीडब्ल्यूएमजी वॉल्यूम 43 हार्ड बाउंड

25. साइंटिस्ट (पुनर्मुद्रण)

26. सीडब्ल्यूएमजी वॉल्यूम 29 हार्ड बाउंड

27. सीडब्ल्यूएमजी वॉल्यूम 58 हार्ड बाउंड

हिन्दी

1. सूचना भारती

2. भारत के दुर्ग (पीबी) (पुनर्मुद्रण)

3. भारत के दुर्ग (एचबी) (पुनर्मुद्रण)

4. रामधारी सिंह दिनकर (पीबी) (पुनर्मुद्रण)

5. रामधारी सिंह दिनकर (एचबी) (पुनर्मुद्रण)

6. पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा

7. दूध फैक्स राबडी फैक्स

8. उत्तर भारत की लोक कथाएं

9. राजा राममोहन राय (बीएमआई) (पुनर्मुद्रण)

10. ची ची और चून चून

11. तिरकटे पंख (पुनर्मुद्रण)

12. आउटकम बजट 2014–15

13. रोचक ऐतिहासिक कहानियां (पुनर्मुद्रण)

14. वार्षिक रिपोर्ट 2013–14

15. मेहनत की महक (पुनर्मुद्रण)

16. युवा संयासी

17. हंसी हंसी में (पुनर्मुद्रण)

18. दादी अम्मा का खजाना

19. परी हंसावली कुमायनी लोक कथाएं

20. युग प्रवर्तक आविष्कार (पुनर्मुद्रण)

21. सरल पंचतंत्र (पुनर्मुद्रण)

क्षेत्रीय भाषाएं

1. गदर पार्टी लहर संकल्प इतिहास (पंजाबी)
2. बेचैन दी चों की दी बीमारियां टेटिहास (पंजाबी)
3. शहीद भगत सिंह : दस्तावेजों के आइने में (उर्दू)

अप्रैल से दिसंबर, 2014 तक जारी किये जाने वाले टाइटलों की कुल संख्या

अंग्रेजी : 26

हिन्दी : 21

क्षेत्रीय भाषाएं : 03

कुल : 50

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

भारत के समाचार पत्र पंजीयक का कार्यालय की स्थापना पहली जुलाई 1956 को प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 में संशोधन करके की गई थी। यह कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अधिनियम के अंतर्गत कुछ विधि विहित कार्य इस प्रकार हैं :

(1) देश भर में प्रकाशित समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का एक रजिस्टर तैयार करना उसका रख-रखाव करना तथा उसमें समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का विवरण संकलित करना।

(2) संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई सिफारिश के बाद समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के शीर्षक की उपलब्धता की जांच के बाद पंजीकरण प्रमाण पत्रा जारी करना।

(3) समाचार पत्रों के प्रकाशकों द्वारा प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन अधिनियम के अतर्गत समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के प्रकाशन की जानकारी सुनिश्चित करना।

(4) प्रकाशकों द्वारा समाचार पत्रों की प्रसार संख्या के दावों की जांच करना।

(5) भारत में प्रेस के बारे में उपलब्ध समस्त सूचनाओं, आंकड़ों और विशेष तौर पर विभिन्न श्रेणियों के समाचार पत्रों-पत्रिकाओं में आए बदलावों पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

इसके अतिरिक्त आरएनआई के गैर-वैधानिक प्रकृति के कुछ कार्य इस प्रकार हैं :

(क) अखबारी कागज आयात करने के लिए समाचार पत्रों को योग्यता प्रमाणपत्र जारी करना।

(ख) समाचार प्रतिष्ठानों की प्रिंटिंग मशीनें (मुद्रण) और अन्य संबंधित सामग्री संबंधी आवश्यक जरूरतों का मूल्यांकन ओर प्रमाण पत्र जारी करना।

न्यू मीडिया विंग

अधिदेश, लक्ष्य और उद्देश्य, नीतिगत ढांचा तथा नीति विवरण

न्यू मीडिया विंग का कार्य सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मीडिया एककों द्वारा प्रकाशित रचनाओं आदि के संबंध में शोध हेतु सामग्री के संकलन और तैयार करने में सहायता प्रदान करना, महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी का एक सार-संग्रह तैयार करना और माध्यम एककों के उपयोग के लिए वर्तमान एवं अन्य विषयों पर मार्गदर्शन और बैकग्राउंड नोट तैयार करना है। 1945 में स्थापित यह विंग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इसके अंतर्गत विभिन्न माध्यम एककों के लिए सूचना सेवा इकाई के रूप में कार्य करती है। विंग जन संचार माध्यम में प्रचलन का अध्ययन करती है और जन संचार माध्यमों के बारे में संदर्भ और दस्तावेज सेवा प्रदान करती है। इस विंग का कार्य मंत्रालय, इसके माध्यम एककों एवं जन संचार में शामिल अन्य के उपयोग में आने वाले बैकग्राउंड, संदर्भ और शोध सामग्री उपलब्ध कराती है। एम एंड ओ तथा आई एंड बी की पत्र संख्या ए-33035/4/2007- आईआईएस दिनांक 7.9.2007, द्वारा जारी योजना आयोग के परामर्श के मुताबिक इस प्रभाग की योजना स्कीम "आईआईएस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण" को गैर - योजना गतिविधि (नियमित गुण) में बदल दिया गया है। अभी इस कार्य को टाल दिया गया है।

विंग एक वार्षिक संदर्भ ग्रंथ, इंडिया - एक वार्षिक संदर्भ का संकलन करता है। इस पुस्तक में केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों, राज्यों / संघ शासित प्रशासन और पीएसयू / स्वायत्त संस्थाओं द्वारा वर्ष भर में की गई प्रगति का संकलन होता है। इंडिया को हिंदी भाषा में भी भारत शीर्षक से छापा जाता है।

महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के रिकॉर्ड और संदर्भ के लिए प्रभाग घटनाओं की डायरी तैयार करता है। प्रभाग विषय विशेष, एफडीआई की हिस्सेदारी वाली और भारत में प्रकाशन की अनुमति वाली विषय आधारित पत्रिकाओं की माहवार रिपोर्ट तैयार करता है। पत्रिकाओं पर इस बात को लेकर नजर रखी जाती है कि क्या वे प्रभाग सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश का पालन कर रहे हैं या नहीं।

संदर्भ पुस्तकालय

विभिन्न विषयों पर दस्तावजों, चयनित नियतकालिक पत्र -पत्रिकाओं के जिल्दबंद अंक और मंत्रालयों, समितियों तथा कमीशनों के विभिन्न रिपोर्ट के वृहत संग्रह के साथ प्रभाग के पास भरा-पूरा पुस्तकालय है। पत्रकारिता, लोक संबंध, विज्ञापन और दृश्य-श्रव्य मीडिया, महत्वपूर्ण विश्वकोश सीरीज, ईयरबुक और समकालीन आलेख आदि विषयों पर विशेष किताबें इसके संग्रह में शामिल हैं। आई एंड बी के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा पुस्कालय की सुविधा मान्यताप्राप्त भारतीय और विदेशी संवाददाताओं को भी उपलब्ध है। पुस्तकालय को 2008 में शास्त्री भवन से सूचना भवन में अस्थायी स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। इसे वर्तमान अस्थायी स्थान से सूचना भवन में निर्धारित तल पर स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

जनसंचार पर राष्ट्रीय दस्तावेज केंद्र

जन माध्यमों में घटनाओं और प्रचलन के बारे में पत्रिकाओं के द्वारा सूचना का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार के लिए मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर प्रभाग के एक भाग के तौर पर 1976 में जनसंचार के लिए राष्ट्रीय दस्तावेज केंद्र (द नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ऑन मास कम्यूनिकेशन-एनडीसीएमसी) की स्थापना की गई थी। एनडीसीएमसी समाचार सामग्री, आलेख और जन माध्यमों / संचार माध्यमों पर उपलब्ध अन्य सूचना सामग्री का दस्तावेजीकरण करता है। इस केंद्र का वर्तमान कार्य देश के बाहर न केवल जनसंचार के विकास के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह में भाग लेने के लिए भी सूचना के संकलन और दस्तावेजीकरण से लेकर इसका प्रसार करना है।

समाचारपत्रों और जर्नल में जन माध्यमों पर प्रकाशित चयनित आलेखों पर टीका करने वाला सूचकांक - 'सामयिक जागरूकता सेवा' के द्वारा संग्रहित सूचना को संभाला और प्रसारित किया जाता है। इसकी सेवा गत एक वर्ष में समाचारपत्रों और जर्नलों में जन माध्यमों पर प्रकाशित आलेखों पर टिप्पणी करने वाले विषय सूचकांक - 'ग्रंथ सूची सेवा' द्वारा ली जाती है और केंद्र, भारत में फिल्म उद्योग पर विभिन्न प्रकार की प्रगति का सारांश - 'फिल्मों के बुलेटिन', जन माध्यमों के क्षेत्र में सामयिक हितों के विषय पर पृष्ठभूमि पत्र - 'संदर्भ सूचना

सेवा', चर्चा में रहे विभिन्न मीडिया हस्तियों की जीवनियां – 'मास मीडिया में कौन क्या है', राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों सहित जन संचारकों के लिए वर्ष भर में घोषित पुरस्कारों की झलक देने वाला – 'जनसंचारकों पर दिए गए सम्मान', और रिकॉर्ड और संदर्भ के लिए बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रमों पर केंद्रित 'मीडिया अपडेट', इसकी सेवा लेते हैं।

न्यू मीडिया विंग के तहत जनसंचार पर राष्ट्रीय दस्तावेज केंद्र (एनडीसीएमसी) वर्ष 2014–15 के दौरान (दिसंबर, 2014 तक) जन माध्यमों के विभिन्न पहलुओं पर 35 सेवाएं ला चुका है।

वर्ष 2014–15 की झलकियां

● इंडिया – 2015 का विमोचन शीघ्र किया जाएगा।

● आरआर एंड टीडी की एक इकाई जनसंचार पर राष्ट्रीय दस्तावेज केंद्र (एनडीएमसी) वर्ष 2014–15 के दौरान (दिसंबर, 2014 तक) जन माध्यमों के विभिन्न पहलुओं पर 35 सेवाएं ला चुका है।

गीत एवं नाटक प्रभाग

प्रभाग का मुख्य कार्य जैसा कि आधिकारिक वेबसाइट पर दिया गया है, राष्ट्र के विकास के लिए संवहनीय सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक विचारों के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाना और भावनात्मक स्वीकार्यता बढ़ाना, सीमा क्षेत्र के लोगों के बीच रक्षा तैयारियों और देश के शेष भागों के साथ सांस्कृतिक एकता की समझ विकसित करना और सजीव मनोरंजन माध्यमों जिसके तहत देश के सभी भागों में फैले नाट्यकला के दोनों स्वरूप – शहरी और लोक, के जरिए सेना के एकांत प्रदेशों में तैनात जवानों का मनोबल बनाए रखना है। और इसके साथ ही बड़े समूह के बीच समाज के व्यापक हित के लिए विकास की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए जागरूकता फैलाना है। एलडब्ल्यूई क्षेत्र, सीमा से सटे क्षेत्र, जम्मू – कश्मीर, पंजाब और उत्तर – पूर्व क्षेत्र जैसे संवेदनशील और आंतरिक क्षेत्रों में सीमा पार से किए जाने वाले दुष्प्रचार का मुकाबला करने और इन क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्र के मुख्यधारा में लाने के लिए प्रभाग द्वारा विशेष प्रचार किया जाता है।

अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रभाग लोक और परंपरागत नाटकों, नृत्यनाटकों (बैलेट), गीतिनाट्य (ओपेरा), नृत्य के साथ अभिनयकर्म, लोक और परंपरागत वृतांत, कठपुतली का तमाशा और यहां तक कि सदियों पुरानी परंपरा के सैकड़ों मदारी के खेल जैसे व्यापक लोक और परंपरागत स्वरूपों का उपयोग करता है। इसके अलावा प्रभाग आधुनिक तकनीकों के साथ ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनी और सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता, धर्म निरपेक्षता, सांस्कृतिक धरोहर का प्रचार, स्वच्छ भारत मिशन (एक कदम स्वच्छता की ओर), एक भारत – श्रेष्ठ भारत, बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ, कुपोषण और गैरकानूनी व्यापार, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विषयों पर जागरूकता आदि जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय थीमों पर अभिनय करने के लिए सैकड़ों कलाकारों का उपयोग करता है।

देश के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले कई लोक और परंपरागत स्वरूपों का उपयोग करते हुए प्रभाग एक ओर इन स्वरूपों के पुनरुद्धार और इन्हें जीवंत बनाए रखने का एक शक्तिशाली जरिया बन गया है तो दूसरी तरफ उद्देश्यपूर्ण संचार के लिए हजारों अभिनयकर्ताओं/कलाकारों को उनके कौशल/क्षमता का उन्हीं की भाषा, लोकोक्ति और बोली में उपयोग करते हुए आजीविका प्रदान करने में सक्षम है।

इस प्रभाग के अध्यक्ष निदेशक होते हैं, यह तीन स्तरों पर कार्य करता है जैसे–

(1) दिल्ली के मुख्यालयों

(2) बंगलुरू, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पुणे और रांची स्थित दस क्षेत्रीय कार्यालय।

(3) दरभंगा, गुवाहाटी, इम्फाल, जम्मू, जोधपुर, नैनीताल और शिमला स्थित सहायक निदेशक की अध्यक्षता में सात सीमा केंद्र और भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, पुणे और श्रीनगर (जम्मू) स्थित प्रबंधकों की अध्यक्षता में छह विभागीय ड्रामा दल

प्रभाग की विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयां तैयारी, प्रस्तुति और प्रचार संबंधी कार्यक्रमों की निगरानी के लिए उत्तरदायी होती हैं। उपर्युक्त के अलावा प्रभाग के पास एएफईडब्ल्यू योजना के तहत विभागीय कलाकारों के दो दल/इकाई (दिल्ली और चेन्नई में एक - एक) हैं, जो दूर दराज सीमांत और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों के मनोरंजन के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

मुख्य सचिवालय की सूचना विंग योजनाएं

(क) (प्रसार भारती को छोड़कर) मीडिया इकाइयों सहित सभी तीन क्षेत्रों के लिये नीति संबंधित अध्ययन, संगोष्ठी, मूल्याकंन आदि

अध्यादेश, लक्ष्य और उद्देश्य, नीति खाका और नीति वक्तव्य

अर्थव्यवस्था के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में की गयी उच्च विकास क्षमता का अनुमान किया गया है। विकास क्षमता को हासिल करने के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। (प्रसार भारती को छोड़कर) मीडिया इकाइयों सहित सभी तीन क्षेत्रों के लिए नीति से संबंधित अध्ययन, संगोष्ठी, मूल्यांकन की योजना के तहत मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में नीति संबंधी अध्ययन, संगोष्ठी और नए/मौजूदा योजना योजनाओं के मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है। अध्ययनों/संगोष्ठियों और मुल्याकंनों के जरिये नई योजनाओं की नीति संबंधी रूपरेखा, उन्हें बनाने तथा उनकी निगरानी में मदद मिलेगी।

(ख) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण

सिविल सेवा में बदलाव लाने हेतु, एक रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन तंत्र की आवश्यकता होती है, जो मंत्रालय / विभाग / संगठन के मिशन और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को महत्वपूर्ण, उत्साहित, विकसित और योग्य बनने लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखता है। बदलाव की इस प्रक्रिया में, व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्यों से उनकी क्षमता का मेल करने और वर्तमान तथा भविष्य की भूमिका के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता में कमी को दूर करना आवश्यक हो जाता है।

2. क्षमता के अंतर्गत ज्ञान, कौशल और व्यवहार को शामिल किया गया है, जो किसी पद पर प्रभावी रूप से कार्य निष्पादन के लिए व्यक्ति में होना आवश्यक है। क्षमता को व्यापक तौर पर उन मुख्य कौशलों में विभक्त किया जा सकता है जिसे सरकारी कर्मचारी को विभिन्न कार्यों या स्तर के लिए उस स्तर की निपुणता की आवश्यकता होती है। उनमें से कुछ क्षमताओं में नेतृत्व, संचार, वित्तीय और लोक प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, परियोजना प्रबंधन आदि शामिल हैं। अन्य प्रकार के क्षमताओं में सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजना, बाढ़ नियंत्रण उपाय करना, नागर विमानन, चिकित्सा देखभाल, मीडिया प्रबंधन आदि जैसे पेशेवर या विशेष कौशल शामिल हैं।

3. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना, प्रसारण और फिल्म क्षेत्र के लिए एक अधिकृत मंत्रालय है। अपनी विभिन्न मीडिया इकाइयों के द्वारा मंत्रालय विभिन्न सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों से जुड़ी सूचनाओं के प्रसार के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रक्रिया में जिन विभिन्न माध्यमों का उपयोग होता है उनमें इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, फिल्म, अंतर्वैयक्तिक प्रचार,

सजीव कला एवं संस्कृति, लोक सूचना अभियान आदि का उपयोग होता है। मंत्रालय के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी अपने सेवा काल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और अंतर्वैयक्तिक मीडिया इकाइयों में पदस्थापित रहते हैं। इसी प्रकार से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के अधिकारी मीडिया क्षेत्र के लिए नीति निर्माण में संलग्न होते हैं और विभिन्न मीडिया इकाइयों को प्रशासनिक सुविधाएं मुहैया कराते हैं। यह जरूरी है कि ये सभी अधिकारी प्रशिक्षित हों ताकि उन्हें चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों से युक्त किया जा सके।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम

सूचना और संचार के धरातल पर प्रमुख अधिकारियों को शामिल कर मीडिया नीतियों और रणनीतियों के क्षेत्र में भारत एवं अन्य देशों के बीच साझेदारी करने और उसे मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम बारहवीं योजना में शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम विशेष तौर पर वे जो सरकारी संचार और संस्थानिक प्रक्रिया में शामिल हैं, की महत्वपूर्ण भूमिका की पहचान करता है, सूचना, फिल्मों और प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में परस्पर विनिमय और समझ को बढावा देकर राष्ट्रों के बीच बेहतर समझ विकसित करने और दोस्ताना संबंध मजबूत करने में अहम भूमिका अदा करता है।

फिल्म क्षेत्र

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई

अधिदेश, लक्ष्य और उद्देश्य, नीति कार्यसंरचना और नीति वक्तव्य

सीबीएफसी सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952, सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणीकरण) नियम, 1983 और केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में प्रदर्षित करने के लिए फिल्म को प्रमाणित करने का अधिकार दिया गया है।

सीबीएफसी का उद्देश्य सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के प्रावधानों के तहत जनता में स्वस्थ्य मनोरंजन और पुनर्सृजन को सुनिश्चित करना है।

सीबीएफसी का प्रयास प्रमाणीकरण प्रक्रिया को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाना है। इसके लिए सीबीएफसी कंप्यूटर के माध्यम से प्रमाणीकरण प्रक्रिया के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है। सीबीएफसी सलाकार पैनल सदस्यों, मीडिया और फिल्म निर्माताओं को प्रमाणीकरण के लिए दिशानिर्देश और फिल्मों के वर्तमान चलन के बारे जागरूक करने के लिए कार्यशालाओं और बैठकों का आयोजन करता है।

योजना स्कीम:

(A) **सीबीएफसी का उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया**

(I) फिल्म आवेदन पत्रों और प्रमाणीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया, वेबसाइट उन्नयन, हार्डवेयर खरीद की दिशा में आगे बढ़ना

(II) चार कार्यालयों के लिए प्रोजेक्शन तंत्र का डिजिटलीकरण और सभी कार्यालयों के लिए डिजिटल थिएटर

(III) सीबीएफसी, मुंबई और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त स्थान का अधिग्रहण।

(B) **मानव संसाधन विकास (योजना)**

(I) बोर्ड के सदस्यों और क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए फिल्म के प्रमाणीकरण से संबंधित कार्यशालाओं / सेमिनारों का आयोजन करना

(II) प्रत्येक क्षेत्र के लिए सलाहकार पैनल सदस्यों के लिए कायशालाओं / सेमिनारों का आयोजन करना

(III) समूह 'ए', 'बी', और 'सी' सदस्यों के लिए कार्यशालाओं / सेमिनारों का आयोजन करना

(IV) समूह 'ए' के अधिकारियों के लिए विदेश में प्रशिक्षण

बाल फिल्म समिति, भारत

संक्षिप्त परिचय

समिति की गतिविधियां

1. निर्माण एवं प्रबंध – सीएफएसआई बच्चों और युवाओं के लिए फीचर फिल्मों, एनीमेOान, लघु फिल्मों, कठपुतली फिल्मों और टीवी सीरियलों के फिल्म के साथ ही साथ वीडियो फॉर्मेट में निर्माण करने में संलग्न है। समिति, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में सराही गई कुछ खास विदेशी फिल्मों के प्रदर्शन अधिकार भी खरीदती है। समिति द्वारा बनाई गई फिल्मों और जिन फिल्मों के अधिकार खरीदे गए हैं, उन्हें प्रदर्शन के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में डब भी किया जाता है।

2. फिल्म समारोह–

अ. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह : सीएफएसआई हर दो वर्ष में एक बार वैकल्पिक रूप से प्रतियोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह और राष्ट्रीय बाल–फिल्म समारोह का आयोजन करती है ताकि बच्चों को फिल्म निर्माताओं के रूप में बढ़ावा दिया जा सके और बाल फिल्म निर्माता को विचारों के आदान प्रदान और सम्पर्क बनाने के लिए मंच उपलब्ध कराया जा सके।

ब. अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोहों में भाग लेना: सीएफएसआई के चलचित्रों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोंहों में भाग लिया है और पुरस्कार जीते हैं। सीएफएसआई के अधिकारी भी इस तरह के समारोंहों में भाग लेते हैं ताकि सीएफएसआई की फिल्मों का सुदूर देशों में प्रचार और मार्केटिंग की जा सके।

3. फिल्मों का प्रदर्शन और वितरण:

1.निजी प्रदर्शन : कई स्कूल और निजी संस्थाएं गैर व्यवसायिक प्रदर्शन के लिए फिल्में प्राप्त करती हैं। सीएफएसआई निर्धारित किराया दरों के भुगतान पर एलसीडी प्रॉजेक्टरों के माध्यम से स्कूलों अथवा सिनेमाघरों में फिल्म शोज़ का आयोजन करती हैं।

2.जिला और राज्य स्तरीय समारोह : इस गतिविधि को जिला प्रशासन के सहयोग से संचालित किया जाता है। इसके लिए विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों को चिन्हित किया जाता है और उनके प्रदर्शन के कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं। इन फिल्मों को देखने वाले बच्चे बड़ी संख्या में सरकारी/नगर पालिका स्कूलों/जिला परिषद स्कूलों से होते हैं। वित्तीय वर्ष 2007–08 से मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि वंचित वर्ग के बच्चों से कोई भुगतान नहीं लिया जाएगा और सीएफएसआई उन्हें मुफ्त में फिल्में दिखाएगी। वो बच्चे जो चलचित्रों को देखने के लिए नाम मात्र के खर्च पर टिकट खरीद सकते हैं उनसे वह पैसा राजस्व सदृजन के लिए व्यय को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।

3. गैर-रंगशालीय मुफ्त शो : ग्रामीण और शोषित बच्चों तक पहुंच बनाने के लिए सीएफएसआई दाहरी और जनजातीय बच्चों के लिए मुफ्त द्यो का आयोजन करती है। इस गतिविधि को युवा मामलों और खेल मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय नेहरू युवा केंद्र संगठन, गैर-सरकारी संगठनों, जिला प्रशासन के अधिकारियों के माध्यम से संचालित किया जाता है। ऐसे शो के आयोजन पर होने वाले व्यय की व्यवस्था सीएफएसआई द्वारा सरकार से इस उद्देश्य के लिए प्राप्त अनुदान-सहायता से की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, सुधार गृहों, अनाथालयों इत्यादि में रहने वाले बच्चों को भी द्यामिल किया जाता है।

4.वितरकों के माध्यम से शो: सीएफएसआई स्कूलों और प्रेक्षागृहों में चलचित्रों के प्रदर्शन के लिए वितरकों/आयोजकों को द्यामिल करती है। वे तय मासिक द्युल्क का भुगतान कर फिल्में प्राप्त करते हैं और उन्हें निर्धारित क्षेत्रों में दिखाते हैं।

5.मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों के माध्यम से सीएफएसआई फिल्मों का प्रदर्शन: स्कूलों के सहयोग से मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों के माध्यम से सीएफएसआई फिल्मों दिखाने के लिए शो का आयोजन किया जाता है। उसके पूरे टिकट स्कूलों द्वारा बुक करवा लिये जाते हैं।

6.टेलीविजन पर फिल्में दिखाना : सीएसएफआई फिल्में दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क और डीडीके के क्षेत्रीय चैनलों और अन्य सेटेलाइट चैनलोंकेकेपर भी दिखायी जाती हैं।

7.डीवीडी की बिक्री : सीएसएफआई की चुनिंदा लोकप्रिय फिल्में डीवीडी फॉर्मेट में परिवर्तित करके बेची जाती हैं।

8.पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर में गतिविधियां: सीएसएफआई निर्माण, कार्यशाला और प्रदर्शनी के प्रदर्शन के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों सहित क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों को बढ़ावा देती है।

फिल्म समारोह निदेशालय

अधिदेश, लक्ष्य, नीति निर्माण और नीति विवरण

फिल्म समारोह निदेशालय को अच्छे सिनेमा के प्रसार और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके द्वारा वह भारतीय फिल्मों का देश और विदेश में प्रसार करता है, फिल्म सप्ताह का आयोजन करता है, मिनी फेस्टिवल और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन करता है। फिल्म समारोह निदेशालय सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम का प्रबंध भी देखता है।

निदेशालय भारतीय सिनेमा के श्रेष्ठ को भारत के भीतर और विदेश में प्रसार करने का कार्य करता है और विश्व सिनेमा के श्रेष्ठ को भारत तक लाने की व्यवस्था करता है। फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित किये जाने वाले समारोह भारत और विदेश के प्रोफेशन्ल्स को मिलने , बातचीत करने और अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिगए मंच देते हैं।

ऊपर बताये गये अधिदेश को प्राप्त करने की तरफ, 12वीं योजना "फिल्म क्षेत्र से संबंधी ढांचागत विकास" के "भारत और विदेश में फिल्म समारोह और फिल्म बाजार के द्वारा भारतीय सिनेमा का प्रसार" नामक एक विस्तृत घटक द्वारा यथोचित तरीके से फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों पर अधिदेश के अनुसार काम किया जाता है। निदेशालय की निम्नलिखित गतिविधियां मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के अंतर्गत उपर्युक्त 12वीं योजना के घटक "भारत और विदेश में फिल्म समारोह और फिल्म बाजार के द्वारा भारतीय सिनेमा का प्रसार" का हिस्सा बनती हैं, जिसमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित घटक शामिल हैं-

1. भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह

2.भारत और विदेश में भारतीय फिल्मों की भागीदारी

3. भारतीय फिल्मों का चयन

इस रखरखाव के अलावा सिरी फोर्ट फिल्म फेस्टिवल कॉम्पलेक्स का अनुरक्षण भी निदेशालय की जिम्मेदारी है। सिरी फोर्ट कल्चरल कॉम्पलेक्स के संपूर्ण परिवेश के उन्नतिकरण, प्रोजेक्शन सिस्टम में सुधार और उन्नतिकरण, साउंड, लाइटिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम में सुधार के साथ-साथ बिजनेस प्रमोशन और इसके द्वारा प्रेक्षागृह को नई तकनीक से लैस करना भी 12वीं योजना के घटक सिरी फोर्ट कॉम्पलेक्स का उन्नतिकरण के अंतर्गत किया जाएगा।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

अधिदेश, लक्ष्य और उद्देश्य, नीति रूपरेखा और नीति निर्देश

फिल्म इंस्टीट्यूट का गठन फिल्म निर्माण की कला और तकनीक के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने वाले प्रमुख संस्थान के रूप में 1960 में किया गया था। 1974 से, इसने दूरदर्शन के कर्मचारियों को टेलीविजन निर्माण में भी प्रशिक्षण देना शुरू किया और संस्थान का नाम बदलकर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर दिया गया। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अपनी तरह का एक प्रमुख संस्थान है और यह फिल्म निर्माण व टेलीविजन प्रशिक्षण देने की पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है।

शैक्षिक गतिविधियां

संस्थान द्वारा करवाए जाने वाले शैक्षिक पाठ्यक्रम

क्रमांक.	**पाठ्यक्रमों का नाम**	**विद्यार्थियों की वर्तमान संख्या**
(ए)	फिल्म व टेलीविजन में तीन वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स	
1	निर्देशन	65
2	सिनेमेटोग्राफी (फिल्म व टेलीविजन)	65
3	एडिटिंग (फिल्म व टेलीविजन)	64
4	ऑडियोग्राफी (फिल्म व टेलीविजन)	58
(बी)	**दो वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स**	
1	एक्टिंग	24
2	आर्ट डायरेक्शन व प्रोडक्शन डिजाइन	29
(सी)	**एनिमेशन व कंप्यूटर ग्राफिक्स में डेढ़ वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स**	00
(डी)	**टेलीविजन में एक साल का पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स**	
1	निर्देशन	25
2	इलेक्ट्रॉनिक सिनेमेटोग्राफी	24
3	वीडियो एडिटिंग	23

4	ऑडियोग्राफी व टेलीविजन इंजीनियरिंग	22
(इ)	**फीचर फिल्म पटकथा लेखन में एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स**	23
	कुल :	422

साल 2012–2013 के लिंए एनिमेशन और कंप्यूटर ग्राफिक्स में नॉन एडमिशन

लघु पाठ्यक्रम

एफटीआईआई काम कर रहे पेशेवरों के लिए और संबंधित हितों के साथ विभिन्न लघु पाठ्यक्रम चलाता है।

योजनाएं

संस्थान योजनागत परियोजनाओं को मुख्य रूप से प्रशिक्षित श्रमशक्ति बढ़ाने के नतीजे को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण विधि की वृद्धि पर ध्यान देता है, उपलब्ध सुविधाओं को उचित और आधुनिक ढांचे के साथ विकसित करते हुए और जहां भी फिल्म शूटिंग इत्यादि के लिए संभव हो, सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए, संस्थान के लिए राजस्व बढ़ाने की दृष्टि के साथ। यह योजना फिल्म और टेलीविजन की बारीकियों को आधुनिक तकनीक के साथ सीखने के लिए एक उपयुक्त माहौल बनाने के लिए प्रयास करता है।

फिल्म प्रभाग

फिल्म डिविजन का लक्ष्य जनता की सूचना, जानकारी और प्रोत्साहन और सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन और शॉर्ट फिल्मों का निर्माण और वितरण है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिल्म डिविजन विभिन्न विषयों पर डॉक्यूमेंट्री का निर्माण करता है। यह निजी निर्माताओं द्वारा डॉक्यूमेंट्री निर्माण को भी प्रोत्साहन देता है। देश में डॉक्यूमेंट्री आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए फिल्म डिविजन मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करता है, जो एक द्विवार्षिक आयोजन है। फेस्टिवल दुनिया भर से डॉक्यूमेंट्री फिल्मकारों को साथ आने और उनके विचारों का आदान–प्रदान करने के लिए बढ़ावा देता है।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

अधिदेश, लक्ष्य और उद्देश्य:

एक कला और ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में फिल्म के संरक्षण के लिए दुनिया भर में स्वीकार किया गया है। अपने विभिन्न भावों और रूपों में सिनेमा के संरक्षण का कार्य भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई), पर्याप्त संसाधन और विशेषज्ञता वाले एक राष्ट्रीय संगठन को सौंपा गया है। एनएफएआई की स्थापना फरवरी, 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र मीडिया इकाई के रूप में की गई थी।

लक्ष्य और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के उद्देश्य हैं:

क) राष्ट्रीय सिनेमा की विरासत की पहचान, रक्षा, अधिग्रहण और विश्व सिनेमा के एक प्रतिनिधि संग्रह का निर्माण

ख) देश में फिल्म संस्कृति के प्रचार–प्रसार के लिए एक केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए और विदेशों में भारतीय सिनेमा के सांस्कृतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए।

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

अधिदेश, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति रूपरेखा और नीति वाक्य

सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता की स्थापना सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के तौर पर की गई थी। फिल्म मेकिंग की कला और तकनीक का प्रशिक्षण देने वाला यह प्रमुख संस्थान है। यह सरकार द्वारा स्थापित किया गया राष्ट्रीय स्तर का दूसरा संस्थान है। एसआरएफटीआई निम्नलिखित क्षेत्रों में तीन साल का पीजी डिप्लोमा कोर्स करवाता है।

1- निर्देशन व पटकथा लेखन

2- मोशन पिक्चर फोटोग्राफी

3- संपादन

4- अडियोग्राफी

5- फिल्म और टेलीविजन के लिए प्रोडक्शन

एनिमेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग में भी यह संस्थान जल्द ही कोर्स शुरू करने वाला है।

विभाग के अनुसार वर्तमान में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दिखाई गई है-

बैच	**नौवां बैच**	**दसवां बैच**	**ग्यारहवां बैच**	**बारहवां बैच**	
वर्ष	2010-13	2011-14	2012-15	2013-16	**कुल**
निर्देशन	08	10	10	10	38
एमपीपी	10	9	11	10	40
संपादन	09	09	11	11	40
साउंड	05	11	06	08	30
फिल्म व टेलीविजन के लिए निर्माण	-	-	09	08	17
	32	41	47	47	167

बेसिक डिप्लोमा कोर्स के अलावा, यह संस्थान विभिन्न शॉर्ट टर्म कोर्स भी करवाता है और साथ ही फिल्म इंडस्ट्री और विभिन्न संस्थाओं की मांग पर विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया जाता है। वर्तमान में संस्थान ढांचागत विकास के लिरए 12वीं योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इसमें गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण, क्लास रूम थियेटर और कॉमन वर्क स्टेशन का निर्माण, एडिटिंग विभाग के लिए नई बिल्डिंग का निर्माण, मुख्य थियेटर का रिनोवेशन, एक्सीलेंस ऑन टीवी के लिए सेंटर तैयार करना, एनिमेशन के लिए उपकरण उपलब्ध कराना और मौजूदा विभागों के उपकरणों का उन्नतिकरण शामिल है।

मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग स्कीमें

(क) एंटी पाइरेसी पहल

चोरी (पायरेसी) किसी भी रचनात्मक क्षेत्र में विशेष रूप से फिल्म के क्षेत्र में एक बड़ा खतरा है। अत:, इस योजना का प्रमुख लक्ष्य सभी हितधारकों के बीच पायरेसी के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना और इसका सामना करने हेतू शिक्षित करना है। ये योजना, इस सम्बन्ध में मंत्रालय द्वारा उठाये गए कदमो को आगे बघने को ही प्रस्तावित करता है। ये योजना फिल्म, प्रसारण और संगीत उद्योग के सभी हितधारकों को सम्मिलित करते हुए अभियान के शुरुआत की परिकल्पना करती है। सिनेमा और मीडिया की हस्तियों से अनुरोध किया जायेगा कि अभियान करे और लोगों से अनुरोध करे और पायरेटेड माल खरीदने से बचे। ये अभियान दूरदर्शनध्एआईआर और निजी टीवी चौनलों और निजी एफएमओं पर निष्पादित किये जायेंगे। कॉपीराइट एक्ट के बारे में जागरूक करने के लिए पुलिस, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों हेतू प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के आयोजन देश के अलग-अलग हिस्सों में किये जायेंगे। पायरेसी के प्रभाव पर शोध चोरी का मुकाबला करने के लिए सार्वजनिक निजी रणनीतियों के विकास के साथ ही कार्यान्वयन सक्षम करने के लिए आयोजित किया जाएगा।

(ख) फिल्म सामग्री का विकास, संचार एवं प्रसार

देश में सौंदर्यपरक और तकनीकी रूप से बेहतरीन फिल्मों के निर्माण को सहयोग करने और इन फिल्मों को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों और साथ ही फिल्म बाजारों में प्रसार के लिए और फिल्म संबंधी सामग्री का संरक्षण करने के लिए 12वीं योजना के दौरान मंत्रालय ने एक परियोजना का उल्लेख किया है।

ऊपर बताए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, फिल्म बाजार और भारत व विदेश के विभिन्न फिल्म बाजारों में भागीदारी, विभिन्न आयोजनों के प्रभावी प्रबंधन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के लिए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल और देश भर में बाल फिल्मों की प्रदर्शनी और साथ ही फीचर फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों और बाल फिल्मों का निर्माण, ये गतिविधियां विभिन्न मीडिया इकाइयों की विभिन्न गतिविधियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के अंतर्गत 12वीं योजना की "फिल्म संबंधी सामग्री का विकास, संचार और प्रचार" नामक परियोजना में जोड़ दी गई हैं।

योजना के विभिन्न घटक इस तरह हैं-

1. फिल्मी हस्तियों की विदेश यात्रा समेत भारत और विदेश में फिल्म समारोहों का आयोजन और उनमें भागीदारी, देश में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करने के लिए एनजीओ

और राज्य सरकारी की संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना और एफएफएसआई को कला दृष्टि से अहम फिल्मों की प्रदर्शनी के लिए आर्थिक सहायता देना, फिल्मों के प्रति जागरूकता फैलाना, फिल्म सराहना पर जर्नल प्रकाशित करना और कांफ्रेंस व सेमीनार का आयोजन करना इत्यादि।

2. इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन करना और भारतीय पैनोरमा के अंतर्गत फिल्म का चयन और भारतीय पैनोरमा फिल्मों का संग्रह।
3. भारत और विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी
4. डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के लिए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के द्विवर्षीय समारोह का आयोजन।
5. दो साल में एक बार इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन।
6. दो साल में एक बार नेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन।
7. देश भर के स्कूलों में बाल फिल्मों की प्रदर्शनी
8. विभिन्न भारतीय भाषाओं में फीचर फिल्म्स का निर्माण
9. डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण
10. बाल फिल्मों का निर्माण
11. फिल्म डिविजन के फिल्म अभिलेख की वेबकास्टिंग
12. अभिलेख सामग्री का संकलन।

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस नई 12 वीं योजना अर्थात "राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन" का भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के माध्यम से फिल्म व फिल्म सामग्री के अभिलेखन के संरक्षण, डिजिटलीकरण के लिए क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन की प्रशासनिक मंजूरी को 24.11.2014 को जारी किया गया था।

यह योजना प्रिर्जवेशन विदआउट एरर, एक्सेस विदआउट एंड के लक्ष्य के साथ फिल्म विरासत को संरक्षित रखने का प्रस्ताव करती है। इस योजना की प्रस्तावित गतिविधियां निम्नलिखित हैं–

1. 1050 फीचर फिल्मों और 960 शॉर्ट फिल्मों का पुनर्निमाण
2. 1050 फीचर फिल्मों और 1200 शॉर्ट फिल्मों का डिजिटलीकरण
3. 1050 फीचर फिल्मों और 960 शॉर्ट फिल्मों के इंटर नेगेटिव्स का संरक्षण अभिलेखीय उद्देश्य के लिए।
4. इस तरह की पुनर्निमित की गई सामग्री के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक के कोष्ठ का निर्माण
5. पुननिर्माण और संरक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

(घ) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

एनीमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स सेक्टर की उत्कृष्टता हेतु केंद्र की स्थापनाः

तीव्र प्रौद्योगिकीय विकास ने एनिमेशन, गेमिंग और विशेष दृश्य प्रभाव क्षेत्र में विकास को गति प्रदान की है। 2डी सेल एनिमेशन और 3डी एनिमेशन तकनीकों के प्रयोग एनीमेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के व्यापक इस्तेमाल सहित टेलीविजन कार्यक्रमों, फिल्मों और वीडियो गेम की एनिमेशन सामग्री के विकास हेतु उपयोग किया जाता है। 3डी मोशन कैप्चर एनिमेशन तकनीकी का प्रयोग कम रिजोल्यूशन के गेम, इंटरनेट करेक्टर, स्पेशल इफेक्ट आदि हेतु किया जाता है, इसी भांति, गेम डिजाइन, प्लेटफार्म डिजाइन और प्ले कैरेक्टरिस्टिक नवीनतम गेमिंग सॉफ्टवेयर हेतु गेमिंग उद्योग नवीनतम गेमिंग सॉफ्टवेर पर निर्भर करता है। भारतीय गेमिंग उद्योग का मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रों में अवसरों पर वर्चस्व जमाने की उम्मीद है। एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट उद्योग प्रौद्योगिकी और तकनीकी और व्यावसायिक जनशक्ति गहन दोनों है। भारतीय उद्योग पहले से ही विरोधाभास का सामना कर रही है। यद्यपि, भारत का इन उद्योगों में तात्कालिक योगदान काफी छोटा है, परंतु, वैश्विक मांग और भारत के पास आईटी पेशेवरों का विशाल पूल के होने की वजह से इसके पास बहुल क्षमता है।

विजुअल इफेक्ट्स एक अत्यंत कुशल गतिविधि है और ऑडियो-विजुअल उद्योग में तेजी से प्रयोग हो रहा है। इस कौशल का विकास एनिमेशन और गेमिंग के समरूप होगा और इसमें बहुल राजस्व कि क्षमता भी है। जबकि, तीव्र गति से फैलता एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स का यह उद्योग पहले से ही प्रशिक्षित पेशवरों के की कमी का सामना कर रही है। इस उद्योग के अनुमानित विकास की आशा है जिसके लिए तेजी से कुशल श्रमशक्ति की मांग के अंतर को भरने की तात्कालिक जरूरत है। अत:, ये अत्यावश्यक है कि भारत एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स के सेक्टर हेतु प्रशिक्षित कर्मियों की वृद्धि को सुनिश्चित करे। लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रम में, इस सेक्टर के लिए एक मानव संसाधन योजना की आवश्यकता होगी ताकि कुशल कर्मियों की तादाद तेजी से बढ़े अत:, उच्चशिक्षा में स्कूल के पाठ्यक्रम और एनिमेशन ट्रेनिंग के बीच एक स्पष्ट सह-सम्बन्ध की आवश्यकता है। ऊपर वर्णित लक्ष्यों के द्वारा यह परिकल्पित किया गया है कि एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स के क्षेत्र हेतू एक विशेष प्रशिक्षण और परामर्श संस्थान सार्वजनिक /निजी भागीदारी में स्थापित किया जाएगा। इन क्षेत्रों में मानक शिक्षण और प्रशिक्षण के मामले में बेंचीमार्क को लागू करने और पूरे क्षेत्र के लिए नेतृत्व की भूमिका प्रदान करने के लिए।

यह संस्थान इस क्षेत्र में अनुसंधान के अवसर भी प्रदान करेगा। यह आगे तकनीकी पहल और सॉफ्टवेयर विकास के लिए सक्षम करेगा। लंबी अवधि के परिप्रेक्ष्य में, अनुसंधान न सिर्फ बौद्धिक संपदा के सृजन में सहयोग करता है वरन संबंधित क्षेत्र में राजस्व वृद्धि और नेतृत्व के प्रतिदान में भी सहयोग करता है।

इस संस्थान की संस्थापना सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत प्रस्तावित की गयी है। परंतु, अभी तक, इस योजना को स्वीकृति नहीं मिली है।

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानिटरिंग सेंटर(ईएमएमसी) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसका प्रवर्तन 9 जून 2008 को शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य (1.) केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) एक्ट 1995 और उसके अंतर्गत गठित नियमों में निहित कार्यक्रमों और विज्ञापन संहिताओं (2.) निजी एफएम रेडियो चैनलों (3.) प्रसारण क्षेत्र की सामग्रियों की निगरानी से संबंधित अन्य कार्यों के उल्लंघन की निगरानी करना है।

सरकार अब तक 850 टीवी चैनलों को मंजूरी दे चुकी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के आखिर तक इन चैनलों की संख्या 1500 तक पहुंचने की संभावना है। 12वीं योजना में इन 1500 सेटेलाइट टीवी चैनलों की रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग क्षमता को बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। इस वक्त देश में करीब 245 निजी एमएफ स्टेशन काम कर रहे हैं जबकि तीसरे फेस में 800 चैनल लाए जाने का प्रस्ताव है। 12वीं योजना अवधि के दौरान एफएम सामग्री की केंद्रीकृत निगरानी शुरू की जानी है। इस वक्त देश में करीब 180 सामुदायिक रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं और लगभग 220 आवेदनों पर विचार किया जा रहा है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए केंद्रीकृत सामग्री निगरानी सुविधा भी जल्द शुरू की जाएगी। 'ईएमएमसी के सुदृढ़ीकरण' संबंधी योजना स्कीम के लिए 90 करोड़ रुपये की कुल लागत को मंजूरी दी गई है।

प्रसार भारती

अधिदेश,लक्ष्य एवं उद्देश्य और नीति व्यक्तव्य

भारतीय प्रसारण निगम की स्थापना का प्रावधान करने वाले प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 को 15 सितंबर 1997 से लागू किया गया। इस अधिनियम में प्रावधान है कि सर्वसाधारण को जानकारी देने, शिक्षित करने और मनोरंजन करने के लिए लोक सेवा प्रसारण का आयोजन और संचालन करना निगम का प्राथमिक दायित्व है। यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अंग रहने के दौरान जो कार्य पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन करते थे, वे कार्य अब यह निगम करेगा। निगम के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन के कार्य प्रसार भारती बोर्ड को सौंपे जाएंगे। यह बोर्ड अपने सभी अधिकारों का इस्तेमाल और अपने ऐसे सभी कार्य उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार इस अधिनियम के तहत निगम द्वारा किए जाते हैं।

निगम अपने कार्य सुचारू रूप से कर सके, इसके लिए अधिनियम में प्रावधान है कि संसद द्वारा कानूनी तौर पर इस बारे में विधिवत विनियोजन किए जाने के बाद, केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार निगम को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इक्विटी सहायता अनुदान या ऋण के रूप में धनराशि प्रदान कर सकती है। निगम का अपना कोष होगा और निगम की सारी प्राप्तियां इसी कोष में जमा की जाएंगी और निगम सभी भुगतान इसी कोष से करेगा।

1.इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, निगम का प्राथमिक दायित्व सर्वसाधारण को जानकारी देने, शिक्षित करने और मनोरंजन के लिए लोक प्रसारण सेवा का आयोजन और संचालन करना तथा रेडियो और टेजीविजन पर प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करना होगा।

स्पष्टीकरण- शंकाएं दूर करने के लिए एतद् द्वारा यह घोषणा की जाती है कि इस खंड के प्रावधान भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अलावा होंगे, न कि अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध होंगे।

2.निगम अपने कार्यों के निर्वहन में निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखेगा :

(ए) देश की एकता और अखण्डता तथा संविधान में निहित मूल्यों को कायम रखेगा,

(बी) सार्वजनिक हित, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में मुक्त, सच्ची तथा निष्पक्ष सूचना प्राप्त करने के नागरिक के अधिकार का संरक्षण तथा अपनी विचारधारा या किसी राय को जोड़े बिना विविध दृष्टिकोणों सहित सूचना की निष्पक्ष तथा संतुलित प्रस्तुति,

(सी) शिक्षा के क्षेत्र में एवं साक्षरता, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देना,

(डी) उपयुक्त कार्यक्रमों के प्रसारण द्वारा देश के विविध क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता एवं भाषाओं को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना,

(ई) क्रीड़ा एवं खेल को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना जिससे कि स्वस्थ प्रतियोगिता एवं खेल भावना को बढ़ावा मिले,

(एफ) युवाओं की विशेष आवश्कताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्यक्रम प्रदान करना।

(जी) महिलाओं की स्थिति एवं समस्याओं के संबंध में सूचना देना और राष्ट्रीय चेतना बढ़ाना तथा महिला उत्थान पर विशेष ध्यान देना,

(एच) सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना और शोषण, असमानता दूर करना ,एवं छुआ-छूत जैसी बुराई को मिटाना तथा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए काम करना,

(आई) कामगारों के अधिकारों की रक्षा करना एवं उनके कल्याण को बढ़ावा देना,

(जे) कमजोर एवं ग्रामीण वर्ग तथा सीमावर्ती क्षेत्र, पिछड़े एवं सुदूर क्षेत्रों के लोगो की भलाई के लिए कार्य करना,

(के) अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय समुदायों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपुयक्त कार्यक्रम प्रदान करना,

(एल) बच्चों, दृष्टिबाधितों, वृद्धों, निशक्त जनों एवं अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाना,

(एम) राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए, ऐसे प्रसारण करना जो भारत में विभिन्न भाषाओं के जरिए संवाद को बढ़ाते हों और हर राज्य में वहां की भाषा में क्षेत्रीय प्रसारण सेवाओं को बढ़ावा देना,

(एन) उपयुक्त तकनीक के चयन द्वारा समग्र प्रसारण कवरेज प्रदान कराना तथा उपलब्ध प्रसारण फ्रीक्वेंसी का सर्वोत्तम उपयोग एवं उच्च गुणवत्ता वाली प्राप्ति सुनिश्चित करना,

(ओ)रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण तकनीक के निरंतर विकास के क्रम में शोध एवं विकास कार्य को आगे बढ़ाना और

(पी) विभिन्न स्तरों पर प्रसारण के अतिरिक्त चैनलों की स्थापना द्वारा प्रसारण सुविधाओं का विस्तार करना।

3.विशेष रूप से एवं बिना पूर्वाग्रह के सामान्य रूप से, वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप, निगम कुछ ऐसे कदम उठा सकता है, जिन्हें वह उपयुक्त मानता है :

(क) कार्यक्रमों की उपलब्धता एवं निर्माण के लिए प्रसारण का लोकसेवा के रूप में संचालन सुनिश्चित करना,

(ख)रेडियो एवं टेलीविजन के लिए समाचार एकत्र करने के लिए व्यवस्था की स्थापना,

(ग)खेल प्रतियोगिताओं, अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं, फिल्मों, सीरियलों, समारोहों, बैठकों तथा जनहित की अन्य घटनाओं के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए खरीद अथवा प्राप्ति के लिए बातचीत करना और ऐसे कार्यक्रमों के अधिकारों अथवा विशेषाधिकारों के आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित करना,

(घ) रेडियो, टेलीविजन या अन्य सामग्री के लिए लाइब्रेरी की स्थापना एवं देखभाल,

(ड़) समय-समय पर कार्यक्रम, दर्शक शोध, बाजार या तकनीकी सेवाओं को संचालित या प्रारंभ करना, जो उपयुक्त व्यक्तियों को और उपयुक्त तरीकों से और नियमों एवं शर्तों के अनुसार जारी किए जा सकें, जिन्हें निगम उपयुक्त समझता हो,

(च) नियमों द्वारा विर्निदिष्ट हो सकने वाली अन्य सेवाओं को प्रदान करना।

4.उपधारा (2) और (3) की कोई भी बात निगम को, केंद्र सरकार की ओर से और सरकार द्वारा विर्निदिष्ट नियमों एवं शर्तों के अनुसार विदेशी सेवाओं के प्रसारण का प्रबंधन करने और भारत से बाहर के संगठनों द्वारा तैयार ऐसे विदेशी प्रसारण की निगरानी करने से नहीं रोक सकती जिनके लिए खर्च के अदायगी केंद्र सरकार द्वारा की जानी हो।

5.इस खंड में स्थापित उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए, विज्ञापन के संबंध में केंद्र सरकार को प्रसारण समय की अधिकतम सीमा के निर्धारण का अधिकार होगा।

6. मात्र इस आधार पर निगम की कोई भी सिविल जवाबदेही नहीं होगी कि वह इस खंड के किसी भी प्रावधान को पूरा करने में असफल रहा है।

7.निगम को विज्ञापन या ऐसे कार्यक्रम, जो नियमों द्वारा विर्निदिष्ट हो, के संबंध में फीस या अन्य सेवा शुल्क निर्धारित करने का अधिकार होगा। इस खंड के अधीन इकट्ठा की गई फीस या अन्य सेवा शुल्क समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं से बाहर नहीं हो।

लक्ष्य तथा उद्देश्य

प्रसार भारती दुनिया के विशालतम भौमिक नेटवर्क्स में से एक होने के अलावा अपने दो संघटकों अर्थात आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) और दूरदर्शन (डीडी) के माध्यम से आबादी और क्षेत्र के संदर्भ में सर्वाधिक कवरेज उपलब्ध कराता है । ऐसे देश में जहां निरक्षरता की दर अधिक हो, यह माध्यम विभिन्न स्टेशनों/केंद्रों से आकाशवाणी/दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को सूचना देता है, शिक्षित करता है और उनका मनोरंजन करता है। प्रसार भारती का विशाल सामाजिक उत्तरादायित्व उसके नेटवर्क की संभावनाओं के अनुरूप है, क्योंकि वह पूरे देश की जनता को सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की सूचना संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देता है।

यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपने तीव्र प्रसार के द्वारा जनता एवं सरकारी विभागों को समय पर सूचना प्रदान कर उनकी सहायता भी करता है। यह एक व्यवसायिक सेवा भी संचालित करता है जो विज्ञापनों के जरिये वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री को बढ़ावा देती है। आकाशवाणी का विदेश सेवा प्रभाग विदेशी श्रोताओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित करता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग और दूरदर्शन समाचार 24 घंटे ताजा समाचार उपलब्ध कराता है। इनके अलावा, एफएम और दूरदर्शन चैनल दिन-रात लोगों का मनोरंजन भी करते हैं।

नीति वक्तव्य

लोक सेवा प्रसारक के रूप में प्रसार भारती के उद्देश्य हैं :

- गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम बनाना और
- महिलाओं, बच्चों, वंचितों, विशिष्ट भाषाई समूहों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि पर केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से सूचना प्रदान करने, शिक्षा देने और मनोरंजन करने के प्रयोजन को पूरा करना।

समाचार सेवा प्रभाग और साथ ही साथ अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ के अंतर्गत भी विविध कदम उठाये गये हैं। भारतीय शास्त्रीय योजना का लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों का निर्माण करना और देश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत को संजोना हैं। योजना के अंतर्गत सभी कार्यक्रम सभी भारतीय भाषाओं में बनाए जा रहे हैं और देशभर के दर्शकों के लाभ के लिए इन साहित्यिक कार्यों को क्षेत्रीय भाषाओं में डब किया जा रहा है।

प्राथमिकताओं में बेहतर प्रचार पर जोर दिया गया है जिसके लिए बोर्ड ने राजस्व प्राप्ति के नए क्षेत्रों की पहचान के लिए समाचार पत्र अतर्वेशन, मीडिया योजना, मीडिया सलाहकारों की नियुक्ति, बिल-बोड्र्स, न्यू मीडिया प्रचार आदि जैसे सभी मामलों पर विचार किया है।

दृष्टिकोण पत्र

स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद आकाशवाणी का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है और स्वतंत्रता के बाद से आकाशवाणी ने अपने प्रसारण केन्द्रों, सहायक रिसिविंग केन्द्रों और एफएम ट्रांसमीटरों सहित ट्रांसमीटरों की स्थापना के जरिये (जनसंख्या और क्षेत्रवार दोनों रूपों में) काफी प्रगति की है। प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी का उद्देश्य, प्रसार भारती के उत्तरादायित्वों को पूर्ण करते हुए लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। अनेक प्रकार की नई पहल की जा रही हैं, जैसे 86 चुनिंदा आकाशवाणी स्टेशनों से खेत और घर से जुड़े कार्यक्रम- किसान वाणी कार्यक्रम, पर्यावरण, परिवार कल्याण, ग्रामीण बच्चों और छोटे बच्चों को केंद्र में रखकर बनाए गए विशेष कार्यक्रम, महिला कार्यक्रम, शैक्षिक प्रसारण (इग्नू/एनसीईआरटी/सीआईईटी), सामाजिक जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम जैसे एचआईवी/एड्स पर जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम और दूसरे स्वास्थ्य कार्यक्रम, इग्नू के सहयोग के साथ कार्यक्रम, राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका (विज्ञान भारती), सीसेम स्ट्रीट कार्यक्रमों को वित्त मंत्रालय के जरिये आकाशवाणी पर प्रसारित किया गया है, साथ ही संगीत और नाटक से संबंधित कार्यक्रमों का भी नियमित प्रसारण किया जाता है।

इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी बहुत से कदम उठाए गए हैं।

● प्रमुख कार्यक्रमों में वर्तमान नेटवर्क का डिजिटलीकरण करना, जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों, भारत–पाक सीमा और भारत–नेपाल सीमा पर एचपीटी/एलपीटी की स्थापना, एफएम सिग्नल और ई–गर्वनेंस कार्यक्रम से अछूते रहे क्षेत्रों में एफएम सेवाओं का विस्तार करना प्रस्तावित किया गया है। सरकार ने 12 वीं योजना के दौरान आकाशवाणी के लिये 2252 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं: जिसमें से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई और 12वीं योजना के दौरान जारी योजनाओं के लिए 1232 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं और 12 वीं योजना में शुरू की गई नयी परियोजनाओं के लिए 1020 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। सीसीईए ने मार्च 2014 को आकाशवाणी की "प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास" योजना को 1213.86 करोड़ रुपये के घटे हुए परिव्यय के साथ जारी योजना के तहत और 12वीं पंचवर्षीय योजना में नयी योजना के तहत 393.00 करोड़ रुपये को मंजूरी प्रदान की।

12 वीं योजना के प्रमुख लक्ष्य :

- 29 मौजूदा स्टूडियो का डिजिटलीकरण और 2017 तक कनेक्टिविटी नेटवर्क स्थापित करना।
- मोबाइल फोन में एफ एम चैनलों की उपलब्धता को देखते हुए पिछड़े, तटवर्ती और नक्सल प्रभावित इलाकों में 60 प्रतिशत लोगों तक एफएम चैनलों की पहुंच बनाना।
- एफएम ट्रांसमीशन के जरिए भारत–पाक और भारत–नेपाल सीमा पर कवरेज को सुदृढ़ बनाना।
- प्रसारण की दक्षता, प्रभावशीलता और गुणवत्ता में सुधार करना और मौजूदा सुविधाओं में सुधार और बदलाव करना।
- गुणवत्ता का क्षरण किए बगैर लंबी अवधि तक विषय वस्तु का संरक्षण।
- आकाशवाणी केन्द्रों के बीच कार्यक्रमों के ऑनलाइन आदान–प्रदान को सुगम बनाना।
- आकाशवाणी द्वारा संरक्षित बहुमूल्य कार्यक्रमों को बिक्री के लिए उपलब्ध बनाना।
- ई आरपी प्रणाली को लागू करके कार्यालय गतिविधियों को स्वचालित करना।

भारत सरकार ने दूरदर्शन को वस्तुत: 2119.14 करोड़ रुपये का कुल बजट आवंटित किया है। इसमें पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए 2013.14 करोड़ रुपये और विषयवस्तु विकास एवं प्रसार के लिए 106 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

इस योजना अवधि के दौरान प्रसारण का प्रभावी विकास और डिजीटलीकरण का कार्य पूर्ण करने के लिए प्रस्तावित यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है। डिजिटलीकरण निम्नलिखित के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार लाएगा : (1) प्रसारण इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क विकास,(2)विषयवस्तु विकास और (3)विशेष परियोजनाएं।

दूरदर्शन के कार्यक्रम

डीडी उर्दू

डीडी उर्दू, पांच करोड़ 20 लाख उर्दू भाषी आबादी की जरूरतें पूरी करने और उर्दू की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखने के लिए 15 अगस्त 2006 को अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री के 15–सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य इस चैनल के लक्षित दर्शकों के कल्याण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली विषयवस्तु और अनेक कार्यक्रमों का प्रसारण करना है। यह चैनल विरासत, संस्कृति, सूचना, शिक्षा एवं सामाजिक मामलों को संपुटित करते हुए चौबीसों घंटे प्रसारण करता है। विषयवस्तु का विषय लक्षित दर्शकों के शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण को आधुनिक बनाना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना तथा विज्ञान के रहस्यों को उजागर करना, उर्दू से संबद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का संरक्षण करना है। इसके लिए डीडी की अधिग्रहण परियोजना के माध्यम से सॉफ्टवेयर इन–हाउस प्रोग्राम पर तैयार/उत्पन्न किया गया है।

डीडी इंडिया

डीडी इंडिया का गठन विदेश में रहने वाले भारतीयों के साथ संवाद स्थापित करने, वास्तविक भारत दिखाने, उसकी संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं, आधुनिकता, विविधता और एकता को प्रदर्शित करने तथा लोक सेवा प्रसारण की उच्च परंपराओं को कायम रखते हुए जनता के शिक्षण और मनोरंजन के उद्देश्य से किया गया था। इस पर समाचार बुलेटिन, सामयिक विषयों पर फीचर, मनोरंजन के कार्यक्रम, फीचर फिल्में, संगीत और नृत्य, बच्चों के कार्यक्रम तथा धार्मिक, मेडिकल और रोमांचक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

पूर्वोत्तर

पूर्वोत्तर क्षेत्र में डीडी के वर्तमान बुनियादी ढांचे में राज्यों की राजधानियों और कुछेक अन्य महत्वपूर्ण शहरों में वर्तमान में 11 स्टूडियो केन्द्र और विभिन्न क्षमताओं वाले 132 ट्रांसमीटर हैं। इनके अलावा गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय कार्यक्रम निर्माण केन्द्र भी है। यह सुविधा पूर्वोत्तर के सात राज्यों, अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के अलावा सिक्किम में भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, मेघालय में गारो हिल्स के तुरा में तथा असम के डिब्रूगढ़, सिलचर में टीवी केन्द्र हैं। इन केन्द्रों में पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित सूचनात्मक तथा सुगम संगीत, लोक कलाओं, शिल्प, वस्त्रों और खानपान पर आधारित कार्यक्रम इन-हाउस तैयार किए जाते हैं।

भौतिक मोड में पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 84 प्रतिशत आबादी को डीडी-1 और तकरीबन 54 प्रतिशत को डीडी न्यूज चैनल का प्रसारण उपलब्ध है। डीडी-1 और डीडी न्यूज चैनलों की क्षेत्रवार कवरेज क्रमश: लगभग 61 प्रतिशत और 26 प्रतिशत है।

पूर्वोत्तर चैनल के कार्यक्रम गुवाहाटी के क्षेत्रीय कार्यक्रम निर्माण केन्द में तैयार किए जाते हैं। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न दूरदर्शन केन्द्र अपना योगदान करते हैं। पूर्वोत्तर चैनल के कार्यक्रम तय समय पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के एचपीटी और एलपीटी द्वारा रिले किए जाते हैं। पूर्वोत्तर चैनल के कार्यक्रम दूरदर्शन की डीटीएच सेवा 'फ्री डिश' पर भी उपलब्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में डीडी-1 के एचपीटी और एलपीटी निर्धारित समय में संबंधित राज्यों से अपलिंक किए गए क्षेत्रीय सेवा कार्यक्रमों को रिले करते हैं।

श्रोता अनुसंधान खंड

श्रोता अनुसंधान खंड, अनुसंधान और आंकड़ा एकत्रीकरण के विभिन्न तरीकों के माध्यम से चैनलों पर कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनकी गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रोता अनुसंधान डीटीएच की पैठ और कृषि कार्यक्रमों की नेरोकास्टिंग की मदद से देश भर में सर्वेक्षण करता है। श्रोता अनुसंधान खंड देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित अपनी 18 इकाइयों के सहयोग से बाहरी और ग्रामीण इलाकों में डार्ट सर्वेक्षण भी करता है। वर्तमान वर्ष में भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के प्रभाव पर सर्वेक्षण सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज द्वारा किया गया है।

इन-हाउस सर्वेक्षणों के अतिरिक्त, दूरदर्शन टैम मीडिया रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड से रेटिंग डेटा और एमआरयूसी से बेसलाइन डेटा प्राप्त करता है और उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में चैनल प्रबंधकों एवं मार्केटिंग विभाग को उपलब्ध कराता है।

डीडी भारती

डीडी भारती सांस्कृतिक विरासत वाला चैनल है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तावित, प्रोत्साहित और संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह चैनल संगीत, नृत्य, विरासत, स्वास्थ्य, बच्चों पर ध्यान केंद्रित करता है और भारतीय जीवन शैली, दर्शन, कला और संस्कृति पर विशेष बल देता है। चैनल संगीत और नृत्य, पर्व, विशेष घटनाओं, मुशायरा, कवि सम्मेलन आदि का सीधा प्रसारण भी करता है। दर्शकों की तादाद बढ़ाने और कार्यक्रमों में वैविध्य लाने तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए नए कार्यक्रम भी खरीदे गए हैं। कार्यक्रमों, विशेष रूप से सांस्कृतिक विरासत से संबंधित कार्यक्रमों में सुधार के लिए फिर कमीशनिंग प्रस्तावित है।

क्षेत्रीय प्रसारण

देश की सामाजिक-सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के मद्देनजर दूरदर्शन देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं- तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, बांग्ला, असमी, गुजराती, मराठी और कश्मीरी- बोलने वाले लोगों के हित के लिए क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में भी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। मुख्य भाषा के कार्यक्रमों के अतिरिक्त, क्षेत्रीय भाषाओं के 11 सेटेलाइट चैनल भी उर्दू, सिंधी, संस्कृत, टुलु, कोंकणी, डोगरी, हिमाचली, हरियाणवी, नेपाली और उत्तर पूर्व की सभी भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं।

क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम राज्य में विभिन्न एचपीटी और एलपीटी के क्षेत्रीय सहयोग के साथ सेटेलाइट पर, जमीनी ट्रांसमीटरों के माध्यम से डीडी-1 की क्षेत्रीय विंडो के रूप में दोपहर तीन बजे से शाम आठ बजे तक उपलब्ध रहते हैं। तमिलनाडु में यह क्षेत्रीय सहयोग रात 11 बजे तक रहता है।

इन क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित विभिन्न कार्यक्रम और फॉरमेट्स की पेशकश करते हैं और इन्हें संबंधित राज्यों के राजधानी केंद्र से फीड और प्रसारित किया जाता है। इन चैनलों पर फीचर फिल्में, फिल्मी गाने, धारावाहिक, शास्त्रीय/सुगम/लोक संगीत, नृत्य, समाचार और समसामयिक विषयों के कार्यक्रम, कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि प्रसारित किए जाते हैं जोकि श्रोता विशेष की रुचि के कार्यक्रमों के साथ समाज के सभी तबका- महिलाओं, बच्चों और युवाओं की जरूरतें पूरी करते हैं।

राज्य नेटवर्क

दूरदर्शन के क्षेत्रीय सेवा प्रसारण भी हैं, जिन्हें राज्य नेटवर्क कहा जाता है। ये नेटवर्क उत्तर भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए हैं। एचपीटी और एलपीटी के इन सभी राज्य नेटवर्कों के माध्यम से डीडी के, दिल्ली से सोमवार से शनिवार को दोपहर तीन से चार बजे तक एक घंटे के लिए उत्तरी नेटवर्क धारावाहिक आधारित मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं और रविवार को हिंदी फीचर फिल्म प्रसारित की जाती है। उसके बाद, संबंधित राज्य की राजधानी से सायं चार बजे से रात आठ बजे के बीच कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और उस राज्य के जमीनी ट्रांसमीटर से रिले किए जाते हैं जिससे क्षेत्र की प्रमुख स्थानीय बोली में आयोजित होने वाली गतिविधियों से जुड़ा जा सके।

वर्ष भर शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के अतिरिक्त फ्लैगशिप कार्यक्रमों को सबसे ज्यादा बल दिया गया। विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों ने अपनी क्षमताओं का विचार किये बगैर फ्लैगशिप कार्यक्रमों और लोक सेवा कार्यक्रमों को प्रमुखता देने में बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं।

डीडी अभिलेखागार

डीडी अभिलेखागार 40 वर्षों से ज्यादा अर्से में सृजित हुई मीडिया विषयवस्तु का संरक्षक है। किसी भी मीडिया संगठन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी संपत्ति को कैसे संरक्षित करता है, क्योंकि प्रसारण चैनल के रूप में वह मौजूदा घटनाओं की प्रासंगिकता के लिए अधिक से अधिक फाइल फुटेज पर निर्भर रहता है। इसके अतिरिक्त डीडी अभिलेखागार की सांस्कृतिक विषयवस्तु भी बहुत मूल्यवान है, चूंकि डीडी अभिलेखागार एकमात्र ऐसा माध्यम है, जो विभिन्न सांस्कृतिक प्रवृत्तियों, जिनमें शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत और लोक नृत्य, जनजातीय संगीत और नृत्य शैलियां, परंपरागत और आधुनिक रंगमंच, लोकप्रिय संगीत एवं नृत्य, प्राचीन और आधुनिक साहित्य आदि शामिल हैं, के संरक्षण के उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है। यह बहुमूल्य सामग्री किसी देश के सांस्कृतिक जीवन का स्पंदन होती है जो पूरे विश्व में अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया भर में सराहा जाता है। डीडी अभिलेखागार ने भविष्य और समृद्धि के लिए अतीत और वर्तमान का प्रतिनिधित्व करने वाली विषय वस्तु के संरक्षण का जिम्मा उठाया है। अगले चार वर्षों में डीडी अभिलेखागार विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रसारण अभिलेखागारों में से एक होगा।

स्व वित्त कमीशनिंग (एसएफसी)

दूरदर्शन ने देश के प्रतिष्ठित निर्माताओं से अपने फ्लैगशिप चैनल डीडी-1 के लिए गुणवत्तापूर्ण मनोरंजक कार्यक्रमों का आउटसोर्स करने के लिए स्व वित्त कमीशनिंग की नई योजना प्रतिपादित की है। इस योजना के तहत वरिष्ठ फिल्मकारों और टेलीविजन निर्माताओं द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर का दूरदर्शन द्वारा विपणन किया जाएगा। इन कंटेंट्स का स्वामित्व दूरदर्शन के पास होगा और उन्हें दूसरे चैनलों द्वारा भी प्रसारित किया जा सकता है और यह योजना दूरदर्शन के प्राइम टाइम के दौरान अच्छा राजस्व अर्जित कर रही है।

डीडी एसएफसी कार्यक्रमों द्वारा सभी प्राइम टाइम और मिड प्राइम स्लॉट्स को अधिग्रहित करने को प्रतिबद्ध है। प्राइम टाइम और मिड प्राइम स्लाट्स के अतिरिक्त, एसएफसी कार्यक्रमों के लिए नॉन प्राइम टाइम स्लॉट्स को लेने की रणनीति पर भी विचार किया जा रहा है। यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि हर वर्ष निर्माण की लागत बढ़ रही है और गुणवत्ता के लिहाज से दूसरे सेटेलाइट चैनलों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमें एपीसोड के मूल्य को बढ़ाना चाहिए।

इस योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले कार्यक्रम सिर्फ दूरदर्शन की सम्पत्ति हैं। डीडी इस सम्पत्ति का इस्तेमाल कभी भी अपनी जरूरत के मुताबिक, बिना किसी अतिरिक्त लागत के दूरदर्शन के किसी भी चैनल पर कर सकता है। प्रायोजित कार्यक्रमों के संदर्भ में डीडी को यह अधिकार नहीं है। विविध उपयोगों के लिए बिना किसी आवर्ती खर्च के यह एक बार का निवेश है। राजस्व में वृद्धि के अलावा, डीडी को विपणन एजेंसियों/प्रायोजकों के लंबित बकायों की समस्याओं से छुटकारा मिल गया है, क्योंकि डीडी अपने ग्राहकों के साथ सीधे लेन-देन कर रहा है। अदालती मुकदमों/मध्यस्थता के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, प्राइम टाइम में एक दैनिक धारावाहिक शुरू करने का प्रयोग किया गया है, जिससे दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या और राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है।

सॉफ्टवेयर की कमीशनिंग

हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, पटना, जयपुर, श्रीनगर, जम्मू आदि में स्थित केंद्रों के माध्यम से इन-हाउस निर्माण गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

नयी पहल

सरकार ने वर्ष 2014-15 के दौरान 100 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ किसान चैनल के संबंध में एक योजना को मंजूरी दी। इसके अलावा, वर्ष 2014-15 के दौरान आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नाम से दो राज्यों में पुनर्गठन के बाद, डीडीके विजयवाड़ा, विशिष्ट रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए अरुण प्रभा जैसे क्षेत्रीय चैनलों को सशक्त बनाने की योजनाओं, चौबीसों घंटे सेवाएं उपलब्ध करवाकर कुछ मौजूदा चैनलों का उन्नयन करने जैसे कार्यों का दायित्व लिया गया।

मुख्य सचिवालय के प्रसारण विंग की स्कीमें

(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग

सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) शुरू करने की अनुमति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देता है। सरकार ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए साल 2002 में नीतिगत दिशा निर्देशों को अपनी मंजूरी दी, जिसे 2006 में संशोधित किया गया। इससे पहले के दिशा निर्देशों में सिर्फ शैक्षिक संस्थानों को सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संचालन की इजाजत थी। नए दिशा निर्देशों में सामुदायिक रेडियो को संचालित करने की पात्रता में कुछ और संस्थाओं को इजाजत दी गई। नई पात्रता के तहत नागरिक समितियों, स्वयं सेवी संगठनों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों(एसयू), आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, पंजीकृत समितियों को पात्रता की शर्तें पूरी करने पर सामुदायिक रेडियो संचालित करने के लिए योग्य माना गया।

सामुदायिक रेडियो योजना को जागरूकता कार्यशालाओं के जरिए मंत्रालय लोकप्रिय बनाने का काम कर रहा है, जिसका मकसद निचले स्तर पर काम कर रहे ज्यादा से ज्यादा संगठनों को सामुदायिक रेडियो लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। 11वीं योजना के तहत 'सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां' के अधीन मंत्रालय ने 37 जागरूकता और कार्यकौशल बढ़ाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित कीं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 'भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग' नामक नई योजना शुरू की गई। आईईसी गतिविधियों के अलावा, नई योजना भी नए और मौजूदा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को उपकरण प्राप्त करने और ट्रेनिंग आदि के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी। योजना

सामुदायिक क्षेत्र में नवरचना (इनोवेशन) को भी समर्थन देगी। 12वीं योजना के पहले दो सालों में, 18 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गईं। वित्तीय सहायता के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों और अनुमति प्राप्त करने वालों से भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

(ख) प्रसारण शाखा का स्वचालितीकरण

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय निजी सेटेलाइट टेलीविजन चैनलों को मंजूरी देता है। आवेदन की योग्यता की जांच अपलिंकिंग और डाउनलिकिंग के दिशा निर्देशों के संदर्भ में की जाती है। इसके बाद यह आवेदन कंपनी और कंपनी के निदेशकों की सुरक्षा जांच के लिए गृह मंत्रालय भेज दिया जाता है और मंजूरी मांगी जाती है। इसके साथ यह आवेदन अंतरिक्ष विभाग और राजस्व विभाग तथा आवश्यकता के अनुसार अन्य विभागों में भी भेजा जाता है और उनकी मंजूरी मांगी जाती है। अन्य योग्यताओं के साथ कंपनी की कुल पूंजी का भी आकलन किया जाता है। आवेदन को अनुमति अंतर मंत्रालय मंजूरी मिलने और सभी शुल्क आदि लेने के बाद प्रदान कर दी जाती है।

मंत्रालय ने अभी तक 795 टीवी चैनलों को अनुमति दी है 240 से अधिक आवेदन अभी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा मंत्रालय को प्रति माह औसत 30-40 नए आवेदन मिल रहे हैं। इनसेट अनुभाग को नाम, लोगो, निदेशकों की नियुक्ति, शेयर होल्डिंग में बदलाव, अस्थायी अपलिंकिंग सुविधा और एसएनजी/डीएसएनजी वेन किराए पर लेने के अनुरोध भारी मात्रा में मिलते हैं। कुछ अन्य गतिविधियां जैसे अनुमति का नवीनीकरण और कारण बताओ नोटिस जारी करना और अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने से संबंधित शिकायतें भी हैं। इन सब में भारी मात्रा में कागज का इस्तेमाल होता है। इस प्रक्रिया में मंत्रालय और आवेदक का समय लगता है। इससे जरूरी लाईसेंस देने में देरी होती है और जमा किए गए कागजात गुम हो जाते हैं। प्रक्रिया की योजनाबद्ध तरीके से निगरानी करने में कठिनाई आती है। इससे कुछ हद तक प्रणाली की खामियां सामने आती है।

इन सब कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए अत्याधुनिक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने का निर्णय किया है जिससे मंत्रालय के अधिकारी और टीवी चैनल, एमएसओ, डीटीएच लाईसेंस, एचआईटीएस लाईसेंस और आईपीटीवी सेवा के आवेदक अपने आवदेनों की निगरानी कर सकेंगे और तेजी से काम करा सकेंगें। इस प्रक्रिया में कम से कम मानवीय हस्तक्षेप होगा।

(ग) डिजिटलाइजेशन का मिशन

अधिदेश, उद्देश्य तथा लक्ष्य, नीति ढांचा एवं कथन

देश में केबिल टी वी सेक्टर का डिजीटाइजेशन 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंर्तगत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण लक्षित क्षेत्र है। देश में टी वी वितरण की बैक बोन के रूप में केबिल टी वी को माना जाता है। देश में केबिल टी वी नेटवर्क ज्यादातर एनॉलॉग प्रकृति में है। एफ आई सी सी आई-के पी एम जी, 2014 द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 88 मिलियन केबिल टी वी होम हैं जिसमें से ज्यादातर एनॉलॉग मोड में टी वी सिगनल प्राप्त करते हैं। एनॉलॉग केबिल टी वी वितरण में कई प्रकार की समस्याएं, क्षमता सीमितताएं तथा चैनलों के चुनाव एवं गुणवत्ता से सम्बन्धित मुद्दे होते हैं।

वर्तमान एनॉलॉग टी वी वितरण तन्त्र की कमियों को दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा डिजीटाइजेशन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है तथा 31 दिसम्बर 2016 तक सभी एनॉलॉग सेवाओं को डिजीटाइज किया जाना है। पहले चरण में, जो कि 31 अक्टूबर 2012 तक पूरा किया जाना था, चार मेट्रो शहरों में से दिल्ली, मुम्बई तथा कोलकाता में पूर्ण डिजीटाइजेशन किया जा चुका है। लंबित कोर्ट मामलों के कारण चेन्नई में पूर्ण डिजीटाइजेशन अभी भी किया जाना शेष है। दूसरे चरण में, जो कि 31 मार्च 2013 को पूर्ण हुआ, 14 राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र के 36 शहरों (जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है) में डिजीटाइजेशन प्रक्रिया पूरी की गई। अन्य सभी शहरी क्षेत्र का डिजीटाइजेशन 31 दिसम्बर 2015 तथा शेष भारत का डिजीटाइजेशन 31 दिसम्बर 2016 तक पूरा किया जाना है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को देश के समयबद्ध डिजीटाइजेशन रोड मैप के लिए अधिदेशित किया गया है। केबिल टी वी अधिनियम में दिसम्बर 2011 में संशोधन के पश्चात् मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में नियम जारी कर दिए हैं। टी आर ए आई ने भी दर तथा अंर्तकनेक्शन विनियमन को नोटिफाई किया है जिससे डिजीटाइजेशन को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए सभी स्टेक होल्डरों को अर्ह बनाया जा सके।

डिजीटाइजेशन में मुख्यत: शामिल हैं– डिजीटल हेड एण्ड सेटअप की इन्सटालेशन तथा एम एस ओ द्वारा इनक्रिप्टेड सिग्नल की फीडिंग, एल सी ओ द्वारा वितरण नेटवर्क का उन्नयन तथा उपभोक्ता स्थलों पर सेट टॉप बॉक्स की सीडिंग जिससे उन्हें डिजीटल केबिल टी वी सिगनल देखने योग्य बनाया जा सके। इस सम्बन्ध में मुख्य बिन्दु हैं – लगभग 88 मिलियन केबिल सेट टॉप बॉक्स की सीडिंग पूरे देश में उपभोक्ताओं के लिए।

एस टी बी की प्राप्ति तथा सीडिंग एम एस ओ द्वारा स्थानीय केबिल ऑपरेटर्स(एल सी ओ) द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र में की जाती है। अनुमान के अनुसार देश में लगभग 6000 एम एस ओ तथा 60,000 एल सी ओ हैं। एम एस ओ को व्यक्तिगत रूप से वांछित संख्या में एस टी बी की खरीद करनी पड़ती है तथा उन्हें प्रत्येक उपभोक्ता के यहां लगाना होता है तथा डिजीटल मोड में जाने की तिथि से पूर्व उन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है। इन एम एस ओ को पहले ही उनकी खरीद/प्राप्ति के शेडयूल की योजना तथा साप्ताहिक सीडिंग लक्ष्य बनाना होता है जिससे कि तय तिथि से पूर्व डिजीटाइजेशन कार्य को योजनाबद्ध रूप में पूरा किया जा सके।

अध्याय–2

वित्तीय परिव्यय, प्रक्षेपित वास्तविक प्रतिफल और परिणाम

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16			निर्धारित/ वितरणीय भौतिक परिव्यय	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम का घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
	योजना स्कीम का नाम								
1.	विकास संचार के जरिए जनता का सशक्तीकरण	1 स्थापना	38.27	0.00			सांप्रदायिक सौहार्द्र, राष्ट्रीय एकता, विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए सामाजिक-आर्थिक उन्नयन, प्रदर्शनी, वाह्य प्रचार, रेडियो/टी वी, समाचार पत्र तथा पोस्टर/ ब्रोशर पर प्रचार आम जनता के भीतर जागरुकता का संचार करेगा तथा विकास में भागीदारी को बढ़ावा देगा।	नियत समय सीमा आवश्यकता के भीतर कार्य का प्रचार किया जाना है।	
		2 प्रदर्शनी	1.80	0.50		1950 एक्सचेंज दिवस			
		3 डिस्प्ले वर्गीकृत	30.00	5.50		13.40 प्रदर्शन			
		4 रेडियो स्पॉट	1.80	12.00		110.90 डिस्प्ले ईकाई			
		5 मुद्रित प्रचार, वितरण	1.50	1.00		16 कार्य की संख्या			
		6 बाह्य प्रचार	0.65	1.00		14.6 डिस्पले लाख में			
		कुल (1)	**74.02**	**20.00**					

2	मीडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट प्रोग्राम	1. कार्यलय व्यय 2. अन्य प्रशासनिक व्यय 3. गौणा कार्य 4. प्रोफेशनल सेवाएं 5. सूचना तकनीकी **कुल (2)**		0.10 0.10 1.00 1.00 0.80 **3.00**			कंप्यूटरीकरण एवं डिजिटलीकरण कार्यालय ढांचा मानव संसाधन विकास		
		कुल (1 एवं 2)	**74.02**	**23.00**					

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

अनुमानित बजट 2015-16 के अध्याय II में तालिकाओं का स्वरूप

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	परियोजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2015-16			मात्रात्मक वास्तविक प्रतिफल भौतिक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम का घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
(A)	डाइरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रोग्राम विकास संचार एवं प्रसार के तहत		4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
I	विशेष आउटरीच कार्यक्रम	12वीं योजना के अंतर्गत इस घटक मे अंतर्गत डी एफ पी ने भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर सम्बन्धित मंत्रालयों को शामिल कर विशष आउटरीच कार्यक्रम पूरे देश में करने का प्रस्ताव किया। वर्ष 2015-16 में 690 विशेष कार्यक्रम की योजना है। डी एफ पी की दो क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों को रिमोट मीडिया शैडो क्षेत्र में तैनात किया जाएगा जो सरकारी योजनाओं के बारे में सूचनाएं प्राप्त करेंगी।		2.77		690 विशेष कार्यक्रम (2 क्षेत्रीय इकाइयों प्रत्येक को संयुक्त करके 1 कार्यक्रम)	भारत सरकार के प्रमुख योजनाओं की गहन अभियान- लगभग 690 कार्यक्रम तथा तुरत कार्यवाही योग्य फीडबैक उन योजनाओं के लागू होने की विवेचना करने में सहायक होगा (लगभग प्रति कार्य३म 200 से 500 भागीदारी)	वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंर्तगत	
II	भ्रमण एवं कौशल उन्नयन	इस घटक के तहत ग्राम स्तर पर अगुआ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। मूलभूत स्तर की इन पुमुख व्यक्तित्वों को इन विकास कार्यों से पेरणा प्राप्त कर अपने क्षेत्र में अपनाने में सहायता मिलती है। वर्ष 2015-16 में चार भ्रमण प्रस्तावित हैं।		0.24		रु. 4.50 लाख प्रत्येक की दर से 4 भ्रमण दौरे	देश के विभिन्न भागों में विकासात्मक योजनाओं के लिए लगभग 40-50 ओपिनियन लीडर का अनावरण	वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंर्तगत	

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं	परियोजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2015-16			मात्रात्मक वास्तविक प्रतिफल भौतिक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम का घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
III	भ्रमण एवं कौशल उन्नयन	इस घटक के जरिए तकनीक के आधुनिकीकरण के द्धारा निदेशालय को अवसंरचना तथा संसाधन सहयोग उपलब्ध कराना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में डी एफ पी की स्थापना अद्दतन तकनीक से युक्त होगी जिनमें शामिल हैं – मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर, डी वी डी प्लेयर, वायरलेस पी ए सिस्टम, डिजीटल स्टिल कैमरा, फोटो कॉपियर्स मशीन, प्रोजेक्टर फोन, आउटसोर्स्ड मैनपॉवर इत्यादि जिससे अपने कार्यालय में बेहतर तरीके से कार्य हो सके। इस प्रकार अन्य घटकों को बेहतर तरीके से लागू करने में डी एफ पी को सहायता मिलेगी।		0.37		15 मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर्स, 24 डी वी डी प्लेयर, 22 वायरलेस पी ए सिस्टम, 20 डिजीटल स्टिल कैमरा, 16 जेनसेट, 15 डिजीटल वीडियो कैमरा, 2 लैपटॉप, 4 व्हीकल तथा 3 फौटो कॉपियर्स की खरीद	ए वी इक्विपमेन्ट व्हीकल तथा उसके भीतर अन्य सामग्री क्षेत्रीय इकाइयों की कार्य क्षमता में वृद्धि करेगी।	वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंर्तगत	
		महा योग		**3.38**					

भारतीय जनसंचार संस्थान

(रुपये करोड़ों में)

क्रम सं	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16			मात्रात्मक लाभ/ भौतिक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम का कारक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-नियोजित बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	i) जनसंचार में प्रशिक्षण, शिक्षण और शोध	मीडिया और जनसंचार के कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण देना तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान कराना	10.95	—	05.00	निम्नलिखित में पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करना : - पत्रकारिता (अंग्रेजी) नई दिल्ली, ढेंकानाल और इस योजना में शामिल चार नए क्षेत्रीय केन्द्र - पत्रकारिता (हिंदी) नई दिल्ली में, - रेडियो व टीवी पत्रकारिता, - विज्ञापन व जनसंपर्क नई दिल्ली में - उपरोक्त पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में से प्रत्येक में एनआरआई के लिए 05 सीटें आरक्षित - उड़िया पत्रकारिता ढेंकानाल	निम्नलिखित में पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करना : - पत्रकारिता (अंग्रेजी) 124 (62 एवं 62) (इस योजना में शामिल 04 नये क्षेत्रीय केन्द्र) -पत्रकारिता (हिंदी) (62) - रेडियो व टीवी पत्रकारिता (46) -विज्ञापन एवं जनसम्पर्क (70) -उपरोक्त प्रत्येक पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 05 सीटें एनआरआई के लिये आरक्षित - उड़िया पत्रकारिता (23) -उर्दू पत्रकारिता (10) -विकास पत्रकारिता में दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम - प्रत्येक में 30	सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रियाएं (अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर) जुलाई 2015 तक पूरी हो जाएगी और इसके तुरंत बाद ये पाठ्यक्रम शुरू हो जाएंगे। मांग और कार्यक्रम के अनुसार प्रायोजक संगठनों की सहमति से कराये जाएंगे अनुसंधान अध्ययन व्यक्तियों की समय सीमा के अनुसार कराये जाएंगे। पत्रिकाएं निकाली जाएंगी।	एनआरआई शारीरिक रूप से विकलांग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जैसी कुछ आरक्षित श्रेणियों में 100 प्रतिशत सीटें नहीं भरती या कुछ छात्र दाखिले के बाद भी संस्थान छोड़ सकते हैं। प्रतिभागियों की संख्या प्रायोजन करने वाले प्राधिकरण

						– उर्दू पत्रकारिता नई दिल्ली में – विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम –सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एवं भेजे गये आई आई एस के ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के लिए सेवाकालीन फाउंडेशन/ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम – जन संचार के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनुसंधान अध्ययन करना (4–5 अध्ययन) – दो अर्द्धवार्षिक पत्रिकाएं (अंग्रेजी में कम्युनिकेटर और हिंदी में संचार माध्यम) निकालना	(25 आईटीईसी के अधीन, 5 कोलम्बो योजना के अधीन) कुल 60 – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एवं भेजे गये आई आई एसके ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के लिए सेवाकालीन फाउंडेशन/ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम अल्पकालीन कार्यक्रम –अल्पकालीन पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं 12 – अनुसंधान अध्ययन (4 से 5 अध्ययन) प्रकाशन : – अंग्रेजी में कम्युनिकेटर और हिंदी में संचार माध्यम नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन करना		अर्थात विदेश मंत्रालय पर निर्भर करती है। प्रायोजन करने वाले संगठनों में बजट संबंधी कटौती के कारण कम संख्या में कार्यशालाएं आयोजित हुइ।

1.	i) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आईआईएमसी का उन्नयन	जनसंचार में प्रशिक्षण, शिक्षण एवं अनुसंधान-'' अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों'' की स्थापना से जनसंचार में आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। इससे यहां मीडिया उद्योग के क्षेत्र में वैश्विक नियुक्तियों के लिए योग्य पेशेवर तैयार किए जा सकेंगे। प्रस्तावित उन्नयन में संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध जगहों पर आईआईएमसी के चार नये केंद्रों का खोला जाना भी शामिल है, जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंचार के पाठ्यक्रमों के अध्ययन की विसंगतियों को दूर करने में मदद मिलेगी। इस योजना को 51.50 करोड़ रुपये के सरकारी अनुदान के साथ 62.00 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के लिये योजना को मंजूरी मिल गई है। चार नए क्षेत्रीय केंद्रों के लिये स्थायी परिसर बनाने के लिये	—	7.00	—	अमरावती, आइजोल, कोट्टायमऔर जम्मू में अंग्रेजी में पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम करवाना नई दिल्ली में नई इमारतों के निर्माण का कार्य का आरंभ होना डीडीए (दिल्ली अरबन आर्ट्स कमिशन) द्वारा भवन योजना को मंजूरी मिलने पर निर्भर है। आइजोल में स्थायी परिसर के लिये निर्माण कार्य प्रारम्भ वहां जमीन मिल चुकी है। कोट्टायम में स्थायी परिसर के निर्माण के लिये निर्माण गतिविधियों का प्रारम्भ	-अंग्रेजी में पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम कराना-40 डीडीए और अन्य नागरिक प्राधिकरणों से मंजूरी मिलने के बाद नई दिल्ली में नई इमारत के निर्माण का कार्य प्रारम्भ भारतीय जनसंचार संस्थान ने एजाल में स्थायी परिसर के लिये भवन के निर्माण के लिये सीपीडब्ल्यूडी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। निर्माण कार्य के 2015-16 के दौरान आरंभ होने की उम्मीद है। निर्माण संबंधी गतिविधियां 2015-16 से शुरू होगी।	सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेशकी प्रक्रियाएं (अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर) जुलाई 2015 तक पूरी हो जायेगी और इसके तुरंत बाद ये पाठ्यक्रम शुरू हो जायेंगे। डीडीए और अन्य नागरिक प्राधिकरणों से मंजूरी मिलने पर सीपीडब्ल्यूडी की ओर से निर्माण के लिये समयबद्धता के बारे में सूचित किया जायेगा। डिपॉजिट कार्य के रूप में निर्माण के लिये आईआईएमसी एमओयू करने के लिये सीपीडब्ल्यूडी के संपर्क में है।	अनुसूचित जनजाति जैसी कुछ आरक्षित श्रेणियों में 100 प्रतिशत सीटें सम्भवत: नहीं भरी जायें या कुछ छात्र दाखिले के बाद भी संस्थान छोड़ सकते हैं। -डीडीए और अन्य नागरिक प्राधिकरणों से मंजूरी मिलने पर निर्माण सीपीडब्ल्यूडी की ओर से निर्माण के लिये समयबद्धता के बारे में सूचित किया जायेगा।
	iii) आईआई एमसी के नए क्षेत्रीय केंद्र खोलना		—	8.00	—				

फोटो प्रभाग

गैर-योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दस्तावेज, प्रचार और परस्पर संदर्भ मिलान, दृश्य प्रतिबिंबों के माध्यम से सरकारी विकास कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार	राजनीतिक, वित्तीय और सामाजिक बदलावों को सहेजना और प्रचार	गैर -योजना 4.17	सतत फोटो दस्तावेजीकरण भावी पीढ़ी में बदलाव के समय के लिए दृश्य रिपोर्ट है। ये जरूरत के मुताबिक बार-बार उपयोग होने वाले बहुमुल्य दस्तावेज सिद्ध होंगे।	ये दस्तावेज संदर्भों के तौर पर देश को सही इतिहास का पता लगाने में मदद करेंगे।	-	

फोटो प्रभाग

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**राष्ट्रीय फोटोग्राफी केंद्र** a) सहायता को आउटसोर्स करना	a) आउटसोर्सिंग सहायता (उच्च क्षमता सेवा प्रदाता के तस्वीरों के अपलोडीकरण और प्रबंधन के लिए आई.टी. अधिकारियों, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी सहायकों को शामिल करना)	0.52	विभाग के आधिकारिक वेबसाइट से ऑन-लाइन उपयोग के लिए फोटो आर्काइव का प्रवाह	एक व्यवस्थित फोटो लाइब्रेरी उपयोगकर्ताओं को तस्वीर आसानी से ढूंढ लेने में सहायक होता है।	वार्षिक	
	b) राष्ट्रीय फोटो पुरस्कार	b) राष्ट्रीय फोटो पुरस्कार को जारी रखना		आज फोटोग्राफी महत्वपूर्ण दस्तावेजों में एक बन गई है। इस क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र से जुड़े पेशेवर लोगों के योगदान को सम्मानित करने का निश्चय किया है। सरकार के इस कदम से उनकी प्रतिबद्धता और इस क्षेत्र में विकास को काफी बल मिलेगा।	आज के संदर्भ में इस माध्यम के महत्व को समझने के लिए एक आधार तैयार करना।	वार्षिक	
2.	उत्तर पूर्व, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप लक्षद्वीप	चिन्हित विकास परियोजनाओं, उत्तर पूर्वी राज्यों में जीवन और पर्यावरण, जम्मू और कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह लक्षद्वीप		पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में विकास की परियोजनाओं का फोटो दस्तावेज तैयार करना। उत्तर पूर्व राज्यों का दौरा कर या वहां के अधिकारियों को आमंत्रित कर उन्हें डिजिटल फोटो संग्रह के प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षित करना।	विकास के क्षेत्रों को उजागर करना जो अब तक ओझल ही हैं।	वार्षिक	
		कुल रुपये	**0.52**				

भारतीय प्रेस परिषद

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	योजना एवं कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16			मात्रात्मक/निष्पादन प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	एक अर्द्ध न्यायिक संस्था होने के कारण परिषद कोई योजना नहीं चला रही हैं।	प्रेस की आजादी का संरक्षण और भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाये रखते हुये उनमें सुधार लाना।	6.63	उपलब्ध नहीं क्योंकि योजना बजट के लिए प्रस्ताव नहीं किया गया	परिषद पंजीकृत समाचार पत्रों, पत्रिकाओं ओर समाचार एजेंसियों से प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत शुल्क वसूल करती है और जमाराशियों पर ब्याज कमाती है। वर्ष 2015-16 में परिषद का लक्ष्य लेवी और अन्य प्राप्तियों के शुल्क के रूप में 170.30 लाख रूपये इकट्ठा करके भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता का पूरक बनाना है।	चूंकि प्रेस परिषद के कार्य अर्द्ध-न्यायायिक प्रकृति के हैं और वह प्रेस के आचरण संबंधी स्तर का नियमण करती है। अत: इसके भौतिक प्रतिफल/परिणामों को आंकना संभव नहीं है।	जैसा कॉलम पांच में कहा गया है।	यह वादियों द्वारा आवश्यक शर्त पूरा करने और परिषद द्वारा जांच पूरी करने पर निर्भर करता है।	शिकायतों के निपटारे में कोई जोखिम शामिल नहीं है।

पत्र सूचना कार्यालय

परिव्यय एवं परिणाम/लक्ष्य (2015-16) संबंधी वक्तव्य

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम/योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 योजना बजट (करोड़ रु. में)	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल 2015-16	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियायें/ समयबद्धता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
	जारी योजनाएं						
1.	मीडिया आउटरीच प्रोग्राम और विशेष इवेंट्स के लिये प्रचार। इस योजना में तीन मदें शामिल है -						
i	मीडिया आउटरीच प्रोग्राम	इस योजना का लक्ष्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार- प्रसार विभिन्न विधियों से करना है। इन विधियों में जनसंपर्क अभियानों का आयोजन, मीडिया इंटरेक्टिव सेशन, सफलता की कहानियों का प्रचार-प्रसार और प्रेस टूरों का आयोजन शामिल है।	8.00 करोड़	115 जन सूचना अभियानों, 02 मीडिया इंटरेक्टिव सेशन (क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय इंटरेक्शन को छोड़कर), 35 सफलता की कहानियों का प्रचार-प्रसार और 20 प्रेस टूरों का आयोजन।	100 %	अभी अंतिम रूप दिया जाना है।	115 जन सूचना अभियानों के आयोजन, 02 मीडिया इंटरेक्टिव सेशनों तथा 20 प्रेस टूरों के आयोजन के लक्ष्य की समीक्षा वर्ष 2015-16 के लिये बीई के साथ मिलकर की जायेगी।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 योजना बजट	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
							पीआईसी गतिविधियों को पीआईबी से स्थानांतरित करके डीएफपी को सौंपे जाने का एक प्रस्ताव सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विचाराधीन है।
	जारी योजनाएं						
1.	योजना: मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी) उप योजना पीआईबी का आधुनिकीकरण		4.00	1. वेबसाइटों का निर्माण/ अधुनातन 2. ऑनलाइन मीडिया मान्यता की रिपोर्ताज एवं प्रोसेसिंग एवं प्राप्ति 3. वेबकास्ट एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग 4. संसाधनों के डिजिटलाइजेशन, आर्काविंग का निर्माण, वीडियो, ई - क्लिपिंग एवं ई-ऑफिस का निर्माण 5. तकनीकी एचआर सहायता को आउटसोर्स करना 6. सोशल मीडिया अभियान 7. हार्डवेयर, साफ्टवेयर, एएमसी, लैन प्रणाली की स्थापना, आईपी टेलीफोनी की स्थापना, वाई-फाई सुविधा की स्थापना 8. अधिकारियों को स्मार्ट उपकरण उपलब्ध कराया जाना 9. आईएसपी शुल्क, आईपी टेलीफोनी शुल्क समेत संचार शुल्क	जैसा कि कॉलम 5 में है	चालू वित वर्ष के दौरान	
	कुल		**12.00**				

प्रकाशन विभाग

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	परियोजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	लागत 2015-16		मात्रात्मक परिणाम/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4 (I)	4 (II)				
			योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	विशिष्ट विषयों पर पुस्तकों की कमिशनिंग	**प्रकाशन विभाग/इम्प्लाइमेंट न्यूज का पुनर्जीवन, उन्नयन एवं आधुनिकीकरण** प्रकाशनों की गुणवत्ता एवं सामग्रियों में सुधार लाना	50.00	–	1. राष्ट्रपति भवन शृंखला-3/4 पुस्तकों का प्रकाशन 2. प्रोफेशनों की नियुक्ति	राष्ट्रपति भवन शृंखला	वार्षिक आधार	
2.	प्रकाशनों के ई-बुक को तैयार करना तथा एक डिजिटल आर्काइव बनाना	प्रकाशनों का ई-बुक तथा डिजिटलाइजेशन	45.00	–	150 पुस्तकों का डिजिटलाइजेशन 2. कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग	डिजिटल आर्काइव तथा प्रकाशनों की ई-बुक को तैयार करना	वार्षिक आधार	

1	2	3	4			5	6	7	8
3.	इन्वेंटरी एवं रायल्टी के प्रबंधन तथा विभाग के बेहतर व्यापार कार्यकलापों के लिये व्यापार एकांश की अन्य गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण।	इन्वेंटरी प्रबंधन, रायल्टी तथा अन्य गतिविधियक का कम्प्यूटरीकरण	135.00	–		1. इंवेंटरी प्रबंधन साफ्टवेयर का विकास तथा एनआईसी की ओर से दो माह का प्रशिक्षण 2. डेस्कटॉप (कम्प्यूटर) और एक्सेसरिज जैसे हार्डवेयर की खरीद 3. यात्रा (डीपीडी अधिकारियों की यात्रा – स्थानीय यात्रा सहित)	विभाग के व्यावसायिक कार्यकलाप में सुधार लाना – कर्मचारियों की कमी से उबरना कुशल अकाउंटिंग को सक्षम बनाना पुस्तकों के पुनर्मुद्रन/मुद्रण के संबंध में प्रभावी तथा तत्काल निर्णय लेने की प्रक्रिया को सक्षम बनाना।	वार्षिक आधार	
4.	कार्यालय के ढांचे तथा रखरखाव का आधुनिकीकरण	कार्यालय के ढांचे का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन	190.00	–		1. सूचना भवन में एम्प्लाइमेंट न्यूज के लिये सांतवें तल पर रिनोवेशन कार्य 2. शिफ्टिंग के लिए CCW को बाकी का भुगतान 3. आधुनिक आफिस उपकरण	संरचना को मजबूत बनाने से स्थान तथा मानव श्रम एवं अन्य संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग हो सकेगा।	वार्षिक आधार	
5.	इम्प्लाइमेंट न्यूज को डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराना तथा इम्प्लाइमेंट न्यूज का डिजिटल आर्काइव्स तैयार करना।	डिजिटल आर्काइव्य तैयार करना और उनका डिजिटलीकरण	30.00	–		1. एम्प्लाइमेंट न्यूज का डिजिटलाइजेशन 2. वेबसाइट की रखरखाव के लिये कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग 3. हार्डवेयर एवं संबंधित सामग्री	एम्प्लाइमेंट न्यूज को शुल्क के आधार पर डिजिटली उपलब्ध कराना तथा इम्प्लाइमेंट न्यूज के पुराने अंकों का एक डिजिटल आर्काइव बनाना।	वार्षिक आधार	
		कुल	**450.00**	**शून्य**					

भारत के समाचारपत्र पंजीयक का कार्यालय

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	उद्देश्य/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16		मात्रात्मक परिणाम/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
			गैर योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	वेतन, ओटीए, स्वास्थ्य योजनाएं, घरेलू यातायात व्यय, आफिस व्यय, प्रकाशन	शीर्षक पास करना, पंजीकरण जारी करना, न्यूज प्रिंट के आयात के लिये योग्यता प्रमाण पत्र, रियायती शुल्क पर प्रिंटिंग मशीन के आयात संबंधी अनिवार्य प्रमााण पत्र, प्रिंट मीडिया के विकास पर वार्षिक रिपोर्ट ''प्रेस इन इंडिया'' का प्रकाशन संबंधी विभिन्न गतिविधियों को पूरा करना।	5.22	शून्य	- शीर्षक सत्यापन - पंजीकरण मामले - समाचार पत्रों को प्रमाणपत्रों की संख्या - प्रिंटिंग मशीन को आयात करने के लिये प्रकाशकों को योग्यता प्रमाण पत्र जारी - वितरण निरीक्षण संबंधी दावे -प्रकाशकों से प्राप्त अनुरोधों/आवेदनों पर निर्भर - आरएनआई के रेकार्डों/दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन : प्रेस रजिस्टरों में दर्ज करीब 94 हजार पंजीकृत प्रकाशनों, शीर्षक प्रार्थनापत्रों से संबंधित दस्तावेज, प्रकाशकों द्वारा दाखिल घोषणापत्र आदि के विवरण, न्यायालय के	ये गतिविधियां पीआरबी अधिनियम, 1867 में शामिल प्रावधानों के कारगर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा मीडिया परिदृश्य तथा इसके प्रभाव का भी मूल्यांकन किया जा सकेगा। वितरण संबंधी दावों का मूल्यांकन करने के बाद आरएनआई की ओर से जारी प्रमाणपत्रों के आधार पर इन प्रकाशनों को डीएवीपी की ओर से सरकारी विज्ञापन जारी किये जा सकेंगे। इससे सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों को प्रिंट माध्यम के जरिये प्रसारित करने में मदद मिलेगी।	जैसा कि नियम है।	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
				महत्वपूर्ण मुद्दों पर समय-समय पर जारी अध्यादेश, आदि को, डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिये चिन्हित किया गया है जिससे प्रक्रिया को सिलसिलेवार रूप से संचालित करने तथा पारदर्शिता कायम करने में मदद मिलेगी तथा बेहतर परिणाम मिलेंगे और हितधारकों को बेहतर सेवाये दी जा सकेगी। वार्षिक स्टेटमेंट्स की ई-फाइलिंग - वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान वार्षिक स्टेटमेंट्स को ऑन लाइन जमा कराने की प्रक्रिया की शुरूआत हुयी। इसके कारण हितधारकों के लिये अपनी विधायी जिम्मेदारियों को पूरा करना आसान होगा और उम्मीद है कि इसके कारण अधिक संख्या में रिर्टन भरे जायेंगे क्योंकि आन लाइन जमा करने की प्रक्रिया से स्टेटमेंट्स को खुद जाकर जमा करने की परेशानी दूर हो जायेगी। शीर्षकों/शीर्षकों के पंजीकृत प्रमाणपत्रों का ऑनलाइन पुष्टिकरण : एनआईसी की मदद से ऑनलाइन शीर्षक पुटिकरण/पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिये साफ्टवेयर के विकास से आरएनआई के मुख्य वैधानिक कार्य व्यवस्थित हो जायेंगे। करीब 600 जिलाधिकारियों को अलग-अगल विंडो उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि पंजीकरण इत्यादि के लिये शीर्षक प्रार्थनापत्रों/दस्तावेजों की प्राप्ति, प्रोसेसिंग आदि को आगे बढ़ाना आसान हो जाये।			

भारत के समाचारपत्र पंजीयक का कार्यालय

गैर-योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16		मात्रात्मक परिणाम/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
			गैर योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	मीडिया ढांचा विकास कार्यक्रम, आरएनआई मुख्यालय को मजबूत बनाने की उपयोजना	समाचार पत्रों को त्वरित, कुशल एवं पारदर्शितापूर्ण सेवायें प्रदान करने, पीआरबी अधिनियम के कारगर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने तथा प्रसार संबंधी कड़ी जांच व्यवस्था लागू करने के लिये उद्देश्य से 12 वीं पंचवर्षीय योजना में आरएनआई मुख्यालय को मजबूत बनाया जा रहा है ताकि 1) आरएनआई के दस्तावेजों/रेकार्डों का डिजिटलाइजेशन हो 2) वार्षिक स्टेटमेंट्स की ई फिलिंग हो 3) शीर्षकों/उप शीर्षकों के प्रमाणपत्र पंजीकरण की आनलाइन जांच हो।	0.20	शून्य		आरएनआई से त्वरित लाभ के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों में सभी विषयों, जैसे शीर्षक सत्यापन, शीर्षक पंजीकरण, वितरण दावे इत्यादि का लाभ ले सकते हैं। उन्हें मुख्यालय, नई दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2013-14 के दौरान उपलब्धि 1) इस अवधि के दौरान समाचार पत्रों के रेकार्ड्स के रजिस्टरों के 50 हजार पेजों को डिजिटलाइज किया गया। 2) इस अवधि के दौरान पंजीकृत प्रकाशनों के संदर्भ में वार्षिक स्टेटमेंट्स की ईफिलिंग लागू की गयी। 3) एनआईसी के परामर्श में शीर्षकों की ऑनलाइन जांच की प्रक्रिया शुरू की गयी है।	नागरिक चार्टर में तय किये गये मानकों के अनुसार	उपलब्ध नहीं

न्यू मीडिया विंग

(लाख रुपये में)

क्रम सं	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16			परिमाण वितरणीय/ वास्तविक परिव्यय	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/ समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
गैर योजना									
1.	(क)जन माध्यमों के विभिन्न पहलुओं को जोड़ते हुए दस्तावेज सेवा	जन माध्यमों में घटनाओं और प्रचलन के बारे में पत्रिकाओं के द्वारा सूचना	2.31			इस योजना के तहत प्रभाग ने 2014-15 के दौरान 43 दस्तावेजी सेवाएं प्रारंभ करने का लक्ष्य	सभी भौतिक उत्पाद कॉलम 5 में रेखांकित किया गया	अंतराल के आधार पर	कोई विशेष जोखिम
	(ख) 'इंडिया-ए वार्षिक संदर्भ' का संकलन	देश के विभिन्न पहलुओं, इसके भूगोल और जनसांख्यिकी गुणों, राज्यव्यवस्था, अर्थशास्त्र, समाज और संस्कृति पर	उपर्युक्त			इंडिया-ईफरेंस एनुअल का प्रकाशन	उपर्युक्त के समान	उपर्युक्त के समान	उपर्युक्त
	(ग) पाक्षिक सेवा के तहत घटनाओं की डायरी तैयार करना	मंत्रालय और उनकी मीडिया इकाइयों को दिन-प्रति-दिन की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से अवगत कराना	उपर्युक्त			इस योजना के तहत कार्यालय ने 24 पाक्षिक घटनाओं पर डायरी ऑफ इंनेंट्स निकालना है।	सभी भौतिक उत्पाद कॉलम 5 में रेखांकित	कार्यक्रम के अनुसार	

• वर्ष 2015-16 के लिए किसी योजना की स्वीकृति नहीं ली गई है।

गीत एवं नाटक प्रभाग

परिणाम बजट 2015-16 के अध्याय II तालिकाओं का स्वरूप

क्र. सं.	परियोजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16			भौतिक उत्पाद	प्रस्तावित परिणाम	प्रक्रिया/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	ग्रामीण भारत के लिए लाइव कला और संस्कृति	3.00	24.78	–	–	प्रभाग ''विकास, संचार और सूचना प्रसार'' योजना के तहत 3.00 करोड़ की बजटीय सीमा के भीतर देश भर में 5050 या इससे अधिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा।	1800 कार्यक्रम पहाड़ी, जनजातीय, मरुस्थलीय, संवेदनशील और सीमा क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे। 2. ''स्वच्छ भारत मिशन – एक कदम स्वच्छता की ओर'', ''प्रधानमंत्री जन धन योजना'', भारत निर्माण कार्यक्रम के दौरान (मल्टी मीडिया पब्लिक इन्फॉर्मेशन कैंपेन) आदि आउटरीच कार्यक्रमों पर 1240 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 4. 1000 – कार्यक्रम उत्तर पूर्व क्षेत्र के दबाव वाले क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे और प्रभाग 10 नाटकीय प्रस्तुति / ध्वनि एवं प्रकाश शो संचालित करेगा।		

(ख) मीडिया यूनिटों सहित सभी तीन क्षेत्रों के लिये नीति संबंधित अध्ययन, संगोष्ठी, मूल्यांकन (प्रसार भारती को छोड़कर)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	परियोजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	लागत 2015-16		परिभाषात्मक उद्धारमात्मक भौतिक निर्गत	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं समयबद्धता घटक	टिप्पणियां/ जोखिम
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजना बजट	4(ii) अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय स्त्रोत				
1.	सभी तीनों क्षेत्रों के लिये नीति संबंधित अध्ययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि (प्रसार भारती को छोड़कर) (एमएस)	- फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्र में सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास करने के लिये - फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्र के संदर्भ में नियामक एवं विकास नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन एवं अध्ययन करने के लिये - मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्रों में सेमीनारों, कार्यशालाओं में भागीदारी तथा उनका आयोजन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं में पेपर प्रस्तुत करना - मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की गतिविधियां आयोजित करना	0.25	—	- सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास - आयोजित किये जाने वाले नीति संबंधी अध्ययन - आयोजित की जाने वाली संगोष्ठियां - चालू/नयी योजनाओं का मूल्यांकन/ समीक्षा (मध्यावधि मूल्यांकन)	क) मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्रों के बारे में - इनके कामकाज, इनके योगदान, इनके विकास आदि के बारे में मौजूदा ज्ञान आधार में बढोतरी होगी ख) इससे मंत्रालय स्तर पर नीति निर्माण को मजबूत करने में मदद मिलेगी ग) इससे सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना के प्रसार-प्रसार में मदद मिलेगी		

(ग) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण

परिणाम बजट 2015-16 में परिणाम लक्ष्य

मीडिया इकाई का नाम : मुख्य सचिवालय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	परिव्यय (2015-16)	वास्तविक आउटपुट	प्रक्षेपित परिणाम	टिप्पणी/जोखिम तत्व
1.	मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण	2.00	आईआईएस अधिकारियों को विभिन्न स्थानीय एवं विदेशी प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया जाएगा।	अधिकारियों की क्षमता और योग्यता का निर्माण, मीडिया इकाइयों के प्रभावी कार्य निष्पादन के लिए कौशल विकास।	कोई विशेष जोखिम नहीं

अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम
परिणाम बजट 2015-16 के लिए परिणाम/लक्ष्य

योजना का नाम : अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	परिणाम	भौतिक उपलब्धि	परियोजना परिणाम	टिप्पणी
	अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम	0.15	कार्यशालाओं / सेमिनारों / कॉन्फ्रेंसों / प्रशिक्षणों / बैठकों में भाग लेना	मीडिया सहयोग के क्षेत्र में राष्ट्रों के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देना	अधिकारियों का विदेश दौरा आमंत्रण / नामांकन प्राप्त और स्वीकृति / इसके लिए सक्षम अधिकारियों का नामांकन, के आधार पर होता है।

फिल्म क्षेत्र
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

योजना

I. योजना का नाम : सीबीएफसी का उन्नयन, आधुनिकीकरण और प्रसार और प्रमाणीकरण प्रक्रिया

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16			मात्रात्मक परिणाम/ भौतिक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ टाइम लाइन	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
i)	**घटक** फिल्म आवेदन और प्रमाणीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए सॉटवेयर का विकास, वेबसाइट उन्नयन, हार्डवेयर खरीद	सीबीएफसी मुंबई और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए सीबीएफसी की एप्लीकेशन सॉटवेयर और इसके वेबसाइट का नवीनतम प्रौद्योगिकी और हार्डवेयर से उन्नयन करना	7.51	4.00	कुछ नहीं	i) कार्यरत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सटीक हल प्रदान कर दोश मुक्त करना ii) इंटरनेट सेवाओं के एमपीएलएस / वीपीएन का उन्नयन iii) वेबसाइट तथा आवश्यक हार्डवेयर का उन्नयन iv) इस उद्देश्य के लिए एक सेवा प्रदाता की पहचान करने हेतु प्रक्रिया को पूरा करने के बाद प्रमाणीकरण के लिए ऑनलाइन मैकेनिज्म की व्यवस्था	i) सिस्टम आसानी से कार्य करेगा और नवीनतम प्लेटफॉर्म के साथ एप्लीकेशन बनाई जाएगी ii) गति और पारदर्षिता सुनिष्चित करने के लिए इंटरफेस ऑनलाइन किया जाएगा iii) लोगों के लिए इंटरफेस उपयोगकर्ता के अनुकूल होगी।	वार्षिक स्तर पर	सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कंप्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है।

1	2	3		4		5	6	7	8
ii)	**घटक** सीबीएफसी के सभी कार्यालयों के लिए डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम और डिजिटल थिएटर	चार कार्यालयों के लिए प्रोजेक्शन सिस्टम का डिजिटलीकरण करना और सभी कार्यालयों के लिए डिजिटल थिएटर				प्रमाणीकरण के लिए फिल्म देखने हेतु डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम की स्थापना	डिजिटल फिल्मों का घर के भीतर ही प्रोजेक्शन सीबीएफसी को और अधिक राजस्व प्राप्त करने में सहायक होगा और इससे आने-जाने की समय की बचत होगी।	वार्षिक स्तर पर	
.iii).	**घटक** सीबीएफसी के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त कार्यालयी परिसर की आवश्यकता।	सीबीएफसी मुंबई और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त स्थान का अधिग्रहण करना।				सीबीएफसी मुंबई और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के अवसंरचनात्म ढांचा का उन्नयन।	जैसे-जैसे दिन-प्रति-दिन फिल्मों की संख्या बढ रही है, फाइल, सीडी, फिल्मों की कटिंग को निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप सहेज कर रखने के लिए और अधिक स्थान की आवश्यकता है।	वार्षिक स्तर पर	

2 योजना का नाम: मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण हेतु स्कीम
(फिल्म माध्यमों के लिए एचआरडी)

1	2	3		4		5	6	7	8
II	मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण हेतु स्कीम	सीबीएफसी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के बोर्ड सदस्यों, सलाहकार पैनल सदस्यों के लिए कार्यषाला / सेमिनार का आयोजन करना, सीबीएफसी के समूह 'ए' 'बी' और 'सी' के अधिकारियों को प्रषिक्षण		0.25		**क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ बोर्ड सदस्यों के लिए तीमाही कार्यशालाओं / सेमिनारों का आयोजन** A. विभिन्न देशों में प्रमाणीकरण के लिए प्रचलित प्रक्रिया में वरिष्ठ परीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण B . भारत तथा विदेश के विभिन्न संस्थानों में मध्य स्तरीय प्रबंधन के मामलों में क्षेत्रीय अधिकारियों का प्रशिक्षण। C. परीक्षण अधिकारियों के लिए वृतचित्र मूल्यांकन कोर्स। D. लेखा, प्रशासन और बजट संबंधी मामलों के लिए समूह 'बी', 'सी' का प्रशिक्षण।	A. विभिन्न देशों में प्रमाणीकरण के लिए प्रचलित प्रक्रिया में वरिष्ठ परीक्षण अधिकारियों का प्रषिक्षण B . भारत तथा विदेश के विभिन्न संस्थानों में मध्य स्तरीय प्रबंधन के मामलों में क्षेत्रीय अधिकारियों का प्रशिक्षण। C. परीक्षण अधिकारियों के लिए वृतचित्र मूल्यांकन कोर्स। D. लेखा, प्रशासन और बजट संबंधी मामलों के लिए समूह 'बी', 'सी' का प्रशिक्षण।		

बाल फिल्म समिति, भारत

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम (चालू योजनाएं)	ग्यारहवीं योजना के लिए उद्देश्य/परिणाम	लागत 2015-16			वास्तविक प्रतिफल/ मात्रात्मक परिणाम (2015-16)	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/जोखिम घटक
	1	2	3			4	5	6	7
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट स्त्रोत	भौतिक बजट			
1	**सीएफएसआई के आईसीएफएम का आयोजन**	1) **उद्देश्य:** फिल्म-निर्माताओं के रूप में बच्चों के विकास और प्रोत्साहन के लिए एक मंच उपलब्ध कराना 2) बच्चों के बीच विचारों का आदान-प्रदान ताकि भारतीय बच्चों के सामने भारत में व्याप्त सांस्कृतियों का सर्वश्रेष्ठ उजागर हो सके। 3) **परिणाम :** एक एनसीएफएम और सीएफएसआई चलचित्रों की गुणवत्ता मूल्यांकन		3.00	शून्य	2015-16 में एक सीएफएसआई	1) **उद्देश्य:** फिल्म निर्माताओं के रूप में बच्चों के विकास और प्रोत्साहन के लिए एक मंच उपलब्ध कराना। 2)बच्चों के बीच विचारों का आदान-प्रदान और भारत में व्याप्त संस्कृतियों के सर्वश्रेष्ठ से बच्चों को रू-ब-रू कराना	31.12.1	
2	**आईसीएफएफ में भाग लेना**	1) **उद्देश्य:** विदेशी फिल्म महोत्सवों में भाग लेने का उद्देश्य सीएफएसआई चलचित्रों के बारे में जागरुकता पैदा करना है और सीएफएसआई फिल्मों की मार्केटिंग तथा सह-निर्माण की संभावना को भी तलाशना है। 2) **परिणाम :** चलचित्रों की मार्केटिंग के लिए 15 आईएफएफ में सीएफएसआई और आईएफएफ में सीएफएमआई अधिकारियों को शामिल होना और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सह-निर्माणों के लिए प्रस्ताव		1.10	शून्य	15 मान्यताप्राप्त आईसीएफएफ में भाग लेना	संभावित चलचित्र निर्माताओं के साथ मार्केटिंग और सह-निर्माण की संभावना तलाशना	31.3.2016	मान्यता प्राप्त विदेशी समारोहों की अनुकूलता पर निर्भर

विभिन्न भारतीय भाषाओं में चलचित्रों और वृत्तचित्रों का निर्माण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम (चालू योजनाएं)	ग्यारहवीं योजना के लिए उद्देश्य/परिणाम	लागत 2015-16			वास्तविक प्रतिफल/ मात्रात्मक परिणाम (2015-16)	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/जोखिम घटक
	1	2	3			4	5	6	7
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट स्त्रोत	भौतिक बजट			
1	**स्कूलों में बाल फिल्मों की प्रदर्शनी**	1) **उद्देश्य:** राज्य और ज़िला प्रशासनों, नेहरू युवा केन्द्रों, एनजीओज़ की मदद से पूरे देश में बच्चों तक पहुंच बनाना और हमारे चलचित्रों का स्कूलों तथा अन्य स्थानों पर प्रदर्शन करना 2) **परिणाम :** लगभग 14,500 शोज आयोजित करना जिससे 75 लाख बच्चे कवर किए जा सकें पूर्वोत्तर के लिए आबंटन	शून्य	0.25 0.25	शून्य	14,500 शोज़ आयोजित करना जिससे 75 लाख से बच्चे लाभांवित हो सकें	देश के सुदूर इलाकों को शामिल करते हुए जहां तक संभव हो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचना	31.03.16	राज्य/ज़िला अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं विवरणों पर आधारित हैं
2	**बाल चलचित्रों का निर्माण (सीएफएसआई)**	1) **उद्देश्य:** चलचित्रों के माध्यम से शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा तथा स्वस्थ्य मनोरंजन के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। 2) **परिणाम :** 3 फीचर चलचित्रों और 2 लघु/एनिमेशन चलचित्रों का निर्माण, प्रमुख भारतीय भाषाओं में 12 चलचित्रों को उब करना, 10 फिल्मो के उपशीर्षक, पुरस्कार प्राप्त 2 चलचित्रों की खरीद और चलिचत्र प्रसार के लिए 30 प्रिंट्स बनाएं पूर्वोत्तर के लिए अनुदान	शून्य	3.50	शून्य	3 फीचर चलचित्रों एवं 2 लघु/एनिमेशन चलचित्रों का निर्माण, प्रमुख (बड़ी) भारतीय भाषाओं में 12 चलचित्रों को डब करना, पुरस्कार प्राप्त 2 चलचित्रों की खरीद और चलचित्र प्रसार के लिए 30 प्रिंट्स बनाना	हमारे लक्ष्यों पर आधारित उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में बच्चों के चलचित्रों की उपलब्धता बनाना।	31.3.2016	बाल फिल्मों निर्माण की कक्षा को बढ़ावा देने को विकसित करना और विभिन्न भारतीय भाषाओं में डबिंग/उपशीर्षकों के ज़रिए थे। बड़े पैमाने पर बाल दर्शकों तक पहुंच बनाना। फिल्म के चुनाव में रखे गए प्रस्तावों में गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जा सकता सिर्फ क्षेत्र विशेष के लिए आबंटन के उद्देश्य से कर सकते हैं।
	वेतन		**2.98**	**शून्य**					
	कुल		**2.98**	**7.50**					

फिल्म समारोह निदेशालय

वित्तीय परिव्यय का अनुमान भौतिक उत्पादन और परिणाम

गैर योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम परिणाम	उद्देश्य/ नतीजे	परिव्यय 2015-16			निर्धारित वितरणीय/ भौतिक परिव्यय	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समाबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	स्थापना संबंधी व्यय	वेतन, मजदूरी, ओई, डीटीई, आदि	2.71	–	शून्य				
2.	लघु कार्य	सिरी फोर्ट सांस्कृतिक परिसर का रखरखाव	6.20	–	शून्य	सुसज्जित और सुनियोजित ऑडिटोरियम और कला, संस्कृति और सिनेमा के क्षेत्र में प्रस्तुति के लिए ऑडिटोरियम से इतर भी व्यवस्था	ऑडिटोरियम के बाहर काम पर रखने के माध्यम से कमाई की उम्मीद	एक वर्ष	–
3.	सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत फिल्म समारोह	दुनिया भर में समृद्ध और विविध भारतीय संस्कृति के प्रसार और विदेशों में भारतीय सिनेमा की दृश्यता में वृद्धि।	0.12	–	शून्य	भारत और विदेशों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत फिल्म समारोह का आयोजन।	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी) के तहत आने वाले देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाना और भारतीय सिनेमा का प्रसार।	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम साल भर आयोजित किए जाते हैं	–
4.	राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार	भारत में निर्मित फिल्मों के लिए राज्य पुरस्कार की संस्था द्वारा अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देना। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय स्तर मान्यता।	3.40	–	शून्य	3 मई 2015 को नई दिल्ली में 2014 के लिए 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन और साल 2015 के लिए 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा के लिए निर्णायक मंडल का चयन।	भारतीय सिनेमा में बेहतरी हेतु भारतीय कला और संस्कृति में सुधार के लिए उभरती प्रतिभाओं को पहचान देना और प्रोत्साहित करना।	एक वर्ष	–
		कुल	**12.43**						

फिल्म समारोह निदेशालय

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम परिणाम	उद्देश्य/ नतीजे	परिव्यय 2015-16			निर्धारित वितरणीय/ भौतिक परिव्यय	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समाबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम का उन्नतिकरण	सुविधाओं में सुधार और सिरी फोर्ट कॉम्पलेक्स का रिनोवेशन ताकि कॉम्पलेक्स की सुविधाओं को अंतराराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुनिश्चित किया जा सके।	–	2.00	शून्य	उन्नतिकरण के जरिये आडिटोरियम के परिवेश को बढ़ाना, इसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य शामिल हैं।	बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर यह उम्मीद की जाती है कि किराये से आने वाला राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी।	एक साल	–
2.	भारत और विदेशों में फिल्म फेस्टिवल्स का आयोजन और उनमें भागीदारी	भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए भारतीय पैनोरमा के अंतर्गत फिल्मों का चयन और भारत व विदेशों में विभिन्न फिल्म फेस्टिवल का आयोजन और भागीदारी	–	1.90	शून्य	2015 भारतीय पैनोरमा के लिए फिल्मों का चयन और 55 फिल्म उत्सवों में भागीदारी	भारतीय सिनेमा के बेहतर कार्य का भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शन और साथ ही भारत व विदेश में होने वाले फिल्म फेस्टिवल्स में भी।	एक साल	–
	कुल		–	**1.90**	–				

फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, पुणे

परिणाम/लक्ष्य बजट परिणाम 2015-16 के लिए (योजना और गैर योजना)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ नतीजे	परिव्यय 2015-16 (रु. करोड़ों में)			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समाबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
I.	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे को सहायता अनुदान (गैर नियोजित)	गैर-योजना का उद्देश्य संकाय के भत्ते, तकनीकी और प्रशासनिक स्टाफ का रखरखाव बुनियादी सुविधाओं के उपकरण और रोजमर्रा संस्थान की तरफ से होने वाले व्यय सहित परियोजना की पूर्ति की दिशा में होने वाले व्यय के साथ साथ पाठ्यक्रम पूरा होने पर है।	22.06			संकाय के वेतन-भत्ता, तकनीकी और अन्य स्टाफ, उपकरण और बुनियादी ढांचे का रखरखाव और शैक्षणिक गतिविधियों और संस्थान की संबद्ध गतिविधियों के लिए होने वाले खर्च का भुगतान	संस्थान की गतिविधियों से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए संकाय, तकनीकी और अनुपूरक स्टाफ की पर्याप्त संख्या बनाए रखना और उपकरण व बुनियादी ढांचे को सुचारू रूप से कार्यकारी बनाए रखना और संस्थान से प्रशिक्षित विद्यार्थी तैयार करने के लिए विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करना। शैक्षणिक वर्ष 2014-15 के दौरान साल 2009-10 और 2010-15 के दो फिल्म बैच समेत एक्टिंग, स्क्रीनप्ले, आर्ट डायरेक्शन और सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ टेलीविजन से ... छात्र एफटीआईआई से पास होंगे।	व्यय विशिष्ट लक्ष्यों के आधार पर खर्च किया जाए। लक्ष्य कम से कम तय शैक्षिक मानकों के आधार पर पूरे किए जाएं।	लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करना धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

1	2	3		4		5	6	7	8
II.	एफटीआईआई पुणे के लिए अनुदान–एफटीआई आई का आधुनिकीकरण और उन्नतिकरण	अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार करने , मौजूदा बुनियादी ढांचे के उन्नयन और शिक्षा के मानक को बढ़ाने, और आधुनिक तकनीक हासिल करने के लिए।		20.00		उपकरणों की खरीद, आवासीय क्वार्टर, कला कार्यशाला, अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण, अन्य विकास की गतिविधियों और निविदा प्रक्रिया की योजना और विकास गतिविधियां	प्रस्तावित नया निर्माण और उन्नयन फिल्म, टीवी और मीडिया तकनीक में आधुनिक विकास और छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं देने के साथ संस्थान को बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा	समयसीमा संस्थान द्वारा तय की गई वार्षिक कार्य योजना के आधार पर तैयार की गई है और इसका पालन किया जाएगा।	लक्ष्य की उपलब्धियां धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। वैधानिक निकासी की रसीद संस्थान के नियंत्रण से बाहर अन्य कोई तथ्य
III.	फिल्म मीडिया के लिए एचआरडी–सामान्य अनुदान			0.45		छात्र और संकाय में कार्यकुशलता विकास के लिए सेमीनार और वर्कशॉप का आयोजन	आधुनिक तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए छात्र और संकाय में कार्यकुशलता विकास	संस्थान द्वारा तैयार किये गए कैलेंडर के अनुसार विभिन्न कार्यकुशलता विकास कार्यक्रमों का आयोजन।	
		कुल	**22.06**	**20.45**					

फिल्म प्रभाग

(गैर-योजना)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्पादन	उत्पादन का मुख्य है लक्ष्य लोगों को सूचित ,जागरूक, प्रोत्साहित तथा सांस्कृतिक बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार की जरूरतों के अनुसार वृत्त चित्र,एनिमेशन तथा लघु फिल्मों का निर्माण। देशभर के लोगों तथा संस्थाओं को उनकी जरूरत के अनुसार वीसीडी फॉरमेट में लघु फिल्मों, एनिमेशन, वृत्त चित्र की बिक्री तथा वितरण सुनिश्चित करना।	15.52	36 फिल्में	सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की सूचना, शिक्षा एवं प्रेरणा तथा महत्वपूर्ण मसलों के बारे में जानकारी का प्रसार होगा।	1-4-2015 से 31-3-2016	अनुमान है कि अधिक से अधिक वृत्त चित्रों का निर्माण होगा। बाहरी निर्माता और इन-हाउस निर्माता इसमें भागीदारी करेंगे। हालांकि निजी एजेंसियां प्रदर्शकों से 1 प्रतिशत से कम किराया ले रही हैं, जोखिम की बात है।
2	थिएटरों में वृत्त चित्रों का वितरण	परिणाम प्रदर्शकों से वसूले जाने वाला किराया होने, राजस्व प्राप्ति सिर्फ स्टॉकशाट्स और वीसीडी आदि की बिक्री से होगी। स्टॉक शॉट्स की बिक्री केवल मुंबई स्थित मुख्यालय से होगी।	21.98	4000 थिएटर/ सिनेमा घरों में वितरण		1.4.2015 से 31.3.2016 तक	थिएटरों को वृत्त चित्रों का वितरण
3	प्रशासन	प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य उत्पादन एवं वितरण प्रकोष्ठों की निगरानी करना है। हालांकि, कार्मिकों की परिणति विभिन्न परियोजनाओं और उत्पादन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन में हो रही है।	5.60	फिल्म प्रभाग के कार्यकलापों तथा कार्मिकों के सेवा मामलों के प्रशासन के लिये तथा कार्मिकों का कारगर इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिये उनकी तैनाती	संगठन का कुशल कामकाज	1.4.2015 से 31.3.2016 तक	प्रशासन से संबंधित खर्च
	कुल		**43.10**				

फिल्म डिविजन
बजट परिणाम 2015-16

(योजना)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16	भौतिक परिणाम	प्रस्तावित परिणाम परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयसीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुंबई अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु और एनिमेशन फिल्मों महोत्सव	मुख्य उद्देश्य वृत्तचित्र का द्वि-वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, मुंबई में लघु और एनिमेशन फिल्म का आयोजन है, पूर्वोत्तर सहित 12 वीं योजना अवधि में दो फिल्म समारोहों का आयोजन है।	2.20	3-9 फरवरी, 2016 के दौरान 14 वें एमआईएफएफ 2016 का संचालन और भारत में विभिन्न स्थानों में एमआईएफएफ 2014 की पुरस्कार विजेता फिल्मों के फेस्टिवल का आयोजन	एमआईएफएफ 2014 की पुरस्कार विजेता फिल्मों के फेस्टिवल का भारत के विभिन्न स्थानों में आयोजन	एमआईएफएफ एक द्विवार्षिक फिल्म समारोह है, जिसमें दुनिया भर के फिल्मकारों से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं और प्रसिद्ध निर्णायक मंडल की सिफारिशों के आधार पर चयनित फिल्मों, निर्देशकों और तकनीशियनों को पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाता है।	
2	फिल्म अभिलेखों की वेबकास्टिंग	भावी पीढ़ी के लिए डिजिटल स्वरूप में अभिलेखीय फिल्मों के फिल्म प्रभाग के संग्रह के संरक्षण और जनता के उपयोग के लिए उन्हें अपलोड करना	1.00	जनता के लिए अधिक से अधिक उपयोग के लिए फिल्म प्रभाग की फिल्मों को डिजिटल स्वरूप में फिल्मों का हस्तांतरण और वेबकास्ट।	यह फिल्म प्रभाग की फिल्मों का संरक्षण और अधिक से अधिक पहुँच सुनिश्चित करेगा।	1- फिल्म डिविजन और एआरसी वेबसाइट्स, वीओडी प्लेटफॉर्म्स के लिए फिल्म डाटाबेस प्रबंधन 2-नेटवर्किंग, पहुंच, प्रबंधन और संस्था के दफ्तरों के लिए सीसीटीवी 3-डेटा केंद्र (सिविल इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और एएमसी) 4-डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वालों का डेटाबेस	

(योजना)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16	भौतिक परिणाम	प्रस्तावित परिणाम परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयसीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
3	डॉक्यूमेंट्री निर्माण	देश के फिल्म निर्माताओं के काम का प्रदर्शन और फिल्म निर्माण की प्रतिभा रखने वाले युवाओं की योग्यता का उपयोग करने के लिए। पूर्वोत्तर सहित देश के आगामी प्रतिभावान फिल्म निर्माताओं के लिए अवसर प्रदान करना।	4.00	योजना को अंतिम रूप देने और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त धनराशि दिलाने के लिए।	प्रतिभाशाली निर्माताओं की भागीदारी के साथ देश में लघु फिल्म आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए।	वृत्तचित्र फिल्म प्रस्ताव, अखबार के विज्ञापन और फिल्म्स डिविजन की वेबसाइट पर निमंत्रण के माध्यम से मंगाए गए हैं। प्राप्त प्रस्ताव सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा जांच किए जाते हैं और फिर इनके बारे में एक और लागत समिति द्वारा जांच की जाती है और अंत में फिल्म प्रस्तावों को चुना जाता है। चयनित फिल्मों के निर्देशकों द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किये जाते हैं और इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होता है।	
4	भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण	सिनेमा के विकास से सामने आने वाले भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहास को संपुटित करना, समाज पर सिनेमा के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक शोध केंद्र तैयार करना, आगंतुकों और फिल्म में रुचि रखने वाले लोगों के लिए विख्यात निर्देशक, निर्माता, संस्थानों आदि के काम का प्रदर्शन करने के लिए सेमिनार, आगामी फिल्म निर्माताओं के लिए कार्यशालाओं की व्यवस्था करने के लिए सिनेमा के क्षेत्र में भानी पीढ़ी की रूचि पैदा करना।	0.50	भारतीय सिनेमा के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण कलाकृतियों की ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति और प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय सिनेमा के इतिहास को दर्शाने के लिए फिल्म प्रभाग, मुंबई में एक संग्रहालय स्थापित करना।	सिनेमा को समर्पित संग्रहालय का निर्माण	भौतिक 1) संग्रहालय के पहले फेस का मुहूर्त 2) बेसमेंट अंडरग्राउंड पार्किंग का काम पूरा करना। 3) बहुआयामी हॉल का कार्य भी पूरा करना और इसका इस्तेमाल स्क्रीनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार और अन्य गतिविधियों के लिए करना, जो कि संग्रहालय का दूसरा फेस है। वित्तीय- मंत्रालय के अगले निर्देशों की रसीद से संबंधित	

(योजना)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16	भौतिक परिणाम	प्रस्तावित परिणाम परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयसीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	(1) फिलम डिविजन मुंबई और दिल्ली की इमारत के ढांचे का उन्वयन (2) फिल्म डिविजन के उपकरणों का अधिग्रहण	फिल्म प्रभाग परिसर में मौजूदा इमारत 30 से 40 साल पुरानी है और जनता के इसमे बेहतर इस्तेमाल कर सकने के लिए कुछ मरम्मत बेहद जरूरी है। इसके अलावा महादेव रोड पर एफडी सभागार, नई दिल्ली के लिए भी मरम्मत और नवीकरण के पूरा होने की सख्त जरूरत है।	2.50	फिल्म डिविजन मुंबई की मौजूदा इमारत और नई दिल्ली के ऑडिटॉरियम का नवीनीकरण	मुंबई की मौजूदा इमारत और नई दिल्ली के ऑडिटोरियम का नवीनीकरण	नवीनीकरण कार्य को पूरा करना यानी मुंबई और दिल्ली में सिविल और इलेक्ट्रिकल और उपकरणों की खरीदज वित्तीय-मंत्रालय के अगले निर्देशों की रसीद से संबंधित	

भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

अध्याय II में 2015-16 के परिणाम बजट की रूपरेखा

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ नतीजे	परिव्यय 2015-16			भौतिक नतीजे	लक्षित नतीजे	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता घटक	टिप्पणी/ जोखिम
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
	नई योजना								
1)	अभिलेखीय फिल्मों और फिल्म सामग्री का अधिग्रहण	संरक्षण के लिए फिल्मों का अधिग्रहण	शून्य	2.00	शून्य	70 फिल्मों /इंटरनेगेटिव्स/ डीवीडी और सहायक सामग्री का अधिग्रहण करने के लिए	संरक्षण के लिए फिल्मों का अधिग्रहण	2015-16	
2)	जयकर बंगला समेत एनएफएआई के बुनियादी ढांचे का उन्नयन और डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना	अभिलेखीय गतिविधि के लिए बुनियादी ढांचे का उन्नयन और डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना	शून्य	4.00	शून्य	जयकर बंगला का पुनर्निमाण शुरू करने के लिए	अभिलेखीय गतिविधि के लिए बुनियादी ढांचे का उन्नयन और डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना	2015-16	

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

परिणाम/लक्ष्य 2015-16 (योजना और गैर-योजना)

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16			निर्धारित/ वितरणीय भौतिक परिव्यय	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम का घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान (गैर योजना)	गैर-योजना का उद्देश्य संकाय के भत्ते, तकनीकी और प्रशासनिक स्टाफ का रखरखाव बुनियादी सुविधाओं के उपकरण और रोजमर्रा संस्थान की तरफ से होने वाले व्यय सहित परियोजना की पूर्ति की दिशा में होने वाले व्यय के साथ साथ पाठ्यक्रम पूरा होने पर है।	12.37			डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और साउंड डिजाइन के साथ-साथ फिल्म निर्माण से जुड़े सभी विषयों में छात्रों का प्रशिक्षण	2015 के बाद से मुख्य पाठ्यक्रम जैसे निर्देशन, छायांकन, संपादन, ध्वनि रिकॉर्डिंग और प्रोडक्शन में लगभग 60 छात्रों के परिणाम	अंतिम वर्ष (2010-13 का नौंवा बैच) के बैच से 36 छात्र अपना अंतिम प्रोजेक्ट पूरा कर रहे होंगे। दिये गए समय में 30 मिनट की अवधि की 10 शॉर्ट फिल्म्स (डिप्लोमा फिल्म्स) इस दौरान बनाई जानी है। जूनियर बैच (2011-14 का दसवां बैच, 2012-15 का ग्यारहवां बैच और 2013-16 का बारहवां बैच) अपने परियोजना कार्यों के साथ-साथ पाठ्यक्रम संबंधी सामग्री की पढ़ाई कर रहा होगा। छात्रों के नये बैच (2014-17 का नया बैच) के लिए दाखिले भी तय समय के दौरान शुरू किये जाएंगे।	राशि की उपलब्धता

2.	एसआरएफ्टीआई, कोलकाता को अनुदान, एसआरएफटीआई में ढांचागत विकास के लिए (योजना बजट)	अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए, मौजूदा बुनियादी ढांचे के उन्नयन और शिक्षा के मानक को बढ़ाने के लिए एक दृश्य के साथ आधुनिक तकनीक हासिल करने के लिए।		10.00		बुनियादी सुविधाओं के विकास निर्माण से संबंधित गतिविधियों और आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए लड़कियों के हॉस्टल, नए संपादन ब्लॉक, वर्ग कक्ष थिएटर, मुख्य थिएटर और उपकरणों के अधिग्रहण के उन्नयन के निर्माण की तरह बुनियादी सुविधाओं और उपकरणों के मौजूदा उन्नयन की एक श्रृंखला शामिल होगी।	प्रस्तावित नया निर्माण और उन्नयन संस्थान को बेहतर बुनियादी ढांचा. फिल्म, टीवी में आधुनिक विकास के साथ सुविधाएं और मीडिया प्रौद्योगिकी और छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा।	1) निर्माण कार्य का डिजाइन और योजना कार्य 2) सिविल कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कार्य (सीसीडब्ल्यू द्वारा किया जाना है) क) लड़कियों के हॉस्टल की बिल्डिंग की पहली मंजिल और निचले तल का निर्माण ख) क्लास रूम थियेटर बिल्डिंग के निचले तल का निर्माण ग) नई एडिटिंग बिल्डिंग के निचले तल का निर्माण घ) टीवी विंग के डिजाइन और इसे तैयार करने की योजना और निर्माण 3) उपकरणों की खरीद और उन्हें इंस्टॉल करवाना 4) फेस के अनुसार दिये गए समय में योजना के अनुसार शुरू किये कार्यों की श्रमशक्ति को प्रशिक्षण	लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करना धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16			निर्धारित/ वितरणीय भौतिक परिव्यय	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम का घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
3	फिल्म मीडिया के लिए एचआरडी- सामान्य अनुदान			0.30		वार्षिक कैलेंडर के अनुसार विद्यार्थियों और संकाय की कार्यकुशलता विकास के लिए सेमीनार और मास्टर क्लास का आयोजन	आधुनिक तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए छात्र और संकाय में कार्यकुशलता विकास	वार्षिक कैलेंडर के अनुसार विद्यार्थियों और संकाय की कार्यकुशलता विकास के लिए सेमीनार और मास्टर क्लास का आयोजन	
		कुल	**12.37**	**10.30**					

मुख्य सचिवालय फिल्म विंग योजना
(क) एंटी पायरेसी पर पहल

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16			निर्धारित/ वितरणीय भौतिक परिव्यय	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम का घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	एन्टी पाइरेसी पहल	पाइरेसी से निपटने के लिये प्रभावी कानूनी तंत्र की तत्काल आवश्यकता है साथ ही अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभावों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने की भी जरूरत है। उपभोक्ता ही तरह-तरह की पाइरेसी में निष्क्रिय भागीदारी निभाते हैं, इसलिये 12वीं योजना के दौरान एक प्रभावशाली और मल्टी मीडिया प्रचार सहित व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाएगा जिसमें फिल्म और संगीत उद्योग के सभी हितधारकों को शामिल किया जायेगा। यह भी महसूस किया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर पाइरेसी के प्रभाव का सटीक आकलन करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनुसंधान तथा विकास गतिविधियां चलाने की भी जरूरत है।	—	0.05	—	सार्वजनिक निजी रणनीतियों विशेषकर पाइरेसी से निपटने के लिये मल्टीमीडिया प्रचार की पहल	एंटी पायरेसी के प्रति जागरूकता लाने के लिए पहल	स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप विविध गतिविधियों का आयोजन	

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विरासत अभियान

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का निर्माण	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16			भौतिक परिणाम	लक्षित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयसीमा	टिप्पणी/ जोखिम कारक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	राष्ट्रीय फिल्म विरासत अभियान	राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन आने वाली पीढ़ी के लिए भारत की फिल्म विरासत के पुनर्निर्माण और संरक्षण के लिए मिशन मोड पर	शून्य	137.00	शून्य	अभियान ऑफिस तैयार करना। सर्वित प्रोवाइडर को जोड़ने और गतिविधियों की शुरुआत के लिए आरएफपी पर काम करना। ढांचागत सुविधा में वृद्धि।	राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन भारत की फिल्म विरासत के पुनर्निर्माण और संरक्षण के लिए	2015-16	टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देना
	कुल		-	**137.00**	-				

(ग) फिल्म सामग्री का विकास, संचार और प्रसार

(जारी)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16			भौतिक परिणाम	लक्षित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समाबद्धताएं	टिप्पणी/ जोखिम तत्व
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट	प्रोत्साहनकारी अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	भारत और विदेशों में फिल्म समारोह और फिल्म बाजार के द्वारा भारतीय सिनेमा का प्रचार और प्रसार (योजना -राजस्व)	अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल और बाजार में अच्छी भारतीय फिल्मों का प्रचार। देश में डॉक्यूमेंट्री मूवमेंट का प्रचार। अच्छी बाल फिल्मों का प्रचार। सभी मुख्य फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन को बढ़ावा देना और फिल्म बाजार में भारतीय फिल्मों के लिए अवसर तैयार करना।	शून्य	15.00	शून्य	संबंधित मीडिया इकाई के अध्याय में समाहित	चलचित्रों का अधिग्रहण और संरक्षण	2015-16	
2.	विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों का निर्माण	विभिन्न भारतीय भाषाओं की अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों, बाल फिल्मों के निर्माण का प्रचार		10.00					
3.	फिल्म अभिलेखों की वेबकास्टिंग	सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्म डिविजन की अभिलेखीय फिल्मों की वेबकास्टिंग		1.00					

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16			भौतिक परिणाम	लक्षित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समाबद्धताएं	टिप्पणी/ जोखिम तत्व
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट	प्रोत्साहनकारी अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
4.	फिल्म और फिल्म सामग्री का संकलन	एनएफएआई फिल्म और फिल्म सामग्री का अभिलेखीय उद्देश्य से संकलन करताए हमारी फिल्मी विरासत को संरक्षित करने के लिए।		2.00					
		कुल		**28.00**					

(घ) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16			भौतिक परिणाम	लक्षित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम तत्व
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट	प्रोत्साहनकारी अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	एनीमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स सेक्टर की उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना	श्रमशक्ति की समस्या से जूझने हेतु सार्वजनिक निजी प्रणाली के तहत एनीमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स सेक्टर की उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना	–	0.50	–	i) संशोधित मॉडल पर काम किया जा रहा है और मूल्यांकन एजेंसियों की सहमति प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है ii) संशोधित डीपीआर की तैयारी और योजना के प्रस्ताव की शुरुआत	आवश्यक स्वीकृति प्राप्ति की कोशिश	–	
2.	एंटी-पायरेसी पहल	पायरेसी का सामना करने हेतु अविलम्ब प्रभावी कानून तंत्र की आवश्यकता है और साथ ही पायरेसी से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में उपभोक्ताओं के बीच जागृति पैदा करने की आवश्यकता है। पायरेसी के विभिन्न रूपों में उपभोक्ता निष्क्रिय सहभागी हैं । अत: 12वीं योजनाकाल में फिल्म और संगीत उद्योग के सभी हितधारकों को सम्मिलित करते हुए एक प्रभावी और सम्मिलित मल्टीमीडिया अभियान आयोजित होने वाली है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संगठन की आवश्यकता और पायरेसी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के वास्तविक आकलन हेतु शोध कार्य और विकास की जरूरत महसूस की गयी है।	–	0.05 **28 -00**	–	पायरेसी का सामना करने हेतु सार्वजनिक निजी रणनीतियों का विकास, विशेषकर मल्टी मीडिया अभियान के माध्यम से	एंटी-पायरेसी के संबंध में जागरूकता पैदा करने हेतू गतिविधियों की पहल	स्वीकृत कार्यक्रमानुसार विभिन्न गतिविधियों के लिए संगठन	–

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानिटरिंग केंद्र

वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना बजट के अंतर्गत 21 करोड़ रुपये और गैर-योजना बजट के लिए 1.41 करोड़ रुपये मंजूर किए गए

आउटकम बजट 2015-16 (योजना और गैर योजना)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16 (रुपए करोड़ में)			मात्रात्मक लाभ/उत्पादन वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया में/ समय सीमा	टिप्पणी जोखिम/ घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट (अनुमोदित) राजस्व	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानिटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) का सुदृढ़ीकरण	ईएमएमसी की स्थापना का उद्देश्य केबल टेलीविजन (विनियमन) अधिनियम 1995 और उसके अंतर्गत बने नियमों में निहित कार्यक्रमों और विज्ञापनों की मॉनिटरिंग, निजी एफएम चैनलों के कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग था। इस वक्त केंद्र में 300 चैनलों की रिकॉर्डिंग की सुविधा उपलब्ध है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी क्षमता बढ़ाकर 1500 टीवी चैनल कर दी जाएगी। केंद्रीकृत एफएम और सीआरएस निगरानी कार्यविधि की भी स्थापना की जाएगी।	1.41	21.00	पूरी तरह से सरकार वित्त पोषित। कोई अतिरिक्त बजटीय संसाधन नहीं।	i) सूचना भवन के 11वीं मंजिल में बदलाव लाना और नेटवर्किंग का काम करवाना ii) 600 टीवी चैनलों की रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग व्यवस्था को चालू करना iii) 100 निजी एफएम चैनलों में केंद्रीकृत मॉनिटरिंग सुविधा की योजना, डिजाइन और चालू करना iv) 30 सामुदायिक रेडियो स्टेशन में केंद्रीकृत मॉनिटरिंग सुविधा के लिए योजना, डिजाइन और चालू करने के कार्य को अंतिम रूप देना।	यह केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के विधायी कार्य को करने में सक्षम करेगा जिससे नागरिकों को टीवी, एफएम और सामुदायिक रेडियो चैनलों में आपत्तिजनक सामग्री न दिखाई जा सके।	अंतिम सूची इस प्रकार है- i) सितंबर 2015 ii) सितंबर 2015 iii) सितंबर 2015 iv) दिसंबर 2015	एक बहुजाति भाषा-भाषिक समुदाय में ईएमएमसी की स्टेट ऑफ ऑर्ट सुविधा और एफएम तथा सीआरएस चैनलों की प्रसारण सामग्री की निगरानी करने का सार्थक माध्यम होगा।

प्रसार भारती

आकाशवाणी वार्षिक योजना 2015-16

परिव्यय तथा परिणाम/लक्ष्य का विवरण (2015-16)

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015-16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
योजना-I	प्रसार ढांचा नेटवर्क विकास					
1	वर्तमान नेटवर्क का डिजिटलीकरण (पूंजी)	ट्रांसमिशन गुणवत्ता में सुधार और डिजिटलीकरण के माध्यम से रिकार्डिंग एवं कनेक्टिविटी, कार्यक्षमता सुधार के लिए आटोमेंशन तथा डिजीटलीकरण से प्राप्त अतिरिक्त सुविधाओं को किराए पर देकर अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करना				
1.1	ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण					
क	एम डब्ल्यू ट्रांसमीटर (जारी)		15.00			
i	कावारती में 1kw MW ट्रांसमीटर को 10 kw MW उपयुक्त डिजिटल ट्रांसमीटर से बदलना			5 कावाराती-10 kw MW ट्रांसमिशन की स्थापना पूरी कावाराती में हॉस्टल आवास	Q.1 लंबित कार्य और भुगतान	
ii	चिनसूरा (पं.बं.) में 1000 kw MW ट्रांसमीटर को 1000 kw MW DRM ट्रांसमीटर से बदलना 4.चिनसूरा 1000 kw MW ट्रांसमिशन की स्थापना पूरी				Q-1 लंबित कार्य और भुगतान	

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015-16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
iii	6 स्थानों पर 20Kw MW ट्रांसमीटर (दिल्ली बी, बाड़मेर एवं बीकानेर (राज०), चेन्नई (तमि०), बी, गुवाहाटी बी, तवांग)			लंबित भुगतान और लघु कार्य पूरा	Q-1/Q-2 लंबित कार्य और भुगतान	
iv	100kw-12 संख्या में (विजयवाड़ा (आं०प्र०), पटना (बिहार), पणजी (गोवा), रांची (बिहार), मुंबई बी (महा०), मुंबई बी (महा०), तिरुचिरापल्ली (तमि०), वाराणसी (उ०प्र०), कोलकाता ए (प०बं०), एवं पासीघाट (10kw का परिवर्तन 100kw से]			लंबित भुगतान और लघु कार्य पूरा	Q-1/Q-2 लंबित कार्य और भुगतान	
v	200kw-10 संख्या में, दिल्ली ए अहमदाबाद (गुज०), बंगलुरू और धारवाड़ (कर्ना०), जबलपुर (म०प्र०), अजमेर(राज०), चेन्नई ए (तमि०), सिलिगुड़ी, कोलकाता बी (प०बं०) एवं इटानगर (100kw MW को 200kw MW DRM से बदलना			लंबित भुगतान और लघु कार्य पूरा	Q-1/Q-2 लंबित कार्य और भुगतान	
vi	300kw-6 संख्या में डिब्रूगढ़ (असम), राजकोट (गुज०), जम्मू (ज० एवं क०), जालंधर (पंजाब), सूरतगढ़ (राज०), लखनऊ (उ०प्र०)				Q-1/Q-2 लंबित कार्य और भुगतान	

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015-16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(ख)	एस डब्ल्यू ट्रांसमीटर (कुल)		1.01			
	SW ट्रांसमीटर (जारी स्कीम)		0.00			
	SW DRM ट्रांसमीटर को 5SW ट्रांसमीटरों से बदलना (दिल्ली-2, अलीगढ़-2, बंगलुरू-1			बंगलुरू में किंग्सवे ट्रांसमीटरों में 100kw SW और 500kw SW के लिए लंबित भुगतान और लघु कार्यों का पूरा होना	Q-1/Q-2 लंबित कार्य और भुगतान	ट्रांसमीटरों की जांच की गई
	SW ट्रांसमीटर (नई स्कीम)					
	XII योजना के तहत 38 SW ट्रांसमीटरों को बदलना और उच्चस्तरीय बनाना					
ग	FM ट्रांसमीटर (कुल)		90.00			
	FM ट्रांसमीटर (जारी स्कीम)		30.00			
	FM ट्रांसमीटर (जारी स्कीम)					
	FM विस्तार योजना (नई)		60.00	हल्द्वानी, रायबरेली और चंपावत में FM ट्रांसमीटर स्थापित करने की परियोजना क) हल्द्वानी नाद चंपावद में चारदीवारी और भवन बनाने के लिए स्थल का अधिग्रहण ख) रायबरेली में टॉवर खड़ा करना, 20Kw FM ट्रांसमीटरों की संस्थापना	Q.1 हल्द्वानी और चंपावत में स्थल की प्राप्ति, रायबरेली में सिविल निर्माण कार्यों का पूरा होना, टॉवर निर्माण कार्यों का तकनीकी आकलन Q.2 हल्द्वानी और चंपावत में भवन कार्य के आकलन की स्वीकृति और कार्य आरंभ तथा रायबरेली में संस्थापना कार्य प्रगति पर, रायबरेली में 200 मीटर टॉवर के SITC के लिए आदेश देना Q.3/Q.4 दोनों स्थलों पर सिविल कार्य प्रगति पर तथा रायबरेली में टॉवर को खड़ा करने व संस्थापना कार्य प्रगति पर	**हल्द्वानी:-** स्थल के लिए मांगपत्र पिछले वर्ष प्राप्त, लेकिन राजमय सरकारने भू लाभांश 1: से 10: तक बढ़ाया जो बहुत अधिक है, मामले पर राज्य

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015-16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						सरकार से वार्ता **चंपावत:-** राज्य सरकार से मांगपत्र प्राप्त होना
				फजिल्मा, अमृतसर और चौटनहिल में FM की स्थापना, क) उपकरणों की संस्थापना और कमीशनिंग	Q.1 संस्थापना का पूरा होना Q.2 ट्रांसमीटर की टेस्टिंग और कमीशनिंग	दूरदर्शन टॉवर अमृतसर का कार्य पूरा नहीं हुआ है। अमृतसर में परियोजना कार्य का पूरा होना, टॉवर कार्य के पूरा होने पर निर्भर करता है।
				गैरसेण और टिहरी में 1kw FM ट्रांसमीटर की स्थापना क) ट्रांसीटर की संस्थापना/टेस्टिंग/ कमीशनिंग	Q.1 लंबित कार्य पूरा, ट्रांसमीटर की टेस्टिंग और कमीशनिंग	स्टशनों की कमीशनिंग के लिए ओ-एम स्टाफ की आवश्यकता
				बागेश्वर और उज्जैन में 5kw FM ट्रांसमीटर की स्थापना	Q.1 भवन कार्य पूरा तथा स्टूडियो उपकरणों की अधिप्राप्ति Q.2 स्टूडियो उपकरणों की टेस्टिंग और कमीशनिंग	
				दार्जिलिंग, कूचबिहार, धनबाद, बर्धमान और सूर्यपेट में 10kw FM ट्रांसमीटर की स्थापना क) उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग ख) आक्जिलरी उपकरणों की स्थापना ग) सिविल कार्य पूरा घ) सूर्यपेट में टॉवर लगाना	Q.1 सूर्यपेट को छोड़ कर अन्य सभी स्थानों पर सिविल कार्य पूरा, सूर्यपेट में टॉवर के SITC के आदेश, ट्रांसमीटरों की स्थापना Q.2 टॉवर कार्य प्रगति पर, कूचबिहार परियोजना की कमीशनिंग	10kw FM ट्रांसमीटर के लिए नवंबर 2012 में आदेश दिए गए है। 3 स्थानों पर नया NIT 100 मीटर टॉवर के लिए

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015-16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
					Q.3 टॉवर कार्य और स्थापना प्रगति पर Q.4 सूर्यपेट को छोड़कर सभी स्थानों पर ट्रांसमीटर स्थापना कार्य पूरा	आमंत्रित। सूर्यपेट में भवन निर्माण कार्य को स्वीकृति दी जानी है।
				देहरादून में 10kw FM ट्रांसमीटर लगाना (क) STL प्राप्ति और स्थापना (ख) केप्टिन अर्थ स्टेशन की प्राप्ति	Q.1 STL की कमीशनिंग और ब्रै के लिए आदेश Q.2 CES की संस्थापना और टेस्टिंग Q.3 पूरे सेट अप की कमीशनिंग	
				गंगटोक में 10kw FM ट्रांसमीटर और सिल्चर में 5kw FM ट्रांसमीटर लगाना (क) STL प्राप्ति और स्थापना (ख) सिविल कार्य पूरा	Q.1 STL रसीद Q.2 उपकरणों की संस्थापना और टेस्टिंग Q.3 सेटअप की कमीशनिंग	STL के लिए आदेश जुलाई 2013 में दे दिया गया
				टी अनीनी (अरुणाचल) में और तामेंगलंग तथा उखरुल मणिपुर में ट्रांसमीटर स्थापना (क) तामेंगलंग में स्थल का अधिग्रहण तथा अनीनी के बदले वेकल्पिक स्थल (ख) पी एस एफ कार्य पूरा (ग) भवन कार्य पूरा	Q.1 व Q.2. स्थल का अधिग्रहण तथा सुरक्षा चारदीवारी का कार्य आंरभ Q.3 व Q.4. भवन कार्य प्रगति पर	तामेंगलंग में राज्य सरकार द्वारा स्थल का आबंटन किया जाना बाकी। मामला उठाया गया है। अनीनी से रोइंग में स्थल परिवर्तन का प्रस्तवा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भेज दिया गया है। स्वीकृति प्राप्त होनी शेष है।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015-16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				पूर्वोत्तर में 16 स्थानों पर 1kw FM ट्रासंमीटर की स्थापना (क) जुनेहबीटो में भवन कार्य पूरा (ख) टॉवर का कार्य पूरा (ग) सभी स्थानों पर स्टाफ क्वार्टर की निर्माण	Q.1 जुनेहबीटो में प्रगति पर। सभी स्थानों पर हॉस्टल/स्टाफ क्वार्टर के आकलन को स्वीकृति। टॉवर की SITC और अक्जिलरी उपकरणों की स्थापना का कार्य प्रगति पर Q.2 व Q.3. जुनेहबीटो में सिविल कार्य प्रगित पर। टॉवर का कार्य पूरा और 6 सेटअप की कमीशनिंग तथा शेष का कार्य प्रगति पर। सभी स्थानों पर C/o हॉस्टल का कार्य Q.4 जुनेहबोटो में ट्रांसमिशन भवन पूरा और हॉस्टल का कार्य प्रगति पर	संबंधित राज्य सरकार को चंफाई, फेक, गोलपाड़ा, कोलासिब, चागलांग, खोसना और डापोरिजो के आकाशवाणी स्टेशनों तक संपर्क मार्ग बनाना है। मुद्दा राज्य सरकार के सम्मुख रखा गया है।
				6 स्थानों पर 1kw FM ट्रांसमीटल स्थापना का कार्य पूरा	Q.1 6 जगहों पर 50 मीटर टॉवर की स्थापना। 10 स्थानों पर काम सौंपा। 10 जगहों पर 1kw FM ट्रांसमीटर की स्थापना Q.2 10 जगहों पर स्थापना कार्य प्रगति पर Q.3 संस्थापना कार्य पूरा Q.4 सभी 16 स्थानों पर टेस्ट और मापन का कार्य	स्टेशन शुरु करने से पहले ओ एंड एम स्टाफ की स्वीकृति अपेक्षित
				शेष 100 वाट FM ट्रांसमीटर की स्थापना और कमीशनिंग	परियोजना पूरी	मणिपुर सरकार ने 100 वाट FM ट्रांसमीटर के लिए स्थापना उपलब्ध नहीं कराया। वैकल्पिक स्थान तलाश किया जाना है।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015-16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	XI योजना के तहत् वर्तमाम 24 आकाशवाणी/दूरदर्शन के स्थलों पर एफ एम विस्तार तथा आकाशवाणी के 100 एल पी पर 100 वाट एफ एम ट्रांसमीटर लगाना			1kw FM ट्रांसमीटर की स्थापना (क) ऑक्जिलरी उपकरणों की प्राप्ति और 1kw FM ट्रांसमीटरों की स्थापना और कमीशनिंग	Q.1/Q.2- लंबित निर्माण कार्य और भुगतान	
				12 स्थानों पर 5kw FM ट्रांसमीटर की स्थापना (क) ऑक्जिलरी उपकरणों की प्राप्ति और कमीशनिंग (ख) भवन निर्माण का कार्य पूरा	Q.1/Q2. ऑक्जिलरी उपकरणों की प्राप्ति, स्थापना और कमीशनिंग	
				100 वाट FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति (क) उपकरणों की कमीशनिंग (ख) व्यय की पुनरावृत्ति	Q.1/Q.2/Q.3/Q.4 शेष भुगतान और व्यय की पुनरावृत्ति	ट्रांसमीटर लगाए गए।
ii	FM/MW ट्रांसमीटरों का परिवर्तन					
	XI योजना के तहत FM/MW ट्रांसमीटरों को 40 वर्तमान स्टेशनों पर उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटरों से बदलना			27 की संख्या में 5/6 kw FM ट्रांसमीटरों की बदलना (क) FM ट्रांसमीटर का संस्थापन (ख) डिपलेक्सर का संस्थापन (ग) पैनल एंटीना का संस्थापन (घ) क्षेत्रीय उपकरणों का संस्थापन	Q.1/Q.2 सभी स्टेशनों पर ट्रांसमीटरों, पेनल, एंटीना, डिपलेक्सर का संस्थापन Q.3/Q.4 सभी 27 FM ट्रांसमीटरों की कमीशनिंग	
				7 स्थानों पर 10kw FM ट्रांसमीटरों को बदलना तथा 6 स्थानों पर 1kw MW ट्रांसमीटरों से बदलना (क) अदीलाबाद और कियोनझार में 100 मीटर टॉवर के SITC		

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015-16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				(ख) पैनल एंटीना का संस्थापन (ग) क्षेत्रीय उपकरणों का संस्थापन	Q.1 से Q.2- FM ट्रांसमीटरों और डिप्लेक्सर का संस्थापन, टॉवर ds SITC के लिए आदेश देना Q.3/Q.4 उपकरण का संस्थापन पूरा तथा टॉवर निर्माण कार्य प्रगति पर	
ii.	FM ट्रांसमीटर (नई योजना)					
	18 स्थानों पर विभिन्न क्षमता वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना से FM विस्तार का प्रस्ताव			योजना का अनुमोदन, वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार के लिए सिविल आकलन की तैयारी, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT तथा उपकरणों की प्राप्ति के लिए विनिर्देशन तैयार करना	Q.1 नई परियोजनाओं के लिए स्थलों की प्राप्ति, आकलनों को स्वीकृति, विनिर्देशन तैयार करना, तकनीकी आकलन पूरा करना तथा उपकरणों के आदेश देना Q.2 भवन निर्माण कार्यों के लिए सिविल आकलन तैयार करना Q.3 सिविल निर्माण कार्य सौंपना Q.4 सिविल निर्माण कार्यों की प्रगति और उपकरणों की प्राप्ति	
	एम डब्ल्यू पर प्राथमिक सेवा की 68 संख्या का FM करण			योजना का अनुमोदन, वर्कमान भवनों के जीर्णोद्धार के लिए सिविल आकलन की तैयारी, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ NIT तथा उपकरणों की विशिष्टता की प्राप्ति	Q.1 योजना का अनुमोदन Q.2 आकलन को स्वीकृति, विनिर्देशनों की तैयारी Q.3 सिविल कार्य सौंपा Q.4 NIT जारी, सिविल कार्य आरंभ	प्रसार भारती द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त करना शेष है।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015-16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	LPT DD के 100 स्थानों पर 1kw FM ट्रांसमीटरों की स्थापना			योजना का अनुमोदन, वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार के लिए सिविल आकलन की तैयारी, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ NIT तथा उपकरणों की विशिष्टता की प्राप्ति	Q.1 योजना का अनुमोदन Q.2 आकलन को स्वीकृति, विनिर्देशनों की तैयारी Q.3 सिविल कार्य सौंपा Q.4 NIT जारी, सिविल कार्य आरंभ	प्रसार भारती द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय को 100 DD LPT स्थलों पर 100 वॉट FM ट्रांसमीटरों के स्थान पर 1kw FM ट्रांसमीटर स्थापित करने के क्षेत्र में परिवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गाय है। मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त करना शेष है।
	XII योजना के तहत दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में 77 स्थानों पर 6 पुराने MW के स्थान पर FM ट्रांसमीटरों को बदलने का प्रस्ताव			वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार के लिए सिविल आकलन की तैयारी, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ NIT तथा उपकरणों की विशिष्टता की प्राप्ति	Q.1 आकलनों को स्वीकृति, विनिर्देशन तैयार करना, तकनीकी आकलन पूरा करना तथा उपकरणों के आदेश देना Q.2 भवन निर्माण कार्यों के लिए सिविल आकलन तैयार करना Q.3 सिविल निर्माण कार्य सौंपना Q.4 सिविल निर्माण कार्यों की प्रगति और उपकरणों की प्राप्ति	
1.2	स्टूडियो एवं नेटवर्क (कुल)		58.00			
(i)	स्टूडियो में (जारी स्कीम)		51.00			

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015–16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	योजना के तहत् 98 स्टूडियो का डिजिटलीकरण के स्टूडियो, नेटवर्किंग, RNU को आटोमेंशन, 7 नए RNU] XI योजना के अंतर्गत दिल्ली में 4 स्थानों पर अभिलेखीकीय सुविधाओं का संवर्धन			केंद्रीय स्टोरेज और सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित सर्वर SITC (डाटा कंटेंट सर्वर 38़10, डिजिटल वर्क स्टेशन 643+138+) अपेक्षित आर्डर मूल्य रुपए 23.30 करोड़	Q.1 उपकरणों के आदेश Q.2 उपकरणों की पावती	NIT आमंत्रित किए जाने हैं।
				ढांचे की प्राप्ति	Q.1 उपकरणों के आदेश Q.2 उपकरणों की पावती	तकनीकी मूल्यांकन पूरा, खरीद का प्रस्ताव अनुमोदन की प्रक्रिया में क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति और विभागीय कार्य का आरंभ
				क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों ने सभी कार्रवाई की। ट्रांसमीटर प्राप्त होने के बाद विभागीय कार्य आरंभ होंगे।	Q.1 से Q.4 सभी क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति तथा विभागीय कार्य की आरंभ	
				स्टूडियो का नेटवर्क	Q.1 NIT जारी Q.2 निविदा खुलना और तकनीकी मूल्यांकन Q.3 उपकरणों के आदेश Q.4 उपकरणों की प्राप्ति	NIT आमंत्रित किए जाने हैं।
				स्टूडियो की सुसज्जा	Q.1 से Q.2 कार्य की प्रगति और कार्य पूरा	
ii	स्टूडियो (नई योजना)		7.00			
	XII योजना के तहत् 29 स्टूडियो का डिजीटलीकरण, 1 नए RNU का सृजन, गुवाहाटी में अभिलेखीय सुविधाओं का सृजन एवं स्टूडियो की पुनर्सज्जा			वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिए विनिर्देशनों की तैयारी	Q.1 आकलन को स्वीकृति, विनिर्देशनों की तैयारी, तकनीकी आकलन पूरा तथा उपकरणों के आदेश	

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015-16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
					Q.2 भवन निर्माण कार्य के लिए सिविल आकलन तैयार करना तथा उसका अनुमोदन Q.3 सिविल कार्य सौंपना Q.4 सिविल कार्य प्रगति पर तथा उपकरण की प्राप्ति	
1.3	कनेक्टिविटी		47.50			
(i)	कनेक्टिविटी (जारी स्कीम)		45.00			
	82 STL का परिवर्तन और 35 नए STL की प्राप्टियाँ			STL कनेक्टिविटी की बदलना	Q.1 शेष उपकरणों का निरीक्षण Q.2 से Q.4 उपकरणों की प्राप्ति और संस्थापन	उपकरण की SITC के लिए जुलाई 2013 में आदेश दिया गया।
	कैप्टिव अर्थ स्टेशन की स्थापना			5 स्थानों पर CES	Q.1 तकनीकी आकलन पूरा तथा उपकरण के आदेश Q.3 स्थापना कार्य आरंभ Q.4 स्थापना कार्य पूरा	पुर्ननिविदा
	RN टर्मिनल			RN टर्मिनल की प्राप्ति	Q.1 नए विनिर्देशनों के अनुसार उपकरणों की प्राप्ति और उपकरणों की स्थापना	
(ii)	कनेक्टिविटी (नई योजना)		2.50			
	टेलिकॉम सुविधाओं का संवर्धन: 2 पोल फीड को 4 पोट फीड और 24 डिशों से बदलना SC PC को MC PC-32 से बदलना			वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकरन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिए विनिर्देशन तैयार करना	Q.1 और Q.2 आकलन को स्वीकृति, उपकरणों के लिए आदेश Q.3 सिविल कार्य सौंपना Q.4 सिविल कार्य तथा उपकरण की प्राप्ति	

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015-16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान को शक्तिशाली बनाना (कुल)		3.10			
	प्रशिक्षण सुविधा का संवर्धन (जारी स्कीम)		2.50			
	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों सहित STI (T) तथा STI (P) का संवर्धन			STI (T) दिल्ली में मेडिटेशन हॉल और लाइब्रेरी का निर्माण	Q.1 कार्य प्रगति पर Q.2 कार्य प्रगित पर Q.3 कार्य पूरा	आकलन स्वीकृत है, कार्य प्रगति सिविक एजेंसी के अनुमोदन पर निर्भर
				स्कीम के अंतर्गत विभिन्न उपकरणों की प्राप्ति	Q.1 से Q.4 योजना के तहत् विभिन्न उपकरणों की प्राप्ति, कुछ उपकरण दूसरी योजनाओं के तहत् दूसरे उपकरणों के साथ प्राप्त होंगे, जिसके लिए प्राप्ति की कार्रवाई जारी है।	
	XII योजना के तहत् दिल्ली एवं भुवनेश्वर के लिए DRM+ तथा ट्रांसमीटर सहित डिजिटल प्रसारण उपकरण की अधिप्राप्ति			वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ और उपकरणों की प्राप्ति के लिए विनिर्देशनों की तैयारी	Q.1 आकलन को स्वीकृति, विनिर्देशनों को तैयार करना, तकनीकी आकलन पूरा तथा उपकरण के आदेश Q.2 भवन कार्य केलिए सिविल आकलन तैयार करना तथा उसका अनुमोदन Q.3 सिविल कार्य सौंपा Q.4 सिविल कार्य की प्रगति तथा उपकरण की प्राप्ति	
	शोध एवं विकास को मजबूत करना (जारी स्कीम)		1.00			

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015-16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				DRM की प्राप्ति उपकरण	Q.1 उपकरणों के आदेश Q.2 उपकरणों का निरीक्षण Q.3 उपकरण की प्राप्ति एवं संस्थापन	दोबारा निविदा होनी है।
				उपकरणों की प्राप्ति तथा अन्य कार्य	Q.1 से Q.4 स्कीम के अंतर्गत विभिन्न उपकरणों की प्राप्ति, कुछ उपकरण अन्य योजना के तहत् प्राप्त होने वाले उपकरणों के साथ प्राप्त होंगे जिनकी अधिप्राप्ति कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अन्य के लिए कार्रवाई की जा रही है।	
	शोध एवं विकास को मजबूत करना (नई योजना)		0.30			
	XII योजना में अनुसंधान एवं विकास के लिए नए प्रस्ताव			योजना का अनुमोदन, वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिए विनिर्देश तैयार करना	Q.1 आकलनों को स्वीकृति, विनिर्देशन तैयार करना, तकनीकी आकलन पूरा और उपकरणों के आदेश Q.2 भवन निर्माण के लिए सिविल अनुमान तैयार करना और उसका अनुमोदन Q.3 सिविल कार्य सौंपा गया Q.4 सिविल कार्य प्रगति पर और उपकरणों की प्राप्ति	
2.	सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करना (कुल)		35.00			

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015-16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	सीमावर्ती क्षेत्रों को शक्तिशाली बनाना (जम्मू और कश्मीर) (जारी स्कीम)					
i)	जम्मू और कश्मीर में HTP/ LPT की स्थापना:- 3 10kw FM ट्रांसमीटर 3 10kw TV ट्रांसमीटरों की संस्थापना वर्तमान DD स्थल पर 10kw FM ट्रांसमीटर की स्थापना आकाशवाणी स्थल पर 5kw के 2 टीवी ट्रांसमीटर की स्थापना 100 वाट के 4 FM ट्रांसमीटर स्थापित करना			100 वाट FM ट्रांसमीटर (4) की प्रापण	कार्य पूरा	
				नौसेरा में 10kw FM Tx (1+1) की प्रापण	Q-1 उपकरणों की प्राप्ति Q.-2/Q-3 संस्थापन और कमीशनिंग	
				राजोरी में 2 की संख्या में 5kw TV ट्रांसमीटर की प्रापण	Q-1 उपकरणों की प्राप्ति Q.-2/Q-3 संस्थापन और कमीशनिंग	
				1.सिविल कार्यों की प्रगति 2-10kw FM ट्रांसमीटर (1+1) का प्रापण तथा 3 स्थानों पर डीडी के लिए kw TV ट्रांसमीटर (1+1)	Q-1 सिविल कार्यों की प्रगति Q.-2 उपकरणों का निरीक्षण, सिविल कार्यों की प्रगति Q.-3/Q-4 तकनीकी क्षेत्र का पूरा होना तथा उपकरण का संस्थापन	
	सीमावर्ती क्षेत्रों की मजबूती (भारत नेपाल सीमा (नई स्कीम)					
	भारत-नेपाल सीमा 1. भारत-नेपाल सीमा पर डीडी सेट अप स्थल पर 8FM प्रसारण की स्थापना 2. 2 स्थानों पर उत्पादन केंद्र 3. 2 स्थानों पर अनलिकिंग				स्कीम बन्द कर दी गई	

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015-16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.	वैकल्पिक प्लेटफार्म पर प्रसारण (नई स्कीम)	इंटरनेट उपभोक्ताओं को आकाशवाणी चैनलों तक पहुंच की सुविधा देना, आकाशवाणी चैनलों के लिए बहुमुखी माध्यम उपलब्ध कराना	2.00	वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिए विनिर्देशनों की तैयारी	Q-1 आकलन की स्वीकृति, विनिर्देशनों की तैयारी, NIT जारी, सिविला कार्य आरंभ Q.-2 सिविल कार्य सौंपा Q.-3 उपकरण की प्राप्ति और संस्थापन Q.-4 कमीशनिंग	
4.	ढांचे का समेकीकरण (कुल)	प्रसारण की गुणवत्ता, दक्षता तथा प्रभावी व्यापकता में सुधार लाने के लिए मौजूदा सुविधाओं में सुधार लाना, तथा उन्हें बदलना ताकि जहां कहीं भी अपेक्षित हो, कॉरपोरेट कार्य का माहौल दिया जा सके। स्टाफ के कल्याण के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएं	1.00			
	ढांचे का समेकीकरण (जारी स्कीम)		0.50			
	XII योजना के तहत् वर्तमान केंद्रों पर IOF			आपात स्थिति के लिए 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में 5 मोबाइल FM ट्रांसमीटरों का प्रावधान	Q.-1 उपकरणों के आदेश Q.-2 उपकरणों का निरीक्षण	पुर्ननिविदा होनी है।
				स्टूडियो में मापक उपकरणों का प्रावधान	Q.-1 उपकरणों के आदेश Q.-2 उपकरणों का निरीक्षण Q.-3 उपकरणों की प्राप्ति और संस्थापन Q.-4 टेस्टिंग और मापन	आडियो एनालाइजर निविदा के आदेश की प्रक्रिया चल रही है।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015-16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				23 स्थानों पर रिमोट कंट्रोल के लिए टेलिमेट्री MW ट्रांसमीटरों का प्रावधान	Q.-1 उपकरणों के आदेश Q.-2 उपकरणों का निरीक्षण Q.-3 उपकरणों की प्राप्ति और संस्थापन Q.-4 टेस्टिंग और मापन	
				80 स्थानों पर वर्तमान के स्टेशनों पर UPS का प्रावधान	Q.-1 शेष कार्य और भुगतान	
	श्रीनगर और गुवाहाटी में कार्यालय/स्टाफ क्वार्टर जिसमें श्रीनगर में हॉस्टल आवास भी शामिल है।			श्रीनगर में हॉस्टल कार्य के लिए अक्टूबर 2010 में आवास स्वीकृति मिली (रुपए 3.68 करोड़) लेकिन CCW ने कार्य आरंभ नहीं कराया, क्योंकि वर्तमान भवन को तोड़ने के अनुमोदन में देरी हुई। जून 2011 में भवन तोड़ने का अनुमोदन मिला। कार्य अब आरंभ होगा।	Q.-1 कार्य प्रगति पर Q.-2 कार्य पूरा	
				गुवाहाटी में स्टाफ क्वार्टरों के लिए दिनांक 19.10.2010 को 7.14 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। फरवरी 2011 को कार्य सौंपा गया था।	Q.-1 शेष कार्य और भुगतान	
				गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यालय- स्वीकृति 03.03.2011 को जारी (रुपए 7.67 करोड़ आकाशवाणी द्वारा तथा 1 करोड़ DD द्वारा	Q.-1 शेष कार्य और परियोजना पूरी	सितबंर 2011 में कार्य सौंपा गया।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015-16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	ढांचे का समेकीकरण (नई स्कीम)		0.50			
	दिल्ली तथा मुंबई में सामुदायिक केन्द्र			वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिए विनिर्देशन तैयार करना	Q.-1/Q.-2 आकलनोंकी स्वीकृति, विनिर्देशन तैयार करना Q.-3 सिवल कार्य सौंपा गया Q.-4 NIT जारी, सिविल कार्य आरंभ	
	सुरक्षा चारदीवारी को मजबूत करना आदि			वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिए विनिर्देशनों की तैयारी	Q.-1/Q.-2 आकलनोंकी स्वीकृति, विनिर्देशन तैयार करना Q.-3 सिवल कार्य सौंपा गया Q.-4 NIT जारी, सिविल कार्य आरंभ	
5.	ई-गवर्नेंस (नई योजना)	नेटवर्क आधारित ऑन लाइन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से मीडिया इकाइयों को तीव्र गति से सूचनाओं का प्रसार तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन के व्यापक नेटवर्क हेतू प्रबंधन को ERP समाधानमुहैया कराना व आकाशवाणी के सभी स्टशनों और शिकायत निवारण तंत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-टेंडरिंग, वेबसाइट से परिपूर्ण करना	6.00	वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिए विनिर्देशनों की तैयारी	Q.-1/Q.-2- आकलन को स्वीकृति, विनिर्देशन तैयार करना तथा NIT जारी Q.-3 सिविल कार्य सौंपे गए और उपकरणओं की प्राप्ति Q.-4 सिविल कार्य पूरा और उपकरणों का संस्थापन	

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015-16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	स्कीम II: अवयव विकास एवं प्रसार (स्कीम जारी)		0.00			
(i)	सॉफ्टवेयर (DBS)	उच्च गुणवत्ता वाला सॉफ्टवेयर तैयार करना ताकि प्रतियोगी मीडिया वातावरण में आकाशवाणी के श्रोताओं को आकर्षित किया जा सके और उन्हें बरकरार रखा जा सके		किशनवाणी के लिए कार्यक्रम तैयार करना	किशनवाणी के लिए कार्यक्रम तैयार करना	
	स्कीम-III विशेष परियोजनाएं		0.20			
	दिल्ली में ऑडिटोरियम का पुनरुद्धार (नई स्कीम)	आकाशवाणी के पास दिल्ली में ऑडिटोरियम नहीं है, उसके लिए ऑडिटोरियम का निर्माण, आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष रखे जाने हेतू सुविधा उपलब्ध कराना, व्यापक समूहों की भागीदारी में लाइव कार्यक्रम करना		वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिए विनिर्देशनों की तैयारी	Q.-1 स्कीम का अनुमोदन Q.-2 आकलन को स्वीकृति, विनिर्देशनों की तैयारी Q.-3 सिविल कार्य सौंपना Q.-4 NIT जारी, सिविल कार्य आरंभ	स्कीम को अभी अनुमोदन नहीं मिला है। स्कीम को प्रसार भारती बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गई थी। अब प्रसार भारती को लौटा दिया है ताकि दूरदर्शन की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को संशोधित किया जा सके। संशोधित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसार भारती बोर्ड से पुन: अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
		कुल आकाशवाणी	260.01			
		पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	260.01			
		सामान्य अनुदान सहायता	0.00			

दूरदर्शन
वार्षिक योजना 2015–16

परिव्यय और परिणाम/लक्ष्य का विवरण (2015–16)

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015–16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां 31.12.2014 के अनुसार
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
स्कीम–1	प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास					
1.	ट्रांसमीटरों और स्टूडियो का डिजिटलीकरण					
	(क) ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण	टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण	75.00	21 डिजिटल एचपीटी	21 डिजिटल एचपीटी के लिए आर्डर देना–तीसरी तीमाही	डीवीबी–टी 2 लाइट मानकों के लिए विनिर्देशन निर्धारित किए गए। एनआई के मामले में प्रसार भारती के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रसार भारती के निर्णयों के अनुसार एचपीटी डिजीटल की स्थापना क्लस्टर मोड में की जाएगी। क्लस्टर की योजना हेतु सिद्धांत रुप में मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
				डीटीटी की नेटवर्किंग के लिए भूकेंद्र	ऑडर देना–तीसरी तिमाही	तकनीकी कारणों से पूर्व में प्राप्त की गई निविदाओं को रद्द करना पड़ा। नए NIT डाले जाने हैं।
	(ख)स्टूडियो का डिजिटलीकरण	उत्पादन, उत्पादन पश्चात् और संपादन सुविधाओं का पूर्ण डिजीटलीकरण		39 स्टूडियों का पूर्ण डिजिटलीकरण (कैमरा श्रृँखलाओं का प्रापण)	कैमरा श्रृंखलाओं के लिए ऑडर करना–दूसरी तिमाही कैमरा श्रृंखलाओं की आपूर्ति और संस्थापना चौथी तिमाही	कैमरा श्रृंखला को छोड़कर बाकी उपकरणों की आपूर्ति की गई और लगाए गए। कैमरा श्रृंखलाओं के लिए निविदाएं प्राप्त और मूल्यांकन पूरा। तथापि निविदाओं को तकनीकी कारणवश रद्द करना पड़ा। नए छप्ज् के लिए प्रसार भारती के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015-16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां 31.12.2014 के अनुसार
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	ट्रांसमीटर और स्टूडियो उपकरण का आधुनिकीकरण, वृद्धि और पुराने उपकरणों को बदलना					
	स्टूडियो उपकरण का आधुनिकीकरण, वृद्धि और पुराने उपकरणों को बदलना	अपनी उपयोगिता पूरी कर चुके उत्पादन से संबंधित उपकरणोंका तकनीकी अनिवार्यताओं के कारण आधुनिकीकरण, वृद्धि और पुराने उपकरणों का बदलना।	30.00	कैमरा श्रृंखलाओं की खरीद	कैमरा श्रृंखलाओं के लिए ऑडर देना-दूसरी तिमाही कैमरा श्रृंखलाओं की आपूर्ति और स्थापना-चौथी तिमाही	कैमरा श्रृंखलाओं के अलावा सभी उपकरण खरीदे और लगाए गए। कैमरा श्रृंखलाओं के लिए निविदाएं प्राप्त की गईं और उनका आकलन किया गया। तथापि निविदाओं को तकनीकी कारणों से रद्द करना पड़ा। नए एनआईटी जारी करने के लिए प्रसार भारती के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।
	ट्रांसमीटर उपकरण का आधुनिकीकरण, वृद्धि और पुराने उपकरणों को बदलना।			डिब्रूगढ़ में नया टॉवर	ऑडर देना-पहली तिमाही	निविदा प्राप्त एवं जांच की जा रही है।
3.	डी टी एच	देश के दूर दराज, जनजातीय एवं सीमावर्ती इलाकों के लिए डी टी एच सेट की खरीद।	23.00	30,000 डी टी एच सेट की खरीद	ऑडर दिया गया-तीसरी तिमाही डी टी एच सेट की आपूर्ति-चौथी तिमाही	मंत्रालय को सीमावर्ती इलाकों में डी टी एच सेट के वितरण की योजना गृह मंत्रालय उपलब्ध कराएगा। उक्त के प्राप्त होने पर एन आई टी जारी की जाएगी।
4.	उपग्रह प्रसारण उपकरण का आधुनिकीकरण, वृद्धि और पुराने उपकरणों को बदलना।	अपनी उपयोगिता पूरी कर चुके उपग्रह प्रसारण से संबंधित उपकरणों का तकनीकी अनिवार्यताओं के कारण आधुनिकीकरण, वृद्धि और पुराने उपकरणों के बदल कर डिजिटल उपकरण लगाना। समाचार संग्रह सुविधाओं को मजबूत करना।	22.00	चार भूकेंद्रों का उन्नयन	आर एफ उपकरण की आपूर्ति- तीसरी तिमाही चार भुकेंद्र लगाना-चौथी तिमाही	आर एफ उपकरण को छोड़कर सभी भूकेंद्र उपकरणों की चंड़ीगढ़, हिसार, पणजी और पोर्ट ब्लेयर में स्थापना और परीक्षण कार्य किया गया। आर एफ उपकरण के लिए नए एनआईटी जारी किए जाने हैं।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015-16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां 31.12.2014 के अनुसार
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				नया भूकेंद्र (गोरखपुर में) (1)	ऑडर दिए गए-दूसरी तिमाही उपकरण की आपूर्ति और स्थापना-चौथी तिमाही	भूकेंद्र भवन का निर्माण किया गया। भूकेंद्र उपकरणों के लिए जारी किए गए एनआईटी की प्रतिक्रिया में कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई इसलिए निविदाएं रद्द की गई। नए एनआईटी जारी किए जाने हैं।
			22.00	एक स्थान पर भूकेंद्र कंप्रेशन उपकरण बदलना (देहरादून)	आर्डर दिए गए-दूसरी तिमाही उपकरण की आपूर्ति एवं स्थापना-चौथी तिमाही	भवन निर्मित। कंप्रेशन उपकरण के लिए एनआईटी जारी किया जाना है।
				मौजूदा आई आर डी की जगह डीवीबी-52 आधारित आई आर डी लगाना	आर्डर दिए गए- पहली तिमाही उपकरण की आपूर्ति-तीसरी तिमाही	पहले प्राप्त निविदाओं को तकनीकी कारणों से रदद् किया गया। नए एनआईटी जारी किए गए।
				नए नौ डी एस एन जी	नौ डी एस एन जी के लिए आर्डर देना-तीसरी तिमाही	पहले प्राप्त निविदाओं को तकनीकी कारणों से रदद्। नए एनआईटी जारी किए गए।
5.	हाई डेफिनेशन टीवी।	एचडीटीवी उत्पादन, उत्पादन पश्चात् सुविधा और ट्रांसमिशन	14.00	दिल्ली में मल्टी-कैमरा मोबाइल उपकरण	ऑर्डर दिए गए-पहली तिमाही मल्टी कैमरा मोबाइल उत्पादन इकाई-चौथी तिमाही	तकनीकी कारणों से पिछले ऑर्डर रद्द किए गए। नए एनआईटी जारी किए गए।
6.	सिविल ढांचागत सुविधाओं का संवर्धन, स्टाफ क्वार्टर और अन्य विविध योजना।	स्टाफ के लिए आवास की व्यवस्था। ढांचागत सुविधाओंधविभिन्न केंन्द्रों पर सुरक्षा में वृद्धि।	6.00	दो स्थलों पर स्टाफ क्वाटरों का शेष कार्य पूरा किया गया। एक स्थल पर अतिथि गृह और टॉवर सी भवन	शेष कार्यों को पूरा करना- पहली तिमाही	परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015-16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां 31.12.2014 के अनुसार
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.	दसवीं योजना की अन्य जारी विविध योजनाएं।	11वीं योजना से पहले मंजूर परियोजनाओं को पूरा करना।	20.00	अमृतसर में 300 मीटर टॉवर पर एंटीना के साथ डीडी 1 और डीडी (न्यूज) एचपीटी चालू करना।	टॉवर का शेष कार्य पूरा करना तथा डीडी 1 और डीडी (न्यूज) एचपीटी (पीएमटी सेटअप) चालू करना- तीसरी और चौथी तिमाही।	अमृतसर में टॉवर के शेष कार्य के लिए निविदाएं प्राप्त की गई तथा उनका आकलन किया जा रहा है।
				एचटीपी महबूबनगर (पीएमटी स्थापित)	150 मीटर टॉवर के लिए ऑर्डर दिया गया-पहली तिमाही	150 मीटर ऊँची टॉवर के लिए पहले दिया गया ऑर्डर रद्द किया गया, क्योंकि फर्म ने कार्य करने से मना कर दिया। दुबारा प्राप्त निविदाएं भी उच्च लागत की वजह से रद्द किया गए। नए NIT जारी किए जाने हैं।
				59 कैमरा श्रृंखलाओं का प्रापण	कैमरा श्रृंखलाओं के लिए ऑर्डर किया गया-दूसरी तिमाही कैमरा श्रृंखलाओं की आपूर्ति और स्थापना-चौथी तिमाही	कैमरा श्रृखंलाओं को छोड़ सभी उपकरणों की आपूर्ति तथा स्थापना की गई। कैमरा श्रृंखलाओं के लिए निविदाएं प्राप्त और आकलन पूरा। तथापि, तकनीकी कारणों से निविदाएं रद्द की गई। नए एन आई टी जारी करने के लिए प्रसार भारती को मंजूरी की प्रतीक्षा।
	नई स्कीम					
स्कीम-II	सामग्री विकास और प्रचार					
	किसान चैनल		45.00			
1.	ट्रांसमीटर और स्टूडियो उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और उन्हें बदलना	सीपीसी का आधुनिकीकरण		ऑटोमेटेड प्लेबैक सुविधा	उपकरण के लिए ऑर्डर दिए गए-दूसरी तिमाही उपकरण की आपूर्ति एवं स्थापना-चौथी तिमाही	विनिर्देशनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015-16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां 31.12.2014 के अनुसार
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		केंद्रों का आधुनिकीकरण	10.00	स्टूडियो उपकरण की खरीद	उपकरण की आंशिक आपूर्ति के लिए ऑर्डर-दूसरी तिमाही उपकरणों की आंशिक आपूर्ति और स्थापना-तीसरी तिमाही	कतिपय उपकरणों के लिए एनआईटी जारी किए गए। अन्य उपकरणों के लिए विनिर्देशों को अंतिम रुप दिया जा रहा है
		न्यूज हेडक्वाटर्स दिल्ली में सुविधाओं का उन्नयन		न्यूज सुविधाओं का आधुनिकिकरण	उपकरण की आंशिक आपूर्ति के लिए ऑर्डर-दूसरी तिमाही उपकरणों की आंशिक आपूर्ति और स्थापना-तीसरी तिमाही	विनिर्देशनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
2.	एचडीटीवी कोलकाता	और चेन्नई में एचडीटीवी स्टूडियो	15.00	कोलकाता और चेन्नई में एचडीटीवी स्टूडियो	एनआईटी जारी करना-पहली तिमाही ऑर्डर देना-तीसरी तिमाही एस स्थल के लिए उपकरण की आपूर्ति-चौथी तिमाही	एल ओपी तैयार किया जा रहा है।
3.	उपग्रह प्रसारण उपकरण का आधुनिकीकरण, वृद्धि और पुराने उपकरणों को बदलना।	दो स्थानों पर भूकेंद्र भवन	10.00	कोहिमा और इम्फाल में भूकेंद्र भवनों का निर्माण	कोहिमा और इम्फाल में भवनों का निर्माण-चौथी तिमाही	एल ओपी को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
		प्रणाली की विश्वसनीयता को सुधारने के लिए भूकेंद्रों के पुराने उपकरणों को बदलकर नए लगाना		भूकेंद्रों के कंप्रेशन श्रृंखला, आर एफ उपकरण तथा पीडीए अपलिंक को बदलना	उपकरणों के लिए आंशिक ऑर्डर देना-दूसरी तिमाही उपकरणों की आंशिक आपूर्ति तथा स्थापना-चौथी तिमाही	विनिर्देशनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015-16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां 31.12.2014 के अनुसार
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	सिविल ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि, स्टाफ क्वार्टर और अन्य विविध कार्य	चंडीगढ़ में स्टाफ क्वार्टर	2.00	स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	चंडीगढ़ में स्टाफ क्वार्टर का निर्माण-चौथी तिमाही	अनुमान की मंजूरी की प्रक्रिया जारी है।
5.	दूरदर्शन नेटवर्क का डिजिटलीकरण	टेरेस्ट्रियल ट्रांस्मिशन का डिजिटलीकरण	61.00	डिजिटल एजटीपी-23	डिजिटल एचटीपी केलिए ऑर्डर देना-तीसरी तिमाही	डीवीबी-टी 2 लाइट मानकों के विनिर्देशनों को अंतिम रूप दिया। एनआईटी जारी करने के लिए प्रसार भारती के अनुमोदन की प्रतीक्षा। प्रसार भारती के निर्णय के अनुसार डिजिटल एचपीटी क्लस्टर मोड में स्थापित किए जाएंगे। क्लस्टरिंग की योजना के लिए मंत्रालय का सिद्धांत रूप में अनुमोदन का इंतजार है।
		अभिलेखागारों का डिजिटलीकरण		दिल्ली के केंद्रीय अभिलेखागारों का संवर्धन	एन आई टी जारी-पहली तिमाही ऑर्डर देना-तीसरी तिमाही उपकरण की आपूर्ति-चौथी तिमाही	विनिर्देशनों को अंतिम रुप दिया जा रहा है।
6.	ओएफसी कनेक्टिविटी	कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के लिए ओएफसी नेटवर्क के माध्यम से चुनिंदा दूरदर्शन केंद्रों को जोड़ना।	1.02	चुनिंदा दूरदर्शन केंद्रों को ओएफसी कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ना	एन आई टी जारी-पहली तिमाही ऑर्डर देना-तीसरी तिमाही ओएफसी नेटवर्क के माध्यम से चुनिंदा दूरदर्शन केंद्रों को जोड़ने का कार्य पूरा करना-चौथी तिमाही	विनिर्देशनों को अंतिम रुप दिया जा रहा है।
7.	बोर्डर कवरेज को सुदृढ़ करना	बोर्डर कवरेज को सदृढ़ करना	5.00	रामेश्वरम में 300 मीटर टॉवर को सुदृढ़ करना	ऑर्डर देना-दूसरी तिमाही	आई आई टी-एम ने निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया। आगे की संवीक्षा जारी है।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बीई 2015-16 (करोड़ रुपए में	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पिणियां 31.12.2014 के अनुसार
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	डीटीएच	डीटीएच प्लेटफार्म को 250 टीवी चैनल तक उन्नयन करना	5.00	सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्य	सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्य पूरा करना-चौथी तिमाही	
9.	नई मीडिया प्रौद्योगिकीकरण वैकल्पिक डिलीवरी प्लेटफार्म	इंटरनेट डिवाइसिज पर दूरदर्शन के चैनल उपलब्ध कराना	1.00	वेबकास्टिंग और सामग्री वितरण श्रृंखला (सीडीएन)	वेबकास्टिंग और सीडीएन कार्य पूरा करना-चौथी तिमाही	विनिर्देशनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
स्कीम-III	विशेष परियोजनाएं		0			
1.	डीडी अंतर्राष्ट्रीय का वैश्विक कवरेज		0			
2.	प्रसारण संग्रहालय					
		दूरदर्शन का कुल	**345.02**			
	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतू अनुदान		**310.02**			
	सामान्य-सहायता-अनुदान		**35.00**			

मुख्य सचिवालय की प्रसारण विंग स्कीमें

(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग

सामुदायिक रेडियो के विकास के लिए 'भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग' नामक योजना चल रही है। इस योजना के दो घटक 'सामुदायिक रेडियो सहयोग योजना' और 'सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां' हैं। मंत्रालय मौजूदा और नए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की बुनियादी सुविधाओं, उपकरणों, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण आदि प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराएगा। 'सामुदायिक रेडियो सहयोग योजना' के अधीन कुल अनुमानित खर्च का पचास फीसदी अधिकतम अनुदान के रूप में दिया जा सकेगा, जिसकी सीमा 7.50 लाख रुपये होगी।

मंत्रालय अनुमति प्रदान करने वालों के लिए जागरूकता, क्षमता, क्षमता निर्माण कार्यशालाएं, राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन कर उन्हें नीति के बारे मंक जागरूक बनाने का काम करेगा। इसके अलावा सामुदायिक रेडियो संचालकों के लिए कई प्रमुख आईईसी गतिविधियों की तरह डिजाइनिंग और तकनीकी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स का संचालन होगा। इसके तहत श्रोताओं के सर्वेक्षण कराए जाएंगे, प्रभाव की स्टडी, समकक्ष समीक्षा, वितरण के लिए आईईसी सामग्री, किट्स का प्रचार, प्रकाशन और राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16			मात्रात्मक लाभ/उत्पादन वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया में/ समय सीमा	टिप्पणी जोखिम/ घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट (अनुमोदित) राजस्व	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	''भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन में सहयोग''	सामुदायिक रेडियो में सहयोग योजना नए और कार्यरत सामुदायिक रेडियो को स्त्रोत, क्षमता और तकनीकी द्वारा सशक्त करना ताकि वे सामुदायिक दायित्व निभा सकें	--	6.30	--	हर साल 100 नए सीआरएस और 30 मौजूदा स्टेशनों को सहायता दी जाएगी	सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या में वृद्धि की जाएगी	नए और मौजूदा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को वित्तीय सहायता दी जाएगी	--
		सामुदायिक रेडियो के लिए आईसीसी गतिविधियां, एनजीओ, समुदाय आधारित संगठनों के बीच नए और वर्तमान में काम कर रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशन संचालकों की नीति, क्षमता, निर्माण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समकक्ष आकलन और प्रभाव का अध्यन करना	--		--	सामुदायिक रेडियो प्रसारण को मंजूरी	शिक्षा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जागरूकता, समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक समरूपता के जरिए सामुदायिक विकास	i. वित्तीय वर्ष 2015-16 के बीच 8 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी ii. छठा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के साथ पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा iii. क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे iv. काम कर रहे सामुदायिक रेडियो की तीसरी और चौथे चरण की समीक्षा की जाएगी v. श्रोताओं के सर्वेक्षण के लिए एजेंसी से संपर्क कर प्रभाव और पहुंच के बारे में पता लगाया जाएगा vi. भारत में सामुदायिक रेडियो के विकास और कार्यक्षमता के विकास के लिए संस्थाओं से जुड़ा जाएगा	

(ख) प्रसारण शाखा का स्वचालितीकरण

(रुपये करोड़ों में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16			मात्रात्मक लाभ/उत्पादन वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया में/ समयसीमा	टिप्पणी जोखिम/ घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट (अनुमोदित) राजस्व	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	**'प्रसारण शाखा का स्वचालितीकरण'**	**मंजूरी देने की प्रक्रिया दुरुस्त करना और इसे पारदर्शी बनाना।**	—	**1.00**	—	**टीवी चैनल, सीआरएस, एमएसओ लाइसेंस और एफएम की अनुमति देने की समस्त प्रक्रिया को स्वचालित बनाना।**	**टीवी चैनल, सीआरएस, एमएसओ लाईसेंस और एफएम की** अनुमति देने में पारदर्शिता, दक्षता और त्वरित निपटारा करना।	एक वर्ष	क्रियान्वयन एजेंसी (बेसिल) के साथ आरई में अनुमानित व्यय को बढ़ाना।

(ग) मिशन डिजीटाइजेशन

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16			निर्धारित/ वितरणीय भौतिक परिव्यय	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम का घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i) गैर-योजना बजट	4 (ii) योजना बजट	4 (iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	''मिशन डिजी-टाइजेशन''	देश में केबिल टी वी डिजीटाइजेशन के चरण-3 तथा चरण-4 को पूरा करना	शून्य	2 करोड़	शून्य	मंत्रालय की सलाह के अनुसार बेसिल ने प्रोजेक्ट के स्कोप के अनुसार प्रारंभिक कार्यवाही करना प्रारम्भ कर दिया है। इसमें शामिल है - विभिन्न स्थलों पर 11 क्षेत्रीय इकाइयों में स्थान की पहचान, उपकरण एवं एम आई एस के लिए विशेषज्ञता का सृजन तथा बहु भाशी कॉल सेन्टर की स्थापना के लिए निविदा इत्यादि।	• एम एस ओ से आंकड़ों का संग्रहण • केबिल टी वी डिजीटाइजेशन के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए राज्य सरकारों एवं एम एस ओ के बीच समन्वय • एस टी बी तथा अन्य सम्बन्धित गतिविधियों की प्रभावकारी निगरानी	चरण-3 तथा चरण-4 को पूरा करने के लिए समय सीमा क्रमश: 31.12.2015 तथा 31.12.2016 तय की जा चुकी है।	-

अध्याय-3

सुधार, उपाय तथा नीतिगत पहल

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

सुधार उपाय तथा नीतिगत पहल

3.1 परिचय: पारदर्शिता, सशक्तीकरण, विकेन्द्रीकरण तथा निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए डी ए वी पी ने निम्न पहल की है। डी ए वी पी भारत सरकार की नोडल विज्ञापन एजेंसी की भूमिका को मजबूत करने के लिए परिवर्तन एवं पहल करता है। डी ए वी पी भारत सरकार की अधिकृत विज्ञापन एजेंसी है, जो विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं का प्रचार करती है। जिसमें सामाजिक, आर्थिक उत्थान, राष्ट्रीय सद्भावना, आतंकवाद के विरुद्ध संप्रभुता और स्वास्थ्य संबंधी प्रदर्शन, समाचार पत्र, सैटेलाइट, टी वी चैनल, रेडियो, डिजीटल कैमरा, आउटडोर प्रचार और मुद्रित प्रचार सामग्री आदि शामिल है।

3.2 मीडिया: लिस्ट सॉटवेयर का सृजन: विज्ञापनों को क्रमबद्ध तरीके से समाचार पत्रों को देने के लिए डी ए वी पी ने स्वयं एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो विज्ञापनों को प्रसार, कीमत, शामिल विज्ञापनों की संख्या जैसे विविध आधारों पर विज्ञापन आवंटित करता है।

3.3 इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान जारी करना: डी ए वी पी ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफर सिस्टम के जरिए भुगतान करना शुरु किया है। डी ए वी पी की वेबसाइट www.davp.nic.in पर बिलों की स्थिति देखी जा सकती है।

3.4 समाचार पत्रों का नया पैनल तथा दर समीक्षा: अक्टूबर 2013 में समाचार पत्रों की दरों में एक बारगी 19 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। प्रसार के साथ ही समाचार पत्रों को बेहतर पारिश्रामिक देने के लिए दरों की हर साल की जाने वाली नियमित वृद्धि जनवरी 2014 में की गई थी जो परामर्श समिति द्वारा तय की गई थी।

3.5 दृश्य श्रव्य विंग के लिए एंपैनेलमेन्ट एडवाइजरी समिति का गठन: एक समान फार्मूले पर आधारित रेडियो और टी वी चैनलों के लिए नई दरें सुधारने के लिए एक समिति गठित की गई है।

3.6 नवीन मीडिया: हाल ही में तेजी से बदली प्रौद्यौगिकी ने प्रचार के तरीकों को भी नई दिशा दी है। डी ए वी पी ने इस नए उभरते 'नवीन मीडिया' को प्रचार के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है ताकि डी ए वी पी के जरिए प्रचार करने वाले मंत्रालयों के पास भी इस नये प्रचार तन्त्र का इस्तेमाल करने का विकल्प उपलब्ध हो सके।

3.7 डिजीटल सिनेमा: निदेशालय के तहत जून 2014 तक देश भर में 7694 से भी ज्यादा स्क्रीनों वाले 9 डिजीटल सिनेमा एजेन्सियों का पैनल तैयार किया गया है। डिजीटल सिनेमा एजेन्सियों के पैनल के लिए संषोधित दिषा निर्देश जनवरी 2014 से लागू किए गए हैं।

3.8 इंटरनेट विज्ञापन: मुख्य परियोजना के आधार पर 41 वेबसाइटों का पैनल बनाया गया है। अतिरिक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में इंटरनेट विज्ञापनों की दरें तया करने और वेबसाइट की पैनल में लाने के लिए 3 अप्रैल 2013 को एक समिति गठित की गई।

3.9 बल्क एस एम एस: डी ए वी पी ने जून 2013 में इस परियोजना के तहत 9 बल्क एस एम एस एजेन्सियों का पैनल बनाया है। इसके लिए बातचीत के आधार पर खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा दरें तय की गई हैं।

3.10 सार्वजनिक-निजी भागीदारी: एक और क्षेत्र जिसमें पहल की गई है वह है दृश्य श्रव्य माध्यम में सृजनाम्कता। डी ए वी पी ने अपने ग्राहक मंत्रालयों के लिए सृजनात्मक डिजाइन करने के लिए रिकार्ड संख्या में निजी विज्ञापन एजेंसियों का पैनल बनाया। मल्टी मीडिया अभियान के लिए 11 एजेन्सियों को ए श्रेणी में, 2 एजेन्सियों को बी श्रेणी में तथा 26 एजेन्सियों को सी श्रेणी में, प्रिन्ट क्रिएटिव के लिए 86 एजेन्सियों का पैनल बनाया गया। प्रोग्रामर तथा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को वाह्य स्रोत से लिया गया।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

मैनपावर के तर्कयुक्त पुर्नगठन के जरिए दक्षता में सुधार करने के लिए निदेशालय अपने ढांचे के नवीकरण तथा पुर्ननिर्माण की प्रक्रिया में रत है। इसमें इस बात पर अधिक जोर दिया गया है कि अन्य मीडिया स्रोतों से विरत् यथा जनजातीय, सीमावर्ती, दूरस्थ तथा पिछड़े क्षेत्रों के व्यक्तियों के लाभ के लिए उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके।

पारदर्शिता अपनाने के क्रम में निदेशालय एक वेबसाइट का रखरखाव करता है जो समय-समय पर अद्यतन की जाती है।

भारतीय जनसंचार संस्थान

इस संस्थान की प्रमुख गतिविधियों में एक गतिविधि विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ जुड़ने की ख्वाहिश रखने वाले युवकों एवं युवतियों को जरूरी बुनियादी कौशल एवं तकनीकों के साथ लैस करना है तथा उन्हें इस क्षेत्र के विभिन्न आयामों के बारे में ज्ञान प्रदान करना है। संस्थान का प्रयास होता है कि वह अपने छात्रों को समाज के उपयोगी सदस्य के रूप में विकसित करे। यह पाया गया है कि आम तौर पर आईआईएमसी के विभिन्न पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के करीब 60 प्रतिशत छात्र महिलाएं हैं और इस तरह से यह संस्थान भारत में मीडिया और संचार के क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण के सरोकार को बढ़ावा दे रही है।

भारतीय जनसंचार संस्थान ने व्यापक विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से आईजॉल (मिजोरम), अमरावती (महाराष्ट्र), जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर) तथा कोट्टायम (केरल) में चार नये क्षेत्री केन्द्र खोले हैं। ये ढेंकनाल (ओडिशा) तथा मुख्यालय नई दिल्ली में मौजूदा क्षेत्रीय केन्द्रों के अलावा हैं।

अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षा के आयोजन के जरिये प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिखित परीक्षा के परिणामों के अलावा साक्षात्कार तथा अंतिम स्तर की सूची को संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है।

फोटो प्रभाग

फोटो विभाग का मुख्य कार्य वृद्धि और विकास के साथ-साथ देश में हो रहे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलावों का तस्वीरों के माध्यम से दस्तावेज तैयार करना तथा विभिन्न सरकारी संगठनों को तस्वीरों की आपूर्ति करना है। संदर्भों की परस्पर तुलना के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जहां तस्वीरों को इसकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। कोई भी जरूरतमंद, शोधार्थी और संगठन या एजेंसी फोटो प्रभाग के आर्काइव से संबंधित तस्वीर प्राप्त कर सकेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू

और कश्मीर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों का दृश्य दस्तावेज तैयार करने के लिए योजना स्कीम के तहत विशेष कदम उठाए गए हैं। डिजिटल लाइब्रेरी तंत्र को ज्यादा प्रभावी और लंबे समय तक डिजिटल तस्वीरों को सुरक्षित रखने हेतु तंत्र विकसित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। फोटो प्रभाग की स्वर्ण जयंती के आयोजन के दौरान देश की बेहतरीन तस्वीरों के लिए इसने लाइफ टाईम अचीवमेंट अवॉर्ड की शुरुआत की। यह प्रक्रिया जारी है और राष्ट्रीय फोटो पुरस्कार लाइफ टाईम अचीवमेंट अवॉर्ड के साथ पेशेवर और नवांगतुक श्रेणी में प्रदान किया जाता है।

भारतीय प्रेस परिषद

प्रेस परिषद अ़र्द्ध न्यायिक निकाय है और जो नैतिक मानदंडों के साथ प्रेस का नियमन करती है। इसने अपनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये कई सुधार संबंधी कदम उठाये हैं एवं नीति संबंधी पहल की है, जिनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

सुधार के उपाय

प्रेस परिषद अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सक्रियता के साथ विचार हो रहा है।

पारदर्शिता

- आरटीआई कानून, 2005 का क्रियान्वयन
- वेबसाइट पर फैसलों, विभिन्न मुद्दों पर उप समतियों की रिपोर्टों तथा अन्य कदमों/कार्रवाइयों के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराया जाना
- वेबसाइट पर/डीएवीपी/आरएनआई/प्रेस निकायों को लेवी संग्रह बकायों की जानकारी उपलब्ध कराया जाना
- परिषद में सतर्कता/शिकायत निबटारा तंत्र/नागरिक चार्टर की स्थापना, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

परिषद की रिपोर्ट – परिषद में एक शक्तिशाली साधन मीडिया में उभरते नए रुझानों को देखकर महत्वपूर्ण मीडिया से संबंधित मुद्दे पर नजर रखने के लिए कई समितियों का गठन किया जा रहा है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिषद के प्रमुख मुद्दों में निम्नलिखित पर समितियों द्वारा तैयार 19 रिपोर्टों को अपनाया गया है।

1. पत्रकारों की सुरक्षा पर उप–समिति – रिपोर्ट संयोजक द्वारा तैयार की जा रही है।

2. परिषद द्वारा तैयार किये गये मॉडल प्रत्यायन/विज्ञापन संबंधी नियमों का पालन नहीं किये जाने के लिये लघु और मध्यम समाचार पत्रों द्वारा सामना की जा रही धमकियों/समस्याओं के मुद्दे की जांच करने के लिए उप समिति के पुनर्गठन पर नयी समिति बनायी गयी है।

3. गोवा में जिला स्तरीय प्रत्यायन की समस्या पर उप–समिति (02 जून, 2014 को रिपोर्ट अनुमोदित की गयी)

4. गतिविधियों, कामकाज और शीर्षक संबंधी आरएनआई रिपोर्ट की समीक्षा से संबंधित उप–समिति। रिपोर्ट 02 जून, 2014 को पारित लेकिन पुनर्विचार की जरूरत।

- फैजाबाद साम्प्रदायिक हिंसा पर समिति। रिपोर्ट 26 मार्च, 2014 को पारित, लेकिन पुनर्विचार की जरूरत।
- वित्तीय दृष्टि से लघु और मंझोले समाचार पत्रों के मामलों पर विचार– विमर्श तथा लघु एवं मध्यम समाचार पत्र विकास वित निगम की स्थापना के मामलों पर विचार के लिये उप– समिति। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

परिषद ने 11 नई समितियों का गठन किया है –

1. तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा कथित रूप से की गयी टिप्पणी के कारण तेलंगाना में मीडिया पर कथित खतरों की जांच के लिये समिति गठित की गयी।

2. साक्षी दैनिक और नमस्ते तेलंगाना समाचार पत्र के रिपोर्टरों को रोके जाने के मामले की जांच के लिये समिति।
3. बरवाला, हिसार (हरियाणा) में पुलिस द्वारा मीडिया कर्मियों पर हमले की जांच के लिये समिति।
4. जम्मू-कश्मीर पर वार्ताकारों की रिपोर्ट की जांच करने के लिए उप-समिति।
5. विज्ञापन के मुद्दे की जांच के लिए उपसमिति।
6. प्रत्यायन के मुद्दे की जांच के लिए उपसमिति।
7. नवम्बर, 2014 में अज्ञात हमलावरों द्वारा आंध्र प्रदेश डेली के अंशकालिक संवाददाता श्री एमएनवी शंकर की हत्या तथा पत्रकारों पर हमले के मामले की जांच के लिये तथ्यान्वेषी टीम।
8. दिल्ली विधानसभा चुनाव समिति।
9. सार्क समिति।
10. वित्त समिति।
11. चयन समिति।

पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय लोगों को सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के बारे में अवगत कराने के लिये भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। ब्यूरो मीडिया प्रतिनिधियों को कार्य करने की सुविधायें प्रदान करता है। आम आदमी तक पहुंचने के सरकार के प्रयासों के तहत, पत्र सूचना कार्यालय देशभर में जन सूचना अभियानों (पीआईसी) का संचालन करता है। जन सूचना अभियानों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, सूचना अधिकार कानून, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम, समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीसी) योजना, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी कल्याण आदि जैसे सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता कायम करना तथा जानकारियों का प्रसार करना है।

ब्यूरो ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को एक ही जगह पर मीडिया सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये नयी दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया सेंटर की स्थापना की है। कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इस कार्य में एनबीसीसी को शामिल किया गया। परियोजना लागत के बढ़कर 60.00 करोड़ रूपये हो जाने के कारण 15 सितम्बर, 2009 को ईएफसी से ताजा अनुमोदन प्राप्त किया गया। आज की तारीख तक 57.41 करोड़ रूपये का इस्तेमाल किया जा चुका है तथा 2.25 करोड़ रूपये को दिसंबर, 2014 तक खर्च किये जाने के लिये रखा गया है। यह भवन बन कर तैयार है और यहां पूरी तरह से काम-काज हो रहा है।

उक्त के अलावा, पत्र सूचना कार्यालय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल और प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के लिये पत्रकारों को विशेष प्रत्यायन देने के लिये अपने अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। ये भारत सरकार के प्रतिष्ठित आयोजन हैं जिनके जरिये भारत की मिलीजुली संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है तथा सूचनाओं का प्रचार किया जाता है। इसलिये पीआईबी इन दोनों गतिविधियों के लिये मीडिया सुविधायें प्रदान करता है।

12 वीं पंचवर्षीय में नयी योजना के रूप में योजना स्कीम ''मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यक्रम'' के तहत योजना घटक ''पीआईबी के आधुनिकीकरण'' को शामिल किया गया। इस योजना का उद्देश्य पीआईबी में संचार एवं सूचना प्रचार प्रणाली को पूरी तरह से आधुनिक एवं अधुनातन बनाना है ताकि पीआईबी में मुख्यालय एवं इसके क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में दक्षता में व्यापक सुधार लाया जा सके और आधुनिक प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके।

प्रकाशन विभाग

सुधार उपाय एवं नीति संबंधी पहल

इम्प्लाइमेंट न्यूज की ओर से की गई पहल के विवरण अलग से दिये गये हैं जबकि प्रशासनिक, संपादकीय, व्यवसाय, उत्पादन तथा इस निदेशालय के योजना एकांश में की गई नीति संबंधी पहल के विवरण निम्न प्रकार हैं।

3.1 प्रशासन :

3.1 क – निदेशालय द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए मंजूरी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया और जीएफआर के नियमों के अनुसार क्रम में बनाया गया।

3.1 ख – फील्ड अधिकारियों के साथ नियमित रूप से टेलीफोन संपर्क शुरू किया गया ताकि प्रशासनिक मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया ली जा सके तथा अगर कोई समस्या हो तो उसे सुलझाया जा सके।

3.2 उत्पादन :

3.2 क – मुद्रकों के नये पैनल के जरिये विभिन्न आकार की रूटीन पुस्तकों के मुद्रण के लिए वार्षिक दर अनुबंध को हाल में अंतिम रूप दिया गया।

3.2 ख – इस संबंध में विनिर्देशों को कड़ा किए जाने के बाद से पुस्तकों के कागजों की गुणवत्ता में व्यापक सुधार आया है।

3.3 संपादकीय :

3.3 क – प्रकाशन विभाग सामग्रियों को सुधारने तथा बाजार में प्रतिस्पर्धा में बने रहने तथा अपनी पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सतत प्रयास करता रहा है। बदलते समय के साथ तालमेल रखने के लिए, संगठन की बच्चों की सभी पुस्तकों अब चार रंगों में सचित्र प्रकाशित हो रही हैं। योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल और बाल भारती जैसी निदेशालय की पत्रिकाओं ने योजना, विकास, ग्रामीण विकास, साहित्य, संस्कृति और बाल साहित्य के विभिन्न समकालीन विषयों पर आधारित अंक प्रकाशित विविध मुद्दों को किए हैं।

3.3 ख – अपनी परंपरा को बनाए रखने के प्रकाशन विभाग ने वर्ष 2014–15 में भारतीय पैनोरमा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने वाली किताबें का प्रकाशन किया। प्रकाशित पुस्तकों के कुछ महत्वपूर्ण शीर्षक हैं – युवा संन्यासी, भारत के दुर्ग और पिछले 65 वर्षों में बाल भारतीय में हिन्दी में प्रकाशित बाल कहानियों के तीन संग्रह, इंडियन वूमेन : कंटेंपोररी एसेज, ए हिस्ट्री आफ सोशलिज्म, स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय, बफलिंग ब्रेन। इसके अलावा महात्मा गांधी की संकलित रचनाओं के दस खंड तथा राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित प्रकाशन, जिनका शीर्षक है – विंग्ड बर्ड्स आफ राष्ट्रपति भवन तथा अंग्रेजी में इंद्रधनुष।

योजना

विभाग की ओर से वर्ष 1957 से प्रकाशित हो रही प्रमुख पत्रिका है। इसका पहला अंक संपादक के रूप में प्रख्यात पत्रकार खुशवंत सिंह के साथ हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। योजना सरकार की नीति के व्यापक संदर्भ में आर्थिक विकास के व्यापक विषयों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करती है हालांकि यह केवल सरकार के विचारों को उजागर करने तक ही सीमित नहीं है। इस पत्रिका का संयुक्त वितरण करीब 2–30 लाख प्रतियां हैं। (अंग्रेजी में 82,000 प्रतियां, हिन्दी में 50,000 से अधिक प्रतियां तथा शेष 11 भाषाओं अर्थात, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में)। योजना की भूमिका राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका के रूप में है जो हिंदी तथा अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की क्षेत्रीय मांगों को पूरा करती है और यह विकास पत्रकारिता में अद्वितीय है। यह संभवत: 13 भाषाओं में एक साथ प्रकाशित होने वाली सामाजिक – आर्थिक मुद्दों पर आधारित एकमात्र पत्रिका है। यह पाठकों एवं छात्रों को, खास तौर पर छोटे शहरों के पाठकों को उनकी अपनी भाषा में समृद्ध सामग्रियां प्रस्तुत करती है।

योजना के कार्यालय दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलूर, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, हैदराबाद, पटना, गुवाहाटी और कोलकाता में हैं।

कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास के मुद्दों के लिए समर्पित एक मासिक पत्रिका है जो 1952 के बाद से हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित हो रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रकाशित होने वाली कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास के मुद्दों पर आधारित एक अद्वितीय मासिक पत्रिका है। यह नीतियों, कार्यक्रम और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विकास के प्रयासों के कार्यान्वयन की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। कुरुक्षेत्र (हिन्दी और अंग्रेजी में) का संयुक्त प्रसार प्रति माह 100, 000 के करीब है।

बाल भारती

बाल भारती 1948 से प्रकाशित हो रही लोकप्रिय पत्रिका है। बच्चों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के अलावा, यह सूचनाप्रद लेखों, कहानियों, कविताओं तथा सचित्र कथाओं के जरिये उनमें सामाजिक मूल्यों और वैज्ञानिक सोच का समावेश करती है। यह 2008 के बाद से हर साल एक अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करती है।

आजकल (हिन्दी और उर्दू)

आजकल 60 साल से अधिक समय से हिन्दी और उर्दू में प्रकाशित होने वाली प्रतिष्ठित साहित्यिक मासिक पत्रिका है। साहित्य और संस्कृति की प्रतिष्ठित एवं अग्रणी मासिक पत्रिका है।

3.5 व्यापार :

3.5 क – प्रकाशन विभाग की प्रोफाइल को सुधारने के लिए गहन प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के विमोचन के लिए उच्च स्तर के विज्ञापन, पुस्तक समीक्षा तथा महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों एवं पुस्तक मेलों में भागीदारी की जाती है।

3.5 ख – नए सदस्यों को शामिल करते हुए गृह पुस्तकालय सदस्यता डेटाबेस का विस्तार करना।

3.5 ग – हमारे प्रकाशनों की पहुंच को बढ़ाने के लिए आन लाइन बुक स्टोरों के साथ टाइ अप की शुरुआत की गयी है।

3.6 इम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार

इम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार एक साप्ताहिक है जो अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में प्रकाशित होती है। यह प्रकाशन विभाग का महत्वपूर्ण प्रकाशन है। इस साप्ताहिक पत्रिका में केन्द्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, परिषदों आदि में रिक्तियों के विज्ञापन, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिये सूचनाएं, परीक्षाओं की सूचनाएं, यूपी,एससी, एसएससी तथा अन्य आम नियोक्ता निकायों के परीक्षा फलों तथा मध्यम स्तर के कैरियर पदोनयन अवसरों (डेपुटेशनों) की जानकारियां प्रकाशित होती है। इसके अलावा इसमें संपादकीय खंड भी है जिसमें कैरियर अवसरों के संबंध में दो प्रमुख लेख प्रकाशित होते हैं।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

सुधार के उपाय एवं नीति पहल

इन वर्षों में, प्रिंट मीडिया ने प्रेस और पुस्तक अधिनियम के पंजीकरण 1867 के दायरे से परे एक हद तक अपनी सीमा को बढ़ाया है। पीआरबी अधिनियम, 1867 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, प्रिंट मीडिया के वर्तमान परिदृश्य में कार्य को प्रासंगिक बनाने के लिए एक अवलोकन के साथ इसकी समीक्षा की गई है।

मौजूदा पीआरबी अधिनियम 1867 में, विशेष रूप से शीर्षक सत्यापन, विदेशी प्रकाशनों और परिसंचरण सत्यापन पर, स्पष्ट प्रावधानों का अभाव जैसे कमी है। इसमें अवैध निवास स्थान की समस्या से निपटने के उपायों का भी अभाव है। आमतौर पर परिहार्य देरी का कारण बनने वाले, जिले के अधिकारियों के द्वारा शीर्षक अनुप्रयोगों और घोषणा के प्रमाणीकरण के निपटान के लिए समय सीमा का भी अभाव भी है। इसलिए, इस कमियों को दूर करने के लिए मौजूदा अधिनियम को 'प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण और प्रकाशन अधिनियम, 2014' नामक प्रस्तावित अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित करने की सलाह दी गयी है।

समाचार पत्रों के लिए, शीघ्र, कुशल और पारदर्शी सेवा प्रदान करने और पीआरबी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने और सर्कुलेशन की सख्ती से जांच शुरू करने और इसे लागू करने के साथ, 11 वीं योजना अवधि 2007–12 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी में और मध्य क्षेत्र में भोपाल में दो नये क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये। 12 वीं योजना अवधि 2012–2017 के दौरान, तीन गतिविधियों (1) रिकार्ड का डिजिटलीकरण (2) ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया और (3) वार्षिक ब्यौरों की ई–फाइलिंग को कार्यान्वित किया जाना है।

हाल की मुख्य विशेषताएं :

- ऑनलाइन शीर्षक सत्यापन आवेदन पत्र – वर्तमान में, संबंधित डीएम को आवेदन डाक के द्वारा भेजे जाते हैं। इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता है।
- वार्षिक विवरण की ऑनलाइन ई–फाइलिंग जारी रखना। इस साल यह एक बड़ी सफलता थी।
- शीर्षक और पंजीकरण आवेदनों की स्थिति के बारे में स्वत: एसएमएस और ई–मेल जानकारियां पूर्ण सफलता के साथ दी जा रही है। इससे देरी की समस्या दूर हुई है और पारदर्शिता में कमी आई है।
- शीर्षक सत्यापन पत्र और पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतियों की ऑनलाइन उपलब्धता और डाउनलोड करने की सुविधा।
- हित धारकों के लिए 100 प्रतिशत परेशानी मुक्त ऑनलाइन सेवा ।

सर्कुलेशन चेक (आरसीई / एसएफसी के तहत प्रस्तावित अतिरिक्त उप–घटक) :

डीएवीपी विज्ञापनों के लिए दर पुनर्गठन समिति उच्च स्तरीय एम/ओ सूचना एवं प्रसारण समिति की सिफारिश के अनुसार, आरसीई में, योजना के तहत स्कीम प्रोफेशनल सीए / लेखा परीक्षकों को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार पैनल में शामिल किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है, जो संचलन सत्यापन के कार्य को बिना किसी बाधा के संचालित करने में आरएनआई को सक्षम कर, आरएनआई / डीएवीपी के अधिकारियों की टीम के साथ काम करेंगे।

गीत एवं नाटक प्रभाग

गीत एवं नाटक प्रभाग की स्थापना 1954 में संचार उद्देश्यों के लिए प्रचुर लोक परंपरागत स्वरूपों को सामने लाने हेतु एक प्रयोगात्मक इकाई के रूप में की गई। सजीव प्रचार माध्यम, जैसा कि अब बहुत बड़े पैमाने पर पहचाना जाता है, बहुत ही प्रभावशाली साबित हुआ क्योंकि इसने जनसमुदाय के साथ सीधे सम्पर्क के लाभों को अंतर्निहित (inherent) कर लिया और समसामयिक मुद्दों, विचारों एवं तरीकों को प्रतिबद्धता के साथ लागू करने में नम्यता (flexibility) को अपना लिया। दुर्गम पहाड़ी, मरुस्थल, एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों/क्षेत्रों और सीमा क्षेत्र सहित जमीनी स्तर पर संचार स्थापित करने के लिए इसके क्षेत्र में वृद्धि करने, पहुंच और प्रभाव बढ़ाने हेतु इस प्रभाग के प्रयोजन और आकार में बढ़ोतरी की गई थी।

प्रभाग का मुख्य कार्य जैसा कि आधिकारिक वेबसाइट पर दिया गया है, राष्ट्र के विकास के लिए संवहनीय सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक विचारों के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाना और भावनात्मक स्वीकार्यता बढ़ाना, सीमा क्षेत्र के लोगों के बीच रक्षा तैयारियों और देश के शेष भागों के साथ सांस्कृतिक एकता

की समझ विकसित करना और सजीव मनोरंजन मीडिया जिसके तहत देश के सभी भागों में फैले नाट्यकला के दोनों स्वरूप – शहरी और लोक, के जरिए सेना के एकांत प्रदेशों में तैनात जवानों का मनोबल बनाए रखना है।

अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रभाग लोक और परंपरागत नाटकों, नृत्यनाटकों (बैलेट), गीतिनाट्य (ओपेरा), नृत्य के साथ अभिनयकर्म, लोक और परंपरागत वृतांत, कठपुतली का तमाशा और यहां तक कि सदियों पुरानी परंपरा के सैकड़ों मदारी के खेल जैसे व्यापक लोक और परंपरागत स्वरूपों का उपयोग करता है। इसके अलावा प्रभाग आधुनिक तकनीकों के साथ ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनी और सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, धर्म निरपेक्षता, सांस्कृतिक धरोहर का प्रचार, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय थीमों पर अभिनय करने के लिए सैकड़ों कलाकारों का उपयोग करता है।

देश के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले कई लोक और परंपरागत स्वरूपों का उपयोग करते हुए प्रभाग एक ओर इन स्वरूपों के पुनरुद्धार और इन्हें जीवंत बनाए रखने का एक शक्तिशाली जरिया बन गया है तो दूसरी तरफ उद्देश्यपूर्ण संचार के लिए हजारों अभिनयकर्ताओं / कलकारों को उनके कौशल / क्षमता का उन्हीं की भाषा, लोकोक्ति और बोली में उपयोग करते हुए आजीविका प्रदान करने में सक्षम है।

उच्च पारदर्शिता और विस्तारित प्रचार सुनिश्चित करने के लिए संगीत के साजो – सामान में आधुनिक तकनीकों और ''मोडेमाइजेशन'' के तहत स्थानीय पता तंत्र को अद्यतन और कंप्यूटरीकृत करने का प्रस्ताव किया गया है। कार्यक्रम की गुणवत्ता, शोध, विकास, प्रशिक्षण और प्रभाव को सुधारने की दृष्टि से मूल्यांकन किया जाएगा।

मुख्य सचिवालय की सूचना विंग स्कीमें

(प्रसार भारती को छोड़कर) मीडिया इकाइयों सहित सभी तीन क्षेत्रों के लिए नीति संबंधित अध्ययन, संगोष्ठी, मूल्याकंन आदि

यह योजना मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में मंत्रालय की चालू/नयी योजनाओं (मध्यावधि मूल्यांकन) के लिये नीति संबंधी अध्ययन, संगोष्ठी एवं मूल्यांकन का प्रावधान करती है। इन अध्ययनों से उपयुक्त नीतिगत सुधारों को आरंभ करने के लिए इस क्षेत्र में विकास की गतिशीलता को समझने में मदद मिलेगी।

मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण

अकादमिक विनिमय कार्यक्रम के तहत मार्च 2014 को भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) और क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया (क्यूयूटी) के बीच सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। इसका उद्देश्य दोनों संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ाना और आईआईएस अधिकारियों तथा उप सचिव स्तर व मंत्रालय के उच्च पदस्थ अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा क्षमता निर्माण गुणों के विकास के लिए रोडमैप तैयार करना था।

नियोजित योजना "एचआरडी के लिए प्रशिक्षण" के तहत अक्टूबर - नवंबर, 2014 में दो बैचों में 28 अधिकारियों ने क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, (क्यूयूटी), ब्रिसबेन, ऑस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया था।

फिल्म क्षेत्र

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

सुधार उपाय और नीतिगत पहल

प्रमाणीकरण प्रक्रिया की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में सुधार का प्रावधान किया गया है।

प्रमाणीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे फिल्मों के प्रमाणीकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

बाल फिल्म समिति, भारत

मंत्रालय द्वारा किए गए सुधार के उपाय और नीतिगत पहलकदमियां

सीएफएसआई गतिविधियों के बारे में सभी सूचनाओं को नियमित तौर पर सीएफएसआई की वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और परिणामों की जानकारी दी जा सके। फिल्म निर्माण के लिए प्रपोजल फॉर्म्स को ऑनलाइन दाखिल करने की व्यवस्था लागू की जा चुकी है। इसी तरह, सीएफएसआई द्वारा आयोजित फिल्म समारोहों में भाग लेने के लिए फिल्म प्रविष्टियों को ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है।

बाल फिल्मों को दिखाने संबंधी गतिविधियों को सीएफएसआई की वेबसाइट पर प्रमुखता से 'आयोजनों के कैलेंडर 'के रूप में दर्शाया जाता है और कार्यान्वयन पर चित्रों/आलेखों को भी प्रमुखता से पेश किया जाता है।

'गट्टू' शीर्षक से निर्मित सीएफएसआई की फीचर फिल्म को 20 जुलाई, 2012 को देश भर में रिलीज किया गया। उसे भारत के 55 शहरों के 100 सिनेमाघरों में पहली बार चार सप्ताह तक एक साथ दिखाया गया। सीएफएसआई द्वारा शहरों में टिकट खरीदने में समर्थ बच्चों के लिए टिकट वाले शो भी आयोजित किये जा रहे हैं। यह नियमित बाजार में पैंठ बनाने और फिल्मों के साथ प्रतियोगिता करने का प्रयास है।

जैसे पहले ही जानकारी दी जा चुकी है, महाराष्ट्र सरकार से बच्चों के सिनेमा के लाभ के लिए बाल-चलचित्र परिसर के निर्माण हेतु फिल्म सिटी में भूमि आवंटित करने की अपील की गई। महाराष्ट्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र चलचित्र मंच एवं सांस्कृतिक विकास निगम लिमिटेड ने गोरेगांव, मुंबई में फिल्म सिटी के प्रवेश द्वार पर 1460 वर्ग मी. भूमि देने का प्रस्ताव रखा। सीएफएसआई अब महाराष्ट्र सरकार की स्वीकृति का इंतजार कर रही है। परिसर के बारे में सीएफएसआई द्वारा समय-समय पर महाराष्ट्र सरकार के साथ फॉलोअप किया जाता है।

सीएफएसआई का लक्ष्य राष्ट्रीय महत्व वाले आधुनिक बाल चलचित्र परिसर का निर्माण करना है जिसमें एनिमेशन और कठपुतली स्टूडियो सहित फिल्म निर्माण के सभी पहलु मौजूद होंगे। बहुमूल्य कोष तैयार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण चलचित्रों का कोष तैयार किया जाएगा जिसका बड़े पैमाने पर भारतीय बच्चे आनंद उठा सकेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परिसर के भीतर बाल चलचित्र पुरातत्व स्थापित किया जाए।

फिल्म समारोह निदेशालय

3 मई 2015 को नई दिल्ली में 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन और साल 2015 के लिरए 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा के लिए निर्णायक मंडल का चयन।

साल 2015 के लिए भारतीय पैनोरमा के अंतर्गत फिल्मों का चयन और अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2015 का आयोजन।

फिल्म समारोह निदेशालय भारत में भारतीय पैनोरमा की फिल्मों का प्रदर्शन और दुनिया के दूसरे देशों में होने वाले फिल्म समारोहों में उनकी भागीदारी जैसी अपनी नियमित गतिविधियों का आयोजन साल भर करेगा।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

सुधार मानक और एफटीआईआई के मुद्दे

एफटीआईआई को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित करने के लिए संसद का एक कानून लाने का प्रस्ताव प्रक्रिया में है। संसद का यह कानून संस्थान द्वारा करवाए जाने वाले डिप्लोमा कोर्स को मान्यता देगा और संस्थान को प्रभावी तरीके से इसके अधिदेश की पूर्ति के लिए विभिन्न मानक लागू करने में सहायक होगा।

इसके तंत्र में अत्यधिक पारदर्शिता के संस्थान एक सिटिजन चार्टर प्रकाशित करता है, जो कि संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

फिल्म प्रभाग

सुधार, मानक और नीति निर्माण

बाहरी निर्माताओं एनजीओ के जरिये डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण सामाजिक मुद्दों और समस्याओं को उनके समाधान के साथ दर्शाने के लिए किया जाता है और साथ ही सरकार के राष्ट्र निर्माण के लिए किए गए प्रयासों की तरफ भी। फिल्मों के निर्माण के लिए दिशा निर्देश को और भी सरल और पारदर्शी बनाया गया है। प्रस्तावों की सरल प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए आवेदन ऑनलाइन मंगाए जाते हैं। फिल्म डिविजन, मुंबई में नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से संग्रहालय स्थापित करने का भी फैसला लिया गया है, जो ऑडियो विजुअल प्रस्तुति और महत्वपूर्ण कलाकृतियों के जरिये, जाने-माने निर्देशक, निर्माता और संस्थानों का कार्य और भारतीय सिनेमा का इतिहास दर्शाता है। यह संग्रहालय आम जन

को न सिर्फ सूचना का भंडार उपलब्ध कराता है बल्कि यह फिल्मकारों, फिल्म छात्रों और आलोचकों को कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम के तौर पर सिर्फ देश में ही नहीं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सिनेमा के विकास का आकलन करने में मदद करता है।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

पहले और दूसरे चरण में चलचित्र (फिल्म) तहखानों, मुख्य प्रेक्षागृह, डीजी सेट तथा अग्निशमन प्रणाली को बदलने को शामिल करते हुए वर्तमान आधारभूत संरचना के उन्नयन का कार्यवर्ष 2014-15 के दौरान एनएफएआई के लिए पूर्ण बजट के विनियोजन के बाद अगली तिमाही में शुरू किया जा सकेगा।

सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

सुधार मानक और एसआरएफटीआई के मुद्दे

एसआरएफटीआई को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिए एक संसदीय कानून लाने के प्रस्ताव पर काम चल रहा है। यह संसदीय कानून संस्थान द्वारा करवाए जाने वाले डिप्लोमा कोर्स को मान्यता देगा और संस्थान को अपने अधिदेश की पूर्ति के लिए प्रभावी तरीके से विभिन्न कार्य करने में सहायक होगा।

मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग स्कीमें

(क) एंटी पायरेसी पहल

फिल्म सेक्टर एक जीवंत सांस्कृतिक उद्योग है यद्यपि यह व्यापक रूप से निजी सेक्टर में आता है। भारत सबसे ज्यादा संख्या में फिल्मों का निर्माण करता है। प्रोद्योगिकी की उन्नति फिल्म उद्योग के सभी क्षेत्रों जैसे निर्माण, वितरण, प्रदर्शन और विपणन के विकास का मुख्य संचालक बन गया है।

एनीमेशन, गेमिंग और स्पेशल इफेक्ट्स के सेक्टर के उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय केंद्र की स्थापनाः

मानव संसाधन के अध्यन के आधार पर, सरकार सार्वजनिक और निजी भागीदारी के रूप में एनीमेशन, गेमिंग और स्पेशल इफेक्ट्स के सेक्टर के उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतू विचार कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पुरी योजना की सैद्धांतिक रूप में स्वीकृति हेतू योजना आयोग से संपर्क किया था.

एंटी-पायरेसी इनेसिएटिव्स

घ्लिम उद्योग पर पायरेसी के प्रभाव के सम्बन्ध पर पिछले अध्याय में चर्चा की जा चुकी है। जबकि, पायरेसी का सामना करने के लिए एक प्रभावी कानूनी प्रक्रिया की अविलम्ब आवश्यकता है, वहीं, पायरेसी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने की भी अविलम्ब आवश्यकता है क्योंकि उपभोक्ता पायरेसी के विभिन्न रूपों में निष्क्रिय प्रतिभागी है। अतः, ये अनुसंशा की गयी है कि एक प्रभावी और सम्मिलित मल्टी-मीडिया अभियान 12वीं योजनाकाल के तहत सभी घ्लिम और संगीत उद्योग के हितधारकों को सम्मिलित करते हुए प्रारंभ की जाए. साथ हीं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर पायरेसी के प्रभाव के वास्तविक आंकलन हेतू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन और शोध और

विकास की आवश्यकता है।

एंटी–पायरेसी योजना का उद्देश्य निम्नलिखित गतिविधियों पर सहयोग प्रदान करना होगा:

आ) पायरेसी से समबन्धित मल्टी मीडिया अभियानों का प्रसार।

ब) प्रशिक्षण कार्यक्रमओं और कार्यशालाओं का आयोजन कॉपीराइट अधिनियम के बारे में पुलिस, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों ने संवेदनशील बनाने के लिए।

स) पायरेसी के प्रभाव पर संसोधन का संचालन और पायरेसी का सामना करने हेतू विकास को सशक्त करना और साथ हीं सार्वजनिक–निजी रणनीति का कार्यान्वयन करना।

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन

सुधार मानक और नीति नेतृत्व

सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस नई 12 वीं योजना अर्थात 'राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन' का भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के माध्यम से फिल्म व फिल्म सामग्री के अभिलेखन के संरक्षण, डिजिटाइज के लिए क्रियान्वयन कर रहा है।

(ग) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

फिल्म सेक्टर एक जीवंत सांस्कृतिक उद्योग है यद्यपि यह व्यापक रूप से निजी सेक्टर में आता है। भारत सबसे ज्यादा संख्या में फिल्मों का निर्माण करता है। प्रोद्योगिकी की उन्नति फिल्म उद्योग के सभी क्षेत्रों जैसे निर्माण, वितरण, प्रदर्शन और विपणन के विकास का मुख्य संचालक बन गया है।

मानव संसाधन के अध्ययन के आधार पर, सरकार सार्वजनिक और निजी भागीदारी के रूप में एनीमेशन, गेमिंग और स्पेशल इफेक्ट्स के सेक्टर की उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु विचार कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पुरी योजना की सैद्धांतिक रूप में स्वीकृति हेतु योजना आयोग से संपर्क किया था।

एंटी–पायरेसी इनेसिएटिव्स

फिल्म उद्योग पर पायरेसी के प्रभाव के संबंध पर पिछले अध्याय में चर्चा की जा चुकी है। जबकि, पायरेसी का सामना करने के लिए एक प्रभावी कानूनी प्रक्रिया की अविलम्ब आवश्यकता है, वहीं, पायरेसी के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के संबंध में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने की भी अविलम्ब आवश्यकता है क्योंकि उपभोक्ता पायरेसी के विभिन्न रूपों में निष्क्रिय प्रतिभागी है। अत:, ये अनुशंसा की गयी है कि एक प्रभावी और सम्मिलित मल्टी–मीडिया अभियान 12वीं योजनाकाल के तहत सभी फिल्म और संगीत उद्योग के हितधारकों को सम्मिलित करते हुए प्रारंभ की जाए. साथ हीं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर पायरेसी के प्रभाव के वास्तविक आंकलन हेतू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन और शोध एवं विकास की आवश्यकता है।

एंटी–पायरेसी योजना का उद्देश्य निम्नलिखित गतिविधियों पर सहयोग प्रदान करना होगा:

क) पायरेसी से संबंधित मल्टी मीडिया अभियानों का प्रसार।

ख) प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन कॉपीराइट अधिनियम के बारे में पुलिस, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए।

ग) पायरेसी के प्रभाव पर संशोधन का संचालन और पायरेसी का सामना करने हेतु विकास को सशक्त करना और साथ हीं सार्वजनिक–निजी रणनीति का कार्यान्वयन करना।

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानिटरिंग केंद्र

ईएमएमसी का सुदृढ़ीकरण करने की योजना के लिए कुल 90 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, ताकि नागरिकों तक आपत्तिजनक सामग्री का प्रसारण न हो। टीवी चैनलों के कार्यक्रमों, विज्ञापनों की विषय सामग्री केबल टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट 1995 के अंतर्गत होनी चाहिए। जबकि रेडियो के मामले में विषय सामग्री लाइसेंस की गाइडलाइंस के मुताबिक होनी चाहिए। इसे हासिल करने के लिए विषय सामग्री पर निगरानी रखने के लिए टीवी चैनलों की संख्या चरणबद्ध तरीके से 1500 टीवी तक पहुंचाई जाएगी। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों और निजी एफएम चैनलों के लिए एक केंद्रीय विषय सामग्री सुविधा शुरू की जाएगी।

प्रसार भारती

सुधार, उपाय एवं नीतिगत पहल

प्रसार भारती के पास प्रसारण और टेलीकास्टिंग के क्षेत्र में ढांचागत, श्रमशक्ति और तकनीकी विशेषज्ञता के संदर्भ में संसाधनों का व्यापक भंडार है। ढांचागत भंडार में वर्षों से, प्रमुख रूप से भूमि, इमारत, टावर, ट्रांसमीटर, स्टूडियो, सेटेलाइट अर्थ स्टेशन, अभिलेखकरण की सुविधा, कर्मचारियों का प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), अनुसंघान और विकास आदि शामिल हैं। 500 डब्ल्यू मीडियम वेव ट्रांसमीटर से शुरुआत करते हुए आकाशवाणी आज प्रमुख प्रसारक संगठन बन गया है। 493 रेडियो ट्रांसमीटरों के साथ यह 91.87 प्रतिशत क्षेत्र और 99.19 प्रतिशत आबादी को कवर करता है। इसके अलावा फ्री–टू–एयर डीटीएच प्लेटफॉर्म डीडी डायरेक्ट प्लस पर, 21 रेडियो चैनल भी लगभग पूरे देश में कवरेज उपलब्ध करवा रहे हैं। दूरदर्शन वर्तमान में 33 सेटेलाइट चैनलों और 67 स्टुडियो एवं विभिन्न क्षमताओं वाले 1416 ट्रांसमीटरों के विशाल नेटवर्क का संचालन कर रहा है जो देश की करीब 92 प्रतिशत आबादी को टीवी कवरेज उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन फ्री–टू–एयर डीटीएच सेवा भी उपलब्ध करवा रहा है।

ढांचागत भंडार में, प्रमुख रूप से भूमि, इमारत, टावर, ट्रांसमीटर, स्टूडियो, सेटेलाइट अर्थ स्टेशन, अभिलेखकरण की सुविधा, नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टी मीडिया (तकनीकी), अनुसंधान और विकास आदि शामिल हैं। संभावनाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से, विशाल बुनियादी ढांचे से राजस्व अर्जित करने हेतु मई 2001 में आकाशवाणी संसाधन (एआईआर रिसोर्सिज) की स्थापना स्वतंत्र केंद्र के रूप में की गई।

आकाशवाणी संसाधन सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से निम्नलिखित योजनाओं को लागू करके राजस्व जुटा रहे हैं/ अगले 10 से 15 वर्षों के दौरान जुटा सकते हैं :-

1. निजी प्रसारकों, मोबाइल सर्विस प्रदाताओं/इग्नू के साथ लाइसेंस फीस आधार पर प्रसार भारती (पीबी) के ढांचागत संसाधन, जैसे टावर (एसटीएल टावर, स्व सहायक एस डब्ल्यू टावर, एकीकृत टीवी/एफएम टावर) इमारत और भूमि को बांटना। वर्तमान में पीबी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की निजी एफएम चरण 1 और चरण 2 योजना के तहत निजी एफएम प्रसारकों के साथ अपने ढांचागत संसाधनों को बांट रहा है। इस योजना के तहत वे अपने एंटीना को माउंट कर सकते हैं और अपने ट्रांसमीटर और दूसरे सहायक उपकरणों के इंस्टॉलेशन के लिए स्पेस खोल और बंद कर सकते हैं। भविष्य में, अगर पीपीपी के माध्यम से अपेक्षित हो, तो हम अपने ढांचागत संसाधन की व्यापक हिस्सेदारी कर सकते हैं।

2. इसके अतिरिक्त, प्रसार भारती परिसरों में अपने उपकरण स्थापित वाले निजी एफएम प्रसारकों को संचालन और रखरखाव सेवाएं भी प्रदान की जा सकती हैं। इस उद्देश्य के लिए एआईआर/डीडी स्टेशनों को श्रमशक्ति आउटसोर्स करने की अनुमति देने की जरूरत होगी क्योंकि श्रमशक्ति की पहले ही कमी है। पीबी निजी प्रसारकों के स्टूडियो और ट्रांसमीटरों को स्थापित और कमीशन करने का काम भी कर सकता है।

3.प्रसार भारती इग्नू के ज्ञानवाणी चैनल के लिए एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना और कमिशनिंग का कार्य पहले से ही कर रहा है, जो आकाशवाणी/डीडी सेटअप के साथ को-साइटेड हैं। इग्नू ट्रांसमीटरों के संचालन और रखरखाव का काम भी आकाशवाणी/डीडी स्टेशन कर रहे हैं। प्रसार भारती की योजना है कि भविष्य में इग्नू के ट्रांसमीटरों के लिए भी यह कार्य किया जाएगा।

4. मौजूदा समय में आकाशवाणी स्टूडियो और ट्रांसमीटरों का खाली समय इग्नू को किराए पर दिया गया है। जब भी कभी ऐसी आवश्यकता होगी और अगर भविष्य में ऐसा समय देना संभव होगा तो प्रसार भारती दूसरे शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों और आउटस्टेशन एजेंसियों को प्रतिस्पर्धात्मक दर पर, मौजूदा ट्रांसमीशन घंटों के लिए किराए पर ये सुविधाएं प्रदान करेगा।

5. प्रसार भारती श्रोताओं को आईवीआरएस और एसएमएस आधारित सेवा जैसी मूल्य संवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए टेलीकॉम सेवाओं के साथ समझौता कर रहा है। इस प्रकार की लोकप्रिय सेवाएं प्रदान करके, टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को मिलने वाले राजस्व में से आकाशवाणी को भी राजस्व प्राप्त हो सकता है। दूरदर्शन पहले से दिल्ली से मूल्य संवर्धित सेवाएं प्रदान कर रहा है और जल्द ही इसे दूसरे शहरों में भी विस्तार देना चाहता है।

6.आकाशवाणी के नेटवर्क में एमडब्ल्यू/एफएम/एसडब्ल्यू प्रसारक ट्रांसमीटर का एयर टाइम शैक्षणिक/कृषि संस्थानों को किराए पर दिया जा सकता है।

7. विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/आवासीय स्कूलों में 50/100 वॉट एफएम सामुदायिक रेडियो स्टेशन को स्थापित करने में भी प्रसार भारती मदद प्रदान कर सकता है।

8.प्रसार भारती विभिन्न आकाशवाणी/दूरदर्शन केंद्रों पर प्रसारण के विभिन्न क्षेत्रों में ऑन-साइट और संस्थागत प्रशिक्षण भी प्रदान कर सकता है। कुछ केंद्रों में यह प्रशिक्षण पहले से दिया जा रहा है जिसका आगे चलकर विस्तार किया जा सकता है।

9. डेटा ऑडियो चैनल (डीएआरसी) सेवा के माध्यम से भी प्रसार भारती राजस्व अर्जित कर सकता है।

दूरदर्शन का डिजिटलीकरण

प्रसार भारती बोर्ड ने 18 सितम्बर, 2014 को हुई अपनी 123वीं बैठक में डिजिटल ट्रांसमीटरों की सामूहिक मोड में स्थापना को मंजूरी प्रदान की। सामूहिक योजना के अनुसार, 32 स्थानों पर प्रत्येक में 2 डिजिटल एचपीटी की स्थापना की जाएगी। सभी में, एचडीटीवी फॉर्मेट में 4 डिजिटल एचपीटी सहित 64 डिजिटल एचपीटी इन 32 स्थलों पर स्थापित किये जाएंगे। तदनुसार, दूरदर्शन ने स्वीकृत 12वीं योजना में आवश्यक संशोधन और मंत्रालय एवं सीसीसीईए की मंजूरी के लिए प्रसार भारती के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है। प्रसार भारती ने प्रस्तावित सामूहिक योजना के लिए मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी भी मांगी है।

चौबीसों घंटे प्रसारण वाले नए सेटेलाइट चैनल

चौबीसों घंटे प्रसारण वाला एक नया क्षेत्रीय सेटेलाइट चैनल डीडीके, विजयवाड़ा से शुरू किया गया है।

डीटीएच

दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म की क्षमता मौजूदा 59 से बढ़ा कर 97 टीवी चैनल करने के लिए उपकरण की स्थापना की जा चुकी है। उन्नत डीटीएच प्लेटफॉर्म की कमिशनिंग सीएएस के कार्यान्वयन पर निर्भर है।

हाई डेफिनेशन टेलीविज़न (एचडीटीवी)

एचडीटीवी का वीडियो रेजोल्यूशन परम्परागत टेलीविजन सिस्टम (स्टेंडर्ड-डेफिनेशन टीवी) से 5 गुना अधिक होता है। एचडीटीवी की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं : इसमें तस्वीर साफ और विचलन रहित होती है, रंग ज्यादा जीवंत दिखाई देते हैं, इसकी वाइड स्क्रीन पिक्चर ज्यादा वास्तविक प्रतीत होती है। पिछले साल के दौरान, दिल्ली और मुम्बई में एचडीटीवी स्टूडियो स्थापित किये गये और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में एचडीटीवी से संबंधित सहयोगपूर्ण निर्माण-पश्चात सुविधाओं की स्थापना की गई। वर्ष 2014-15 के दौरान डीडीके दिल्ली में एचडीटीवी/एसडीटीवी सिमुलकास्ट प्ले आउट स्टेशन उपलब्ध कराये गये और दिल्ली व मुम्बई में 10 एचडी कैमरे वाली ओबी वैन में से 2 उपलब्ध करायी गई हैं। वर्तमान में निम्नलिखित एचडीटीवी परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है:

I. दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में एचडीटीवी ट्रांसमीटर्स (ट्रांसमीटर्स की स्थापना की गई है, परीक्षण कार्य चल रहा है)

2 दिल्ली में मल्टी-कैमरा मोबाइल प्रोडक्शन सुविधा (निविदाएं आमंत्रित की गई हैं)

आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और पुराने उपकरणों को बदलना

दूरदर्शन अपने नेटवर्क के आधुनिकीकरण, पुराने उपकरणों को अत्याधुनिक उपकरणों में बदलने और मौजूदा सुविधाओं में सुधार के लिए हमेशा से प्रयासरत है। वर्तमान में दूरदर्शन नेटवर्क के आधुनिकीकरण और उसे मजबूत बनाने की निम्नलिखित परियोजनाएं लागू की गईं /की जा रही हैं:-

टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर्स

ए) निम्नलिखित 10 पुराने 100 वॉट एलपीटी को 500 वॉट ऑटो मोड (1+1) एलपीटी से बदल दिया गया है :

क्योंझरगढ़	बोलंगीर	यवतमाल	बीड
काकीनाडा	दमोह	धुले	नासिक
जोवाइ	भावनगर		

इनके अलावा, शिवपुर कलां और कांकौली में पुराने 100 वॉट एलपीटी की जगह 500 वाट ऑटो मोड (1+1)एलपीटी लगाये जाने हैं। ट्रांसमीटरों की आपूर्ति कर दी गई है। इन ट्रांसमीटरों की स्थापना वर्ष 2014-15 के अंत तक पूरी हो जाने की उम्मीद है।

बी) निम्नलिखित मौजूदा 15 पुराने एनालॉग हाई पॉवर ट्रांसमीटर्स को बदलना

डिब्रूगढ़	जैसलमेर	जबलपुर	तुरा	कोलकाता(डीडीन्यूज)
रायपुर	पुणे	विशाखापत्तनम	आगरा	फाजिल्का
भुज	मउ	अनंतपुर	डाल्टनगंज	भवानीपटना

सभी ट्रांसमीटरों की आपूर्ति कर दी गई है। 8 ट्रांसमीटरों की स्थापना की जा चुकी है और परीक्षण जारी है। बचे हुए ट्रांसमीटरों की स्थापना का कार्य कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है। इन 15 एचपीटी की कमिशनिंग का कार्य वर्ष 2014-15 के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

सी) टेरेस्ट्रियल कवरेज के विस्तार के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर के राजौरी में (डीडी-1 और डीडी न्यूज), ग्रीन रिज (डीडी-1), हिम्बोतिंगला टॉप (डीडी-1) और पटनी टॉप (डीडी-1) में पांच उच्च क्षमता के ट्रांसमीटरों (10 के.डब्ल्यू) की स्थापना की जानी है। राजौरी में इन ट्रांसमीटरों की स्थापना मौजूदा एआईआर इमारत में की जाएगी। इमारत में सुधार का कार्य पूरा हो चुका है। राजौरी में ट्रांसमीटरों की खरीद के लिए कार्रवाई की जा रही है। निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, खोली जा चुकी हैं और तकनीकी आकलन पूरा हो चुका है। अन्य तीन जगहों पर साइट तय हो चुकी है और आकाशवाणी उन्हें अपने नियंत्रण में ले चुका है। सिविल कार्य किया जा रहा है। ट्रांसमीटर उपकरणों के लिए निविदाएं प्राप्त हुई हैं और उनका आकलन किया जा रहा है।

दूरदर्शन की 12वीं योजना

दूरदर्शन की 12वीं योजना की स्कीम 'प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास' को दूरदर्शन की पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन हेतु 1893.14 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें जारी योजनाओं के लिए 1215 करोड़ रुपये और नई योजनाओं के लिए 678.14 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है।

12वीं योजना के प्रमुख क्षेत्र हैं : दूरदर्शन नेटवर्क का डिजिटलीकरण, डीटीएच का विस्तार, एचडीटीवी का विस्तार, दूरदर्शन के स्टूडियो ट्रांसमीटर तथा सेटेलाइट ब्रॉडकास्ट उपकरणों का आधुनिकीकरण।

12वीं योजना स्कीम के अंतर्गत उप-योजना-वार ब्यौरा (नई परियोजनाओं का) निम्नलिखित है:

डीटीएच का विस्तार

250 टीवी चैनलों के प्रसारण के लिए डीटीएच प्लेटफार्म का उन्नयन

हाई डेफिनेशन टीवी कोलकाता और चेन्नई में एचडीटीवी स्टूडियो की स्थापना। **दूरदर्शन नेटवर्क का डिजिटलीकरण**1.डिजिटल एचपीटी : संख्या 23 : 11वीं योजना के बचे हुए 21 डिजिटल एचपीटी और 12वीं योजना के 23 एचपीटी सामूहिक मोड में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। (प्रसार भारती ने सामूहिक मोड के लिए मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी मांगी है) 2.आर्काइव्स का डिजिटलीकरण : सेंट्रल आर्काइव, दिल्ली तथा चार क्षेत्रीय आर्काइव्स की सुविधाओं को बेहतर बनाना। **स्टूडियो और ट्रांसमीटर उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन तथा स्थापना** 1.सीपीसी और केंद्रों का आधुनिकीकरण 2.समाचार मुख्यालय दिल्ली की सुविधाओं को बेहतर बनाना, **सेटेलाइट प्रसारण उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और बदलाव** 13 अर्थ स्टेशनों का उन्नयन, अर्थ स्टेशन उपकरण बदलना, 2 अर्थ स्टेशन इमारतें। **ढांचागत सुविधाओं का संवर्धन और विविध कार्य** 1.सुरक्षा और अन्य ढांचागत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण 2. चंडीगढ़ में सरकारी आवास **सीमावर्ती कवरेज को सुदृढ़ करना** 1.नेपाल से सटे इलाकों में 8 एचपीटी की स्थापना: प्रसार भारती द्वारा मध्यावधिक समीक्षा के दौरान लिए गए फैसले के अनुसार परियोजना रद्द कर दी गई। 2.रामेश्वरम स्थित टावर (300 मीटर) का सुदृढ़ीकरण **न्यू मीडिया प्रौद्योगिकी/वैकल्पिक डिलीवरी प्लेटफार्म** चुनिंदा डीडी चैनलों की लाइव स्ट्रीमिंग और उपभोक्ता उपकरणों पर इंटरनेट के माध्यम से कार्यक्रम पहुंचाना। **ओएफसी कनेक्टिविटी** : ओएफसी नेटवर्क के जरिए चुनिंदा डीडी केंद्रों को लिंक करना।

प्रशिक्षण

पिछले दो दशकों में दूरदर्शन में आमूल-चूल बदलाव आए हैं। टेलीविजन प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है। बरसों से चल रहे एनालॉग उपकरण तेजी से पुराने पड़ रहे हैं। हर तरफ डिजिटलीकरण की चर्चा है। दूरदर्शन भी अपने समूचे नेटवर्क का डिजिटलीकरण कर रहा है। प्रसारण प्रौद्योगिकी में आ रहे बदलावों को देखते हुए उसका जोर अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर है। एसटीआई (टी) दिल्ली, डीटीआई लखनऊ तथा आरएसटीआई (टी) शिलांग, भुवनेश्वर और मलाड (मुंबई) में नए कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और मौजूदा कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के कार्यक्रम के अलावा प्रबंधन कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इसके अलावा आईआईटी कानपुर, आईआईएम

शिलांग और अन्य कई बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके अलावा उपकरणों के निर्माता भी कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर ही प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। अप्रैल 2014 से नवम्बर 2014 के दौरान लगभग 400 इंजीनियरिग अधिकारियों को तकरीबन 49 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण मुहैया कराया गया है और दिसम्बर 2014 से मार्च 2015 के दौरान करीब 360 इंजीनियरिग अधिकारियों द्वारा 47 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने की संभावना है। नेटवर्क में नए उपकरण शामिल किये जाने के कारण वर्ष 2014-15 के दौरान उपकरण निर्माताओं द्वारा विभिन्न ए/टीएस में करीब 136 इंजीनियरिग अधिकारी प्रशिक्षित हो चुके हैं/प्रशिक्षित होने की संभावना है। विभिन्न क्षेत्रों में खराब उपकरणों की मरम्मत के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

8. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/एबीयू कार्यशालाएं

वर्ष 2014-15 के दौरान (अब तक) निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/एबीयू कार्यशालाओं का आयोजन किया गया :

1. देश में डीवीबी-टी2 (एआईबीडी) पर 04-08 अगस्त, 2014 को एनएबीएम, दिल्ली में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 36 डीडी अधिकारियों ने भाग लिया।

2. डीवीबी-टी2 /टी2 लाइट रिसिविंग उपकरणों पर डीजी: डीडी द्वारा आईएचसी, नयी दिल्ली में 24.08.2014 को संगोष्ठी सह प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में लगभग 60 डीडी अधिकारियों ने भाग लिया।

3. टीवी पोस्ट प्रॉडक्शन और ग्राफिक्स पर एआईबीडी/एनएबीएम उप-क्षेत्रीय कार्यशाला 17-21 नवम्बर 2014 को आयोजित की गई, जिसमें 16 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

मुख्य सचिवालय प्रसारण विंग

भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग

भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन के लिए मंत्रालय ने पांच सालों में कुछ जरूरी और ठोस कदम उठाए हैं जिसके फलस्वरूप रेडियो स्टेशन लगाने की मंजूरी 186 से बढ़कर 409 तक पहुंच गई है। इसके अलावा काम करने वाले (ऑपरेशनल) स्टेशनों की संख्या भी 64 से 179 हो गई है। सामुदायिक रेडियो आंदोलन के तहत सरकार की ओर से कुछ अच्छे कदम उठाए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं।

मंजूरी प्रक्रिया का सरलीकरण: रेडियो स्टेशन की मंजूरी मिलना एक बड़ी समस्या रही है। मंत्रालय ने संवाद में कमी और मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए संबंधित विभागों के साथ हर महीने बैठकों का चलन शुरू किया है। सामुदायिक रेडियो आवेदकों को सुविधा देने के लिए मंत्रालय ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर-1800-11-6346 शुरू किया है। इसके अलावा मंत्रालय ने एक सुविधा केंद्र भी स्थापित किया है।

जागरूकता पीढ़ी: मंत्रालय की ओर से देशभर में साल 2008 से अब तक करीब 63 कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। इन कार्यशालाओं के जरिए सामुदायिक रेडियो के लिए आवेदन प्रक्रिया, उद्देश्य और सोच को समझाने का काम किया जाता है।

राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का चार बार राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जा चुका है। इन सम्मेलनों के जरिए मीडिया एक्टिविस्ट, सरकारी तंत्रों और सामुदायिक रेडियो

चलाने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर विचारों और सीखने के प्रवाह को गति देने की कोशिश की जाती है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन संग्रह पुस्तक के चार संस्करण 2011, 2012, 2013 और 2014 अब तक प्रकाशित हो चुके हैं।

राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो(सीआर) अवॉर्ड : बेहतर रेडियो कार्यक्रमों, लक्ष्यों की प्राप्ति, सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने के लिए नकद राशि के साथ रेडियो संचालकों को राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो अवॉर्ड दिया जाता है। राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलनों के दौरान योग्य सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं।

निरंतर वृद्धि: 12वीं योजना में भारत में सामुदायिक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये की मदद देकर नई स्कीम 'भारत में सामुदायिक सहयोग आंदोलन को सहयोग' लाई गई। इसके जरिए सामुदायिक रेडियो को वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए मंत्रालय ने एक सराहनीय कदम उठाया।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन के विज्ञापन की राशि में भी बढ़ोतरी की गई। एक रुपये प्रति सेंकेंड की दर को बढ़ाकर 4 रुपये प्रति सेकेंड कर दी गई है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित कार्यक्रमों के लिए अब गाइडलाइंस और नई दरें लागू कर दी गई हैं।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन और डीएवीपी को लागू करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया। करीब 55 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को डीएवीपी से जोड़ा गया।

मंत्रालय और विभागों से समर्थन: सामुदायिक रेडियो में महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज मंत्री, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंत्री से सीधा संपर्क रहता है जिसके जरिए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामुदायिक रेडियो की जरूरत को समझने में मदद मिलेगी। इन मंत्रियों ने हाल के दिनों में स्वास्थ्य, पोषण, सफाई, शिक्षा, कन्या जन्म और आपदा संबंधी जानकारियां देने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।

प्रसारण शाखा का स्वचालितीकरण

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह तय किया गया कि प्रसारण शाखा के विभिन्न विभागों को प्रसारण सेवा की अनुमति देने की प्रक्रिया को स्वचालित बनाया जाए। इस परियोजना में एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल बनाना है जिसमें उसका विकास और स्थापन भी शामिल है। इस परियोजना का कार्यान्वयन एनआईसी के जरिए हागा। एनआईसी को इसके लिए

क. व्यापक अध्ययन करना होगा

ख. सॉफ्टवेयर बनाना और लगााना होगा

ग. प्रणाली का कार्यान्वयन करना होगा

- पुराना डाटा एकत्र करना होगा

- रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर बनाना होगा

घ. प्रशिक्षण देना होगा

च. स्थापन के बाद रखरखाव करना होगा।

नयी योजना में आवश्यक डाटा तैयार करना और सुचारू रूप से कार्य प्रणाली के लिए एक समग्र ऑनलाइन पोर्टल तैयार करना है। टीवी/इनसेट/ की मौजूदा प्रणाली सीमित संभावनाएं हैं। इसमें वित्तीय और तकनीकी दृष्टि से सुधार की गुजाइश है जिससे यह वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके। फिलहाल चैनलों को

प्रसारण के मुददों और नाम बदलने या पोर्टफोलियो में बदलाव के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अनुमति की जरूरत पडती है। फिलहाल टीवी /इनसेट/ विभाग में 18 प्रमुख विषय है:-

- टीवी चैनल की अपलिंकिंग
- टीवी चैनल की डाउनलिंकिंग
- टेलीपोर्ट की मंजूरी
- नाम और लोगो में बदलाव
- टेलीपोर्ट में बदलाव
- सेटेलाइट में बदलाव
- भाषा में बदलाव
- शेयर होल्डिंग में बदलाव
- निदेशकों की नियुक्ति
- समाचार की श्रेणी से गैर-समाचार की श्रेणी में बदलाव और इससे उलट बदलाव
- गैर-समाचार विषयवस्तु के प्रसारण के लिए अपलिंकिंग की अस्थायी मंजूरी का आवेदन/ विदेशी चैनल का सीधा प्रसारण
- डीएसएनजी अनुमति- भाडे पर लेना/खरीदना
- भारतीय समाचार समिति द्वारा अपलिंकिंग की अनुमति
- संसदीय प्रश्न
- आरटीआई
- अदालती मामले
- वीआईपी संदर्भ
- अनुरोधों की स्थिति की जानकारी रखना

मंत्रालय में प्रसारण नीति एवं विधायन विभाग पंजीकरण और लाईसेंस की अनुमति देने के साथ प्रसारण वितरण सेवा के निम्न मामले भी देखता है:-

- मल्टी सिस्टम आपरेटर (एमएसओ)
- डायरेक्ट टू होम सर्विसेस

– हेडेन्ड इन द स्काई सर्विस (एचआईटीएस)

इस योजना के अंतर्गत इन सेवाओं के लिए स्वत: मंजूरी और लाईसेंस देने का निर्णय लिया गया है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए स्वत: सीआरएस मंजूरी का प्रावधान किया गया है।

डिजिटलाइजेशन का मिशन

सुधार उपाय एवं नीति पहलें

प्रोजेक्ट की चरण अनुसार पूरे किए जाने की तिथियां निम्नवत् हैं–

क्रम संख्या	चरण	शहर का नाम	पूर्णता दिनांक
1.	चरण–1	चार मेट्रो शहर दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई	31 अक्टूबर 2012
2.	चरण–2	38 शहर (जिनकी जनसंख्या 1 मिलियन से अधिक है।)	31 मार्च 2013
3.	चरण–3	अन्य शहरी क्षेत्र	31 दिसम्बर 2015
4.	चरण–4	शेष भारत	31 दिसम्बर 2016

चरण–1 चार शहरों में तथा चरण–2 अढ़तीस (38) शहरों में फैला था। चरण–1 तथा 2 पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। चरण–3 तथा 4 में आंकड़े एकत्र करने तथा सीडिंग प्रगति की निगरानी का कार्य बेसिल को सौंपा गया है। प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने के लिए बेसिल ने प्रारम्भिक कार्य पूरा कर लिया है। डिजीटाइजेशन के चरण–3 तथा 4 से सम्बन्धित निम्न कार्यवाही की जा चुकी है।

1. चरण–3 तथा 4 को लागू करने के लिए समय सीमा तय की जा चुकी है

2. डिजीटाइजेशन से सम्बन्धित विभिन्न मुददों की प्रगति तथा प्रभाव की निगरानी के लिए कार्य बल का गठन किया जा चुका है। अब तक कार्य बल की 5 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं।

3. एम एस ओ तथा एल एस ओ एसोसिएशन तथा प्रचार अभियान के उप–समूह का गठन किया जा चुका है।

4. चरण–3 क्षेत्र में एम एस ओ के पंजीकरण के लिए समय बद्ध योजना तय की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। मांग होने पर चरण–3 में एम एस ओ आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 21.12.2014 से बढ़ाकर 06.02.2015 की गई।

5. डिजीटाइजेशन के लाभ से सम्बन्धित प्रचार अभियान की पहल इलेक्ट्रॉनिक, प्रिन्ट तथा सोशल मीडिया में की गई।

अध्याय 4
पिछले कार्य प्रदर्शन की समीक्षा
सूचना क्षेत्र
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

4.1 वर्ष 2013–14 के लक्ष्य एवं उपलब्धियां: 2013–14 के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां वित्तीय और भौतिक, दोंनों ही संदर्भों में दी जा रही है।

4.2 वित्तीय प्रदर्शन: पिछले वर्ष का वित्तीय प्रदर्शन योजना और गैर योजना आवंटन का लगभग पूरी तरह उपयोग कर लिया गया।

वित्तीय

बजट/अंतिम अनुमान 2013–14			वास्तविक व्यय 2013–14		
योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
19250.00	6290.04	25540.04	19234.00	6215.17	25449.12

* वर्ष 2013–14 की वार्षिक योजना के दौरान 18500.00 लाख रुपए का स्वीकृत प्रावधान आर ई/ एफ जी चरण में संषोधित होकर 19250.00 लाख रुपए तक बढ़ गया।

वर्ष 2013–14 की वार्षिक योजना दो जारी स्कीमों (1) विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम: अवधारणा एवं प्रसार के लिए बनाई गई है। इसके तहत 18500.00 लाख रुपए की मंजूरी दी गयी है। संशोधित अनुमान अंतिम राशि के रुप में 19250.00 लाख रुपए का अतिरिक्त कोष दिया गया जिसमें मार्च 2014 तक 19235.00 लाख रुपए के व्यय के साथ वित्तीय लक्ष्य के रुप में सौ प्रतिशत की उपलब्धि हासिल हुई है। (2) डी ए वी पी के मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम के आधुनिकीकरण के लिए 200 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित था जबकि 850.00 लाख रुपए का अतिरिक्त कोष 350.00 लाख रुपए के अतिरिक्त कोष को सरेन्डर करते हुए संशोधित अनुमान/ अंतिम कोश उपलब्ध कराया गया जिसमें मार्च 2014 तक वित्तीय लक्ष्य के सौ प्रतिशत उपलब्धि के साथ 347.00 लाख रुपए व्यय किए गए। यह योजना बाह्य प्रचार माध्यम, मुद्रित प्रचार माध्यम, प्रदर्शनी, डिस्प्ले और वर्गीकृत विज्ञापन तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा सूचना के प्रसार के लिए लागू की गई है।

4.3 वास्तविक उपलब्धियां: वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए और वास्तविक उपलब्ध्यां भी उत्कृष्ट रहीं जो इस प्रकार थीं।

4.3.1 प्रदर्शनी: 2013–14 की वार्षिक योजना के तहत देश भर में कई महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया यथा– मंत्रालय का लैगशिप कार्यक्रम भारत निर्माण, स्वामी विवेकानन्द पर प्रदर्शनी, सरकारी उपलब्ध्यां तथा स्कीम एक्सपो 2013, फोक फेयर, 2013 तथा देश में अन्य लोक सूचना अभियान।

4.3.2 मुद्रित विज्ञापन: वर्ष 2013–14 में 'भारत निर्माण' और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवसों पर विज्ञापन जारी किए गए। डी ए वी पी द्वारा विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्तशासी संगठनों के 17122 विज्ञापन जारी किए गए। इनमें 1321 डिस्प्ले तथा अन्य क्लासीफाइड विज्ञापन शामिल थे। इनमें 176 विज्ञापन यू पी एस सी के लिए थे।

4.3.3 दृश्य श्रव्य: वर्ष 2013–14 में डी ए वी पी के योजना तथा गैर योजना बजट से राष्ट्रीय एकता, सदभावना दिवस, भारत निर्माण और स्वतंत्रता दिवस पर अभियान।

4.3.4 मुद्रित प्रचार माध्यम: वर्ष 2013–14 में योजना के लिए विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित 12 लाख प्रतियां मुद्रित एवं वितरित की गई। इसके अलावा रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार

कल्याण मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए 3 लाख प्रतियां मुद्रित और वितरित की गईं।

4.3.5 बाह्य प्रचार: होर्डिंग, बस पैनल, सार्वजनिक सुविधाओं इत्यादि से 11.6 लाख डिस्प्ले दिवश आयोजित किए गए।

4.3.6 डी ए वी पी का आधुनिकीकरण: वित्तीय वर्ष के दौरान आधुनिकीकरण की योजना के तहत ऑन लाइन बिलिंग के लिए आवश्यक हार्डवेयर, कम्प्यूटर तथा सॉफ्टवेयर खरीदे गए, डी ए वी पी मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में ढांचागत सुविधाओं की व्यवस्था की गई। कान्फ्रेन्स हॉल को अद्यतन किया गया है तथा प्रदर्षनी खंड में डिजीटल लायब्रेरी के लिए सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर प्रदान किया गया है और निदेशालय के कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया है।

4.3.7 वर्ष 2013–14 के लिए लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है–

क्र.सं.	ब्योरा	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	प्रदर्शनी	1792 प्रदर्शनी दिवस	1796 प्रदर्शनी दिवस 32 क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा
2	डिस्प्ले क्लासीफाइड (अंर्तवेश हजार में)	7.50	17.03 अंर्तवेष
4	मुद्रित प्रचार	12.00 लाख प्रतियां	12 लाख प्रतियां
5	बाह्य प्रचार	11.2 लाख डिस्प्ले दिवस	11.6 लाख डिस्प्ले दिवस
6	श्रव्य दृश्य अभियान (डिस्प्ले इकाई हजार में)	81.20 डिस्प्ले इकाई	95.00 डिस्प्ले इकाई

* श्रव्य एवं दृश्य प्रचार अभियान की एक डिस्प्ले इकाई में टेलीविजन एक बार के लिए, रेडियो में 3 बार के लिए, डिजीटल सिनेमा में 10 बार के लिए, 1000 एस एम एस और 25000 बार इंटरनेट पर दिखाना शामिल है।

2014–15

4.4 2014–15 के लिए लक्ष्य तथा उपलब्धियां : विवरण निम्नानुसार है:–

4.5 वित्तीय लक्ष्य:

वर्ष के दौरान बजट आवंटन निम्नलिखित है। वित्तीय मामले में डी ए वी पी ने योजना तथा गैर योजना व्यय के लिए अतिरिक्त राशि की मांग की है।

योजना	गैर–योजना	कुल
15520.00	6542.00	22062.00

4.6.1 उपलब्धियां: वार्षिक योजना 2014–15 में दो योजनाएं प्रारम्भ की गईं। (1) विकास संचार के माध्यम से लोगों का सशक्तीकरण। इसके लिए 15520.00 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। (2) "मीडिया मूलभूत ढांचा विकास कार्यक्रम" जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में एक नई योजना के रुप में शामिल किया गया है और इसके लिए वार्षिक योजना 2014–15 में 500.00 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। योजना तथा गैर योजना के अंतर्गत 31.12.2014 तक 15431.93 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

4.6.2 स्कीम: विकासात्मक संचार से लोक सशक्तीकरण

क. प्रदर्शनी: वार्षिक योजना 2014–15 के दौरान देश भर में महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों का आयोजन हुआ यथा– एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, मेक इन इन्डिया प्रदर्शनी, हॉर्नविल समारोह पर प्रदर्शनी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी पर फोटा प्रदर्शनी।

ख. डिस्प्ले एवं क्लासीफाइड: मंत्रालयों, विभागों एवं स्वायत्तशासी संगठनों के 12.1.2015 तक कुल 12757 विज्ञापन जारी किए गए। इनमें से रिकॉर्ड 1461 डिस्प्ले विज्ञापन थे। शेष वर्गीकृत विज्ञापन थे, जिनमें 88 यू पी एस सी के थे।

ग. रेडियो स्पॉट: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बजट से स्वच्छ भारत अभियान के लिए अभियान चलाए गए। अन्य मंत्रालयों के लिए चलाए गए अभियान में थे – अतुलनीय भारत, पूर्वोत्तर का प्रचार, भारतीय सेना/ नौसेना में भर्ती, उपभोक्ता जागरुकता, जनसंख्या स्थिरीकरण इत्यादि।

घ. बाह्य प्रचार: इसके अंतर्गत उपभोक्ता मामले, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, बी आई एस, जनगणना, आयकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी ई ई, डब्ल्यू सी डी, एम एच ए (एन डी एम ए), स्वच्छ भारत, आई एफ एफ आई, राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, ग्रामीण विकास तथा जन सुविधाए रहे।

ड. मुद्रित प्रचार: विभिन्न भाषाओं में प्रमुख पुस्तिकाएं जिनमें उपलब्धि पुस्तिका 'ए न्यू लीप फारवर्ड', लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल पर फोल्डर, सार्क तथा ब्रिक्स में भारत, एन सी सी तथा भारतीय वायु सेना पर पुस्तिका, पी एम ओ के लिए डॉकेट, भारत सरकार का कैलेण्डर तथा डायरी रहे। रक्षा मंत्रालय के विभिन्न स्कन्धों के लिए भी डायरी तथा कैलेण्डर तैयार किए गए।

4.6.3 स्कीम: मीडिया ढांचागत विकास कार्यक्रम

कार्यालय व्यय : एम आई डी पी स्कीम के तहत् चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऑनलाइन बिलिंग के लिए आवश्यक हार्ड वेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद की जा रही है। डी ए वी पी का मुख्यालय नए ब्लाक में शिफ्ट हो गया है।

4.6.4 वर्ष 2014–15 के दौरान उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2014–15 के लिए लक्ष्य	30.09.2014 तक उपलब्धियां
1	प्रदर्शनी (प्रदर्षनी दिवस की संख्या)	1845 प्रदर्शनी दिवस	1000 प्रदर्शनी दिवस 32 क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा
2	डिस्प्ले क्लासीफाइड (अंर्तवेश हजार में)	9.00	5.4 अंर्तवेष
3	मुद्रित प्रचार (जॉब की संख्या)	13	6.8
4	बाह्य प्रचार (डिस्प्ले इकाई लाख में)	12.4	6.45 लाख डिस्प्ले दिवस
5	श्रव्य दृश्य अभियान (डिस्प्ले इकाई हजार में)	90.00	48.00 डिस्प्ले इकाई

* श्रव्य एवं दृश्य प्रचार अभियान की एक डिस्प्ले इकाई में टेलीविजन एक बार के लिए, रेडियो में 3 बार के लिए, डिजीटल सिनेमा में 10 बार के लिए, 1000 एस एम एस और 25000 बार इंटरनेट पर दिखाना शामिल है।

4.6.5 2015–16 के लिए लक्ष्य :

वित्तीय

योजना परिव्यय

लाख रूपए में

योजना (आर ई)	गैर योजना (आर ई)	कुल
2300.00 (योजना 1 तथा 2)	7402.00	9702.00

भौतिक लक्ष्य

योजना/गैर योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग(2015–16)– ई एफ सी में अनुमोदन के अनुसार

क्रम संख्या	विवरण	वर्श 2015–16 के लिए लक्ष्य
1	प्रदर्शनी (प्रदर्शनी दिवस की संख्या)	490 प्रदर्शनी दिवस
2	डिस्प्ले क्लासीफाइड (अंर्तवेश हजार में)	3.68 अंर्तवश
3	टी वी/रेडियो पर विज्ञापन (इकाई हजार में)	92.42
4	मुद्रित प्रचार (जॉब की संख्या)	2
5	बाह्य प्रचार (डिस्प्ले इकाई लाख में)	4.86

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

भौतिक कार्यक्रम गतिविधियां :

	2013–14		2014–15		2015–16
	लक्ष्य	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**
भ्रमण दिवस	28512	13294	14904	8278	14904
फिल्म शो	28512	21855	28512	12900	28512
विशेष कार्यक्रम	4968	5850	4968	4054	4968

योजनागत स्कीम ''डायरेक्ट कान्टैक्ट प्रोग्राम'' के अंतर्गत वार्षिक योजना 2014–15 में तीन घटक नामत : (1) विशेष आउटरीच कार्यक्रम (2) कन्डक्टेड टूर्स/ कौशल उन्नयन तथा (3) इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टु डी सी पी योजना के तहत 5 करोड़ रुपए आवंटित थे।

कन्डक्टेड टूर्स/ कौशल उन्नयन घटक के तहत दिसम्बर 2014 तक 2 भ्रमण आयोजित किए गए जिसमें कुल आवंटित रु. 39,21,000 की राशि में से रु. 9,14,000 व्यय हुए। आई एस डी सी पी घटक के तहत दिसंबर 2014 तक 82,43,000 रुपए व्यय हुए। इनमें से 2.52 लाख रुपए प्रशिक्षण पर 1.31 लाख रुपए तीन फोटो कॉपियर पर तथा 78.60 लाख रुपए डी एफ पी (मुख्यालय) सी जी ओ, सूचना भवन को शिफ्ट करने पर व्यय हुआ।

निदेशालय का अंतिम प्रदर्शन निम्न प्रकार से रहा :–

(हजार रुपए में)

	2013–14		2014–15		2014–15
	लक्ष्य	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**
	एस बी जी			दिसम्बर 2014 तक	
योजना	70100	10600	44400	12733	5.00
गैर–योजना	465180	466654	498400	407370	49.74
कुल	**535280**	**477254**	**542800**	**420103**	**54.74**

भारतीय जनसंचार संस्थान

वित्त वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के लिए वास्तविक उपलब्धियां और वर्ष 2015-16 के लिये लक्ष्य (गैर-नियोजित)

योजना/ गतिविधि का नाम	वित्त वर्ष 2013-14		वित्त वर्ष 2014-15		वित्त वर्ष 2015-16	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धियां	भिन्नताओं के कारण	वास्तविक लक्ष्य
जनसंचार में प्रशिक्षण, शिक्षण एवं अनुसंधान	पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम पत्रकारिता (हिंदी) 62 पत्रकारिता (अंग्रेजी) 124 (62+62) विज्ञापन एवं जनसंपर्क (70) - रेडियो व टीवी पत्रकारिता (46) -उपरोक्त प्रत्येक पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 05 सीटें एनआरआई के लिये आरक्षित -विकास पत्रकारिता में दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रत्येक में 30 (25 आईटीईसी के अधीन कोलंबो योजना के अधीन) कुल 60 पत्रकारिता (उड़िया) (23) -उर्दू पत्रकारिता के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं **अल्पकालीन कार्यक्रम** -अल्पकालीन पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं 12 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एवं भेजे गये आई आई एस के ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के लिए सेवाकालीन फाउंडेशन/ ओरिएटेशन पाठ्यक्रम - अनुसंधान अध्ययन (4 से 5 अध्ययन) अंग्रेजी में कम्युनिकेटर और हिंदी में संचार माध्यम का प्रकाशन करना	पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम: पत्रकारिता -हिंदी (58) पत्रकारिता-अंग्रेजी 102 56+46 -विज्ञापन एवं जन संपर्क(69) रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता (46) -20 एनआरआई सीटों में से 9 भरी गई - विकास पत्रकारिता में दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम 49 (24+0 और 25+0) एमओई की ओर से किसी छात्र को प्रायोजित नहीं किया गया -उड़िया पत्रकारिता (19) -उर्दू में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम अल्पकालीन के कार्यक्रम -अल्पावधि के पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं -13 -प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एवं भेजे गये आई आई एस के ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के लिए सेवाकालीन फाउंडेशन/ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम	पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करना : पत्रकारिता (हिंदी) 62 - पत्रकारिता (अंग्रेजी) 124 (62+62) इस योजना में नए क्षेत्रीय केन्द्र भी शामिल हैं। -विज्ञापन एवं जनसंपर्क (70) -रेडियो व टीवी पत्रकारिता (46) -उपरोक्त प्रत्येक पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 05 सीटें -विकास पत्रकारिता में दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रत्येक में 30 (आईटीईसी के तहत 25 एवं कोलंबो योजना के अधीन 5) कुल 60 अल्पावधि कार्यक्रम पत्रकारिता (उड़िया) (23) -उर्दू पत्रकारिता (15) -अल्पकालीन पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं 12 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एवं भेजे गये आई आई एस के ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के लिए सेवाकालीन फाउंडेशन/ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम - अनुसंधान अध्ययन (4 से 5 अध्ययन) -अंग्रेजी में कम्युनिकेटर और हिंदी में संचार माध्यम का प्रकाशन करना	पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम: -हिंदी पत्रकारिता (58) -अंग्रेजी पत्रकारिता 120 (60+60) इस योजना के तहत शामिल क्षेत्रीय केन्द्र -विज्ञापन एवं जनसंपर्क (70) - रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता (46) -10 एनआरआई सीटों में से 9 भरी गईं - विकास पत्रकारिता में दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम -प्रत्येक 31 (12 एवं 19) -पत्रकारिता (उड़िया)(21) -उर्दू में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम-7 **अल्पकालीन कार्यक्रम** -अल्पकालीन पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं 12 -सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एवं भेजे गये आई आई एस के ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के लिए सेवाकालीन फाउंडेशन/ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम - अनुसंधान अध्ययन (4-5 अध्ययन) अंग्रेजी में कम्युनिकेटर 2009 का अंक और हिंदी में संचार माध्यम का प्रकाशन	शारीरिक रूप से विकलांग और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति जैसी कुछ आरक्षित श्रेणियों में ज्यादा छात्र न होने की वजह से कुछ सीटें खाली रह सकती हैं या कुछ छात्र दाखिले के बाद भी संस्थान छोड़ सकते हैं। विकास पत्रकारिता पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को विदेश मंत्रालय की ओर से प्रयोजित किया जाता है।	पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करना : पत्रकारिता (हिंदी) 62 - पत्रकारिता (अंग्रेजी) 124 (62+62) -विज्ञापन एवं जनसंपर्क (70) - रेडियो व टीवी पत्रकारिता(46) -उपरोक्त प्रत्येक पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 05 सीटें एनआरआई के लिये आरक्षित -विकास पत्रकारिता में दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रत्येक में 30 (35 आईटीईसी के अधीन 5 कोलंबो योजना के अधीन) कुल 60 -पत्रकारिता (उड़िया)(23) -उर्दू पत्रकारिता 15 **अल्पकालीन कार्यक्रम** -अल्पकालीन पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं 12 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एवं भेजे गये आई आई एस के ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के लिए सेवाकालीन फाउंडेशन/ ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम - अनुसंधान अध्ययन (4 से 5 अध्ययन) -अंग्रेजी में कम्युनिकेटर और हिंदी में संचार माध्यम का प्रकाशन करना

नोट- 1. कोष्ठक में दी गई संख्या में छात्रों की संख्या इंगित हैं।

2. उर्दू पत्रकारिता 2013-14 के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं, लेकिन पाठ्यक्रम 08 छात्रों के लिये संचालित किया गया

12 वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय जनसंचार संस्थान के योजनाबद्ध वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(करोड़ रुपये में)

	2013-14				2014-15				2015-16	
योजना	बी ई 2013-14	वास्तविक खर्च 2014-15	लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धियां	बीई 2014-15	वास्तविक खर्च 2014-15	लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धियां	बीई 2015-16	लक्ष्य
1) अतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारतीय जनसंचार संस्थान का उन्नयन	03.00	02.81	जनसंचार में प्रशिक्षण, शिक्षण एवं अनुसंधान अंग्रेजी में पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम-60 (15+15+15+15) नई दिल्ली में क्षेत्र के विकास का काम शुरू -ढेंकानाल में इमारत के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करना -आइजोल, अमरावती में स्थायी परिसरों के लिए निवेश पूर्व गतिविधियां प्रारम्भ कराना जम्मू में पूर्व निवेश संबंधी गतिविधियों का आरंभ जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा स्थायी परिसर के लिये भूमि हस्तांतरण पर निर्भर है	अंग्रेजी में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम कराना-40 (6+ 1 10+ 1 11+ 1 13) डीडीए और अन्य नागरिक प्राधिकरणों से इमारत की योजना को मंजूरी नहीं मिलने से निर्माण शुरू नहीं हो सका। -ढेंकनाल में नये भवन के निर्माण का कार्य 90 प्रतिशत पूरा आईजॉल में स्थायी परिसर का निर्माण शुरू नहीं हो सका क्योंकि स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स एवं बीओक्यू मार्च, 2014 में ही प्राप्त हो सकता जम्मू एवं कश्मीर सरकार की और से भूमि हस्तांतरण नहीं हो सका।	8.00	06.27	अंग्रेजी में पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम-60 (15 +15 +15 +15) नई दिल्ली में क्षेत्र विकास के काम का आरंभ होना तथा नयी दिल्ली में नए भवन का निर्माण होना डीडीए, डीयूएसी और दिल्ली अग्नि शमन सेवा की ओर से भवन योजना को मंजूरी मिलने पर निर्भर है। - वही- शेष निर्माण कार्य पूरा किया आइजोल में स्थायी परिसर के निर्माण का कार्य शुरू कोट्टायम में पूर्व निवेश गतिविधियों का आरंभ केरल राज्य सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरण पर निर्भर है।	चार नये क्षेत्रीय केन्द्रों में अंग्रेजी में पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम 40 डीडीए, डीयूएसी तथा दिल्ली अग्नि शमन सेवा द्वारा इमारत की योजना को मंजूरी नहीं मिलने से क्षेत्र विकास तथा नई दिल्ली में नए भवन के निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका। - वही - शेष निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा आईआईएमसी ने नवम्बर 2014 में आइजोल में भवन के निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी के साथ एमओयू किया। निधि हस्तांतरण 2014-15 में शुरू होने की उम्मीद है। कोट्टायम में पूर्व निवेश गतिविधियों का आरंभ।	05.00	चार नये क्षेत्रीय केन्द्रों में अंग्रेजी में पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम 40 नई दिल्ली में क्षेत्र विकास और नई इमारत के निर्माण का कार्य प्रारम्भ होना -डीडीए,डीयूएसी और दिल्ली अग्नि शमन सेवा से इमारत की योजना को मंजूरी मिलने पर निर्भर है। - आइजोल में स्थायी परिसर की इमारत के निर्माण की समयावधि के बारे में सीपीडब्ल्यूडी की ओर से सूचित किया जायेगा। -कोट्टायम में निर्माण गतिविधियां शुरू
2) क्षेत्रीय केंद्र खोलना	03.000.70	02.810.59			2.00	0.70			10.00	

वित्त एवं वास्तविक लक्ष्य तथा 2013–14 के दौरान ग्यारहवीं योजना की उपलब्धियां

(करोड़ रूपये में आंकडे)

योजना का नाम	उद्देश्य	वित्तीय लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1) अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप आईआईएमसी का उन्नयन	जम्मू-कश्मीर राज्य, केरल, महाराष्ट्र एवं मिजोरम में आईआईएमसी के चार नये केन्द्रों को खोलना	3.00	2.81	आईआईएमसी, नई दिल्ली में अतिरिक्त भवन के निर्माण का आरंभ	डीडीए और अन्य सिविल प्राधिकरणों से इमारत निर्माण की योजना को मंजूरी नहीं मिलने के कारण पूरा नहीं किया जा सका।
2) आईआईएमसी के नये क्षेत्रीय केन्द्रों को खोला जाना	एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम को एमए की डिग्री के समकक्ष दो साल के एडवांस पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में बदला जाना			ढेंकावाल में अतिरिक्त भवन के निर्माण का आरंभ	डीडीए एवं अन्य सिविल प्राधिकरणों से इमारत निर्माण की योजना को मंजूरी नहीं मिलने के कारण पूरा नहीं किया जा सका।
	क्षेत्रीय केन्द्रों में स्थायी परिसर के निर्माण के लिए ढांचे का सृजन	0.70	0.59	आइजोल में पूर्व निवेश गतिविधियों का आरंभ	90 प्रतिशत निर्माण पूरा आइजोल में पूर्व निवेश गतिविधियों का आरंभ

फोटो प्रभाग

2013-14 के वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां

लक्ष्य और प्रदर्शन

वित्तीय

(लाख रुपये में)

स्वीकृत बजट अनुदान			वास्तविक परिव्यय		
योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
40.14	426.00	466.14	40.11	424.86	464.97

2014-15

(लाख रुपये में)

	योजना	गैर-योजना	कुल
स्वीकृत बजट अनुदान	50.00	467.00	517.00
संशोधित अनुमान (प्रस्तावित)	40.00	420.00	460.00

2015-16

(लाख रुपये में)

योजना	गैर-योजना	कुल
56.00	417.00	473.00

प्रदर्शन

		2013-14		2014-15		2015-16
क्र.सं.		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	12/2014 तक उपलब्धियां	लक्ष्य
1.	समाचार और फीचर एसाइनमेंट कवर किया गया	3500	4188	3500	2468	3500
2.	पीआईबी वेबसाइट पर तस्वीर अपलोडी की गई	10000	11417	7000	5239	7000
3.	फोटो विभाग की वेबसाइट पर तस्वीर अपलोड की गई	10000	13590	10000	7219	10000
4.	गृह स्तर पर डिजिटल तस्वीर अर्जित की गई।	100000	173195	100000	222979	150000
5.	डिजिटल प्रिंट तैयार की गई/ आपूर्ति की गई	120000	118646	70000	47525	70000
6.	वीवीआईपी फोटो एलबम तैयार किया गया	250	127	100	72	100

भारतीय प्रेस परिषद

पिछले निष्पादन की समीक्षा

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के उद्देश्य एवं कामकाज अर्द्ध न्यायिक किस्म के हैं। यह नैतिक मानदंड के साथ प्रेस का नियमन करती है। इसलिये भौतिक नजरिये से तय किये लक्ष्यों तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर इसका आंकलन करना सही नहीं होगा। अलबत्ता इसकी अर्द्धन्यायिक गतिविधियों को आंकड़ों की नजर से देखा जा सकता है। वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान उसे मिली शिकायतों और उनके समाधान का ब्यौरा संलग्न वक्तव्य में परिलक्षित होता है। परिषद ने मीडिया को, जनता को जानकारी प्रदान करने वाली और देश के विभिन्न भागों में लाखों लोगों की सोच को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एजेंसी मानते हुए लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका का विश्लेषण करने के लिये देश भर में साल भर और राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोहों के दौरान चर्चाएं आयोजित की।

वर्ष 2014 में राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय 'सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता : मीडिया की भूमिका' पर केंद्रित था। इस अवसर पर जारी एक स्मारिका के जरिये इस विषय पर महत्वपूर्ण लेख और प्रमुख नेताओं के विचारों को शामिल किया गया। ज्यादातर राज्य/संघ शासित प्रदेशों में भी शानदार तरीके से इस दिवस का आयोजन किया गया। देश के कोने-कोने से मिले नामांकनों में से उचित प्रक्रिया से चयन करते हुए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गये।

परिषद ने सलाहकार की भूमिका में सरकार और अन्य प्रतिष्ठानों को कई मसलों पर अपनी राय मुहैया कराई। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण परामर्श इस प्रकार हैं:-

1. बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई के क्रियान्वयन के संदर्भ में राष्ट्रीय समीक्षा
2. मीडिया कानून के संबंध में भारत सरकार के विधि आयोग के अध्यक्ष माननीय पूर्व न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह से संप्रेषण प्राप्त।
3. ''मोदी से साक्षात्कार : प्रसार भारती ने एक बार फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पत्र भेजा'' शीर्षक से इंडियन एक्सप्रेस में 12 मई, 2014 को प्रकाशित एक आलेख का सूत्र उपलब्ध कराने के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संप्रेषण प्राप्त।
4. ''देश में समाचार पत्रों तथा अन्य मीडिया की ओर से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रिपोर्टिंग के लिये एक ठोस नीति बनाये जाने की मांग'' के संबंध में सांसद श्री बासवराज पाटिल की ओर से 09 जुलाई, 2014 को विशेष उल्लेख।
5. जम्मू और कश्मीर सरकार के सूचना विभाग से संप्रेषण प्राप्त
6. संसद में प्रश्नकाल/मुद्दों के जवाब में तेलंगाना राज्य के बारे में पृथक सूचना के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संप्रेषण प्राप्त
7. भारत को ''ब्रेकडाउन से ब्रेकआउट'' करने के संबंध में सिफारिशों के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जवाब प्राप्त।
8. टेलीविजन चैनलों आदि पर अंधाधुंध, लापरवाह और खतरनाक ड्राइविंग को प्रदर्शित करने वाले स्थिर चित्रों/तस्वीरों/दृश्यों को दिखाने के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संप्रेषण प्राप्त।
9. मान्यता/विज्ञापन के मुद्दों की समीक्षा के लिये उपसमिति।

परिषद का पुनर्गठन

प्रेस परिषद अधिनियम, 1074 में हर तीन साल में परिषद के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया है। परिषद के तीन वर्ष के 11 वें कार्यकाल का समापन 14 जून, 2014 को हुआ और 10 अक्तूबर, 2014 को जारी सरकारी अधिसूचना के जरिये परिषद के 12 वें कार्यकाल का पुनर्गठन किया गया। प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के खंड 5(4) के तहत परिषद

की ओर से मान्यता के लिये प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के खंड 5 के उपखंड (3) की धाराओं (ए) (बी) और (सी) में संदर्भित श्रेणियों के तहत 28 सदस्यों के नाम अधिसूचित किये गये।

संगोष्ठियां और कार्यशालायें

मीडिया मामलों पर डाटाबेस तैयार करने के प्रयासों के तहत परिषद ने देश के विभिन्न भागों में चर्चाएं आयोजित की।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2014 और पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार

राष्ट्रीय प्रेस दिवस वह अवसर होता है, जब हितधारक देश भर में विभिन्न मंचों पर एकत्र होते हैं और चयनित विषय पर परामर्श और विचार विमर्श करते हुए अपनी राय व्यक्त करते हैं। इस वर्ष के प्रेस दिवस के मौके पर चर्चा का विषय ''सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता ' मीडिया की भूमिका'' चुना गया।

प्रेस दिवस के अवसर पर प्रेस परिषद पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी करती है। ऐसे सम्मान पत्रकारों को मूल्यांकन और स्पर्धा के लिये प्रोत्साहित करते हैं और इस तरह से राष्ट्रहित में ऊंचे मानक स्थापित होते हैं।

पुरस्कार विविध श्रेणियों में दिये गये और पुरस्कार विजेताओं का चयन प्राप्त नामांकनों के गहन विश्लेषण और जांच के बाद किया गया।

हिन्दी भाषा को बढ़ावा

परिषद ने अपने अधिकारिक कामकाज में हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दिया। राजभाषा नियम 1976 के खंड 10(4) में पहले से ही अधिसूचित उसके सभी कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस अवधि के दौरान प्रत्येक तिमाही में कार्यशालाओं तथा कर्मचारियों के लाभ के लिए राजभाषा पर एक अनिवार्य कार्यशाला का आयोजन किया गया।

परिषद के फैसलों और अन्य घोषणाओं को द्विभाषी स्वरूप में रेकार्ड एवं सार्वजनिक किया गया।

प्रकाशन

1. वार्षिक रिपोर्ट को द्विभाषी स्वरूप में समय पर तैयार कर उसे समय पर संसद के दोनों सदनों में रखा गया।
2. राष्ट्रीय प्रेस दिवस – स्मारिका 2014

पत्र सूचना कार्यालय

1. वर्ष 2013-14 के दौरान योजना और गैर योजनागत प्रदर्शन
2. वर्ष 2014-15 के दौरान योजना और गैर-योजनागत प्रदर्शन

वार्षिक योजना 2013-14 **वार्षिक योजना (2013-14) के दौरान योजना व्यय संबंधी वक्तव्य** *(करोड़ रुपये में)*

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	योजना परिव्यय		अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय 31.3.14 तक	पूर्वोत्तर क्षेत्र		कमी के कारण (अगर कोई हो तो)
		एसबीजी	संशोधित व्यय			2013-14 का आंबटन	31.3.2014 तक व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र की स्थापना	0.50	2.10	2.10	2.0960	चूंकि नई दिल्ली में बनी इमारत पूरे देश के लाभ के लिए है इसलिये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कोई निधि निश्चित नहीं की गई।		मामूली कमी
2.	मीडिया आउटरीच कार्यक्रम एवं विशेष आयोजनों के लिए प्रचार इस योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं : (क) मीडिया आउटरीच कार्यक्रम	9.88	8.38	8.38	8.3720 (पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित)	0.60	0.95	इस अवधि के दौरान 103 पीआईसी, एक मीडिया इंटरैक्टिव सेशन, 1 प्रेस टूर आयोजित हुये और 8.37 करोड़ रूपये की निधि का इस्तेमाल हुआ। आरई 2013-14 में बजट आबंटन को 10 करोड़ रुपये से घटाकर 8.50 करोड़ रुपये कर दिया गया। पूर्व में निर्धारित लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका। इसके अलावा सीसीए ने 23 जुलाई, 2013 को ही ईएफसी को मंजूरी दी। इसके कारण पीआईसी जैसी गतिविधियां अगस्त, 2013 के महीने से शुरू नहीं की जा सकी।

(करोड़ रुपये में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(ख) अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह एवं प्रवासी भारतीय दिवस समारोह	0.12	0.12	0.12	0.1175			नवम्बर – दिसंबर, 2013 तथा जनवरी, 2014 के दौरान आईएफएफआई तथा पीडीबी का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
3.	पीआईबी का आधुनिकीकरण	4.00	1.50	1.72	1.7198	0.50	–	मामूली कमी
	कुल	**14.50**	**12.10**	**12.32**	**12.3053**	**1.10**	**0.95**	

पत्र सूचना कार्यालय
(योजना व्यय 2014-15)

वार्षिक योजना (2014-15) के पहले नौ महीनों के दौरान योजना व्यय संबंधी वक्तव्य

(करोड़ रुपये में)

	कार्यक्रम का नाम	एसबीजी	संशोधित अनुमान	अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय 31.12.14 तक	पूर्वोत्तर क्षेत्र		कमी आने के कारण (अगर यदि कोई हो)
						2014-15 का आंबटन	31.12.2014 तक हुआ व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र की स्थापना	2.50	2.50	–	2.25 (निर्धारित)	चूंकि नई दिल्ली में बनी इमारत पूरे देश के लाभ के लिए है, इसलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कोई निधि निश्चित नहीं की गई है।		पीआईबी ने मंत्रालय को मंत्रालय द्वारा किये गये बदलावों को मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया ताकि एनबीसीसी को शेष भुगतान किये जाने की प्रक्रिया की जा सके। मंत्रालय की मंजूरी अब प्राप्त हो चुकी है तथा सीसीए को फाइल भेज दी गयी है। मंजूरी मिलने के बाद एनबीसीसी को 2.25 करोड़ रुपये के भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी।
2.	मीडिया आउटरीच कार्यक्रम एवं विशेष आयोजनों के लिये प्रचार इस योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं : (क) मीडिया आउटरीच कार्यक्रम	9.88	5.50	–	5.41 (पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित)	1.00 (0.40 लाख आरई आबंटन के लिए)	0.69	23 दिसंबर, 2014 तक 51 पीआईसी, 4 प्रेस टूर और एक आईएफएफआई आयोजित हुये। जनवरी, 2015 के पहले सप्ताह के अंत तक 8 और पीआईसी तथा 3 प्रेस टूर आयोजित किये जाने थे। दिसंबर, 2014 तक 5.41 करोड़ रूपये का व्यय हुआ। लोकसभा के लिये आम चुनाव के कारण तथा नयी सरकार के लिये प्राथमिकता के क्षेत्रों,

(करोड़ रुपये में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								फ्लैगशिप योजनाओं/कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिये जाने के कारण वर्ष 2014–15 के दौरान पीआईसी गतिविधियां सितम्बर, 2014 के महीने से शुरू नहीं हो पायी। इस योजना के लिये बजट आबंटन 10.00 करोड़ रुपये से घटाकर 5.50 करोड़ रुपये कर दिया गया। चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान कोई पीआईसी/प्रेस टूर/मीडिया इंटरैक्टिव सेशनों का आयोजन नहीं किया जायेगा।
	(ख) आईएफएफआई तथा पीडीपी	0.12	0.12	–	0.1024	–	–	नवम्बर – दिसंबर, 2014 तथा जनवरी, 2015 के दौरान आईएफएफआई तथा पीडीबी का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
3.	पीआईबी का आधुनिकीकरण	5.00	1.50	–	1.30			
	कुल	**17.50**	**9.62**	–	**9.0624**	**1.00**	**0.69**	

प्रकाशन विभाग

वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां

वित्तीय

(रु. लाख में)

वास्तविक व्यय 2013-14			वास्तविक व्यय 2014-15			बजट अनुमान 2015-16		
योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
141.65	2633.25	2774.90	328.25	2294.97	2623.22	450.00	2854.00	4306.00

2013-14 2014-15 2015-16 (लक्ष्य)
उपलब्धियां पत्रिकाओं 18 18 18 18 18 -
पुस्तकें 90 दिसंबर-14 तक 84 75 75 50 -

भौतिक

	2013-14		2014-15		2015-16	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
पत्रिकाएं	18	18	18	18	18	-
पुस्तकें	90	84	75	50 दिसंबर, 2014 तक	75	-

4.2 अन्य सरकारी विभागों के साथ टाई अप

प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकों/पत्रिकाओं को आम लोगों को आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निदेशालय डाक विभाग के साथ टाई-अप करने की प्रक्रिया में है।

4.3 सार्वजनिक निजी भागीदारी

हमारी पुस्तकों की बिक्री के लिये प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं/प्रकाशकों को शामिल करते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। कर्मचारियों की कमी को देखते हुए पांडुलिपियों की प्रूफरीडिंग, अनुवाद आदि से संबंधित कार्यों को आउटसोर्स किया जा रहा है। निदेशालय की विभिन्न प्रक्रियाओं तथा गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे प्रक्रियाओं में तेजी आने तथा पारदर्शिता आने की उम्मीद है जिससे संगठन की दक्षता में व्यापक सुधार होगा। टेंडर संबंधी सभी जानकारियों को हमारी वेबसाइट www-publicationsdivision-nic-in के जरिये इंटरनेट पर डाला जा रहा है।

5. मार्केटिंग और बिक्री को बढ़ावा

प्रकाशन विभाग की पुस्तकें लोगों तक बिक्री एम्पोरिया/आउटलेट्स, पुस्तक प्रदर्शनियों के माध्यम से और 450 से अधिक ,जेंटों के नेटवर्क द्वारा पहुंचती हैं। ब्रिक्री एम्पोरिया नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, पटना और तिरूवनंतपुरम में स्थित है। बिक्री केन्द्र बेंगलुरु, गुवाहाटी और अहमदाबाद में योजना कार्यालय में स्थित हैं।

वर्ष 2014–15 वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशालय द्वारा आयोजित/भागीदारी वाली प्रदर्शनियों/मेलों की सूची यहां दी जा रही है:-

1. नेयवेली पुस्तक मेला नेयवेली स्थान तारीखें और समय प्रायोजन प्राधिकरणों पर निर्भर है
2. इरोड पुस्तक मेला इरोड (तमिलनाडु) विभाग द्वारा बाद में तय होगा
3. दिल्ली पुस्तक मेला नई दिल्ली
4. कानपुर पुस्तक मेला
5. फैजाबाद पुस्तक मेला फैजाबाद
6. इलाहाबाद पुस्तक मेला इलाहाबाद
7. राष्ट्रीय पुस्तक मेला वाराणसी
8. राष्ट्रीय पुस्तक मेला, रांची
9. कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कोच्चि
10. राजधानी पुस्तक मेला भुवनेश्वर
11. चेन्नई पुस्तक मेला चेन्नई
12. राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ
13. हैदराबाद पुस्तक मेला हैदराबाद
14. विशेष पुस्तक प्रदर्शनी पुणे
15. देवधर पुस्तक मेला देवधर
16. पांडिचेरी पुस्तक मेला पांडिचेरी (तमिलनाडु)
17. राष्ट्रीय पुस्तक मेला नागपुर
18. विजयवाड़ा पुस्तक मेला विजयवाड़ा
19. राष्ट्रीय पुस्तक मेला पटना
20. कोलकाता पुस्तक मेला कोलकाता
21. विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली
22. उत्तर पूर्व पुस्तक मेला उत्तर पूर्व

23. राष्ट्रीय पुस्तक मेला, जयपुर

24. राष्ट्रीय पुस्तक मेला, देहरादून

उपरोक्त के अलावा प्रकाशन विभाग्र ने वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान फ्रैंकफर्त अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला–2014 (10 से 14 अक्तूबर, 2014) में भी हिस्सा लिया।

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान विभाग बिक्री काउंटरों और और बिक्री इंफोरिया पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समारोहों पर पुस्तक प्रदर्शनियां ''इंसितु'' भी आयोजित करता है।

01. विश्व पुस्तक दिवस पुस्तक प्रदर्शनी अप्रैल 2015 (अपने दस बिक्री आउटलेट्स में)

02. ग्रीष्म पुस्तक प्रदर्शनी जून 2014 (अपने 10 बिक्री आइटलेट्स में)

03. स्वतंत्रता दिवस पुस्तक प्रदर्शनी अगस्त 2014 (अपने 10 बिक्री आइटलेट्स में)

04. अध्यापक दिवस पुस्तक प्रदर्शनी सितंबर 2014 (अपने 10 बिक्री आइटलेट्स में)

05. हिंदी पखवाड़ा पुस्तक प्रदर्शनी सितंबर 2014 (अपने 10 बिक्री आइटलेट्स में)

06. गांधी जयंती पुस्तक प्रदर्शनी अक्टूबर 2014 (अपने 10 बिक्री आइटलेट्स में)

07. राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह पुस्तक प्रदर्शनी नवम्बर 2014 (अपने 10 बिक्री आइटलेट्स में)

08. क्रिसमस व नव वर्ष पुस्तक प्रदर्शनी दिसम्बर 2014–15 (अपने 10 बिक्री आइटलेट्स में)

09. गणतंत्र दिवस पुस्तक प्रदर्शनी जनवरी 2015 (अपने 10 बिक्री आइटलेट्स में)

9 उपभोक्ता अधिकार दिवस पुस्तक प्रदर्शनी मार्च 2015 (अपने 10 बिक्री आइटलेट्स में)

अगले वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान कुछ मुख्य पुस्तक प्रदर्शिनियों/पुस्तक मेलों में भागीदारी करने का भी प्रस्ताव किया गया है। इनकी सूची यहां दी जा रही है:–

1. नेयवेली पुस्तक मेला नेयवेली स्थान तारीखें और समय प्रायोजन प्राद्यिकरणों पर निर्भर है

2. इरोड पुस्तक मेला इरोड (तमिलनाडु) विभाग द्वारा बाद में तय होगा

3. दिल्ली पुस्तक मेला नई दिल्ली

4. कानपुर पुस्तक मेला

5. फैजाबाद पुस्तक मेला फैजाबाद

6. इलाहाबाद पुस्तक मेला इलाहाबाद

7. राष्ट्रीय पुस्तक मेला वाराणसी

8. राष्ट्रीय पुस्तक मेला, रांची

9. कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कोच्चि
10. राजधानी पुस्तक मेला, भुवनेश्वर
11. चेन्नई पुस्तक मेला चेन्नई
12. राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ
13. हैदराबाद पुस्तक मेला हैदराबाद
14. विशेष पुस्तक प्रदर्शनी पुणे
15. देवधर पुस्तक मेला देवधर
16. पांडिचेरी पुस्तक मेला पांडिचेरी (तमिलनाडु)
17. राष्ट्रीय पुस्तक मेला नागपुर
18. राष्ट्रीय पुस्तक मेला, जयपुर
19. राष्ट्रीय पुस्तक मेला, देहरादून
20. तिरूवंनतपुरम् पुस्तक मेला, तिरूवनंतपुरम्
21. गांधी साहित्य उत्सव, नयी दिल्ली
22. विजयवाड़ा पुस्तक मेला विजयवाड़ा
23. राष्ट्रीय पुस्तक मेला पटना
24. कोलकाता पुस्तक मेला कोलकाता
25. विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली
26. उत्तर पूर्व पुस्तक मेला उत्तार पूर्व

इसके अलावा निदेशालय ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान पीआईसी अभियानों के दौरान पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित करने की योजना बनायी है।

निदेशालय ने अप्रैल 2014 से दिसंबर 2014 के दौरान 467-25 लाख रुपए का कुल राजस्व (रोजगार समाचार से अर्जित राजस्व को निकालकर) अर्जित किया। उसने यह राजस्व पुस्तकों, पत्रिकाओं की बिक्री और विज्ञापनों से कमाया।

अपने प्रकाशनों और पत्रिकाओं के अलावा प्रभाग दूसरे सरकारी विभागों, राज्य सरकारों और स्वायत्त संगठनों जैसे नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी, सीएसआईआर, आईसी,आरआईसीसीआर, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय के प्रकाशनों की भी मार्केटिंग सम्भालता है।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 (31.12.2014 तक) तथा 2015-16 के दौरान लक्ष्य और निष्पादन

वित्तीय

(करोड़ लाख में)

गतिविधि का नाम	वर्ष	योजना	गैर-योजना	कुल
बजट आंकलन	2013-14	30.00	404.00	434.00
वास्तविक व्यय	2013-14	22.52	407.36	429.88
बजट आंकलन	2014-15	20.00	474.00	494.00
पुनरीक्षित आंकलन	2014-15	18.74	373.80	392.54
बजट आंकलन	2015-16	10.00	522.00	532.00

31 दिसंबर, 2014 तक

वास्तविक

क्र. सं.		2013-14		2014-15		2015-16
	कार्यक्रम/गतिविधियां	**लक्ष्य/प्राप्त**	**उपलब्धियां/मंजूरी**	**लक्ष्य/प्राप्त**	**उपलब्धियां/मंजूर दिसंबर 2014 तक**	**लक्ष्य/गतिविधियां**
	गतिवधियां				दिसंबर, 2014 तक	****
1.	दिये गये टाइटल	**	12985	**	9595	*****
2.	ब्लॉक किये गये टाइटिल	**	5747	**	5013	***
3.	पंजीकरण	**	7881	**	5774	***
4.	प्रिंटिंग मशीनें/सहायक मशीनें					
i).	प्रिंटिंग मशीनरी के आयात के लिये जारी किये गये आवश्यक प्रमाण पत्रों की संख्या	***	0	***	***	***
5.	एफसीआरए, 1978 के तहत जारी किये गये समाचार पत्र प्रमाण पत्रों की संख्या	***	07	***	02	***
6.	न्यूज प्रिंट के आयात के लिये प्रकाशकों को जारी किये गये योग्यता प्रमाणपत्रों की संख्या	***	1279	***	1293	***
7.	आरटीआई के तहत निबटाये गये आवेदनों की संख्या	**	871	**	667	***
8.	प्राप्त वार्षिक विवरणों की संख्या बी. कार्यक्रम	**	19007	**	19755	
9.	आरएनआई की वार्षिक रिपोर्ट (भारत में प्रेस)	2012-13 रिपोर्ट	2012-13 रिपोर्ट	2013-14 रिपोर्ट	2013-14 रिपोर्ट	2013-14 रिपोर्ट

नोट : *** प्रकाशकों से प्राप्त आवेदनों/अनुरोधों पर आधारित इन श्रेणियों में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जा सकते।

2013–14 के लिये योजना परिव्यय 30.00 लाख

2012–13 की योजना का प्रारूप	0.20 करोड़
2013–14 के लिये योजना प्रदर्शन	22.52 लाख
2014–15 के लिये योजना परिव्यय	20.00 लाख
2014–15 के लिये पुनर्रीक्षित अनुमान	20.00 लाख
2014–15 के लिये योजना प्रदर्शन	18.74 लाख
2014–15 के लिये बजट अनुमान	10.00 लाख

12 वीं योजना में परियोजना का नाम : मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट

कार्यक्रम	:	आरएनआई एच. क्यूआरएस को बढ़ावा देना
परियोजना का कुल खर्च	:	100.00 लाख रुपये
12 वीं योजना की परियोजना	:	मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम
उप परियोजना	:	आरएनआई एच. क्यूआरएस को बढ़ावा देना

समाचार पत्रों के लिए, शीघ्र, कुशल और पारदर्शी सेवा प्रदान करने और पीआरबी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, तीन गतिविधियां 1) आरएनआई के दस्तावेजों / रिकार्डों का डिजिटलीकरण, 2) वार्षिक ब्यौरे की ई- फाइलिंग, 3) एक करोड़ रुपये के परियोजना के कुल खर्च के साथ आरएनआई एच. क्यूआरएस को बढ़ावा देने की उप- परियोजना के तहत, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की 12 वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 ''मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के दौरान कार्यान्वयन के लिए लिये गये शीर्षकों का ऑनलाइन सत्यापन/ऐसे शीर्षकों के प्रमाण पत्र का पंजीकरण।

इस उद्देश्य के लिए, वर्ष 2013–14 के दौरान, 22.52 लाख रुपये और 2014–15 (31. 12. 14) के दौरान 18.74 लाख रुपयों का उपयोग किया गया और वर्ष 2015–16 के लिए 10.00 लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं। 12 वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा के बाद, 335.00 लाख रुपए की कुल योजना परिव्यय में एक संशोधित एसएफसी प्रस्ताव तैयार किया गया है और इसके अनुमोदन के लिए इसे मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।

न्यू मीडिया विंग

पिछले कार्य निष्पादन की समीक्षा

'क' गतिविधिवार वर्गीकरण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	गतिविधि विभाजन	2013-14 (बी.ई.आर.ई. और अंतिम अनुमान)				2014-15 (बी.ई.आर.ई. और अंतिम अनुमान)				बजट अनुमान 2015-16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		गैर योजना (बीई)	गैर योजना (आरई)	गैर योजना (अंतिम ग्रांट)	कुल	गैर योजना (बीई)	गैर योजना (आरई)	गैर योजना (अंतिम ग्रांट)	कुल	गैर योजना (बीई)	कुल
1	शोध संदर्भ और दस्तावेजीकरण, डाक्यूमेंटेशन	216.00	209.00	213.32	213.32	249.00	232.00	000.00	000.00	231.00	231.00
	कुल	**216.00**	**209.00**	**213.32**	**213.32**	**249.00**	**232.00**		**000.00**		**231.00**

गीत एवं नाटक प्रभाग

गीत एवं नाटक प्रभाग की स्थापना 1954 में संचार उद्देश्यों के लिए प्रचुर लोक परंपरागत स्वरूपों को सामने लाने हेतु एक प्रयोगात्मक इकाई के रूप में की गई। सजीव प्रचार माध्यम, जैसा कि अब बहुत बड़े पैमाने पर पहचाना जाता है, बहुत ही प्रभावशाली साबित हुआ क्योंकि इसने जनसमुदाय के साथ सीधे सम्पर्क के लाभों को अंतर्निहित (inherent) कर लिया और समसामयिक मुद्दों, विचारों एवं तरीकों को प्रतिबद्धता के साथ लागू करने में नम्यता (flexibility) को अपना लिया। दुर्गम पहाड़ी, मरुस्थल, एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों/क्षेत्रों और सीमा क्षेत्र सहित जमीनी स्तर पर संचार स्थापित करने के लिए इसके क्षेत्र में वृद्धि करने, पहुंच और प्रभाव बढ़ाने हेतु इस प्रभाग के प्रयोजन और आकार में बढ़ोतरी की गई थी।

प्रभाग का मुख्य कार्य जैसा कि आधिकारिक वेबसाइट पर दिया गया है, राष्ट्र के विकास के लिए संवहनीय सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक विचारों के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाना और भावनात्मक स्वीकार्यता बढ़ाना, सीमा क्षेत्र के लोगों के बीच रक्षा तैयारियों और देश के शेष भागों के साथ सांस्कृतिक एकता की समझ विकसित करना और सजीव मनोरंजन मीडिया जिसके तहत देश के सभी भागों में फैले नाट्यकला के दोनों स्वरूप – शहरी और लोक, के जरिए सेना के एकांत प्रदेशों में तैनात जवानों का मनोबल बनाए रखना है।

लोक और परंपरागत माध्यम या सजीव माध्यम जैसा कि आम तौर पर प्रचलित है, न केवल भाषा संबंधी, भौगोलिक और सांस्कृतिक जुड़ाव एवं पहचान के लिए बल्कि ग्रामीण भारत में वर्तमान सामाजिक – आर्थिक परिस्थितियों में भी यह सर्वाधिक प्रभावशाली है। वास्तव में यह एक बहुत ही लाभकारी परिस्थिति है कि हमारे देश में लोक और परंपरागत माध्यमों का विशाल भंडार मौजूद है, जिसकी सहायता से जनसमुदाय द्वारा तत्क्षण पहचाने, प्राप्त और क्रियान्वित किए जा सकने वाले तरीके से लक्षित लोगों तक सूचना या जागरूकता फैलाई जा सकती है। यह गरीबी उन्मूलन तथा राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई और पर्यावरण आदि जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण जनजीवन के सामान्य हितों के लिए विकासात्मक नियोजित योजनाओं के संबंध में विशेष रूप से उपयोगी है।

अत: विशेष रूप से ग्रामीण, बिजली की अनुपलब्धता और दुर्गम क्षेत्रों में जनसमुदाय के बीच आम आदमी विशेषकर गरीबों के हित में सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के बारे में जागरूक करने के लिए लोक और परंपरागत मीडिया का उपयोग उपलब्ध अन्य माध्यमों के साथ उसके प्रभावी और अभिन्न अंग के रूप में जारी रहेगा।

विभागीय दल, सूचीबद्ध कलाकार और निजी रूप से पंजीकृत दल सहित लगभग 10,000 लोक और परंपरागत कलाकार प्रभाग के लिए पूरी तरह से नियमित कार्य कर रहे हैं। शायद गीत एवं नाटक प्रभाग मॉडल सरकारी संगठनों में से एक है जिसके पास कार्य के क्षेत्रों को बढ़ाने के साथ ही गैर – नियोजित खर्च को बढ़ाए बिना ही और इस प्रकार स्थायी रूप से लंबे समय के लिए खर्च उठाते हुए कार्यों की तादाद में बढ़ोतरी करने की अतिवृहत समायोजन क्षमता है, प्रभाग के केवल लगभग 8 प्रतिशत कार्य बल ही प्रभाग के नियमित रॉल पर हैं। इसके साथ ही यह एक अविवादित तथ्य है कि आईईसी गतिविधियों के लिए परंपरागत माध्यम या सजीव माध्यम इसकी पहुंच, प्रभाव और समायोजन क्षमता के आधार पर सर्वाधिक मितव्ययी माध्यम है।

नीति समन्वय प्रकोष्ठ (पिछले निष्पादन की समीक्षा)

12 वीं योजना (2012–17) के दौरान निम्नलिखित अध्ययन किये गये :

(1) सूचना और फिल्म क्षेत्र की निम्नलिखित योजनाओं का मूल्यांकन :

(क) नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केंद्र की स्थापना

(ख) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आईआईएमसी का आधुनिकीकरण

(ग) सूचना भवन का निर्माण

(घ) भारतीय सिनेमा से संबंधित राष्ट्रीय संग्रहालय

(ड़) एसआरएफटीआई को सहायता अनुदान

(2) ग्यारहवीं योजना के दौरान आकाशवाणी (एआईआर) की योजनाओं का मूल्यांकन

(3) ग्यारहवीं योजना के दौरान दूरदर्शन (डीडी) की योजनाओं का मूल्यांकन

(4) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) पुणे की योजनाओं का मूल्यांकन

(5) ग्यारहवीं योजना के दौरान पीआईबी द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिये नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) को अध्ययन कार्य सौंपा गया।

(6) विकास का संचार एवं प्रचार- प्रसार योजना के तहत डीएवीपी की योजना का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) को अध्ययन कार्य सौंपा गया।

(7) इएमएमसी की स्थापना की योजना के मूल्याकंन के लिए विशेषज्ञों की एक समिति को एक अध्ययन कार्य सौंपा गया।

(8) दूरदर्शन की सॉफ्टवेयर योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया।

(9) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फिल्म प्रभाग, सीएफएसआई, एनएफएआई और एनएफडीसी द्वारा द्वारा ''विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और वृत्तचित्रों के निर्माण'' के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों की एक समिति को एक अध्ययन कार्य सौंपा गया।

(ग) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण

परिणाम बजट 2014-15 में परिणाम लक्ष्य

मीडिया इकाई का नाम : मुख्य सचिवालय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (2013-14)	परिव्यय (2014-15)	मात्रात्मक प्रदेय / भौतिक उत्पाद	टिप्पणी/जोखिम
1.	मानव संसाधन विकास: मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण (प्रसार भारती को छोड़कर) (मुख्य सचिवालय)	1.50 (वार्षिक योजना 2013 - 14 में अनुमानित बजट अनुमोदन 1.50 करोड़ था हालांकि आर्थिक निर्देश के तहत इसे संशोधित कर 90.00 लाख कर दिया गया।)	2.00 (वार्षिक योजना 2014 - 15 में अनुमानित बजट अनुमोदन 3.00 करोड़ था हालांकि आरई के तहत इसे संशोधित कर 2.00 करोड़ कर दिया गया।)	वर्ष 2013 - 14 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए कुल 165 अधिकारियों को नामांकित किया गया और इसी वित्त वर्ष में काठमांडु में एक विदेशी प्रशिक्षण संचालित किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए कुल 95 अधिकारियों को नामांकित किया गया और इसी वित्त वर्ष में दो विदेशी प्रशिक्षण एक क्यूयूटी, ब्रिसबेन, ऑस्ट्रेलिया में और दूसरा काठमांडु में संचालित किया गया।	कोई विशेष जोखिम नहीं

(घ) अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम

2012-13, 2013-14, 2014-15 के लिए भौतिक उपलब्धि और 2014-15 का लक्ष्य

	वर्ष 2012-13		वर्ष 2013-2014		2014-2015		वर्ष 2015-2016	टिप्पणी / जोखिम कारक
योजना का नाम/कार्यक्रम	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसंबर 2014 तक	लक्ष्य	
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम	10*	कुछ नहीं**	18*	08*	20*	05*	20*	अधिकारियों का विदेश दौरा आमंत्रण / नामांकन प्राप्त और स्वीकृति / इसके लिए सक्षम अधिकारियों का नामांकन के आधार पर होता है।

* लक्ष्य सेमिनारों / कार्यशालाओं / संयुक्त समिति बैठकों / सार्क और यूनेस्कों में प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों में शामिल होने का होता है।

**2012-13 में गतिविधियों का आयोजन नहीं किया जा सका था क्योंकि योजना की प्रशासनिक मंजूरी 11/03/2013 को जारी की गई थी।

फिल्म क्षेत्र

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई

भौतिक उपलब्धियां

स्कीम का नाम	भौतिक लक्ष्य (2013-14)	भौतिक उपलब्धियां (2013-14)	भौतिक लक्ष्य (2014-15)	भौतिक उपलब्धियां (2014-15)	भौतिक लक्ष्य (2015-16)
सीबीएफसी और प्रमाणीकरण प्रक्रिया का उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार	i) फिल्म आवेदन और प्रमाणीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए सॉटवेयर का विकास, वेबसाइट उन्नयन, हार्डवेयर खरीद	हार्डवेयर की खरीद पूरी हो चुकी है। फिल्म आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया की कमियों को दूर करने का कार्य प्रगति पर है।	फिल्म आवेदन और प्रमाणीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए सॉटवेयर का विकास, वेबसाइट उन्नयन, हार्डवेयर खरीद	ऑनलाइन प्रमाणीकरण हेतु वेबसाइट के उन्नयन की प्रक्रिया को लागू करने के उद्देश्य से एक आरएफपी को विकसित करने के लिए एनआईसीएसआई की सेवा अनुबंधित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।	सॉफ्टवेयर विकसित करना, ऑनलाइन प्रक्रिया, दोषमोचन और हार्डवेयर भुगतान
	ii) चार कार्यालयों के लिए प्रोजेक्शन सिस्टम का डिजिटलीकरण करना और सभी कार्यालयों के लिए डिजिटल थिएटर	डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद को उपलब्ध कराया गया है। सीबीएफसी, मुंबई, चेन्नई में डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम की खरीद	चार कार्यालयों के लिए प्रोजेक्शन सिस्टम का डिजिटलीकरण करना और सभी कार्यालयों के लिए डिजिटल थिएटर	डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद को उपलब्ध कराया गया है। सीबीएफसी, मुंबई, चेन्नई में डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम की खरीद की प्रक्रिया जारी है।	डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम सीबीएफसी, मुंबई, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम को उपलब्ध कराना
	iii) सीबीएफसी मुंबई और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त स्थान का अधिग्रहण करना।	सीबीएफसी, हैदराबाद को सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों के साथ नया कार्यालय उपलब्ध कराया गया है। सीबीएफसी, तिरुवनंतपुरम का कार्यालय नए परिसर में स्थानांतरित किया गया है।	iii) सीबीएफसी मुंबई और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त स्थान का अधिग्रहण करना।	सीबीएफसी, हैदराबाद को सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों के साथ नया कार्यालय उपलब्ध कराया गया है।	सीबीएफसी मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कटक क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराना

स्कीम का नाम	भौतिक लक्ष्य (2013-14)	भौतिक उपलब्धियां (2013-14)	भौतिक लक्ष्य (2014-15)	भौतिक उपलब्धियां (2014-15)	भौतिक लक्ष्य (2015-16)
मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण, योजना	5.00 लाख रुपये	**स्कीम :** a) फिल्म के प्रमाणीकरण से जुड़े बोर्ड सदस्यों और क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए कार्यशालाओं / सेमिनारों का आयोजन करना b) प्रत्येक क्षेत्र के सलाहकार पैनल सदस्यों के लिए कार्यशालाओं / सेमिनारों का आयोजन करना c) समूह 'ए' 'बी' और 'सी' सदस्यों के लिए प्रशिक्षण/सेमिनारों का आयोजन करना d) समूह अधिकारियों के लिए विदेशी प्रशिक्षण	फिल्म के प्रमाणीकरण से जुड़े बोर्ड सदस्यों और क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए कार्यशालाओं / सेमिनारों का आयोजन किया गया b) सलाहकार पैनल सदस्यों के लिए कार्यशालाओं / सेमिनारों का आयोजन किया गया।	कुछ नहीं	a) फिल्म के प्रमाणीकरण से जुड़े बोर्ड सदस्यों और क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए कार्यशालाओं / सेमिनारों का आयोजन करना ii) प्रत्येक क्षेत्र के सलाहकार पैनल सदस्यों के लिए कार्यशालाओं / सेमिनारों का आयोजन करना c) समूह 'ए' 'बी' और 'सी' सदस्यों के लिए प्रशिक्षण/सेमिनारों का आयोजन करना d) समूह अधिकारियों के लिए विदेशी प्रशिक्षण।

बाल फिल्म समिति, भारत

पिछली उपलब्धियों की समीक्षा (वास्तविक उपलब्धियां)

	उपलब्धियां 2013-14	लक्ष्य 2014-15	उपलब्धियां		लक्ष्य 2015-16
			वास्तविक (अप्रैल 2014 से दिसं. 2015 तक)	अनुमानित (जनवरी 2013 से मार्च 2014 तक)	
	परियोजना : विभिन्न भारतीय भाषाओं में चलचित्रों और वृत्तचित्रों का निर्माण- बाल फिल्मों का निर्माण (सीएफएसआई)				
क. निर्माण	2 फीचर फिल्में पूरी की गईं, 6 फीचर फिल्में और एक वृत्तचित्र का निर्माण किया जा रहा है	3 फीचर फिल्में 2 लघु फिल्में	1 फीचर फिल्में पूरी हो चुकी है, 5 फीचर्स और एक लघु फिल्म निर्माण पूर्व के चरणों में हैं।		3 फीचर फिल्में 2 लघु फिल्में
ख. डबिंग	शून्य-फिल्म सक्रीनिंग की डीसीपी की तकनीक से बदलाव के कारण वर्ष के दौरान कोई नई जरूरत नहीं।	12 फिल्में	शून्य-फिल्म स्क्रीनिंग की डीसीपी की तकनीक से बदलाव के कारण वर्ष के दौरान कोई नई जरूरत नहीं।		12 फिल्में
ग. उप शीर्षक	शून्य- वर्ष के दौरान फिल्मों की नयी खरीद या जरूरत नहीं होने की वजह से	10 फिल्में	शून्य- वर्ष के दौरान फिल्मों की नयी खरीद या जरूरत नहीं होने की वजह से		10 फिल्में
घ. खरीद	18वें आईसीएफएफआई की 10 पुरस्कार विजेता फिल्मों के सभी अधिकार खरीदने के लिए विचार-विमर्श जारी है	2 फिल्में	6 पुरस्कार विजेता फिल्मे प्राप्त की गईं		2 फिल्में
ड. प्रिंट लागत	डीसीपी एवं एलटीओ फॉर्मेट में 97 शीर्षक, डीवीसी प्रो के 14 शीर्षक, बिक्री के लिए सीएफएफआई के विविध शीर्षकों की 5732 डीवीडी	30 फिल्में	डीसीपी, 18 ब्ल्यू रे डिस्क्स, 1एचडी कैम, 11डीवीसी प्रो, 1 डिजी बीटा, बिक्री के लिए सीएफएफआई के विविध शीर्षकों की 2033 डीवीडी		30 प्रिन्ट्स
	योजना : स्कूलों में बाल फिल्में दिखाना				
स्कूलों में बाल फिल्मों की प्रदर्शनी	242 शोज़ का आयोजन किया जिन्हें 71,945 बच्चों ने देखा, देश भर में पीवीआर मल्टी प्लैक्स में 840 बच्चों को कवर करने वाले चार टिकेटेड शो, 7826 डीवीडी बिकीं, 24 फिल्में दूरदर्शन पर दिखाई गईं	65 लाख से अधिक बच्चों को कवर करने वाले 13000 शोज़ का आयोजन	1066 शोज़ आयोजित जिन्हें 2,87,598 से अधिक बच्चों ने देखा		68 लाख से अधिक बच्चों को कवर करने वाले 13500 शोज़ का आयोजन

	उपलब्धियां 2013-14	लक्ष्य 2014-15	उपलब्धियां		लक्ष्य 2015-16
			वास्तविक (अप्रैल 2014 से दिसं. 2015 तक)	अनुमानित (जनवरी 2013 से मार्च 2014 तक)	
	योजना : भारत और सुदूर देशों में फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों के माध्यम से भारतीय सिनेमा का प्रचार				
क) आईसीएफएफ का आयोजन	हैदराबाद में 14-21 नवम्बर 2014 को 18वें आईसीएफएफ का आयोजन किया गया। 75 देशों से 894 फिल्म प्रविष्टियां मिलीं। 48 देशों की 202 फिल्में 13 थिएटरों में दिखायी गई जिन्हें 2 लाख दर्शकों ने देखा। प्रतियोगिता के दो नए खंड शुरू किये गये। चैक गणराज्य फोकस देश था। 48 वयस्क प्रतिनिधि और 446 बच्चे आमंत्रित किये गये। 4 कार्यशालाएं और 5 ओपन फोरम आयोजित किये गये।	प्रथम एनसीएफएफ	प्रथम एनसीएफएफ राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का पहला संस्करण नयी दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 14 से 16 नवम्बर 2014 को आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन माननीय केंद्रीय वित्त और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अरुण जेटली और अन्य गणमान्य अतिथियों सुश्री सानिया मिर्जा, सुश्री साक्षी तंवर, सुश्री दीया मिर्जा और श्री श्याम बेनेगल ने किया। समारोह का थीम स्वच्छता था। 3 ऑडिटोरियम्स में 12 फिल्में प्रदर्शित की गईं। समारोह के दौरान 7 कार्यशालाएं, किड्स मेला एवं 3 स्कूल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। 10000 बच्चों ने समारोह में भाग लिया।	19वां आईसीएफएफ
ख) अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेना	**19**	**15**	**43**		**15**

फिल्म समारोह निदेशालय

2013-14 और 2014-15 (31.12.2014)

योजना बजट के अतिरिक्त भौतिक प्रदर्शन की समीक्षा

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2013-14 के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां 2013-14	घाटे के कारण	2014-15 के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां 2014-15 (31.12.14 तक)	वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	विदेशी यात्रा खर्च	–	–	–	–	–	प्रशासनिक खर्च
2.	(i) भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	01	01	शून्य	01	01	शून्य
	(i) विदेशी फिल्म समारोहों में भागीदारी	55	51	फिल्म समारोह निदेशालय ज्यादा से ज्यादा फिल्म फेस्टिवल्स में भागीदारी के लिए कदम आगे बढ़ा रहा है।	55	31 जनवरी 2015 तक	कमी का कारण था विभिन्न फेस्टिवल्स की शेड्यूलिंग और प्रोग्रामिंग स्टाफ की व्यस्तता
	(iii) भारतीय पैनोरमा	01	01	शून्य	01	01	शून्य
3.	सिरी फोर्ट कॉम्पलेक्स का उन्नतिकरण	सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम की सुविधाओं में सुधार	योजित परियोजना को जून 2013 में स्वीकृति दे दी गई थी। सिविल और इलेक्ट्रिकल उन्नतिकरण शुरू कर दिया गया था।	योजना को संबंधित प्राधिकरण द्वारा जून 2013 में स्वीकृति दी गई थी। तब से उन्नतिकरण के लिए गतिविधियां शुरू की जा चुकी हैं। इसमें प्रगति उच्च स्तरीय सलाहकार समिति द्वारा जांची जा रही हैं।	सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम को आधुनिक सुविधाओं जिसमें आधुनिक प्रोजेक्शन, साउंड और लाइट सिस्टम है से लैस करना। इसके द्वारा आडिटोरियम को कला, फिल्म और संस्कृति के क्षेत्र में होने वाली प्रस्तुतियों के लिए किराये पर देकर अत्यधिक राजस्व प्राप्त करना शामिल है	साल 2014-15 के लिए तय किए गए सभी लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये थे, इसमें डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम और साउंड सिस्टम शामिल थे।	शून्य

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

योजना बजट के अंतर्गत भौतिक प्रस्तुति की समीक्षा

(रु.करोड़ों में)

क्रम संख्या	योजना/ कार्यक्रम का नाम	2014–15 के लिये लक्ष्य	2014–15 की उपलब्धियां			कमी का कारण
1	2	3	4			5
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन	
I	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे को सहायता अनुदान (गैर योजना)	संकाय के भत्ते, तकनीकी और प्रशासनिक स्टाफ का रखरखाव बुनियादी सुविधाओं के उपकरण और संस्थान की विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के लिए होने वाले व्यय। विभिन्न लघु और दीर्घ अवधि पाठ्यक्रमों से कुल 102 छात्रों का पास होना।	21.01			कई साल पहले हुए कार्यों और आयोजनों के कारण सामने आई परिस्थितियों की वजह से एफटीआईआई में कई पद भरे नहीं गए हैं। संस्थान अब इन्हें भरने के लिए मानक तय कर रहा है, ताकि तय अवधि के अनुसार छात्रों का पाठ्यक्रम पूरा होना सुनिश्चित किया जा सके। एफटीआईआई पाठयक्रम और तकनीक को पुन: तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। साल 2013 के दौरान 102 छात्रों ने डिप्लोमा कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया। यह उम्मीद

						की जाती है कि मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के दौरान एफटीआईआई से साल 2008-09 और 2009-10 के दो बैच समेत 160 छात्र पास होंगे। इनमें नियमति कोर्स एक्टिंग, स्क्रीनप्ले, आर्ट डायरेक्शन और टेलीविजन में सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले छात्र भी शामिल हैं।
II	एफटीआईआई पुणे को अनुदान-उन्नतिकरण और आधुनिकीकरण एफटीआईआई का (योजना)	छायांकन, संपादन और ध्वनि विभाग और आईटी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उपकरणों की खरीद। योजना और वास्तुशिल्प डिजाइन पूरा। क्लास रूम थियेटर, स्टूडियो फ्लोर, आवास, कला कार्यशाला से संबंधित कार्य के लिए अवॉर्ड ऑफ कान्ट्रेक्ट को स्वीकृति		25.00		शून्य
III	फिल्म मीडिया के लिए एचआरटी-सामान्य अनुदान	वार्षिक कैलेंडर के अनुसार विद्यार्थियों और संकाय की कार्यकुशलता विकास के लिए सेमीनार और मास्टर क्लास का आयोजन		0.45		शून्य
		कुल	**21.01**	**25.45**		

फिल्म प्रभाग

(रुपये लाख में)

(क) डॉक्यूमेंट्री (न्यूज मैग्जींस समेत)

	उपलब्धियां 2013–14	लक्ष्य 2014–15	अपेक्षित उपलब्धियां	लक्ष्य 2015–16	
			अप्रैल, 2014 से दिसंबर, 2014	जनवरी, 2015 से मार्च, 2015	
(I) होम प्रोडक्शन					
(क) गैर योजना					
(i) रंगमंचीय और गैररंगमंचीय रिलीज के लिए न्यूज मैग्जीन	9	**	3	6	**
(ii) डॉक्यूमेंट्री की थियेट्रीकल रिलीज	8	26	11	15	26
(iii) डॉक्यूमेंट्री की गैर थियेट्रीकल रिलीज	14	10	15	10	10
(iv) शिक्षण और प्रशिक्षण फिल्में					
(II) बाहरी निर्माताओं के जरिए बाहरी निर्माण	1	–			
अन्य मंत्रालयों की वित्तीय मदद द्वारा फिल्मों का निर्माण					
बाहरी निर्माता के माध्यम से प्रत्यक्ष भुगतान के आधार पर फिल्मों का निर्माण	2	–			
योजना	17	50	8(एनटीआर)	30	40
कुल	**51**	**86**	**37**	**61**	**76**

(**) फिल्म्स डिविजन वीवीआईपी की विदेश में यात्राओं की पत्रिकाओं और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं के लिए न्यूजमैग्जीन तैयार करती है। इसलिए न्यूजमैग्जीन तैयार करने के लिए फिलहाल कोई तय लक्ष्य नहीं है।

वितरण

1. फिल्म डिविजन डॉक्यूमेंट्री और अभिलेखीय पत्रिकाओं का थियेट्रीकल और नॉन थियेट्रीकल वितरण करता है। थियेट्रीकल वितरण भारत में सिनेमा हाउस के जरिये किया जाता है, जिसकी जरूरत प्रदर्शनी योजनाओं के अंर्तगत मान्य फिल्मों की प्रदर्शनी के लिए है (609 मीटर से ज्यादा नहीं यानी 2001 फीट)

(भौतिक)

प्रिंट्स और कैसेट्स की संख्या	उपलब्धियां 2014-15 (दिसंबर तक, 2014)	लक्ष्य 2015-16
थियेट्रीकल रिलीज	52	52
थियेट्रीकल रिलीज प्रिंट की कुल संख्या	10360	10360
एडीए/एफडीएन प्रिंट आपूर्ति की कुल संख्या	28	28
35एमएम प्रिंट्स	0	0
डीवीडी	2385	3000
वीसीडी	198	200

2. थियेट्रीकल वितरण के लिए, पूरे देश को एक सर्किट मानते हुए फिल्म डिविजन हर सप्ताह एक शॉर्ट फिल्म रिलीज करता है। साल 2014-15 के दौरान हर सप्ताह थियेट्रीकल वितरण के लिए 200 प्रिंट्स तैयार करता है।
3. फिल्म डिविजन इसकी फिल्मों का एनएफडीसी और अन्य समितियों द्वारा विदेशों में व्यावसायिक वितरण को प्रोत्साहन देता है। इसके अलावा फिल्म डिविजन एक नियत राशि में व्यवसायिक और गैर व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए स्टॉक शॉट्स का विक्रय भी करता है।
4. विदेश मंत्रालय की तरफ से फिल्म डिविजन की डॉक्यूमेंट्री और अभिलेखीय पत्रिकाओं के प्रिंट्स इंडियन मिशन विदेश को भेजे जाते हैं, जो कि इसे सरकारी और सह सरकारी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं इत्यादि को मुफ्त प्रदर्शनी के लिए लोन पर देती है। प्रिंट भी गैर व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए विदेशों को विक्रय किये जाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म डिविजन और यहां तक कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कोरपोरेशन के जरिये विदेश में बेहतर इस्तेमाल के लिए रॉयल्टी या स्क्रीनिंग राशि के आधार पर सीधे तौर पर टेलीविजन को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए भेजी जाती हैं।
5. भारत में मान्य फिल्मों की अनिवार्य प्रर्दशनियों, प्रिंट्स के विक्रय और स्टॉक शॉट्स और साथ ही 2013-14 के दौरान फिल्मों के विक्रय और 2014-15 और 2015-16 के लिए अपेक्षित राजस्व नीचे दिखाया गया है-

(रुपये लाख में)

लघु मद	2013-14 के लिए	बी.ई. 2014-15	आर.ई. 2014-15	बी.ई. 2015-16
1. किराया	617.41	555.00	595.00	595.00
2. प्रिंट और शॉट्स का विक्रय	13.88	27.00	30.00	30.00
3.अन्य रसीद	39.16	23.00	25.00	25.00
कुल	**670.45**	**605.00**	**650.00**	**650.00**

1. अधिकांश प्रदर्शकों ने 1995-1999 की अवधि के दौरान बकाया राशि को राज्यों के उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित WP /WA को ध्यान में रखते पूरा नहीं किया है।
2. देश भर में 8000 से ज्यादा सिनेमा ने C-A-3766&67/1999 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार फिल्म डिविजन के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त फिल्मों के खिलाफ प्रर्दशन के कारण फिल्म डिविजन से मान्य फिल्मों को लेना बंद कर दिया है।

प्रशासनिक व्यय

(रुपये लाख में)

2013-14 के लिए			बजट आकलन 2014-15			आकलन 2014-15			बजट अनुमान 2015-16		
योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
82.17	489.10	571.27	81.25	522.34	603.59	48.75	522.21	570.96	0	560.30	560.30

विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल्स में फिल्मों की संख्या

	फेस्टिवल की संख्या	शामिल फिल्मों की संख्या
प्रादेशिक फिल्म फेस्टिवल	10	15
राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल	15	35
अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल	25	55
कुल	**50**	**105**

राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

पूर्व प्रदर्शन की समीक्षा

क्रियान्वयन के अंतर्गत योजना का नाम कार्यक्रम

(रुपये *करोड़* में)

क्रमांक	योजना का नाम कार्यक्रम	मान्य 12वीं योजना परिव्यय 2012–17	S.B.G. 2013–14	R.E. 2013–14	अंतिम अनुदान 2013–14	2013–14 के दौरान वास्तविक खर्च
1)	1) अभिलेखीय फिल्मों और फिल्म सामग्री का अधिग्रहण	10.00	2.00	1.29	1.29	1.29
2)	2) जयकर बंगला समेत एनएफएआई के बुनियादी ढांचे का उन्नयन और डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना	29.00	5.00	3.29	3.29	3.11

भौतिक उपलब्धियां

1 अप्रैल 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक की अवधि के दौरान, एनएफएआई ने निम्नलिखित का अधिग्रहण किया

फिल्में	151 फिल्में (55 नई, 37 डुप्लीकेट और एलटीएल के आधार पर 59)
डीवीडी	121
किताबें	138
फिल्म फोल्डर	95
गीत पुस्तिकाएं	2952
पोस्टर	156
	726

आर्थिक समीक्षा

(रुपये करोड़ में)

	योजना का नाम	एसबीजी 2014-15	आरई 2014-15	31.12.2014 तक वास्तविक खर्च
1)	अभिलेखीय फिल्मों और फिल्म सामग्री का अधिग्रहण	2.00	1.50	1.20
2)	जयकर बंगला समेत एनएफएआई के बुनियादी ढांचे का उन्नयन और डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना	5.00	5.00	4.52
	कुल	**7.00**	**6.59**	**5.72**

भौतिक उपलब्धियां

1 अप्रैल 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक की अवधि के दौरान, एनएफएआई ने निम्नलिखित का अधिग्रहण किया

फिल्में	295 फिल्में (43 नई, 24 डुप्लीकेट और एलटीएल के आधार पर 228)
डीवीडी	45
किताबें	217
चित्र	3,997
गीत पुस्तिकाएं	491
पोस्टर	1,147

योजना के अनुसार भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां (2014-15)

	योजना का नाम व कार्यक्रम	भौतिक लक्ष्य 2014-15	भौतिक उपलब्धियां 31.12.2014 तक	घाटे के लिए कारण कोई हो तों
1)	अभिलेखीय फिल्मों और फिल्म सामग्री का अधिग्रहण	70 फिल्मों /इंटरनेगोटिग्स/ डीवीडी और सहायक सामग्री का अधिग्रहण करने के लिए	67 फिल्मों / 45 डीवीडी और 5852 सहायक सामग्री का अधिग्रहण	कोई घाटा नहीं
2)	जयकर बंगला समेत एनएफएआई के बुनियादी ढांचे का उन्नयन और डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना	मौजूदा बुनियादी ढांचे जैसे डीजी सेट, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम का प्रतिस्थापन, डिजिटल डोल्बी सिस्टम उपलब्ध कराने, मुख्य थियेटर प्रणाली और मुख्य थिएटर, कालीन आदि के प्रतिस्थापन के उन्नयन को शुरू करने के लिए	फेस-1 ऑडिटोरियम के कंडीशनिंग सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम का प्रतिस्थापन, डिजिटल डोल्बी सिस्टम उपलब्ध कराने, मुख्य थियेटर प्रणाली और मुख्य थिएटर, कालीन आदि के प्रतिस्थापन के उन्नयन को शुरू करने के लिए। जिसके लिए टेंडर औपचारिकता एआईआर और सीसीडब्ल्यू द्वारा पूरी की गई है।	शुरुआती कार्य पहले ही पूरा किया गया है।

सत्यजित रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान
योजना बजट के अधीन वास्तविक निष्पादन की समीक्षा

(रु.करोड़ों में)

क्रम संख्या	योजना/ कार्यक्रम का नाम	2014-15 के लिए लक्ष्य	2014-15 की उपलब्धियां			कमी का कारण
1	2	3	4			5
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन	
1	एसआरएफटीआई, कोलकाता को अनुदान, एसआरएफटीआई में ढांचागत विकास के लिए (गैर योजना बजट)	संकाय के भत्ते, तकनीकी और प्रशासनिक स्टाफ का रखरखाव, बुनियादी सुविधाओं के उपकरण और रोजमर्रा संस्थान की तरफ से होने वाला व्यय। विभिन्न पाठ्यक्रमों के 37 छात्रों का पास होना।	10.89			शून्य
2	एसआरएफटी, कोलकाता को अनुदान, एसआरएफटीआई में ढांचागत विकास के लिए (योजना बजट)	1. सीसीडब्ल्यू द्वारा चालू परियोजना और फिल्म स्टूडियो एवं लोक निर्माण का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है-एयर कंडीशनिंग और अन्य इलेक्ट्रिकल कार्यों के 31.8.2014 तक पूरा होने की संभावना है। 2. गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण और सीसीडब्ल्यू ने अन्य निर्माण कार्यों के लिए निविदाएं दे दी हैं और कार्य संबंधी ठेका दे दिया है। 3. कलास रूम थियेटर और कॉमन वर्क स्टेशन का निर्माण और सीसीडब्ल्यू ने अन्य निर्माण कार्यों के लिए निविदाएं दे दी हैं और कार्य संबंधी ठेका दे दिया है। 4. उपकरणों को खरीदा जा रहा है और टीवी सेंटर, संपादन विभाग और मेन थियेटर के पुनरुद्धार से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं।			16.00	शून्य
3	फिल्म मीडिया के लिए एचआरटी-सामान्य अनुदान	वार्षिक कैलेंडर के अनुसार विद्यार्थियों और संकाय की कार्यकुशलता विकास के लिए सेमीनार और मास्टर क्लास का आयोजन		0.30		शून्य
		कुल	**10.89**	**16.30**		

फिल्म सामग्री का विकास, संचार तथा प्रसार

योजना बजट के अंतर्गत 2013–14 और 2014–15 भौतिक प्रदर्शन की समीक्षा

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	2013–14 के लक्ष्य	2013–14 में उपलब्धियां	लक्ष्य प्राप्ति में बाधक	2014–15 के लक्ष्य	2014–15 की उपलब्धियां	भौतिक प्रदर्शन की समीक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	विदेश यात्रा खर्च	–		प्रशासनिक खर्च			
2.	फिल्म फेस्टिवल और फिल्म बाजार के द्वारा भारतीय सिनेमा का प्रचार	संबंधित मीडिया को वित्तीय सहायता दी गई			संबंधित मीडिया को वित्तीय सहायता दी गई		
3.	विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्म और डॉक्यूमेंट्री का निर्माण						
4.	भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष का स्मरणोत्सव						
5.	फिल्म अभिलेखों की वेबकास्टिंग						
6.	अभिलेखीय सामग्री का संकलन						

राष्ट्रीय फिल्म विरासत अभियान

पूर्व प्रदर्शन की समीक्षा

राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन आने वाली पीढ़ी के लिए भारत की फिल्म विरासत के पुर्ननिर्माण और संरक्षण के लिए मिशन मोड पर। साल 2013-14 के दौरान लक्ष्य और प्रदर्शन निम्नलिखित है

(रुपये करोड़ में)

क्रमांक	योजना का नाम	मान्य 12 वीं योजना परिव्यय 2012-17	बी.ई 2013.14
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	राष्ट्रीय फिल्म विरासत अभियान	291.00	20.00

भौतिक उपलब्धियां

योजना सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा सक्षम मूल्यांकन रूप से मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए लिया गया था।

आर्थिक समीक्षा:

क्रमांक	योजना का नाम	एसबीजी 2014-15	आरई 2014-15
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	राष्ट्रीय फिल्म विरासत अभियान	47.00 करोड़	10.01 करोड़

भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां (2014-15)

क्रमांक	योजना का नाम	2014-15 के लिए भौतिक लक्ष्य	2014-15 में भौतिक उपलब्धियां	घाटे का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	राष्ट्रीय फिल्म विरासत अभियान	ईएफसी की प्रौद्योगिकी और मान्यता लेना	परियोजना को मान्यता प्राप्त कर ली गई थी	कोई घाटा नहीं

(ग) राष्ट्रीय एनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

(पिछले निष्पादन की समीक्षा)

योजना बजट के अंतर्गत 2013–14 और 2014–15 के दौरान वास्तविक निष्पादन की समीक्षा

क्रम सं.	योजना का नाम	2013–14 के लिए लक्ष्य	2013–14 में उपलब्धियां	कमी के कारण	वर्ष 2014–15 के लक्ष्य	वर्ष 2014–1 की उपलब्धियां	कमी के कारण
1.	एनीमेशन, गेमिंग और स्पेशल इफेक्ट्स के सेक्टर की उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय केंद्र	योजना का अनुमोदन	–	योजना को स्वीकृति नहीं दी जाने की वजह से	अनुमोदन और योजना हेतु पहल	–	योजना को स्वीकृति नहीं दी जाने की वजह से
2.	फिल्म बाजार में सहभागिता	04	04	–	2	2	–

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केन्द्र

पिछले निष्पादन की समीक्षा

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर की योजना 'ईएमएमसी के सुदृढीकरण' के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 और 2013–14 में क्रमश: 86 लाख रुपये और 11 करोड़ रुपये खर्च किए गए। साल 2014–15 के लिए 20 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे, जो बढ़कर 25 करोड़ रुपये हो सकते हैं।

इस वक्त ईएमएमसी में 600 सैटलाइट टीवी चैनलों की सामग्री निगरानी रखने की क्षमता उपलब्ध है। साल 2015–16 में निगरानी रखने वाले 600 सैटेलाइट टीवी चैनल बढ़कर 900 हो जाएंगे, जिसमें निजी एफएम चैनलों के लिए केंद्रीकृत विषय सामग्री प्रणाली का बनना भी शामिल है।

प्रसार भारती
आकाशवाणी
परिव्यय तथा परिणाम/लक्ष्यों का वक्तव्य (2014-15)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय (2014-15) (योजना बजट)	नवंबर 2014 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जारी योजनाएं							
	योजना-1- प्रसार ढांचा नेटवर्क विकास							
1	**वर्तमान नेटवर्क का डिजिटलीकरण(पूंजी)**	ट्रांसमिशन गुणवत्ता में सुधार, डिजिटलीकरण के माध्यम से रिकोडिंग एवं कनेक्टिविटी, कार्यक्षमता सुधार के लिये ऑटोमेशन तथा अतिरिक्त सुविधाओं को किराये पर देकर अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करना						
1.1	**ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण**							
a	**MW ट्रांसमीटर (जारी योजना)**		90.00	95.00				
i	राजकोट में 1000 kw M ट्रांसमीटर को 1000 kW MW DRM ट्रांसमीटर से बदलना				लंबित कार्य और भुगतान पूरा	Q 1-लंबित भुगतान	काम पूरा	
ii	कावरती में 1 kw MW ट्रांसमीटर को 10kW MW उपयुक्त डिजिटल ट्रांसमीटर से बदलना				5. **कावारती- 10 KW MW** ट्रांसमिशन की स्थापना पूरी	Q 1- लंबित कार्य और भुगतान Q 2- जांच और मापन	काम पूरा	
					कावारती में हॉस्टल आवास	Q 1.-कार्य प्रगति पर है Q2-कार्य पूरा हुआ	कार्य पूरा नहीं	परिवहन की सीमित अवधि न होने की वजह से

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय (2014-15) (योजना बजट)	नवंबर 2014 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
iii	चिनसूरा(प.बं) में 1000 kw MW ट्रांसमीटर को 1000 kW MW DRM ट्रांसमीटर से बदलना				**4.चिनसूरा 1000 KW MW** ट्रांसमीशन की स्थापना पूरी	Q 1 :-लंबित कार्य और भुगतान	पूरा नहीं	फर्म स्पेयर मुहैया नहीं करा रही
iv	6 स्थानों पर 20 kW MW ट्रांसमीटर (दिल्ली वीबी, बाड़मेर एवं बीकानेर (राज.),चेन्नई (तमि.) वीबी,,गुवाहाटी 'बी',तवांग)				लंबित भुगतान और लघु कार्य पूरा	Q1/Q-2- लंबित कार्य और भुगतान	आंशिक पूरा	दिल्ली ट्रांसमीटर के लिए रिजेक्टर सर्किट प्राप्त करना है
v	• 100 KW -12 संख्या में. [विजयवाड़ा(आं. प्र),पटना(बिहार),पणजी(गोवा),रांची (झार.), मुंबई 'ए' (महा.), मुंबई 'बी'(महा.), पुणे (महा),तिरुचिरापल्ली(तमि.),वाराणसी(उ.प्र.), कोलकाता 'ए' (प.बं),मुंबई सी(50 kW) एवं पासीघाट (10 kW का परिवर्तन 100 kW से)				1. 100 kW MW किलोवाट ट्रांसमीटरों की प्राप्तियां, स्थापना और कमीशनिंग (ऑर्डर मूल्य :रु. 43.00 करोड़)	Q1- उपकरणों का निरीक्षण Q2 तथा संस्थापना - उपकरणों की रसीद	आंशिक पूरा	सीमित स्टाफ के कारण कुछ स्थानों (खासकर उत्तर-पूर्व) में ट्रांसमीटरों की कमीशनिंग इस वर्ष पूरी नहीं
						Q-3 :- उपकरणों की स्थापना के बाद सिविल कार्य पूरा		
						Q-4 :- सभी क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति तथा विभागीय कार्य का आरंभ		
vi	•200 KW -10 संख्या में, दिल्ली 'ए', अहमदाबाद (गुज.), बंगलुरु और धारवाड़ (कर्ना), जबलपुर (म. प्र.),अजमेर (राज.), चेन्नई 'ए'(तमि.), सिलिगुड़ी ,कोलकाता 'बी'(पं.बं), एवं इटानगर (100 kw MW को 200 kw MW DRM से बदलना)				1. 100 kW MW DRM ट्रांसमीटरों की प्राप्ति, स्थापना और कमीशनिंग (ऑर्डर मूल्य : रु. 49.51 करोड़)	Q1- उपकरणों की निरीक्षण Q2- उपकरणों की रसीद	आंशिक पूरा	सीमित स्टाफ के कारण कुछ स्थानों (खासकर उत्तर-पूर्व) में ट्रांसमीटरों की कमीशनिंग इस वर्ष पूरी नहीं
						Q-3:- उपकरणों की सस्थापना के बाद सिविल कार्य पूरा		
						Q-4 :- सभी क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति तथा विभागीय कार्य का आरंभ		

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय (2014-15) (योजना बजट)	नवंबर 2014 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
vii	• 300 KW -6 संख्या में [डिब्रूगढ़ (असम),राजकोट (गुज.),जम्मू (ज. एवं क.), जालंधार (पंजाब),सूरतगढ़ (राज.),लखनऊ (उ.प्र.)				100 kW MW DRM ट्रांसमीटर की प्राप्ति, स्थापना और कमीशनिंग (ऑर्डर मूल्य: रु. Rs 38.00 करोड़)	Q1- उपकरणों का निरीक्षण Q2- आंशिक आपूर्ति की रसीद	आंशिक कार्य पूरा	सीमित स्टाफ के कारण कुछ स्थानों (खासकर उत्तर-पूर्व) में ट्रांसमीटरों की कमीशनिंग इस वर्ष पूरी नहीं
					सिविल कार्य पूरा	Q-3 :- सिविल कार्य की प्रगति Q-4 :-सभी ट्रांसमीटरों की कमीशनिंग	आंशिक कार्य पूरा	सीमित स्टाफ के कारण कुछ स्थानों (खासकर उत्तर-पूर्व) में ट्रांसमीटरों की कमीशनिंग इस वर्ष पूरी नहीं
viii	36 DRM सक्षम MW ट्रांसमिशन को DRM में परिवर्तित करना				36 DRM सक्षम MW ट्रांसमीटर को परिवर्तित करने के लिए SITC के लिए आर्डर देना	Q-1 to Q-4 :-उपकरणों के लिये आदेश जारी, उपकरणों की रसीद		परियोजना निरस्त
						Q-1 to Q-4 :- सभी क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति तथा विभागीय कार्य का आरंभ	कार्य पूरा नहीं	
ix	MW ट्रांसमीटर परिवर्तन के तहत अन्य अधिप्राप्तियां				DRM रिसीवर प्राप्त (36 पेशेवर) - 144 सामान्य उद्देश्य के लिये	Q-2 :- उपकरणों के लिये आदेश Q-4 :- उपकरणों की रसीद	आर्थिक उपलब्धि	सप्लायर द्वारा जनरल पर्वज रिसीवर सप्लाई नहीं किए जा सके

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय (2014-15) (योजना बजट)	नवंबर 2014 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
(b)	**SW ट्रांसमीटर(कुल)**		20.00	14.38				
(i)	**SW ट्रांसमीटर (जारी योजना)**		20.00	14.38				
	SW DRM ट्रांसमीटर को 5 SW ट्रांसमीटरों से बदलना (दिल्ली -2,अलीगढ़ -2, बंगलुरु-1)				250 kW SW ट्रांसमीटर की प्राप्ति	Q-1 - उपकरणों के आदेश NIT जारी Q-2 - स्थल का निरीक्षण Q-3 - उपकरणों की रसीद	कार्य पूरा नहीं	परियोजना स्थगित
					100 kW SW ट्रांसमीटर की प्राप्ति (अनुमानित ऑर्डर मूल्य रु. 17.00 करोड़)	Q-2 - स्थल का निरीक्षण Q-3 -उपकरणों की रसीद Q-3/Q-4 -उपकरणों की संस्थापना	कार्य पूरा	मूल स्थल पर ट्रांसमीटर स्थापन प्रसार भारती से अनुमोदन पर निर्भर
						Q-1 :- 2 स्थानों पर सिविल कार्य पूरा तथा 1 स्थान पर कार्य प्रगति पर Q-2 :- सभी स्थानों पर सिविल कार्य पूरा	आवश्यकता नहीं	
					ऑक्जिलरी उपकरण की प्राप्ति /क्षेत्रीय उपकरण और विभागीय कार्य का आरंभ	Q-1 to Q-4 :- सभी क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति तथा विभागीय कार्य का आरंभ	कार्य प्रगति पर है	क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों ने सभी कार्यवाही की ट्रांसमीटर प्राप्त होने के बाद विभागीय कार्य आरंभ होंगे
(C)	**FM ट्रांसमीटर (कुल)**		43.50	23.63				
	FM ट्रांसमीटर (जारी योजना)		37.00	23.12				
(i)	**FM विस्तार योजना (जारी योजना)**		37.00	23.12				

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय (2014-15) (योजना बजट)	नवंबर 2014 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
	FM विस्तार योजना स्कीम (जारी)				हल्द्वानी, रायबरेली और चंपावत में FM ट्रांसमीटर स्थापित करने की परियोजना (a) स्थल का अधिग्रहण (b) चाहरदीवारी का कार्य पूरा (c) अंतिम रूप देना और आकलन की स्वीकृति	Q 1-हल्द्वानी और चंपावत, रायबरेली का स्थल अधिकार प्राप्त Q 2- भवन कार्य के आकलन को स्वीकृति और कार्य आरंभ .भवन LOP को अंतिम रूप. Q-3 /Q-4 :- भवन कार्य के आकलन को स्वीकृति, सिविल कार्य प्रगति पर	सीमित स्टुडियो सुविधा के साथ 5KWFM ट्रांसमीटर की अंतरिम स्थापना हल्द्वानी और चंपावत में भूमि अधिग्रहण नहीं को सका	**हल्द्वानी :**-स्थल के लिये मांगपत्र प्राप्त पिछले साल प्राप्त और स्वीकृत लेकिन,राज्य सरकार ने भू लाभांश 1: से 10: बढ़ाया, जो बहुत अधिक है, मामले पर राज्य सरकार से वार्ता **चंपावत :**-राज्य सरकार से मांगपत्र प्राप्त होना से **रायबरेली:**-स्तल चिह्नित, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा आवंटन बाकी
					फाजिल्का, अमृतसर और चौटनहिल में FM ट्रांसमीटरों की स्थापना (a) 20 KW FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति (3) (b) उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग (c) ऑक्जिलरी उपकरणों की स्थापना और प्राप्ति	Q1- भवन कार्य पूरा, ऑक्जिलरी उपकरणों की संस्थापना Q-2 :- रसीद प्रगति पर / ऑक्जिलरी उपकरणों की संस्थापना और ट्रांसमीटर उपकरणों का निरीक्षण Q4-ट्रांसमीटर की टेस्टिंग और कमीशनिंग	भवन का कार्य पूरा हो चुका है। ट्रांसमीटर नहीं खरीदा गया।	-हल्द्वानी : राज्य सरकार ने भूमि प्रिमियम की दरें 1% से 10% तक बढ़ा दी। - मामला राज्य सरकार के अधीन है - चंपावत राज्य सरकार की ओर से मांग नहीं रखी गई।
					गैरसेण और नये टिहरी में 1 kW FM ट्रांसमीटर की स्थापना (a) टॉवर की स्थापना (b) ट्रांसमीटर की स्थापना/ टेस्टिंग/कमीशनिंग	Q1- भवन कार्य पूरा, टॉवर स्थापना कार्य, ऑक्जिलरी उपकरणों और ट्रांसमीटर का कार्य Q-2 - ट्रांसमीटर की टेस्टिंग और कमीशनिंग	कार्य पूरा	संचालन और रख-रखाव के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता
					बागेश्वर और उज्जैन में 5 kW FM ट्रांसमीटर की स्थापना (a) टॉवर की स्थापना (b)ट्रांसमीटरों की स्थापना/ टेस्टिंग कमीशनिंग	Q1- भवन कार्य पूरा ,टॉवर स्थापना कार्य, ऑक्जिलरी उपकरणों और ट्रांसमीटर का कार्य Q-2 - ट्रांसमीटर की टेस्टिंग और कमीशनिंग	कार्य पूरा	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय (2014-15) (योजना बजट)	नवंबर 2014 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
					दार्जिलिंग, कूचबिहार, धनबाद, बर्धमान और सूर्यपेट में 10 kW FM ट्रांसमीटर की स्थापना (a) 10 KW FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति (4) (b) उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग (c) ऑक्जिलरी उपकरणों की स्थापना और प्राप्ति (d) सिविल कार्य पूरा (e) सूर्यपेट में टॉवर लगाना	Q1- सूर्य पेट को छोड़ कर अन्य सभी स्थानों पर सिविल कार्य पूरा सूर्यपेट, धनबाद और बर्धमान में टॉवर के SITC के आदेश Q-2 :- भवन कार्य और टॉवर का कार्य प्रगति पर ऑक्जिलरी उपकरणों की प्राप्ति और स्थापना Q3- ट्रांसमीटर उपकरणों का निरीक्षण , Q4-उपकरणों की पावती और संस्थापना	आंशिक पूरा	बिडिंग प्रक्रिया में किसी भी फर्म के भाग न लेने के कारण टावर कार्य नहीं दिया जा सका। चक्रवात में कूच बिहार का टावर गिर गया। दार्जिलिंग में टावर का कार्य शुरू नहीं हो सका
					देहरादून, पटना में 10 kW FM ट्रांसमीटर लगाना (a) STL की प्राप्ति और स्थापना (b) देहरादून में सिविल कार्य पूरा	Q1- STL की पावती तथा देहरादून में सिविल कार्य पूरा Q-2 उपकरणों की संस्थापना और टेस्टिंग Q-3 सेट अप की कमीशनिंग	कार्य पूरा	
					गंगटोक में 10 kW FM ट्रांसमीटर और सिलचर में 5 kW FM ट्रांसमीटर लगाना (a) STL की प्राप्ति और स्थापना (b) सिविल कार्य पूरा	Q-1 STL की रसीद Q-2 उपकरणों की संस्थापना और टेस्टिंग Q-3 सेट अप की कमीशनिंग		
					कोहिमा में 10 kW FM ट्रांसमीटर लगाना (a) टॉवर लगाने और परियोजना का कार्य पूरा	Q-1:- टॉवर कार्य के आदेश	कार्य पूरा	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय (2014-15) (योजना बजट)	नवंबर 2014 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
					टी अनीनी (अरुणाचल) में और तामेंगलंग तथा उखरुल मणिपुर में ट्रांसमीटर स्थापना (a) स्थल का अधिग्रहण (b) PSF कार्य पूरा (c) भवन कार्य पूरा	Q-1 और Q-2 :-स्थल का अधिग्रहण तथा सुरक्षा चारदीवारी का कार्य आरंभ Q-2,Q-3-Q4:-भवन कार्य प्रगति पर	कार्य पूरा नहीं	राज्य सरकार द्वारा स्थल का आवंटन किया जाना बाकी। मामला उठाया गया है। अनीनी राज्य सरकार के पास प्रतीक्षारत स्थल है, जबकि वैकल्पिक स्थान का विवरण भी दिया गया है। जैसे ही कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा, तामेंगलॉग और उखरुल में , क्षेत्रीय कार्यालय का दल स्थल का दौरा करेगाा। मुद्दा राज्य सरकार के सम्मुख रखा गया है
					पूर्वोत्तर में 16 स्थानों पर 1 kW FM ट्रांसमीटर की स्थापना (a) कायमनगर और जुनेहबेटो में भवन कार्य पूरा (b) टॉवर का कार्य पूरा (c) सेट अप की स्थापना और कमीशनिंग का कार्य पूरा (d) सभी स्थानों पर स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	Q1 :- करीमनगर में सिविल कार्य पूरा और जुनेहबेटो में प्रगति पर। सभी स्थानों पर हॉस्टल/स्टाफ क्वार्टर के आकलन को स्वीकृति। टॉवर की SITC और ऑक्जिलरी उपकरणों की स्थापना का कार्य प्रगति पर Q2-Q-3 -करीमनगर में सिविल कार्य पूरा और जुनेहबोटो में प्रगति पर। 6 सेट अप पर टॉवर लगाने और कमीशनिंग का कार्य पूरा, अन्य स्थानों पर कार्य प्रगति पर। सभी स्थानों पर C/O हॉस्टल का कार्य Q4-जुनेहबोटो में ट्रांसमीशन भवन पूरा और हॉस्टल का कार्य प्रगति पर	आंशिक कार्य	संबंधित राज्य सरकार को चंफाई, फेक, गोलपाड़ा, कोलासिब, चागलांग, खोसना, और डापोरिजो के आकाशवाणी स्टेशनों तक संपर्क मार्ग बनाना है मुद्दा राज्य सरकार के सम्मुख रखा गया है

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय (2014-15) (योजना बजट)	नवंबर 2014 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
					6 स्थानों पर 1 K FM ट्रांसमीटर स्थापना का कार्य पूरा	Q-1:- 6 जगहों पर 50 मीटर टॉवर की स्थापना।10 स्थानों पर काम सौंपा. 10 जगहों पर 1 kW FM ट्रांसमीटर की स्थापना Q2-10 जगहों पर स्थापना कार्य प्रगति पर . Q3.-संस्थापना कार्य पूरा Q4- सभी 16 स्थानों पर टेस्ट और मापन का कार्य।	आंशिक कार्य	स्टेशन शुरू करने के लिए Q & M स्टाफ स्वीकृत नहीं किया गया।
					शेष 100 watt FM ट्रांसमीटर की स्थापना और कमीशनिंग	परियोजना पूरी		मणिपुर सरकार ने 100 W FM ट्रांसमीटर के लिये स्थान उपलब्ध नहीं कराया। वैकल्पिक स्थान तलाश किया जाना है
	XI योजना के तहत वर्तमान 24 आकाशवाणी/दूरदर्शन के स्थलों पर एफ एम विस्तार तथा आकाशवाणी के 100 एल पी पर 100 वाट एफ एम ट्रांसमीटर लगाना				1 kW FM ट्रांसमीटर की स्थापना (a) ऑक्जिलरी उपकरणों की प्राप्ति और 1 kw FM ट्रांसमीटरों की स्थापना और कमीशनिंग	Q 1/Q-2 -ऑक्जिलरी उपकरणों की रसीद , संस्थापना और कमीशनिंग	कार्य पूरा	ट्रांसमीटर दिसंबर, 2012 में प्राप्त। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी।
					12 स्थानों पर 5 kW FM ट्रांसमीटर की स्थापना (a) ऑक्जिलरी उपकरणों की प्राप्ति और कमीशनिंग (b) भवन निर्माण का कार्य पूरा	Q 1/Q-2 -भवन कार्य पूरा ऑक्जिलरी उपकरणों की रसीद, संस्थापना और कमीशनिंग	कार्य पूरा नहीं	अल्मोड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी जगहों पर भवन कार्य स्वीकृत
					100 watt FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति (a) उपकरणों की कमीशनिंग (b) व्यय की पुनरावृत्ति	Q 1/Q-2/Q-3/Q-4- सभी उपकरणों की संस्थापना और कमीशनिंग तथा व्यय आवृति		ट्रांसमीटर लगाये गए।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय (2014-15) (योजना बजट)	नवंबर 2014 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
ii	**FM /MW ट्रांसमीटरों का परिवर्तन**							
	XI योजना के तहत FM/MW ट्रांसमीटरों को 40 वर्तमान स्टेशनों पर उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटरों से बदलना				27 की संख्या में 5 /6 kW FM ट्रांसमीटरों को बदलना (a) FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति (b) डिपलेक्सर की प्राप्ति (c) पैनल एन्टेना की प्राप्ति (d) क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति	Q1- सभी स्थानों पर भवन कार्य पूरा। ट्रांसमीटर डिपलेक्सर और पैनल एंटेना के आदेश जारी, Q2- उपकरणों के आदेश Q-4- उपकरणों का निरीक्षण	कार्य पूरा	(a)ट्रांसमीटरों के लिये आर्डर (b) पैनल के लिए आर्डर के तहत (b) डिप्लेक्सर का निरीक्षण हो चुका है।
					7 स्थानों पर 10 kW FM ट्रांसमीटरों को बदलना तथा 6 स्थानों पर 1 kW MW ट्रांसमीटरों को 10 kW FM ट्रांसमीटर से बदलना। (a) FM ट्रांसमीटरों की प्राप्ति (b) डिपलेक्सर की प्राप्ति © पैनल एंटेना की प्राप्त (d) क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति तथा क्योंझर में 100 मीटर ट्रांसमीटर की SITC	Q1- उपकरणों के आदेश, Q3 उपकरणों का निरीक्षण Q4-उपकरणों की रसीद	आंशिक कार्य	टेंडर न मिलने के कारण टावर कार्य नहीं दिया जा सका
	FM ट्रांसमीटर (नई योजना)		6.50	0.51				
	118 स्थानों पर विभिन्न क्षमता वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना से FM विस्तार का प्रस्ताव				योजना का अनुमोदन, वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार के लिये सिविल आकलन की तैयारी, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT तथा उपकरणों की विशिष्टता की प्राप्ति		कार्य पूरा	EFC की मीटिंग, 2-9-13 को प्रस्ताव CCEA के पास
	XII योजना के तहत दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में 77 स्थानों पर 6 पुराने MW के स्थान पर FM ट्रांसमीटरों को बदलने का प्रस्ताव				योजना का अनुमोदन, वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार के लिये सिविल आकलन की	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 -आकलन को स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी	कार्य पूरा	सक्षम प्राधिकार द्वारा मार्च 2014 में स्कीम अनुमोदित

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय (2014-15) (योजना बजट)	नवंबर 2014 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
					तैयारी,आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT तथा उपकरणों की विशिष्टता की प्राप्ति	Q-3 :-सिविल कार्य सौंपा. Q-4. NIT जारी,सिविल कार्य आरंभ		
1.2	**स्टूडियो एवं नेटवर्क (कुल)**		21.00	6.80				
(i)	**स्टूडियो में (जारी स्कीम)-बी**		20.00	6.80				
	X योजना के तहत 48 स्थानों पर उच्च सीमा वाले सर्वर की स्थापना				उच्च सीमा वाले सर्वर का 48 स्टेशनों पर कार्य पूरा (ऑर्डर मूल्य रु. 29.00 करोड़ (a) उपकरणों की कमीशनिंग और रसीद	Q 1to Q4 - सभी स्थानों पर उपकरण संस्थापना और उपकरण कमीशनिंग की पावती	लक्ष्य की उपलब्धि हुई	नवंबर, 2012 में आदेश दिया गया
	योजना के तहत 98 स्टूडियों का डिजिटलीकरण,के स्टूडियो, नेटवर्क, RNU का आटोमेशन,7 नये RNU का सृजन,दिल्ली में अभिलेखीकीय सुविधाओंके का संवर्धन				केंद्रीय स्टोरेज और सिस्टम साफ्टवेयर सहित सर्वर dh SITC (डाटा कंटेंट सर्वर 38+10, डिजिटल वर्क स्टेशन 643+138+94), अपेक्षित ऑर्डर मूल्य रु. 23.30 करोड़	Q1- उपकरणों के आदेश Q4-उपकरणों की पावती	लक्ष्य की उपलब्धि नहीं हुई	पुनर्निविदा, ताजा निविदा मार्च, 2013 में हुई
					ढांचे की प्राप्ति	Q1- उपकरणों के आदेश Q4-उपकरणों की पावती	लक्ष्य नहीं हासिल हुआ	पुनर्निविदा, ताजा निविदा दिसंबर 2012 में हुई
					सर्वर की SITC RNU- के लिये वर्क स्टेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर (a) संतुलित कार्य और भुगतान	Q1/Q2-कार्य और शेष भुगतान	कार्य पूरा	
					क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति और विभागीय कार्य का आरंभ	Q-1 to Q-4 :- सभी क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति तथा विभागीय कार्य का आरंभ	कार्य प्रगति पर	क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों ने सभी कार्यवाही की। ट्रांसमीटर प्राप्त होने के बाद विभागीय कार्य आरंभ होंगे

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय (2014-15) (योजना बजट)	नवंबर 2014 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
					स्टूडियो का नेटवर्क	Q1- NIT जारी Q-2 : - निविदा खुलना और तकनीकी मूल्यांकन Q-3 :- उपकरणों के आदेश Q-4 :- उपकरणों की रसीद	लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है	मानदंड को अंतिम रूप नहीं दिया गया
					दिल्ली में अभिलेखीय सुविधा का संवर्धन और चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में अभिलेखीय सुविधा का सृजन	Q1- NIT जारी Q-2 : -निविदा खुलना और तकनीकी मूल्यांकन Q-3 :-उपकरणों के आदेश Q-4 :- उपकरणों की रसीद	कार्य पूरा	मानदंड को अंतिम रूप नहीं दिया गया
					स्टूडियो की नेटवर्किंग	Q-1 to Q-4 :- कार्य की प्रगति और कार्य पूरा	कार्य पूरा नहीं	मानदंड को अंतिम रूप नहीं दिया गया
					स्टूडियो की सज्जा	Q-1 to Q-4 :- कार्य की प्रगति और कार्य पूरा	आंशिक कार्य	
ii	**स्टूडियो (नई योजना)**		1.00					
	XII योजना के तहत 29 स्टूडियो का डिजिटलीकरण, संजाल, 1 नये RNU का सृजन, गुवाहाटी में अभिलेखीय सुविधाओं का सृजन एवं स्टूडियो की पुनर्सज्जा		1.00		योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति,कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिये विशिष्टता तैयारी	Q-1 :- योजना को अनुमोदन Q-2 - आकलन को स्वीकृति,विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा. Q-4. NIT जारी ,सिविल कार्य आरंभ	कार्य पूरा	मार्च 2014 में स्कीम सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित
1.3	**कनेक्टिविटी**		16.00	0.58				
(i)	**कनेक्टिविटी (जारी योजना)**		15.00	0.58				

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय (2014-15) (योजना बजट)	नवंबर 2014 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
	82 STL का परिवर्तन और 35 नये STL की प्राप्तियां				STL कनेक्टिविटी को बदलना	Q1- उपकरणों के आदेश, Q3-उपकरणों का निरीक्षण, Q4-उपकरणों की पावती	कार्य पूरा नहीं	जुलाई 2013 में उपकरणों के लिए आर्डर एलसी नहीं खोले गए
	कैप्टिव अर्थ स्टेशन की स्थापना				5 स्थानों पर CES बदलना	Q 3- उपकरणों की पावती Q 4-स्थापना कार्य आरंभ	कार्य पूरा नहीं	निविदा का मूल्यांकन हो चुका है. क्रय प्रस्ताव अनुमोदन की प्रक्रिया के अधीन
	आर एन टर्मिनल				RN टर्मिनल की प्राप्ति	Q 3- उपकरणों की पावती Q 4-स्थापना कार्य आरंभ	कार्य पूरा	
						Q1. शेष भुगतान और के A&N के संवर्धन के लिये नये आदेश	कार्य पूरा	
(ii)	**कनेक्टिविटी (नयी योजना)**		1.00					
	टेलीकॉम सुविधाओं का संवर्धन : 2 पोल फीड को 4-पोल फीड और 24 डिशों से बदलना SCPC को MCPC - 32 से बदलना		2.00		योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिये विशिष्टता तैयारी	Q-1 - योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन को स्वीकृति,विशेष्य की तैयारी Q-3 - सिविल कार्य सौंपा Q-4 - NIT जारी,सिविल कार्य आरंभ	कार्य पूरा	02.09.2013 को EFC मीटिंग हुई। केबिनेट नोट तैयार मार्च 2014 में स्कीम स्वीकृत
1.4	**कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान को शक्तिशाली बनाना (कुल)**		2.10	0.11				
	प्रशिक्षण सुविधा का संवर्धन (जारी योजना)		2.00	0.11				
	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों सहित STI(T) तथा STI(P) का संवर्धन				STI(T) दिल्ली में मेडीटेशन हॉल और लायब्रेरी का निर्माण	Q-1 :- कार्य प्रगति पर Q-2 :-कार्य प्रगति पर Q-3 :- कार्य पूरा	कार्य पूरा नहीं	आकलन स्वीकृत है. कार्य प्रगति सिविक एजेंसी के अनुमोदन पर निर्भर
					STI(T) दिल्ली में अतिरिक्त कार्यालय का निर्माण	Q-1 :- कार्य प्रगति पर Q-2 :- कार्य प्रगति पर Q-3:- कार्य पूरा	कार्य पूरा	आकलन स्वीकृत

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम		उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय (2014-15) (योजना बजट)	नवंबर 2014 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
						योजना के तहत विभिन्न उपकरणों की प्राप्ति	Q-1 से Q-4 :-योजना के तहत विभिन्न उपकरणों की रसीद, कुछ उपकरण दूसरी योजनाओं के तहत दूसरे उपकरणों के साथ प्राप्त होंगे, जिसके लिये प्राप्ति के कार्यवाही जारी है।	आंशिक कार्य प्रगति	
	प्रशिक्षण सुविधा का संवर्धन (नयी योजना)			0.10					
	XII योजना के तहत दिल्ली एवं भुवनेश्वर के लिये DRM+ तथा ट्रांसमीटर सहित डिजिटल प्रसारण उपकरण की अधिप्राप्ति					योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति,कार्य का आरंभ, और उपकरणों की प्राप्ति के लिये विशिष्टता तैयारी और NIT	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन को स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा Q-4. NIT जारी,सिविल कार्य आरंभ	कार्य पूरा	2.3.2013 को ईएफसी मीटिंग हुई। कैबिनेट नोट तैयार। मार्च 2014 में स्कीम स्वीकृत
1.5	**शोध एवं विकास को मजबूत करना (कुल)**	व्यापक संवादात्मक प्रसारण सेवा. डिजिटल ट्रांसमिशन जैसे DRM/ DRM, DVB, FM, VHF, UHF, CW आदि पर प्रसार संबंधी अध्ययन करना डिजिटल ट्रांसमिशन के लिये निगरानी तंत्र विकसित करना		2.10	0.17				2.3.2013 को ईएफसी मीटिंग हुई। कैबिनेट नोट तैयार। मार्च 2014 में स्कीम स्वीकृत

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय (2014-15) (योजना बजट)	नवंबर 2014 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
	शोध एवं विकास को मजबूत करना (जारी योजना)		2.00	0.17				
					FM DRM+ ट्रांसमीटरों की प्राप्ति	Q1- उपकरणों के आदेश Q2-उपकरणों का निरीक्षण Q4-उपकरण और संस्थापना की रसीद प्राप्त	कार्य पूरा नही हुआ	दोबारा निविदा होनी है
					उपकरणों की प्राप्ति तथा अन्य कार्य	Q1- उपकरणों के आदेश Q2-उपकरणों के का निरीक्षण Q4-उपकरण और संस्थापना की रसीद प्राप्त	आंशिक कार्य प्रगति	
	शोध एवं विकास को मजबूत करना (नयी योजना)		0.10					
	XIIवीं योजना के तहत R&D के लिये नये प्रस्ताव		0.50		योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिये विशिष्टता तैयारी	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 -आकलन को स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा Q-4. NIT जारी,सिविल कार्य आरंभ	कार्य पूरा	
	सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करना (कुल)		18.00	0.36				
	सीमावर्ती क्षेत्रों को शक्तिशाली बनाना (जम्मू और कश्मीर) (जारी योजना)		15.00	0.36				
i	जम्मू और कश्मीर में HPT/LPT की स्थापना :- 3 की संख्या में 10 kW FM ट्रांसमीटर 3 की संख्या में 10 kW TV ट्रांसमीटरों की संस्थापना वर्तमान डीडी स्थल पर 10 kW FM ट्रांसमीटर की स्थापना आकाशवाणी स्थल पर 5 kW के 2 टीवी ट्रांसमीटर के और 100 Watt के 4 FM ट्रांसमीटर				100 watt FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति (4)	कार्य पूरा	कार्य पूरा	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम		उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय (2014-15) (योजना बजट)	नवंबर 2014 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
						नौसेरा में 10 kW FM T (1+1) की प्राप्ति	Q1- उपकरणों के आदेश, Q4-उपकरणों का निरीक्षण	आंशिक कार्य पूरा	उपकरणों का निरीक्षण बाकी
						राजौरी में 2 की संख्या में 5 kW टीवी ट्रांसमीटर	Q1- उपकरणों के आदेश, Q3-उपकरणों का निरीक्षण, Q4-उपकरणों की पावती	आंशिक कार्य पूरा	उपकरणों का निरीक्षण बाकी
						सिविल कार्य प्रगति 10 kW FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति (1+1) and 10 kW Tv ट्रांसमीटर (1+1) डीडी के लिये 3 स्थानों पर	Q1- उपकरणों के आदेश Q4-उपकरणों का निरीक्षण	आदेश हुआ लेकिन निरिक्षण नहीं हो सका	टेंडर न मिलने से कार्य तेजी से नहीं हो सका। उपकरणों का निरीक्षण बाकी
	सीमावर्ती क्षेत्रों की मजबूती (भारत-नेपाल सीमा (नई योजना)			3.00	0.00				
	भारत-नेपाल सीमा (i) भारत-नेपाल सीमा पर 8 FM प्रसारण की स्थापना (ii) 2 स्थानों पर प्रस्तुति केंद्र (iii) 2 स्थानों पर अनलिंकिंग			3.00				कार्य पूरा नहीं	स्कीम स्थगित
3	**बारी बारी से उपयोग वाले प्लेटफॉर्म पर प्रसारण (नई योजना)**	इंटरनेट उपभोक्ताओं को आकाशवाणी चैनलों तक पहुंच की सुविधा देना; आकाशवाणी चैनलों के लिये बहुमुखी माध्यम उपलब्ध कराना		0.10	0.00	योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिये विशिष्टता तैयारी	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन को स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा Q-4. NIT जारी, सिविल कार्य आरंभ	कार्य पूरा	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय (2014-15) (योजना बजट)	नवंबर 2014 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
4	**ढांचे का एकीकरण (कुल)**	प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण में श्रोताओं को आकर्षित करने और उन्हें बनाये रखने के लिये उच्च गुणवत्ता वाले सॉफ्टवेयर उपार्जित करना	4.10	1.07			कार्य पूरा	
	ढांचे का एकीकरण (जारी योजना)		4.00	1.07				
	XII योजना के तहत वर्तमान केंद्रों पर I-O-F-				आपात स्थिति के लिये 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में 5 मोबाइल FM ट्रांसमीटरों का प्रावधान	Q1- उपकरणों के आदेश Q4-उपकरणों का निरीक्षण	कार्य पूरा नहीं	पुनर्निविदा होनी है
					स्टूडियो में मापक उपकरणों का प्रावधान	Q1- उपकरणों के आदेश, Q2-उपकरणों का निरीक्षण, Q3-उपकरण और संस्थापना की रसीद, Q4-टेस्टिंग और मापन	कार्य पूरा नहीं	तकनीकी मूल्यांकन पूरा ऑडियो एनालाइजर की निविदा फिर से की जाएगी
					23 स्थानों पर रिमोट कंट्रोल के लिये टेलीमेट्री MW ट्रांसमीटरों का प्रावधान,	Q1- उपकरणों के आदेश, Q2-उपकरणों के का निरीक्षण, Q3-उपकरण और संस्थापना की रसीद, Q4-टेस्टिंग और मापन	कार्य पूरा नहीं	
					80 स्थानों पर वर्तमान FM स्टेशनों पर UPS का प्रावधान	Q1- शेष कार्य और भुगतान	कार्य पूरा नहीं	
	श्रीनगर और गुवाहाटी में कार्यालय /स्टाफ क्वार्टर, श्रीनगर में हॉस्टल समेत		1.50		श्रीनगर में हॉस्टल कार्य के लिये अक्टूबर 2010 में स्वीकृति मिली (रु. 3.68 करोड़)। लेकिन CCW ने कार्य आरंभ नहीं कराया क्योंकि, वर्तमान भवन को तोड़ने	Q-1 :- कार्य प्रगति पर Q-2 :-कार्य पूरा	आंशिक तौर पर पूरा	स्थानीय निकाय कार्य स्वीकृति न मिलने की वजह से स्टूडियो स्थल पर हॉस्टल आवास का कार्य पूरा नहीं हुआ

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय (2014-15) (योजना बजट)	नवंबर 2014 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
					के अनुमोदन में देरी हुई। जून 2011 में ध्वंस का अनुमोदन मिला. कार्य अब आरंभ होगा	Q-1 :-कार्य की प्रगति Q-2 :- कार्य पूरा करना	कार्य पूरा	कार्य प्रगति पर
			0.50		19.10.2010 को गुवाहाटी में स्टाफ क्वाटर्स स्वीकृति (रु. 7.14 करोड़) फरवरी 2011 में कार्य दे दिया गया।	Q-1:- शेष कार्य और भुगतान Q-1 :-कार्य प्रगति पर Q-2 :- परियोजना पूरी	कार्य पूरा नहीं	स्थानिय सिविक प्राधिकार से क्लीयरेंस न मिलने से कार्य रुका
					गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यालय - स्वीकृत 03.03.2011 को जारी (रु. 7.14 करोड़ आकाशवाणी द्वारा तथा 1 करोड़ डीडी द्वारा).			
	ढांचे का एकीकरण (नई योजना)		0.10					
	दिल्ली तथा मुंबई में सामुदायिक केंद्र				योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिये विशिष्टता तैयारी	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन को स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा Q-4. NIT जारी,सिविल कार्य आरंभ	आंशिक कार्य पूरा	भवन योजना को अंतिम रूप दिया जाना है
	DDG(E) कार्यालय प्रखंड का पुनर्निर्माण और इंदौर में विद्युत वायरिंग परिवर्तन				योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिये विशिष्टता की तैयारी।	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन को स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा Q-4. NIT जारी,सिविल कार्य आरंभ	स्वीकृति नहीं हुआ	
	सुरक्षा चारदीवारी को मजबूत करना आदि				योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिये विशिष्टता की तैयारी।	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन को स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा Q-4. NIT जारी, सिविल कार्य आरंभ	आंशिक कार्य पूरा	भवन योजना को अंतिम रूप दिया जाना है

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय (2014-15) (योजना बजट)	नवंबर 2014 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
	रोहतक में स्टूडियो सह कार्यालय भवन का पुनर्निर्माण				योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिये विशिष्टता तैयारी	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन को स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा Q-4. NIT जारी, सिविल कार्य आरंभ	कार्य स्वीकृत नहीं हुआ	योजना की राशि 1020 करोड़ रुपये से घटाकर 393 करोड़ रुपये कर दी गई। अत: यह आइटम हटाना है।
5	**ई- गवर्नेंस (नई योजना)**	संजाल आधारित ऑन लाइन प्रबंध तंत्र के माध्यम से मीडिया इकाइयों को तीव्र गति से सूचनाओं का प्रसार तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन के व्यापक संजाल हेतु प्रबंधन को ERP समाधान मुहैया कराना आकाशवाणी के सभी स्टोशनों और शिकायत निवारण तंत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-टेंडरिंग, वेबसाइट से परिपूर्ण करना	0.10	0.00	योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, उपकरणों की प्राप्ति के लिये मापदंडों की तैयारी और NIT	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन को स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :-सिविल कार्य सौंपा Q-4. NIT जारी,सिविल कार्य आरंभ	आंशिक कार्य पूरा	अंतिम रूप दिया जा रहा है।
	योजना II: अवयव विकास एवं प्रसार (जारी योजना)		10.00	6.28				
(i)	**सॉफ्टवेयर (DBS)**	प्रतिस्पर्धी मीडिया वातावरण में श्रोताओं को आकर्षित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सॉफ्टवेयर तैयार करना	10.00	6.28	1. नया और ताजा कंटेंट सृजन 2. रेडियो कार्यशाला , संगीत सम्मेलन, कॉंसर्ट्स आदि 3. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की कवरेज 4. फ्लैगशिप कार्यक्रमों का उत्पादन 5. आकाशवाणी के अभिलेखों का डिजिटलीकरण	सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के लिये कोष का उपयोग/अवयव सृजन और अधिग्रहण के लिये ,फ्लैगशिप कार्यक्रम, अबिलेखकों को डिजिटलीकरण आदि	पूरा	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय (2014-15) (योजना बजट)	नवंबर 2014 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
	योजना IV: विशेष परियोजनाएं		0.01	0.00				
(i)	**दिल्ली में ऑडिटोरियम का पुनरुद्धार (नई योजना)**	आकाशवाणी के पास दिल्ली में ऑडिटोरियम नहीं है, उसके लिये ऑडिटोरियम का निर्माण; कार्यक्रम आयोजन के लिये आमंत्रित श्रोताओं को सुविधा उपलब्ध कराना व्यापक समूहों की भागीदारी से लाइव कार्यक्रम करना	0.01	0.00	योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति,कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिये विशिष्टता तैयारी	Q-1 :-योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन को स्वीकृति,विश्ष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा Q-4. NIT जारी,सिविल कार्य आरंभ	कार्य पूरा नहीं हुआ	योजना का अनुमोदन होना शेष है
(ii)	**किसान चैनल कंटेट सृजन के लिए**		10.00					
	कुल (पूंजी)		**237.01**	**149.28**				
	पूंजी सृजन के लिए अनुदान		**217.01**	**143.00**				
	अनुदान सहायता-सामान्य		**20.00**	**6.28**				

प्रसार भारती
आकाशवाणी
वार्षिक योजना की समीक्षा (2013-14)

(बजट परिणाम 2013-14 के अनुसार) वास्तविक उपलब्धियां

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वर्तमान संजाल का डिजिटलीकरण (पूंजी)	प्रसारण गुणवत्ता मंज सुधार, डिजिटलीकरण द्वारा रिकार्डिंग और कनेक्टिविटी क्षमता बढ़ाने के लिए, डिजिटलीकरण और स्वचलीकरण द्वारा अतिरिक्त सुविधाओं को किराये पर देकर अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करना						
1.1	ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण							
a	MW ट्रांसमीटर कुल		81.00	98.12				
	MW ट्रांसमीटर (स्कीम जारी)		80.00	98.12				
i	राजकोट में 1000 KW MW TR की 1000 KW MW DRM ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापना		0.50		लंबितकार्य और लंबित भुगतान-पूरा	Q-1 लंबित भुगतान		
ii	कावारती में 1kw MW TR dh 10kw MW डिजिटल सक्षम ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापना		0.50		5. कावारती-10kw MW ट्रांसमीटर की स्थापना पूरी	Q-1 स्थापना पूरी Q-2 जांच और माप	पूरा नहीं हुआ	भवन कार्य पूरा न होने के कारण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0.60		कावारती में हॉस्टल का निर्माण	Q-1 कार्य प्रगति पर Q-2 कार्य पूरा	पूरा नहीं हुआ	भवन कार्य पूरा न होने के कारण
iii	चिनसूरा (प.बं.) में 1000 KW MW TR की 1000 KW MW DRM ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापना		1.00		4. चिनसूरा 1000kw MW ट्रांसमीशन स्थापित	Q-1 लंबित कार्य और भुगतान Q-2 परियोजना की कमीशनिंग	पूरा	
iv	6 स्थानों पर 20kw MW ट्रांसमीटर (दिल्ली VB, बाड़मेर एवं बीकानेर (राज.), चेन्नई (तमि.) VB, गुवाहाटी 'B', तवांग)		2.40		लंबित भुगतान और लघु निर्माण कार्य पूर्ण	Q-1/Q-2 लंबित कार्य और भुगतान	पूरा	
v	100kw&12 संख्या में विजयवाड़ा (आं.प्र.), पटना (बिहार), पणजी (गोवा), रांची (झार.) मुंबई *A*		12.00		1-100kw MW DRM ट्रांसमीटर प्राप्त, स्थापित और कमीशनिंग	Q-1 उपकरणों की निरीक्षण Q-2 आंशिक आपूर्ति पावती (43.00 करोड़)	एडवांस AT स्थापित 04/09/2012 को PBG प्राप्त हुआ फॉर्मल AT जनवरी 2013 में लगेगा	
	(महा.), मुंबई 'B'(महा.), पुणे (महा.), तिरुचिरापल्ली (तमि.), वाराणसी (उ.प्र.), कोलकाता 'A'(प.बं.), मुंबई C (50kw) एवं पासीघाट (10kw by 100kw)				43.00 करोड़	Q-3 पहले लॉट के ट्रांसमीटरों का निरीक्षण Q-4 पहले लॉट के ट्रांसमीटरों की प्राप्ति तथा दूसरे लॉट के ट्रांसमीटरों का निरीक्षण	पूरा	फार्मल A/T 12 नवंबर को प्रस्तुत DP 12 महीने
			1.00		सिविल कार्य पूरा	उपकरणों के संस्थापन के बाद सिविल कार्य पूरा	पूरा नहीं	भवन कार्य की स्वीकृति वित्त वर्ष के अंत में ट्रांसमीटर प्राप्त

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5.00		सहायक उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	Q-1 से Q-4- क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	प्रगति पर	क्षेत्रीय कार्यालयों ने क्षेत्रीय उपकरण प्राप्ति के लिए कार्रवाई की। ट्रांसमीटर प्राप्त होने के बाद विभागीय कार्य आरंभ होंगे।
vi	200 kw&10 संख्या में दिल्ली 'A', अहमदाबाद (गुज.), बंगलुरु एवं धारवाड़ (कर्ना.), जबलपुर (म.प्र.), अजमेर (राज.), चेन्नई '।' (तमि.), सिलिगुड़ी, कोलकाता 'B' (प.बं., तथा इटानगर (100kw MW के स्थान पर 200kw MW DRM की प्रतिस्थापना)		12.00		200kw MW DRM ट्रांसमीटर प्राप्त, स्थापित और कमीशनिंग (आदेश मूल्य: रु. 49.51 करोड़)	Q-3 पहले लॉट के ट्रांसमीटरों का निरीक्षण Q-4 पहले लॉट के ट्रांसमीटरों की प्राप्ति तथा दूसरे लॉट के ट्रांसमीटरों का निरीक्षण	पूरा	फार्मल A/T 12 नवंबर को प्रस्तुत DP 12 महीने
			1.00		सिविल कार्य पूरा	उपकरणों के संस्थापन के बाद सिविल कार्य पूरा	पूरा नहीं	भवन कार्य को स्वीकृति
			4.00		सहायक उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	Q-1 से Q-4- क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	पूरा	क्षेत्रीय कार्यालयों ने क्षेत्रीय उपकरण प्राप्ति के लिए कार्रवाई की। ट्रांसमीटर प्राप्त होने के बाद विभागीय कार्य आरंभ होंगे।
vii	300kw-6 संख्या में डिबरूगढ़ (असम), राजकोट (गुज.), जम्मू एवं कश्मीर, जालंधर (पंजाब), सूरतगढ़ (राज.), लखनऊ (उ.प्र.)		12.00		300kw MW DRM ट्रांसमीटर प्राप्त, स्थापित और कमीशनिंग (आदेश मूल्य: रु. 38.00 करोड़)	Q-3 पहले लॉट के ट्रांसमीटरों का निरीक्षण Q-4 पहले लॉट के ट्रांसमीटरों की प्राप्ति तथा दूसरे लॉट के ट्रांसमीटरों का निरीक्षण	पूरा	फार्मल A/T 12 नवंबर को प्रस्तुत DP 12 महीने

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1.00		सिविल कार्य पूरा	Q-1 सिविल कार्य प्रगति पर Q-2 से Q-4 सिविल कार्य पूरा	पूरा	जम्मू में भवन कार्य को स्वीकृति तथा अन्य स्वीकृति की प्रक्रिया में
			4.00		क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	Q-1 से Q-4- क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ		क्षेत्रीय कार्यालयों ने क्षेत्रीय उपकरण प्राप्ति के लिए कार्रवाई की। ट्रांसमीटर प्राप्त होने के बाद विभागीय कार्य आरंभ होंगे।
viii	36 वर्तमान DRM सक्षम MW ट्रांसमीटर की DRM में परिवर्तन		19.50		उपकरण प्राप्त	Q-1 उपकरणों के लिए आदेश जारी Q-2 Q-3 Q-4 उपकरणों की प्राप्ति	प्रसार भारती ने परियोजना को स्थगित करने का निर्णय लिया है इसलिए SITC के लिए आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया।	19 हैरिस मेक ट्रांसमीटरों के कनवर्जन के लिए उपकरणों की प्राप्ति। इन ट्रांसमीटरों के कनवर्जन के लिए SITC की निवेदित दर प्राप्त हो गई है और उसकी तकनीकी जांच कर ली गई है। आदेश देने की प्रक्रिया में है। 17 थामसन मेक ट्रांसमीटरों के लिए पीएसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत। निवेदित दर फर्म द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0.50		सहायक उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	Q-1 से Q-4- क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	शुरु नहीं हुआ	क्षेत्रीय कार्यालयों ने क्षेत्रीय उपकरणों के लिए कार्रवाई कर ली है। विभागीय कार्य कनवर्जन किट की प्राप्ति और संस्थापन के बाद शुरु होगा।
ix	MW ट्रांसमीटरों की प्रतिस्थापना के तहत अन्य प्राप्तियां		3.00		DRM रिसीवर प्राप्त, (36 व्यावसायिक) और 144 सामान्य उद्देश्य के	Q-2 उपकरण के आदेश Q-4 उपकरण की प्राप्ति	व्यावसायिक रिसीवर प्राप्त वाणिज्यिक रिसीवर प्राप्त नहीं	तकनीकी आकलन पूरा। उपकरणों के आदेश की प्रक्रिया चल रही है।
	MW ट्रांसमीटर (नई स्कीम)		1.00					
x	4 MW ट्रांसमीटरों की प्रतिस्थापना		1.00	0.00	स्कीम का अनुमोदन, वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिए सिविल आकलन की तैयारी, आकलन की स्वीकृति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1 योजना का अनुमोदन Q-2 आकलन की स्वीकृति, विनिर्देशन की तैयारी Q-3 सिविल कार्य सौंपा गया Q-4 NIT जारी, सिविल कार्य प्रारंभ	शुरु नहीं हुआ	EFC द्वारा नई स्कीम की राशि 1020 करोड़ से घटाकर 393 करोड़ कर दी गई। यह उप स्कीम समाप्त कर दी गई।
(b)	SW ट्रांसमीटर		3.10	0.53				
i	SW ट्रांसमीटर (स्कीम जारी)		3.00	0.53				
	SW DRM ट्रांसमीटरों की जगह 5 SW ट्रांसमीटरों की प्रतिस्थापना (दिल्ली-2 संख्या में, अलीगढ़-2 संख्या में, बंगलुरू-1 संख्या में)		0.10		250kw SW ट्रांसमीटर प्राप्त	Q-1 उपकरणों के आदेश Q-3 स्थल की निरीक्षण Q-4 उपकरणों की प्राप्ति	आदेश नहीं दिया गया	प्रसार भारती ने कमर्शियल रिसीवर प्राप्त होने तक इस परियोजना को स्थगित कर दिया है।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0.10		100kw SW ट्रांसमीटर प्राप्त (आदेश मूल्य 17.00 करोड़)	Q-2 स्थल का निरीक्षण Q-3 उपकरण की प्राप्ति Q-4 उपकरण का संस्थापन	प्राप्त नहीं हुआ	निरीक्षण में विलंब
			0.80		भवन कार्य पूरा	Q-1 सिविल कार्य पूरा 2 स्थानों पर और 1 स्थान पर प्रगति में Q-2 सिविल कार्य सभी स्थानों पर पूरा	आपेक्षित नहीं	
			2.00		सहायक उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	Q-1 to Q-4- क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	प्रक्रियाधीन	क्षेत्रीय कार्यालयों ने क्षेत्रीय उपकरण प्राप्ति के लिए कार्रवाई कर ली है। ट्रांसमीटर प्राप्त होने के बाद विभागीय कार्रवाई शुरु होगी।
ii	SW ट्रांसमीटर (नई स्कीम)		0.10					
	XII योजना के तहत के SW ट्रांसमीटर की प्रतिस्थापना एवं उच्चीकरण		0.10		स्कीम का अनुमोदन, वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी आकलन की स्वीकृति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT	Q-1 स्कीम का अनुमोदन Q-2 आकलनों को स्वीकृति, विनिर्देशन तैयार Q-3 सिविल कार्य सौंपना Q-4 NIT जारी, सिविल कार्य शुरू	शुरु नहीं हुआ	EFC द्वारा नई स्कीम की राशि 1020 करोड़ से घटाकर 393 करोड़ कर दी गई। यह उप स्कीम समाप्त कर दी गई।
(C)	FM ट्रांसमीटर (कुल)		30.40	41.88				
	FM ट्रांसमीटर (स्कीम जारी)		25.00	41.48				
i	FM विस्तार योजना		20.75					

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	FM विस्तार योजना स्कीम (जारी)		1.00		परियोजना के लिए FM ट्रांसमीटर स्थापित करना क) स्थल की प्राप्ति ख) बाउंडरी वॉल के लिए ग) एलओपी को अंतिम रूप दिया जाना और आकलनों को स्वीकृति, कार्य की शुरुआत	Q-1 हल्द्वानी और चंपावत में स्थल अधिकार में लिया तथा रायबरेली में सिविल कार्य जारी Q-2 भवन कार्य के आकलन को स्वीकृति तथा कार्य शुरु। भवन के LOP को अंतिम रुप दिया गया।	लिमिटेड स्टूडियो सुविधा के साथ 5kw FM की अंतरिम स्थापना हल्द्वानी में भूमि प्राप्त नहीं की जा सकी।	हल्द्वानी स्थल के लिए डिमांड नोट प्राप्त हुआ और पिछले वर्ष स्वीकृत लेकिन राज्य सरकार ने भूमि मूल्य में वृद्धि कर दी। 1: से 10: तक, जो वहन करने योग्य नहीं, मुद्दा राज्य सरकार के सम्मुख रखा गया है। चंपावत- राज्य सरकार से डिमांड नोट मिलना शेष
			2.00		फाजिल्का, अमृतसर, चौटनहिल और रायबरेली में 20kw FM ट्रांसमीटर स्थापित करने की परियोजना (क) 20kw FM की प्राप्ति (3 संख्या में) (ख) उपकरणों का संस्थापन और कमीशनिंग (ग) सहायक उपकरणों की प्राप्ति और संस्थापन	Q-1 भवन कार्य पूरा, सहायक उपकरणों का संस्थापन Q-2 सहायक उपकरण की प्राप्तिध्संस्थापन की प्रगति तथा ट्रांसमीटर उपकरण का निरीक्षण Q-4 ट्रांसमीटर की टेस्टिंग और कमीशनिंग	भवन कार्य पूरा, ट्रांसमीटर प्राप्त नहीं किए जा सके	(क) ट्रांसमीटर उपकरण के लिए दिसंबर 2012 को आदेश प्रस्तुत किए गए। FLC खुलने में विलंब के कारण ट्रांसमीटर प्राप्त नहीं किए जा सके।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0.10		गैरसेन और नई टिहरी में 1kw FM ट्रांसमीटर की स्थापना (क) टॉवर का संस्थापन (ख) ट्रांसमीटर का संस्थापन/टेस्टिंग/ कमीशनिंग	Q-1 भवन कार्य, टॉवर कार्य, सहायक उपकरण व ट्रांसमीटर का संस्थापन कार्य पूरा Q-2 ट्रांसमीटर की टेस्टिंग और कमीशनिंग	कार्य पूरा	प्रचालन और रखरखाव के लिए ओएंडएम स्टाफ की आवश्यकता
			0.50		बागेश्वर और उज्जैन में 5kw FM स्थापित करना (क) टॉवर का संस्थापन (ख) ट्रांसमीटर का संस्थापन/टेस्टिंग/ कमीशनिंग	Q-1 भवन कार्य, टॉवर कार्य, सहायक उपकरण व ट्रांसमीटर का संस्थापन कार्य पूरा Q-2 ट्रांसमीटर की टेस्टिंग और कमीशनिंग	कार्य पूरा	
			1.00		दार्जिलिंग, कूचबेहर, धनबाद, बर्धमान, सूर्यपेट में 10kw FM ट्रांसमीटर की स्थापना (क) 10kw FM की प्राप्ति (4) (ख) उपकरणों का संस्थापन और कमीशनिंग (ग) सहायक उपकरणों की प्राप्ति और संस्थापन (घ) सिविल कार्य पूरा (ङ) सूर्यपेट में टॉवर लगाए गए	Q-1 सूर्यपेट के अलावा सभी स्थानों पर सिविल कार्य पूरा। सूर्यपेट, धनबाद और बर्धमान में टॉवर के SITC के लिए आदेश Q-2 भवन कार्य और टॉवर कार्य प्रगति पर। सहायक उपकरण की प्राप्ति और संस्थापन Q-3 ट्रांसमीटर उपकरण का निरीक्षण	सूर्यपेट के अलावा भवन कार्य पूरा। ट्रांसमीटर प्राप्त नहीं किए जा सके। किसी भी बोली दाता ने 100 मीटर के लिए बोली नहीं लगाई।	नवंबर 2012 में 10kw FM ट्रांसमीटर के लिए आदेश दिया गया। 3 स्थानों पर 100 मीटर टॉवर के लिए पुन: NIT आंमत्रित। जारी स्कीम के अनुमोदन के बाद सूर्यपेट में भवन कार्य शुरु होगा।
			0.50		देहरादून, पटना में 10kw FM ट्रांसमीटर की स्थापना (क) STL की प्राप्ति और संस्थापन (ख) देहरादून में सिविल कार्य पूरा	Q-1 STL की प्राप्ति और देहरादून में सिविल कार्य पूरा Q-2 उपकरणों का संस्थापन और टेस्टिंग Q-3 सेटअप की कमीशनिंग	कार्य पूरा	

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0.50		गैंगटोक में 10kw FM ट्रांसमीटर और सिल्चर में 5kw FM ट्रांसमीटर स्थापित (क) STL की प्राप्ति और संस्थापन (ख) सिविल कार्य पूरा	Q-1 STL की प्राप्ति Q-2 उपकरणों का संस्थापन और टेस्टिंग Q-3 सेटअप की कमीशनिंग	STL प्राप्त नहीं	(i) STL के लिए आदेश। FLC खोला नहीं जा सका।
			1.00		कोहिमा में 10kw FM की स्थापना	Q-1 टॉवर कार्य के लिए आदेश Q-2/Q-3/Q-4 टॉवर उठाने और संस्थापन का कार्य पूरा	पूरा नहीं	DD स्थलों पर ट्रांसमीटर लगाने का निर्णय लिया गया।
			1.00		टी अनीनी (अरुणाचल) तमंगलांग और उखरुल (मणिपुर) (क) स्थल का अधिग्रहण (ख) PSF पूरा (ग) भवन कार्य पूरा	Q-1 और Q-2 स्थल का अधिग्रहण और सुरक्षा घेरे का निर्माण शुरु। Q-2/Q-3/Q-4 भवन कार्य की प्रगति	स्थल प्राप्त नहीं किए जा सके।	राज्य सरकारों द्वारा स्थल आंबटित किए जाने हैं। मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। अनीनी में दिए जा रहे वैकल्पिक स्थल का विवरण राज्य सरकार द्वारा दिया जाना है। तंमगलांग और उखरुल क्षेत्रीय कार्यालय टीम, कानून और व्यवस्था में सुधार होते ही स्थल का दौरा करेगी। मामले को उठाया जा रहा है।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5.00		उत्तर पूर्व में 16 स्थानों पर 1kw FM ट्रांसमीटर स्थापित (क) केमनागर और जूनेबोटो में भवन कार्य पूरा (ख) टॉवर कार्य पूरा (ग) संस्थपान कार्य पूरा तथा सेटअप की कमीशनिंग	Q-1 करीमनगर में सिविल कार्य पूरा तथा जूनेबोटो में प्रगति पर। सभी स्थानों पर हॉस्टलध स्टॉफ क्वार्टर के आकलन को अनुमोदन। टॉवर के SITC की प्रगति तथा सहायक उपकरण का संस्थापन	करीमनगर में सिविल कार्य पूरा। इसे जूनेबोटो में शुरु नहीं किया जा सका। कुछ स्थानों पर टॉवर कार्य पूरा। स्टाफ की स्वीकृति न मिलने के कारण हॉस्टल कार्य के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।	संबंधित राज्य सरकार को चंपावत, फेक, गोलपाड़ा, कोलासिब, चंगलांग, खोंसा व दापोरिजो स्थित आकाशवाणी स्थलों के लिए सड़क का निर्माण किया जा रहा है।
			5.00		(घ) सभी स्थानों पर स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	Q-2 व Q-3 करीमगंज में कार्य पूरा व जूनेबोटो में सिविल कार्य प्रगति पर। टॉवर लगाने का कार्य पूरा तथा 6 सेटअप की कमीशनिंग और अन्य प्रगति पर। सभी स्थानों पर हॉस्टल कार्य पूरा Q-4 जूनेबोटो में टॉवर भवन पूरा तथा हॉस्टल कार्य प्रगति पर		
			0.40		गंगटोग में हॉस्टल	Q-1 कार्य प्रगति पर Q-2 कार्य पूरा	कार्य पूरा	

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0.50		शेष 100 वाट FM ट्रांसमीटरों का संस्थापन और कमीशनिंग	परियोजना कार्य पूरा	पूरा नहीं हुआ	मणिपुर सरकार ने 100kw FM ट्रांसमीटरों को स्थापित करने के लिए स्थान नहीं दिया है।
	वर्तमान 24 आकाशवाणी दूरदर्शन स्थलों पर FM विस्तार तथा XI योजना के तहत् आकाशवाणी दूरदर्शन के वर्तमान 100 LPT पर 100 Watt FM ट्रांसमीटर		0.75		12 स्थानों पर 1kw FM ट्रांसमीटरों की स्थापना (क) सहायक उपकरण की प्राप्ति और 12 स्थानों पर 1kw FM ट्रांसमीटरों का संस्थापन और कमीशनिंग	Q-1/Q-2 सहायक उपकरण की प्राप्ति, संस्थापन और कमीशनिंग	कार्य पूरा	दिसंबर 2012 में ट्रांसमीटर प्राप्त हुए। प्रचालन की फ्रीक्वेंसी के लिए WPC क्लीयरेंस अपेक्षित प्रक्रिया चल रही है।
			4.00		12 स्थानों पर 5kw FM ट्रांसमीटरों की स्थापना (क) सहायक उपकरण की प्राप्ति और कमीशनिंग (ख) भवन कार्य पूरा	Q-1/Q-2 भवन कार्य पूरा। सहायक उपकरण की प्राप्ति, संस्थापन और कमीशनिंग	7 स्थानों पर भवन कार्य पूरा। 5 स्थानों पर पूरा नहीं हुआ। 7 स्थानों पर ट्रांसमीटर संस्थापित किए जा रहे हैं।	अक्टूबर 2012 में ट्रांसमीटर प्राप्त किए गए। अलमोड़ा के अलावा सभी भवन कार्यों को स्वीकृति
			2.00		100 वाट थ्ड ट्रांसमीटरों की प्राप्ति (क) उपकरणों की कमीशनिंग (ख) बार-बार व्यय	Q-1/Q-2/Q-3/Q-4 सभी उपकरणों का संस्थापन और कमीशनिंग तथा बार-बार व्यय		ट्रांसमीटर नहीं लगे हैं

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ii	FM/MW ट्रांसमीटरों की प्रतिस्थापना		4.25					
	XI योजना के तहत् 40 मौजूदा स्टेशनों पर FM/MW ट्रांसमीटरों की हाई पॉवर ट्रांसमीटरों से प्रतिस्थापना		2.25		27 5/6kw FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति (क) FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति (ख) डिपलेक्सर की प्राप्ति (ग) पैनल एंटीना की प्राप्ति (घ) क्षेत्रीय उपकरण की प्राप्ति	Q-1 सभी स्थानों पर भवन कार्य पूरा। ट्रांसमीटर, डिप्लेक्सर और पैनल एंटीना के लिए आदेश Q-2 उपकरण के आदेश Q-3 उपकरण का निरीक्षण	TR का आदेश दे दिया गया। पैनल एंटीना का आदेश दे दिया गया। डिप्लेक्सर का आदेश दे दिया गया।	(क) ट्रांसमीटर का आदेश दे दिया गया। थ्रू खोला नहीं जा सका। (ख) पैनल एंटीना और डिप्लेक्सर का आदेश दे दिया गया।
			2.00		7 स्थानों के लिए 10kw FM ट्रांसमीटरों को बदलना और 6 स्थानों पर 1kw FM ट्रांसमीटर को 10kw FM ट्रांसमीटर से बदलना (क) अदीलाबाद और कियोनझार में 100 मीटर टॉवर का SITC (ख) FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति (ग) डिप्लेक्सर की प्राप्ति (घ) पैनल एंटीना की प्राप्ति (ड) क्षेत्रीय उपकरण की प्राप्ति	Q-1 उपकरण का आदेश Q-3 उपकरण का निरीक्षण Q-4 उपकरण की प्राप्ति	ट्रांसमीटरों की निरीक्षण और प्राप्ति अन्य उपकरण प्राप्त किए जाने हैं।	(i) टॉवर के SITC के लिए टेंडर फिट नहीं पाया गया। (ii) अन्य उपकरण का आदेश
	FM ट्रांसमीटर (नई स्कीम)		5.40	0.40				
	138 स्थानों पर विभिन्न क्षमता वाले ट्रांसमीटर लगाकर FM विस्तारका प्रस्ताव XII योजना में 26 स्थानों पर स्टूडियो सुविधा		0.10		स्कीम का अनुमोदन वर्तमान भवन के जीर्णोद्धार के लिए सिविल आकलन तैयार करना आकलन की स्वीकृति, कार्य प्रारंभ करना,	Q-1:-स्कीम का अनुमोदन Q-2:-आकलन की स्वीकृति, विनिर्देशन तैयार करना Q-3:- सिविल कार्य सौंपा गया		

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					उपकरण और एनआईटी प्राप्त करने के लिए विनिर्देशन तैयार करना	Q-4:- एनआईटी जारी, सिविल कार्य प्रारंभ	अमेठी और लुधियाना में अंतरिम सेटअप उपलब्ध कराया गया।	ईएफसी द्वारा नई स्कीयम की ध नराशि को 1020 करोड़ रुपए से घटाकर 393 करोड़ रुपए कर दिए गए। इस उपस्कीरम को खत्मइ कर दिया गया।
	XII योजना के तहत 77 स्थानों पर 26 पुराने FM ट्रांसमीटरों की प्रतिस्थापना का प्रस्ताव इनमें दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्र शामिल हैं डॅ ट्रांसमीटरों की जगह FM ट्रांसमीटरों की प्रतिस्थापना		5.30		स्कीम का अनुमोदन वर्तमान भवन के जीर्णोद्धार के लिए सिविल आकलन तैयार करना आकलन की स्वीकृति, कार्य प्रारंभ करना, उपकरण और एनआईटी प्राप्ती करने के लिए विनिर्देशन तैयार करना	Q-1:-स्कीम का अनुमोदन Q-2:-आकलन की स्वी-कृति, विनिर्देशन तैयार करना Q-3:- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4:- एनआईटी जारी, सिविल कार्य प्रारंभ	शुरु नहीं	ईएफसी द्वारा नई स्कीम की धनराशि को 1020 करोड़ रुपए से घटाकर 393 करोड़ रुपए कर दिए गए। इस उपस्कीरम को खत्म कर दिया गया।
1.2	स्टूडियो एवं नेटवर्क(कुल)		24.00	19.70				
1.1	स्टूडियो (जारी स्कीम)		22.00	19.70				
	X योजना के तहत् 48 स्थानों पर उच्च क्षमता वाले सर्वर की स्थापना		8.00		उच्च क्षमता वाले सर्वरों का 48 स्टेशनों पर स्थापना (आदेश मूल्य रु.29.00 करोड़) (उपकरणों की प्राप्ति और कमीशनिंग)	Q-1 से Q-4- उपकरण की प्राप्ति, सभी स्थानों पर उपकरणों का संस्थापन और कमीशनिंग	लक्ष्य पूरा	नवबंर 2012 में आदेश दिया गया।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	XI योजना के तहत 98 स्टूडियो का डिजिटलीकरण, नेटवर्किंग, RNU का स्वचलीकरण, 7 नये RNU का सृजन, दिल्ली में अभिलेखीय सुविधा का संवर्धन एवं 4 स्थानों पर सृजन		4.00		सर्वर क SITC केंद्रीयकृत भंडारण तथा सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित (डाटा अवयव सर्वर 38+10, डिजीटल कार्य 643+138+94), संभावित आदेश मूल्य रु. 23.30 करोड़	Q-1 उपकरणों के आदेश Q-4 उपकरणों की पावती	लक्ष्य प्राप्ती नहीं किए	पुर्ननिविदा, दिसंबर 2012 में नया टेंडर। तकनीकी आकलन नहीं किया जा सका।
			2.00		कॉन्सोंल प्राप्ति	Q-1 उपकरणों के आदेश Q-4 उपकरणों की पावती	लक्ष्य प्राप्ती नहीं किए	पुर्ननिविदा, दिसंबर 2012 में नया टेंडर। तकनीकी आकलन पूरा नहीं
			0.30		सर्वर के SITC, वर्क स्टेशन और RNU के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर (क) शेष कार्य और भुगतान	Q-1 Q-2 शेष कार्य और भुगतान	कार्य पूरा	
			2.00		क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	Q-1 to Q-4 क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	प्रगति पर	क्षेत्रीय कार्यालयों ने क्षेत्रीय उपकरणों के लिए सभी कार्रवाई कर ली है। ट्रांसमीटर प्राप्त होने के बाद विभागीय कार्य आरंभ होगा।
			1.70		स्टूडियो का नेटवर्किंग	Q-1 NIT जारी Q-2 निविदा खुलीं और तकनीकी मूल्यांकन Q-3 उपकरणों के आदेश Q-4 उपकरण की प्राप्ति	लक्ष्य प्राप्त नहीं	विनिर्देशनों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2.00		दिल्ली में अभिलेखीय सुविधा का संवर्धन, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में अभिलेखीय सुविधा का सृजन	Q-1 NIT जारी Q-2 निविदा खुलीं और तकनीकी मूल्यांकन Q-3 उपकरणों के आदेश Q-4 उपकरण की प्राप्ति	लक्ष्य प्राप्त नहीं	खरीद प्रस्ताव स्वीकृति की प्रक्रिया में है। जनवरी 2013 में आदेश दिए जाने की उम्मीद है।
			2.00		स्टूडियो की सुसज्जा 3.न्यूज ऑन फोन सेवा का उच्चीकरण 13 स्थानों पर तथा 16 नई जगहों पर सेवा की शुरुआत(29)	Q-1 जव Q-4 कार्य पूरा	प्रगति पर	 स्कीम को समाप्त कर दिया गया।
ii	स्टूडियो (नई योजना)		2.00					
	XII योजना के तहत् 116 स्टूडियो का डिजिटलीकरण, संजाल, 1 नये RNU का नेटवर्किंग, गुवाहाटी में अभिलेखीय सुविधा का आरंभ एवं स्टूडियो सुसज्जा नदकमत XII plan		2.00		स्कीम का अनुमोदन वर्तमान भवन के जीर्णोद्धार के लिए सिविल आकलन तैयार करना आकलन की स्वीकृति, कार्य प्रारंभ करना, उपकरण और एनआईटी प्राप्त करने के लिए	विनिर्देशन तैयार करना Q-1:-स्कीम का अनुमोदन Q-2:-आकलन की स्वीकृति, विनिर्देशन तैयार करना Q-3:- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4:- एनआईटी जारी, सिविल कार्य प्रारंभ	शुरु नहीं	ईएफसी द्वारा नई स्कीम की धनराशि को 1020 करोड़ रुपए से घटाकर 393 करोड़ रुपए कर दिए गए। इस उपस्कीरम को खत्म कर दिया गया।
1.3	कनेक्टिविटी		22.00	0.75				
i	कनेक्टिविटी (जारी स्कीम)		20.00	0.75				
	82 STL की प्रतिस्थापना तथा 35 नये STL की प्राप्ति		14.00		STL कनेक्टिविटी की प्रतिस्थापना	Q-1 उपकरण के आदेश Q-3 उपकरणों का निरीक्षण Q-4 उपकरण की प्राप्ति	पूरा नहीं	FLC खोला जा सकता है।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कैप्टिव अर्थ स्टेशन की स्थापना		5.00		5 स्थानों पर CES	Q-3 उपकरण की प्राप्ति Q-4 स्थापना कार्य आरंभ	पूरा नहीं	क्रय आदेश नहीं दिया जा सका
	RN टर्मिनल		0.10		RN टर्मिनल की प्राप्ति	Q-3 उपकरण की प्राप्ति Q-4 स्थापना कार्य आरंभ	कार्य पूरा	
	DTH का संवर्धन		0.90		DTH का संवर्धन	Q-1 शेष भुगतान और A&N व संवर्धन के लिए आदेश	कार्य पूरा	
ii	कनेक्टिविटी (नई स्कीम)		2.00					
	टेलीकॉम सुविधाओं का संवर्धन: 2 पोल फीड और डिसिज को 4-पोल से प्रतिस्थापित करना-24 SCPC की जगह MCPC की प्रतिस्थापन OB के लिए कोडेक्सथ तथा STL-650 के लिए स्टैंडबाई V-Sats-32 नए STL-12 XII योजना के तहत् DTH का संवर्धन 40 तक		2.00		स्कीम का अनुमोदन वर्तमान भवन के जीर्णोद्धार के लिए सिविल आकलन तैयार करना आकलन की स्वीकृति, कार्य प्रारंभ करना, उपकरण और एनआईटी प्राप्त करने के लिए विनिर्देशन तैयार करना	Q-1:-स्कीम का अनुमोदन Q-2:-आकलन की स्वीकृति, विनिर्देशन तैयार करना Q-3:- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4:- एनआईटी जारी, सिविल कार्य प्रारंभ	पूरा नहीं	ईएफसी द्वारा नई स्कीयम की धनराशि को 1020 करोड़ रुपए से घटाकर 393 करोड़ रुपए कर दिए गए। इस उपस्कीम को खत्म कर दिया गया।
1.4	स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण (कुल)		3.00	0.56				
	प्रशिक्षण सुविधा संवर्धन (जारी स्कीम)		2.00	0.56				
	STI(T) - STI(P) का संवर्धन, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों सहित			0.50	दिल्ली SIT(T)-में मेडिटेशन हॉल, लाइब्रेरी का निर्माण	Q-1 कार्य प्रगति पर Q-2 कार्य प्रगति पर Q-3 कार्य पूरा	शुरु नहीं	आकलन पहले से ही स्वीकृत सिविक एजेंसी का अनुमोदन के अध्यधीन कार्य की प्रगति होगी।
				0.30	STI(T) दिल्ली में मेडीटेशन हॉल और लायब्रेरी निर्माण	Q-1 कार्य प्रगति पर Q-2 कार्य प्रगति पर Q-3 कार्य पूरा	प्रगति पर	

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1.20	स्कीम के तहत् विभिन्न उपकरणों की प्राप्ति	Q-1 जव Q-4 योजना के तहत् विभिन्न उपकरणों की प्राप्ति, कुछ उपकरण योजना के तहत् प्रक्रियाधीन अन्य उपकरणों के साथ प्राप्त होंगे, प्रापण के लिए कार्रवाई जारी है।	प्रगति पर	
	प्रशिक्षण सुविधा का संवर्धन (नई स्कीम)		1.00					
	XII योजना के तहत दिल्ली तथा भुवनेश्वर के लिए क्ड़ तथा DTT ट्रांसमीटर, डिजिटल प्रसारण उपकरण प्राप्त करना		0.50		स्कीम का अनुमोदन वर्तमान भवन के जीर्णोद्धार के लिए सिविल आकलन तैयार करना आकलन की स्वीकृ ति, कार्य प्रारंभ करना, उपकरण और एनआईटी प्राप्त करने के लिए विनिर्देशन तैयार करना	Q-1:-स्कीम का अनुमोदन Q-2:-आकलन की स्वीकृति, विनिर्देशन तैयार करना Q-3:- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4:- एनआईटी जारी, सिविल कार्य प्रारंभ	शुरू नहीं	ईएफसी द्वारा नई स्कीम की धनराशि को 1020 करोड़ रुपए से घटाकर 393 करोड़ रुपए कर दिए गए। इस उपस्कीरम को खत्म कर दिया गया।
	मुम्बई में हॉस्टल सुविधाओं के साथ नया प्रशिक्षण संस्थान		0.50		का अनुमोदन वर्तमान भवन का जीर्णोद्धार के लिए सिविल आकलन तैयार करना आकलन की स्वीकृ ति, कार्य प्रारंभ करना, उपकरण और एनआईटी प्राप्त करने के लिए	विनिर्देशन तैयार करना Q-1:-स्कीम का अनुमोदन Q-2:-आकलन की स्वीकृति, विनिर्देशन तैयार करना Q-3:- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4:- एनआईटी जारी, सिविल कार्य प्रारंभ	शुरू नहीं	ईएफसी द्वारा नई स्कीम की धनराशि को 1020 करोड़ रुपए से घटाकर 393 करोड़ रुपए कर दिए गए। इस उपस्कीम को खत्म कर दिया गया।
1.5	शोध व विकास का सुदृढ़ीकरण (कुल)	डिजिटल प्रसारण जैसे डीआरएम/डीआरएम', डीवीबी, एफएम, वीएचएफ, यूएचएफ,	2.50	0.18				स्कीम का अनुमोदन शेष है।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		सीडब्यू आदि से प्रसारण पर अध्ययन करना डिजिटल प्रसारण के लिए निगरानी तंत्र विकसित करना व्याप परस्पर प्रसारण सेवा विकसित करना।						
	शोध व विकास का सुदृढ़ीकरण (जारी स्कीम)		2.00	0.18				
			0.50		एफएम डीआरएम ट्रांसमीटरों की प्राप्ति	Q-1:-उपकरणों के लिए ऑडर देना Q-2:-उपकरणों की जाँच Q-4:-उपकरण प्राप्त करना और लगाया जाना	पूरा नहीं हुआ	पुन: निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
			1.50		अन्य कार्य तथा उपकरणों की प्राप्ति	Q-1 से Q-4: स्कीम के तहत विभिन्न उपकरणों की प्राप्ति , कुछ उपकरण स्कीम के तहत प्रक्रियाधीन अन्य उपकरणों के तहत प्राप्त होगें। कार्यवाही जारी है।	प्रगति पर	
	शोध व विकास का सुदृढ़ीकरण (नई स्कीम)		0.50					
	12 वीं योजना में शोध एवं विकास के लिए नए प्रस्ताव		0.50		स्कीम का अनुमोदन वर्तमान भवन का जीर्णोद्धार के लिए सिविल आकलन तैयार करना	Q-1:-स्कीम का अनुमोदन Q-2:-आकलन की स्वीकृति, विनिर्देशन तैयार करना Q-3:- सिविल कार्य सौंपा	शुरू नहीं	ईएफसी द्वारा नई स्कीम की धनराशि को 1020 करोड़

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					आकलन की स्वीकृति, कार्य प्रारंभ करना, उपकरण और एनआईटी प्राप्त करने के लिए विनिर्देशन तैयार करना	गया Q-4:- एनआईटी जारी, सिविल कार्य प्रारंभ		रुपए से घटाकर 393 करोड़ रुपए कर दिए गए। तदानुसार इस उपस्कीम को खत्म कर दिया गया।
2.	सीमावर्ती क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण (कुल)		22.00	1.04				
	सीमावर्ती क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण (जम्मू-कश्मीर सीमा) (जारी स्कीम)		20.00	1.04				
	जम्मू-कश्मीर में एचपीटीध्एलपीटी की स्थापना- तीन 10 केडब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर और तीन 10 केडब्ल्यू टीवी ट्रांसमीटर की स्थापना वर्तमान डीडी स्थल पर 10 केडब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना आकाशवाणी स्थल पर दो 5 केडब्ल्यू ट्रांसमीटर की स्थापना 100 वाट एफएम के चार ट्रांसमीटर स्थापित करना।		0.10		100 वाट एफएम ट्रांसमीटर की प्राप्ति (4)	Q-1-उपकरणों की प्राप्ति Q-2 से Q-4 स्थापना और चालू करना।	पूरा	
			0.10		तीसरे स्थल का अधिकार मिलना	Q-1:- स्थल का अधिग्रहण	पूरा	
			2.00		नौशेरा में 10 केडब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर (1+1) की प्राप्ति	Q-1:- उपकरणों के आदेश Q-4:- उपकरणों की जाँच	पूरा नहीं हुआ	खरीद प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
			3.30		रजौरी में दो 5 केडब्ल्यू टीवी ट्रांसमीटर की प्राप्ति	Q-1:- उपकरणों के आदेश Q-3:- उपकरणों की जाँच Q-4:- उपकरणों की प्राप्ति	पूरा नहीं हुआ	आदेश की प्रक्रिया जारी है।
			9.00		डीडी के लिए 3 स्थानों पर केडब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर (1+1) और 10 केडब्ल्यू टीवी ट्रांसमीटर (1+1) की प्राप्ति	Q-1:- उपकरणों के आदेश Q-4:- उपकरणों की जाँच	आदेश दिए गए परन्तु जाँच अभी शेष है।	उपकरण के लिए देरी से आदेश दिए जाने की वजह से।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4.00		क्षेत्रीय क्रय और विभागीय कार्य	Q-1 से Q-4:- कार्य और प्राप्ति प्रगति पर	प्रक्रियाधीन	
			1.50		सिविल काय	Q-1 से Q-4:- कार्य प्रगति पर	प्रगति पर	
	सीमावर्ती क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण (भारत नेपाल सीमा) (नई स्कीम)	2.00	0.00					
	भारत नेपाल सीमा (i) भारत नेपाल सीमा में 21 एफएम प्रसारण स्थापित (ii) दो स्थानों में उत्पादन केन्द्र (iii) दो स्थानों में अपलिंकिंग	2.00						
3.	वैकल्पिक प्लेटफॉर्म पर प्रसारण (नई स्कीम)	इन्टरनेट उपभोक्ताओं को आकाशवाणी चौनलों तक पहुँच लायक सुविधा देना आकाशवाणी चौनल प्राप्त करने के लिए बहुमुखी माध्यम उपलब्ध कराना।	2.00	0.00	स्कीम का अनुमोदन वर्तमान भवन के जीर्णोद्धार के लिए सिविल आकलन तैयार करना आकलन की स्वीकृति, कार्य प्रारंभ करना, उपकरण और एनआईटी प्राप्त करने के लिए विनिर्देशन तैयार करना	Q-1:-स्कीम का अनुमोदन Q-2:-आकलन की स्वीकृति, विनिर्देशन तैयार करना Q-3:- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4:- एनआईटी जारी, सिविल कार्य प्रारंभ	शुरू नहीं	ईएफसी द्वारा नई स्कीम की धनराशि को 1020 करोड़ रुपए से घटाकर 393 करोड़ रुपए कर दिए गए। तदनुसार इस उपस्कीम को खत्म कर दिया गया। मार्च 2014 में प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
4.	अवसंरचना का समेकन (कुल)	वर्तमान सुविधाओं में सुधार, प्रस्तावना से प्रसारण गुणवत्ता को अधिक सक्षम और प्रभावशाली बनाना। आवश्यकतानुसार कॉरपोरेट कार्य	9.00	7.33				

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		वातावरण उपलब्ध कराना, स्टाफ को सुविधाएँ उपलब्ध कराना।						
	अवसंरचना का समेकन (जारी स्कीम)		7.00	7.33				
	ग्यारवीं स्कीम के अंतर्गत वर्तमान केन्द्रों पर आई-ओ-एफ-		0.20		5 क्षेत्रीय काय्रालयों में पाँच मोबाइल एफएम ट्रांसमीटरों का प्रावधान आपात स्थिति के लिए	Q-1:- उपकरणों के आदेश Q-4:- उपकरणों की जाँच		दोबारा निविदाएँ आमंत्रित की जाएँगी।
			0.20		स्टूडियो के लिए मापक उपस्कर	Q-1:- उपकरणों के आदेश Q-2:- उपकरणों के निरिक्षण Q-3:- उपकरणों की प्राप्ति और स्थापना Q-4:- जाँच और माप	आंशिक रूप से प्राप्ति	अकोस्टिक अनलाइजर प्राप्त, ओडियो अनलाइजर के लिए दोबार निविदाएँ आमंत्रित की जाएगी।
			0.60		23 जगहों पर रिमोट कंट्रोल के लिए एमडब्ल्यू टेलीमेट्री ट्रांसमीटर का प्रस्ताव	Q-1:- उपकरणों के आदेश Q-2:- उपकरणों के निरिक्षण Q-3:- उपकरणों की प्राप्ति और स्थापना Q-4:- जाँच और माप	प्रगति पर	
			1.50		वर्तमान एफएम स्टेशन पर यूपीएस का प्रस्ताव-80 स्थानों पर	Q-1:- शेष कार्य और	भुगतान	प्रगति पर दो क्षेत्रों में यूपीएस की प्राप्ति का कार्य जारी है।
			0.50		ग्वालियर, रत्नागिरी और सांगली में स्टूडियों की सुसज्जा	Q-1:-लंबित कार्य और कार्य को पूरा करना	पूरा	

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	श्रीनगर में हॉस्टल सुविधा सहित गुवाहाटी में कार्यालय आवास/स्टाफ क्वार्टरस		1.50		श्रीनगर में हॉस्टल कार्य के लिए अक्टूबर 2010 में स्वीकृति (रु. 3.68 करोड़). सीसीडब्ल्यू ने काम नहीं सौंपा क्योंकि वर्तमान भवन के ध्वंस का अनुमोदन देर से मिला। भवन के ध्वंस के लिए जून 2011 में अनुमोदित काम सौंपा जाना है।	Q-1:-कार्य प्रगति पर Q-2: कार्य पूरा	आंशिक रूप से प्राप्त	स्थानीय सिविक निकाय से अनुमोदन प्राप्त न होने पर स्टूडियो साइट में हॉस्टल सुविधा का कार्य पूरा नहीं हो पाया।
			0.50		गुवाहाटी के लिए 19.10 2010 को स्टाफ क्वार्टर्स स्वीकृत (रु 7.14 करोड़) फरवरी 2011 में कार्य सौंपा गया।	Q-1:- शेष कार्य और भुगतान	पूरा	
			2.00		गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय ने 03.03.2011 को स्वीकृति जारी की (रु. 7.67 करोड़ आकाशवाणी द्वारा तथा 1 करोड़ डीडी द्वारा)	Q-1:-कार्य प्रगति पर Q-2: परियोजना पूरी की गई।	पूरा	
	अवसंरचना का समेकन (नई स्कीम)		2.00					
	दिल्ली और मुंबई में सामुदायिक केन्द्र		0.50		स्कीम का अनुमोदन वर्तमान भवन के जीर्णोद्धार के लिए सिविल आकलन तैयार करना आकलन की स्वीकृति, कार्य प्रारंभ करना, उपकरण और एनआईटी प्राप्तर करने के लिए विनिर्देशन तैयार करना	Q-1:-स्कीम का अनुमोदन Q-2:-आकलन की स्वीकृति, विनिर्देशन तैयार करना Q-3:- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4:- एनआईटी जारी, सिविल कार्य प्रारंभ	शुरू नहीं	ईएफसी द्वारा नई स्कीम की धनराशि को 1020 करोड़ रुपए से घटाकर 393 करोड़ रुपए कर दिए गए। तदानुसार इस उपस्कीम को खत्म कर दिया गया। मार्च 2014 में प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	इंदौर में डीडीजी कार्यालय ब्लॉक का पुन:निर्माण तथा इलेक्ट्रिकल वायरिंग बदलना		0.50		स्कीम का अनुमोदन वर्तमान भवन के जीर्णोद्धार के लिए सिविल आकलन तैयार करना आकलन की स्वीकृति, कार्य प्रारंभ करना, उपकरण और एनआईटी प्राप्त करने के लिए	विनिर्देशन तैयार करना Q-1:-स्कीम का अनुमोदन Q-2:-आकलन की स्वीकृति, विनिर्देशन तैयार करना Q-3:- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4:- एनआईटी जारी, सिविल कार्य प्रारंभ	शुरू नहीं	ईएफसी द्वारा नई स्कीम की धनराशि को 1020 करोड़ रुपए से घटाकर 393 करोड़ रुपए कर दिए गए। इस उपस्कीम को खत्म कर दिया गया।
	सुरक्षा घेरा आदि का सुदृढ़ीकरण		0.56		स्कीम का अनुमोदन वर्तमान भवन के जीर्णोद्धार के लिए सिविल आकलन तैयार करना आकलन की स्वीकृति, कार्य प्रारंभ करना, उपकरण और एनआईटी प्राप्तर करने के लिए विनिर्देशन तैयार करना	Q-1:-स्कीम का अनुमोदन Q-2:-आकलन की स्वीकृति, विनिर्देशन तैयार करना Q-3:- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4:- एनआईटी जारी, सिविल कार्य प्रारंभ	शुरू नहीं	ईएफसी द्वारा नई स्कीम की धनराशि को 1020 करोड़ रुपए से घटाकर 393 करोड़ रुपए कर दिए गए। इस उपस्कीम को खत्म कर दिया गया।
	रोहतक में स्टूडियो-सह कार्यालय भवन का पुनर्निर्माण		0.50		स्कीम का अनुमोदन वर्तमान भवन के जीर्णोद्धार के लिए सिविल आकलन तैयार करना आकलन की स्वीलकृति, कार्य प्रारंभ करना, उपकरण और एनआईटी प्राप्त करने के लिए विनिर्देशन तैयार करना	Q-1:-स्कीम का अनुमोदन Q-2:-आकलन की स्वीकृति, विनिर्देशन तैयार करना Q-3:- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4:- एनआईटी जारी, सिविल कार्य प्रारंभ	शुरू नहीं	ईएफसी द्वारा नई स्कीम की धनराशि को 1020 करोड़ रुपए से घटाकर 393 करोड़ रुपए कर दिए गए। इस उपस्कीम को खत्म कर दिया गया।
5.	ई-गवर्नेंस	मीडिया इकाइयों तक तीव्र गति से सूचना का प्रसार करना इसके लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन स्टेशनों के व्यापक संजाल प्रबंधन	2.00	0.00	स्कीम का अनुमोदन वर्तमान भवन के जीर्णोद्धार के लिए सिविल आकलन तैयार करना आकलन की स्वीकृति, कार्य प्रारंभ करना, उपकरण और	Q-1:-स्कीम का अनुमोदन Q-2:-आकलन की स्वीकृति, विनिर्देशन तैयार करना Q-3:- सिविल कार्य सौंपा गया		ईएफसी द्वारा नई स्कीम की धनराशि को 1020 करोड़ रुपए से घटाकर 393 करोड़ रुपए कर दिए

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		को संजाल आधारित ऑन लाइन प्रबंध तंत्र और इआरपी सॉल्यूशन मुहैया कराना है। आकाशवाणी के सभी स्टेशनों और शिकायत निवारण तंत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ई-टेंडरिंग, वेबसाइट से जोड़ना।			एनआईटी प्राप्त करने के लिए विनिर्देशन तैयार करना	Q-4:- एनआईटी जारी, सिविल कार्य प्रारंभ		गए। तदानुसार इस उपस्कीाम को खत्मस कर दिया गया। मार्च 2014 में प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
	स्कीम II सामग्री विकास और प्रसारण (जारी स्कीम)		42.00	24.09				
(i)	सॉफ्टवेयर (डीबीएस)	उच्च गुणवत्ता वाला सॉफ्टवेयर विकसित करना ताकि मीडिया के इस प्रतियोगी माहौल में आकाशवाणी के श्रोता आकर्षित हों और बने रहें	42.00	24.09	1. नये और ताजा अवयव सृजन 2. रेडियो कार्यशाला, संगीत सम्मेलन, कॉन्सर्ट्स, आदि 3. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की कवरेज 4. फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रोडक्शन 5. आकाशवाणी के अभिलेखों का डिजिटलीकरण	सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन/ अधिग्रहण और अवयव सृजन, फ्लौगशिप कार्यक्रम, अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए कोष का उपयोग	प्रगति पर	
	स्कीम IV - विशेष परियोजनाएँ		0.50	0.00				
(i)	दिल्ली में ऑडिटोरियम की पुनर्सज्जा	दिल्ली में आकाशवाणी के पास कोई ऑडिटोरियम नहीं है, उसके लिए ऑडिटोरियम का निर्माण करना आमंत्रित श्रेताओं के	0.50	0.00	स्कीम का अनुमोदन वर्तमान भवन का जीर्णोद्धार के लिए सिविल आकलन तैयार करना आकलन की स्वीकृति,	Q-1:-स्कीम का अनुमोदन Q-2:-आकलन की स्वीकृति, विनिर्देशन तैयार करना Q-3:- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4:- एनआईटी जारी,	स्कीम का	अनुमोदन होना शेष

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2013-14 योजना बजट	खर्च 31.3.2014 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां 31.3.2014 तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		लिए कार्यक्रम की व्यवस्था की सुविधा व्यापक समूहों की प्रतिभागिता से लाइव कार्यक्रम आयोजित करना			कार्य प्रारंभ करना, उपकरण और एनआईटी प्राप्त करने के लिए विनिर्देशन तैयार करना	सिविल कार्य प्रारंभ		
	कुल (आकाशवाणी)		**243.50**	**194.18**				
	पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन हेतु अनुदान		**201.50**	**170.09**				
	सामान्य सहायता अनुदान		**42.00**	**24.09**				

दूरदर्शन

वार्षिक योजना 2014-15

परिव्यय और परिणाम/लक्ष्य (2014-15) का लेखाजोखा

(रु. करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 बीई	नवंबर 2014 तक किया गया व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणी (31.12.2014 तक उपलब्धियां)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	स्कीम-I प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास						
1	ट्रांसमीटरों और स्टूडियों का डिजिटलीकरण।		84.00	35.62			
	(क) ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण।	टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण।			19 डिजिटल एचपीटी।	चरणों में 5 डिजिटल एचपीटी लगाने की शुरुआत- पहली तिमाही। चरणों में 7 डिजिटल एचपीटी लगाने की शुरुआत- दूसरी तिमाही। चरणों में 7 डिजिटल एचपीटी लगाने की शुरुआत- तीसरी तिमाही। चरणों में 19 डिजिटल एचपीटी लगाने की शुरुआत- तीसरी और चौथी तिमाही।	15 स्थलों पर टॉवरों के सुदृढ़ीकरण का काम पूरा। शेष जगहों पर काम प्रगति पर। 19 डिजिटल HPT के लिए ऑर्डर दिए गए और सभी की आपूर्ति की गई। 13 HPT लगाए गए और परीक्षण कार्य चल रहा है। अन्य स्थानों पर इन्हें लगाने का काम चल रहा है।
					21 डिजिटल एचपीटी।	21 डिजिटल एचपीटी के लिए ऑर्डर दिए गए-तीसरी तिमाही।	डीवीबी-टी2 लाइट मानकों के लिए विनिर्देशनों को अंतिम रूप दिया गया। एनआईटी जारी करने के लिए प्रसार भारती के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रसार भारती के निर्णयों के अनुसार डिजिटल एचपीटी की स्थापना क्लस्टर मोड में की जाएगी। क्लस्टर की योजना हेतु मंत्रालय के सिद्धांत रूप में अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 बीई	नवंबर 2014 तक किया गया व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणी (31.12.2014 तक उपलब्धियां)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
					डीटीटी की नेटवर्किंग के लिए भूकेंद्र	ऑर्डर देना-दूसरी तिमाही आपूर्ति और स्थापिना- चौथी तिमाही	तकनीकी कारणों से पूर्व में प्राप्तप की गई निविदाओं को रद्द करना पड़ा। नए एनआईटी डाले जाने हैं।
	(ख) स्टूडियो का डिजिटलीकरण।	उत्पादन, उत्पादन पश्चात् और संपादन सुविधाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण।			39 स्टूडियो का पूर्ण डिजिटलीकरण।	कैमरा श्रृंखला की आपूर्ति एवं स्थापना-चौथी तिमाही	कैमरा श्रृंखला को छोड़कर बाकी उपकरणों की आपूर्ति की गई और लगाए गए। कैमरा श्रृंखला के लिए निविदाएं प्राप्तत और मूल्यां कन पूरा। तथापि निविदाओं को तकनीकी कारणवश रद्द करना पड़ा। नए एनआईटी जारी किए जाने हैं।
					कोलकाता में मीडिया असेट मैनेजमेंट प्रणाली की स्थापना	आपूर्ति और स्थानपना-तीसरी तिमाही	परियोजना पूरी हो गई।
2	ट्रांसमीटर और स्टूडियो उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।		50.00	42.17			
	(क) ट्रांसमीटर उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।	अपनी उपयोगिता पूरी कर चुके ट्रांसमीटर उपकरण का तकनीकी अनिवार्यता के कारण आधुनिकीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।			15 एचपीटी को बदलना।	चरणों में ट्रांसमीटरों की आपूर्ति और स्थापना कार्य पूरा पहली तिमाही। 12 एचपीटी की स्थापना प्रगति पर - दूसरी और तीसरी तिमाही ।15 एचपीटी को लगाने का काम शुरू - तीसरी और चौथी तिमाही।	सभी ट्रांसमीटरों की आपूर्ति की गई। 8 जगहों पर इन्हें लगाया गया तथा परीक्षणाधीन।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 बीई	नवंबर 2014 तक किया गया व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणी (31.12.2014 तक उपलब्धियां)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	(ख) स्टूडियो उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।	अपनी उपयोगिता पूरी कर चुके उत्पादन से संबंधित उपकरणों का तकनीकी अनिवार्यताओं के कारण आधुनिकीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।			कैमरा श्रृंखला का प्रापण।	कैमरा श्रृंखला की आपूर्ति और स्थापना- चौथी तिमाही	कैमरा श्रृंखला के लिए निविदाएं प्राप्ती और मूल्यांकन पूरा। तथापि निविदाओं को तकनीकी कारणवश रद्द करना पड़ा। नए एनआईटी जारी किए जाएंगे।
					अनिवार्य सेवा उपकरण जैसे पावर सप्ला ई, एसी प्लांट, लाइटिंग ग्रिड,अकौस्टिाक तथा फ्लोरिंग को बदलना	विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों के अनिवार्य सेवा उपकरण को चरणों में बदलना- दूसरी और तीसरी तिमाही	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा काम शुरू। ज्यादातर केन्द्रों में प्रकाश ग्रिड और एसी संयंत्र बदले गए। कुछ केन्द्रों में एसी संयंत्र, एकॉस्टिक्स और फ्लोरिंग पूरी। अन्य केन्द्रों में काम प्रगति पर तथा कार्यान्वलयन के विभिन्न चरणों में ।
3	डीटीएच।	डीटीएच प्लेटफॉर्म पर चौनलों को 59 से बढ़ा कर 97 करना।	36.00	27.15	डीटीएच प्लेटफॉर्म पर चौनलों को 59 से बढ़ा कर 97 करना।	उपकरण सप्लाई-पहली तिमाही। डीटीएच प्लेटफॉर्म का उन्नयन- दूसरी तिमाही।	दूरदर्शन डीटीएच प्लेटफॉर्म के इस समय के 59 टी वी चौनलों की क्षमता को बढ़ाकर 97 करने के लिए उपकरण लगाने का कार्य पूरा किया गया। कैस के कार्यान्वयन पर आधारित सुधारे गए डीटीएच प्लेटफॉर्म को शुरू करना।
					कंडीशनल एक्सेस सिस्टनम (कैस) के लिए दूरदर्शन डीटीएच सेवा	ऑर्डर देना-दूसरी तिमाही कैस का एसआईटीसी तीसरी तिमाही	कैस के लिए निविदाएं प्राप्ति और मूल्यांकन पूरा। निविदाओं को तकनीकी कारणवश रद्द करना पड़ा। निविदाएं दुबारा प्राप्तक की गईं और उनका आकलन किया गया। वित्तीय मंजूरी के लिए खरीद प्रस्तांव प्रस्तुत किया गया।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014–15 बीई	नवंबर 2014 तक किया गया व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणी (31.12.2014 तक उपलब्धियां)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
					दूरदर्शन डीटीएच सेवा के लिए कॉल सेंटर की लीजिंग	ऑर्डर देना– दूसरी तिमाही एसआईटीसी का कॉल सेंटर– तीसरी तिमाही	निविदाएं प्राप्त की गईं और उनका आकलन किया गया। वित्तीएय मंजूरी के लिए खरीद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
4	उपग्रह प्रसारण उपकरण का आधुनिककीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।	अपनी प्रतियोगिता पूरी कर चुके उपग्रह प्रसारण से संबंधित उपकरणों का तकनीकी अनिवार्यताओं के कारण आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और पुराने उपकरणों को बदल कर डिजिटल उपकरण लगाना। समाचार संग्रह सुविधाओं को मजबूत करना।	16.00	9.76	चार भूकेन्द्रों का उन्नयन।	आरएफ उपकरण की आपूर्ति– तीसरी तिमाही 4 भूकेंद्रों को चालू करना– चौथी तिमाही	चंडीगढ़, हिसार, पणजी, और पोर्टब्लेअर में आरएफ उपकरण के अलावा सभी भूकेंद्र उपकरण स्थाजपित तथा परीक्षित।
					नया भूकेन्द्र (गोरखपुर) 1	ऑर्डर दिए गए दूसरी तिमाही उपकरण की आपूर्ति और स्थापना– चौथी तिमाही	भूकेन्द्र भवन का निर्माण किया गया। भूकेन्द्र उपकरणों के लिए एनआइटी जारी किए गए, बोली प्रस्तुत करने के लिए कई बार समय बढ़ाये जाने पर भी कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। निविदा रद्द कर दी गई। एनआइटी दोबारा जारी किया गया इस बार भी कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई तथापि रद्द किया गया नई निविदाएँ आमंत्रित करने का कार्य प्रगति पर है।
					एक स्थान पर भूकेन्द्र कंप्रेशन उपकरण को बदलना (देहरादून)	एनआइटी जारी करना दूसरी तिमाही ऑर्डर करना चौथी तिमाही	भवन निर्मित। कंप्रेशन उपकरण के लिए एनआइटी जारी किया जाएगा।
					मौजूदा आईआरडी की जगह डीवीबी– एस 2 आधारित आई आरडी लगाना।	ऑर्डर करना दूसरी तिमाही मौजूदा आईआरडी की जगह डीवीबी– एस 2 आधारित आई आरडी लगाना तीसरी तिमाही	निविदाएं प्राप्त और मूल्यांकन पूरा। तथापि निविदाओं को तकनीकी कारणवश रद्द करना पड़ा। नए एनआईटी जारी किए गए।
					नया डीएसएनजी– 9	9 डीएसएनजी के लिए ऑर्डर दिए गए तीसरी तिमाही।	पहले प्राप्त निविदाओं को तकनीकी कारणों से रद्द किया गया। नये एनआईटी जारी किए गए।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 बीई	नवंबर 2014 तक किया गया व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणी (31.12.2014 तक उपलब्धियां)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5.	हाई डेफिनेशन टीवी।	एचडीटीवी उत्पादन, उत्पादन पश्चात् सुविधा और ट्रांसमिशन।	41.00	3.09	दिल्ली और मुंबई में आउटडोर उत्पादन सुविधाओं के लिए मल्टी कैमरा मोबाइल उपकरण।	एचडीटीवी ओबी वैनों की आपूर्ति-पहली तिमाही।	एचडीटीवी ओबी वैनों की आपूर्ति की गई।
6.	सिविल ढांचागत सुविधाओं को मजबूत करना, स्टाफ क्वातर्टर और अन्य विविध स्कीम।	स्टाफ के लिए आवास की व्यवस्था । ढांचागत सुविधाओं/ विभिन्नि केंद्रों पर सुरक्षा को मजबूत करना।	9.00	2.80	1. चार स्थानों पर स्टाफ क्वार्टरों, 2. दो स्थाानों पर अतिथि गृहों, 3. दूरदर्शन भवन परिसर में टॉवर सी का निर्माण	चरणों में चार स्थानों पर स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण- तीसरी और चौथी तिमाही दो स्थानों पर अतिथिगृह का निर्माण तीसरी और चौथी तिमाही लिफ्ट, फायर फाइटिंग, एसी और सुसज्जीकरण आदि समेत टॉवर सी भवन का कार्य पूरा करना चौथी तिमाही।	एक स्थान पर स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण पूरा किया गया तथा दो स्थानों पर प्रगति पर। एक स्थान पर अतिथिगृह का निर्माण चल रहा है। सभी सिविल कार्य पूरे किए गए। लिफ्ट का काम चल रहा है।
7.	दसवीं योजना की अन्य जारी विविध योजनाएं	10वीं योजना से पहले मंजूर परियोजनाओं को पूरा करना।	24.00	2.96	एचपीटी कण्णूर चालू करना (पीएमटी स्थापना) अमृतसर में 300 मीटर टॉवर पर एन्टीना के साथ डीडी 1 और डीडी (न्यूज) एचपीटी चालू करना	एचपीटी चालू करना एचपीटी चालू करना (पीएमटी स्थापना) पहली तिमाही शेष टॉवर कार्य पूरा करना तीसरी और चौथी तिमाही डीडी 1 और डीडी (न्यूज) एचपीटी चालू करना (पीएमटी स्थापना)- चौथी तिमाही।	अप्रैल 2014 में एचपीटी कण्णूर जारी किया गया। अमृतसर में शेष टॉवर कार्यों के लिए निविदाएँ प्राप्त की गई तथा आंकलन जारी है।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणी (31.12.2014 तक उपलब्धियां)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
					एचपीटी महबूबनगर (पीएमटी स्थापित)	150 मीटर टॉवर के लिए ऑर्डर दिया गया दूसरी तिमाही	150 मी. ऊँचे टॉवर के लिए पहले दिया गया ऑर्डर रद्द किया गया क्योंकि फर्म ने कार्य करने से मना कर दिया दोबारा प्राप्त निविदाएँ भी उच्च लागत की वजह से रद्द की गई। नये एनआइटी जारी किए जाने हैं।
					59 कैमरा श्रृंखलाओं का प्रापण	कैमरा श्रृंखला की आपूर्ति व संस्थापना चौथी तिमाही	कैमरा श्रृंखलाओं के लिए निविदाएँ प्राप्त और आकलन पूरा। तथापि तकनीकी कारणों से निविदाएँ रद्द की गई। नये एनआइटी जारी किए जाने हैं।
					देहरादून स्टूडियो (पीएमटी)	देहरादून स्टूडियो चालू करना-चौथी तिमाही	तकनीकी क्षेत्र प्राप्त किया गया।अन्य कार्य प्रगति पर।
	स्कीम-II सामग्री विकास और प्रसार						
	सॉफ्टवेअर कार्यक्रम		10.00	3.08	जम्मू- कश्मीर, पूर्वोत्तर, डीडी उर्दू, डीडी काशीर आदि के लिए कार्यक्रम।		
	नए स्कीम						
1.	स्कीम I - प्रसारण इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क विकास	सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करना	8.00	0.00	नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में 8 एचपीटी (एआइआर एफएम और डीडी)	जगह की पहचान- दूसरी तिमाही	मध्यवर्ती समीक्षा में प्रसार भारती द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार परियोजना को खत्म किया गया।
2.	स्कीम IV विशेष परियोजनाएं		0.02	0.00			
3.	किसान चैनल		90.00	0.00			
	दूरदर्शन का कुल		368.02	126.63			
	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के लिए अनुदान		268.02	123.55			
	सामान्य सहायता अनुदान		100.00	3.08			

दूरदर्शन

वार्षिक योजना 2013-14

परिव्यय और परिणाम/लक्ष्य (2013-14) का लेखाजोखा

(रु. करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013-14 बीई	व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.14 तक उपलब्धियां	टिप्पणी (31.12.14 तक उपलब्धियां)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	स्कीम-I प्रसारण इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क विकास							
1	ट्रांसमीटरों और स्टूडियों का डिजिटलीकरण।		64.00	40.18				
	(क) ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण।	टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण।			19 डिजिटल एचपीटी।	टॉवरों का सुदृढ़ीकरण तीसरी तिमाही। चरणों में 19 डिजिटल एचपीटी की आपूर्ति और उन्हें लगाने की शुरुआत चौथी तिमाही।	चार स्थलों पर टॉवरों का सुदृढ़ीकरण पूरा। बाकी स्थलों पर काम शुरूध्प्रगति पर। 19 डीटीटी के लिए ऑर्डर फरवरी 2013 में दिए गए। अमेरिका में ओईएम प्रतिष्ठान पर फैक्टरी का निरीक्षण पूरा। पांच एचपीटी की आपूर्ति हुई और उन्हें लगाने का काम शुरू। बाकी एचपीटी की आपूर्ति जल्दी ही शुरू होने की उम्मीद।	15 स्थलों पर टॉवरों के सुदृढ़ीकरण का काम पूरा। बाकी पर काम प्रगति पर। 19 डिजिटल HPT के लिए ऑर्डर दिए गए और सभी की आपूर्ति की गई। 13 HPT लगाए गए और परीक्षण कार्य चल रहा है। अन्य स्थानों पर इन्हें लगाने का काम चल रहा है।
	(ख) स्टूडियो का डिजिटलीकरण।	उत्पादन, उत्पादन पश्चात् और संपादन सुविधाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण।			39 स्टूडियो का पूर्ण डिजिटलीकरण।	39 स्टूडियो का पूर्ण डिजिटलीकरण करने के लिए बाकी उपकरणों की आपूर्ति-तीसरी तिमाही। बाकी उपकरणों की स्थापना-चौथी तिमाही।	कैमरा श्रंखला को छोड़ कर बाकी उपकरण खरीदे और लगाए गए। कैमरा श्रंखलाओं के लिए निविदाएँ प्राप्त, उनका मूल्यांकन पूरा और वाणिज्यिक बोलियाँ खोली गईं। खरीद का प्रस्ताव वित्तीय मंजूरी के लिए सौंपा गया।	आमंत्रित निविदाएँ तकनीकी कारणों से रद्द किए गए। नया एन आई टी जारी किया जाएगा।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013–14 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.14 तक उपलब्धियां	टिप्पणी (31.12.14 तक उपलब्धियां)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2	ट्रांसमीटर और स्टूडियो उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।		30.00	73.65				
	(क) ट्रांसमीटर उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।	अपनी उपयोगिता पूरी कर चुके ट्रांसमीटर उपकरण का तकनीकी अनिवार्यता के कारण आधुनिकीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।			15 एचपीटी को बदलना।	उपकरण की आपूर्ति- तीसरी तिमाही। एचपीटी की स्थापना प्रगति पर। नौ एचपीटी की लगाने का काम पूरा- चौथी तिमाही।	ओईएम सुविधा पर फैक्टरी की जांच पूरी। तीन एचपीटी (यूएचएफ) की आपूर्ति हुई जिन्हें लगाया जा रहा है। बाकी एचपीटी की जल्दी ही आपूर्ति की संभावना।	सभी ट्रांसमीटरों की आपूर्ति की गई।8 जगहों पर इन्हें लगाया गया तथा परीक्षणाधीन।
					500 वॉट के 60 ऑटोमोड एलपीटी।	ट्रांसमीटरों की चरणों में आपूर्ति-दूसरी तिमाही। 60 एलपीटी लगाए जाने का काम पूरा- तीसरी और चौथी तिमाही।	सभी एलपीटी की आपूर्ति पूरी। उनसठ एलपीटी स्थापित और शुरू। बाकी एक एलपीटी की स्थापना प्रगति पर।	

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013-14 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.14 तक उपलब्धियां	टिप्पणी (31.12.14 तक उपलब्धियां)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	(ख) स्टूडियो उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।	अपनी उपयोगिता पूरी कर चुके उत्पादन से संबंधित उपकरणों का तकनीकी अनिवार्यताओं के कारण आधुनिकीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।			कैमरा श्रृंखला डिजिटल वीसीआर, एसडी ओबी वैन जैसे स्टूडियो उपकरणों की खरीद।	उपकरणों की चरणों में आपूर्ति तीसरी तिमाही।	कैमरा श्रृंखलाओं को छोड़ सभी उपकरण खरीदे और लगाए गए। कैमरा श्रृंखलाओं के लिए निविदाएं हासिल और उनका आकलन किया गया। खरीद प्रस्ताव वित्तिय मंजूरी के लिए प्रस्ताव किया गया।	आमंत्रित निविदाएँ तकनीकी कारणों से रद्द किए गए। नया एनआइटी जारी किया जाएगा।
					बिजली आपूर्ति, एसी संयंत्र, प्रकाश ग्रिड, एकॉस्टिक और फ्लोरिंग जैसे आवश्यक सेवा उपकरणों को बदलना।	विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में आवश्यक सेवा उपकरणों को चरणबद्ध ढंग से बदलना- चौथी तिमाही।	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा काम शुरू। ज्यादातर केन्द्रों में प्रकाश ग्रिड और एसी संयंत्र बदले गए। कुछ केन्द्रों में एसी संयंत्र, एकॉस्टिक्स और फ्लोरिंग पूरी। अन्य केन्द्रों में काम प्रगति पर।	
3	डीटीएच।	डीटीएच प्लेटफॉर्म पर चौनलों को 59 से बढ़ा कर 97 करना।	35.00	7.36	डीटीएच प्लेटफॉर्म पर चौनलों को 59 से बढ़ा कर 97 करना।	उपकरण सप्लाई-दूसरी तिमाही। डीटीएच प्लेटफॉर्म का उन्नयन- तीसरी तिमाही।	डीटीएच प्लेटफॉर्म उन्नयन के जून 2013 में आदेश दिए गए। उपकरणों की आंशिक आपूर्ति हुई।	दूरदर्शन डीटीएच प्लेटफॉर्म के इस समय के 59 टी वी चौनलों की क्षमता को बढ़ाकर 97 करने के लिए उपकरण लगाने का कार्य पूरा किया गया। कैस के कार्यान्वयन पर आधारित अपग्रेड किए गए डीटीएच प्लेटफॉर्म को शुरू करना।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013–14 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.14 तक उपलब्धियां	टिप्पणी (31.12.14 तक उपलब्धियां)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	उपग्रह प्रसारण उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।	अपनी प्रतियोगिता पूरी कर चुके उपग्रह प्रसारण से संबंधित उपकरणों का तकनीकी अनिवार्यताओं के कारण आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और पुराने उपकरणों को बदल कर डिजिटल उपकरण लगाना। समाचार संग्रह सुविधाओं को मजबूत करना।	20.00	7.85	पाँच भूकेन्द्रों का उन्नयन।	पाँच भूकेन्द्रों का चरणों में उन्नयन और उन्हें शुरू करना दूसरी तिमाही।	एक स्थान पर भूकेन्द्र चालू। बाकी स्थलों पर आरएफ उपकरण को छोड़ कर सभी उपकरण लगाए गए और उनका परीक्षण पूरा।	आरएफ उपकरण के लिए एनआईटी जारी किया जाएगा।
					दो स्थलों पर भूकेन्द्र कंप्रेषन उपकरण बदलना।	आदेश जारी करना–दूसरी तिमाही। दो स्थलों पर भूकेन्द्र कंप्रेशन उपकरण बदलना– चौथी तिमाही।	(i) एक स्थान के लिए आमंत्रित निविदाएं तकनीकी कारणों से रद्द। (ii) एक स्थान पर भवन निर्माण प्रगति पर भवन निर्माण के बाद उपकरण खरीदे जाएँगे।	भवन निर्माण पूर किया गया। कंप्रेशन उपकरण के लिए एकआईटी जारी किया जाएगा।
					छह स्थलों पर डीएसएनजी इकाइयों को बदलना।	छह डीएसएनजी की आपूर्ति–दूसरी तिमाही।	ऑर्डर अगस्त 2011 में जारी किए गए। आपूर्ति में देरी।	सभी डीएसएनजी वैनों की आपूर्ति कर दी गई है।
					मौजूदा आईआरडी की जगह डीवीबी– एस 2 आधारित आई आरडी लगाना।	मौजूदा आईआरडी को बदल कर डीवीबी एस2 आधारित आई आरडी लगाना–चौथी तिमाही।	निविदाएँ प्राप्त और उनका तकनीकी आकलन किया जा रहा है।	निविदाएं प्राप्त और उनका तकनीकी आकलन किया गया। तकनीकी कारणों से निविदाएँ रद्द किए गए। नया एनआईटी जारी किया गया।
					नौ नए डीएसएनजी।	नौ डीएसएनजी के लिए ऑर्डर जारी करना– पहली तिमाही। नौ डीएसएनजी की आपूर्ति–तीसरी तिमाही।	पहले प्राप्त निविदाएँ तकनीकी कारणों से रद्द। नया एनआईटी जारी।	इस बार भी कोई बोली नहीं मिली। निविदा रद्द। नया एनआईटी जारी।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013–14 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.14 तक उपलब्धियां	टिप्पणी (31.12.14 तक उपलब्धियां)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					पाँच नए भूकेन्द्र।	चार स्थलों पर नए भूकेन्द्रों की स्थापना- पहली तिमाही। एक स्थल के लिए एनआईटी जारी किया जाना- पहली तिमाही। एक स्थल के लिए ऑर्डर जारी करना तीसरी तिमाही।	तीन स्थलों पर नए भूकेन्द्र स्थापित (एक भूकेन्द्र मार्च 2013 में स्थापित किया गया।)	पाँचवें स्थल के लिए एनआईटी जारी, चार स्थानों में नए भू-केन्द्र स्थापित। दो बार कोई बोली प्राप्त न होने पर निविदा रद्द किया गया। नयी निविदाएँ आमंत्रित करने की प्रक्रिया चल रही है।
5.	हाई डेफिनेशन टीवी।	एचडीटीवी उत्पादन, उत्पादन पश्चात् सुविधा और ट्रांसमिशन।	15.00	38.13	दिल्ली और मुंबई में एचडीटीवी उत्पादन सुविधा।	दिल्ली और मुंबई में एचडीटीवी स्टूडियों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और उसे चालू करना- पहली तिमाही।	दिल्ली और मुंबई में एचडीटीवी स्टूडियो सुविधा स्थापित।	
					दिल्ली और मुंबई में आउटडोर निर्माण सुविधाओं के लिए मल्टी कैमरा मोबाइल उपकरण।	उपकरणों के लिए ऑर्डर जारी करना- पहली तिमाही। एचडीटीवी ओबी वैनों की आपूर्ति-तीसरी तिमाही।	जून 2013 में ऑर्डर दिए गए। डीपी-जून 2014	दिल्ली और मुंम्बई में आउटडोर उत्पादन सुविधाओं के लिए मल्टी कैमरा मोबाइल उपकरण की आपूर्ति की गई।
					दिल्ली में मल्टी कैमरा मोबाइल निर्माण सुविधा।	उपकरण के लिए ऑर्डर जारी करना-तीसरी तिमाही। उपकरण की आपूर्ति- चौथी तिमाही।	जून 2013 में ऑर्डर दिया गया (रिपीट ऑर्डर)। डीपी: मार्च 2014 रिपीट	रिपीट ऑर्डर पर फर्म के इनकार की वजह से ऑर्डर रद्द। नया एनआईटी जारी किया गया।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013–14 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.14 तक उपलब्धियां	टिप्पणी (31.12.14 तक उपलब्धियां)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में एचडीटीवी ट्रांसमीटर।	ट्रांसमीटरों की आपूर्ति– पहली तिमाही। एंटीना प्रणाली की आपूर्ति और उसकी स्थापना– पहली तिमाही। ट्रांसमीटर की स्थापना– दूसरी तिमाही। ट्रांसमीटर स्थापना पूरा किए जाने की शुरूआत– चौथी तिमाही।	चार एचडीटीवी ट्रांसमीटरों के लिए ऑर्डर 29.11.2013 को दिया गया। सभी ट्रांसमीटरो की आपूर्ति और सथापना पूरी। परीक्षण प्रगतिपर। एंटीना प्रणाली के एसआईटीसी और टॉवरों के सुदृढ़ीकरण के लिए ऑर्डर दे दिया गया। सभी स्थलों पर टॉवर के सुदृढ़ीकरण तथा एंटीना और फीडर केबल लगाने का काम पूरा।	
6.	सिविल ढांचागत सुविधाओं को मजबूत करना, स्टाफि क्वातर्टर और अन्यट विविध स्कीम।	स्टाफ के लिए आवास की व्यवस्था । ढांचागत सुविधाओं/ विभिन्नि केंद्रों पर सुरक्षा को मजबूत करना।	7.00	9.01	1. सात स्थानों पर स्टाफ क्वार्टरों, 2. 22 स्थानों पर अतिथि गृहों, 3. 10 स्थानों पर सामुदायिक केंद्रों, 4. 17 स्था नों पर डीएमसी भवनों, 5. 10 स्थांनों पर एलपीटी भवनों 6. दूरदर्शन भवन परिसर में टॉवर सी का निर्माण और 7. मौजूदा दूरदर्शन कार्यालयों में ढांचागत सुविधाओं और सुरक्षा का संवर्धन करना।	तीन स्थानों पर स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण। एक स्थान पर अतिथि गृह का निर्माण। टॉवर सी का काम आगे बढ़ाना।	सभी तीन स्थानों पर स्टारफ क्वार्टरों का निर्माण पूरा। अतिथि गृह का निर्माण कार्य पूरा किया गया। टॉवर सी का निर्माण प्रगति पर। सुपरस्ट्रक्चर पूरा।	सभी सिविल कार्य पूरे किए गए। लिफ्ट का कार्य चल रहा है।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013–14 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.14 तक उपलब्धियां	टिप्पणी (31.12.14 तक उपलब्धियां)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7.	दसवीं योजना की अन्यं जारी विविध योजनाएं	10वीं योजना से पहले मंजूर परियोजनाओं को पूरा करना।	10.00	21.57	15 ऑटोमोड एलपीटी की स्थापना। कण्णूर में टॉवर को पूरा। अमृतसर में 300 मीटर टॉवर पर एंटीना के साथ डीडी 1 और डीडी (न्यूज) एचपीटी चालू करना।	15 एलपीटी की स्थापना पूरी करना– पहली तिमाही। कण्णूर टॉवर के लिए आदेश जारी करना– पहली तिमाही।	सभी एलपीटी की आपूर्ति पूरी। 40 एलपीटी स्थापित और चालू। बाकी एलपीटी की स्थापना प्रगति पर। कण्णूर में टॉवर पूरी ऊँचाई तक स्थापित।	2012–13 में 35 एलपीटी स्थापना का लक्ष्य 2013–14 तक बढ़ाया गया। तब से 49 और एलपीटी स्थापित और चालू। एक स्थान पर स्थापना लगभग पूरा हो गया। अमृतसर में शेष एक टॉवर के लिए निविदा प्राप्त एवं आकलन जारी।
					एचपीटी महबूबनगर। (पीएमटी सेटअप)	टॉवर के लिए ऑर्डर जारी करना–पहली तिमाही।	150 मीटर टॉवर लगाने का काम शुरू। एनआईटी जारी।	फर्म द्वारा कार्य न करने की स्थिति में 150 मीटर ऊँची टॉवर के लिए दिए गए ऑर्डर को रद्द किया गया। उच्च लागत के कारण दुबारा प्राप्त निविदा भी रद्द किया गया। नया एन आई टी जारी किया जाएगा।
					स्टाफ क्वार्टर, पटना।	कार्य पूरा करना– दूसरी तिमाही।	पटना में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण पूरा होने के करीब।	लिफ्ट के अलावा सभी कार्य पूरा हो गया। एक लिफ्ट स्थापित एवं उसका परीक्षण कार्य चल रहा है।
					मेट्रो स्टाफ क्वार्टर, मुंबई।	कार्य पूरा करना– दूसरी तिमाही।	निर्माण पूरा।	परियोजना की आकाशवाणी द्वारा निगरानी।
					59 कैमरा श्रृंखलाओं की खरीद।	उपकरण आपूर्ति के लिए आदेश– पहली तिमाही।	कैमरा श्रृंखलाओं के लिए निविदाएँ प्राप्त और आकलन पूरा। खरीद का प्रस्ताव वित्तीय मंजूरी के लिए सौंपा गया।	आमंत्रित निविदाओं को तकनीकी कारणों से रद्द किया गया। नए सत्र में आईटी जारी किया जाएगा।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013–14 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.14 तक उपलब्धियां	टिप्पणी (31.12.14 तक उपलब्धियां)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	स्कीम–II सामग्री विकास और प्रसार							
	सॉफ्टवेअर कार्यक्रम		65.00	42.84	जम्मू– कश्मीर, पूर्वोत्तर, डीडी उर्दू, डीडी काशीर आदि के लिए कार्यक्रम।			
	नई स्कीम							
1.	स्कीम I – प्रसारण इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क विकास		14.00	0.00				सीसीईए की मंजूरी की जानकारी 18.03.2014 को मंत्रालय को दी गई। प्रसार भारती की मंजूरी दिनाँक 2–9–14 के पत्र द्वारा प्राप्त। कुछ उपकरणों के लिए निविदाएं आमंत्रित करने का कार्य प्रारंभ किया गया। विनिर्देशनों को अंतिम रूप देने का कार्य चल रहा है।
2.	स्कीम III विशेष परियोजनाएं		10.50	0.00				
	दूरदर्शन का कुल		270.50	240.59				
	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के लिए अनुदान		205.50	197.75				
	सामान्य सहायता अनुदान		65.00	42.84				

मुख्य सचिवालय की प्रसारण विंग की स्कीमें

(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग

12वीं योजना में सामुदायिक रेडियो को वित्तीय सहायता देने के लिए 100 करोड़ रुपये की योजना 'भारत में रेडियो आंदोलन को सहयोग' शुरू की गई। 'सामुदायिक रेडियो सहयोग योजना(सीआरएसएस)' और 'सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां' इस योजना के दो घटक हैं।

इस योजना को लागू करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी समिति ने सीआरएस के लिए अनिवार्य उपकरणों की सूची तैयार की है और चुने गए प्रत्येक उपकरण की विशिष्टताओं, मानदंडों को अंतिम रूप दिया गया है। यह सीआरएस द्वारा खरीदे जाने वाले उपकरण का मापदंड होगा। 12वीं योजना लागू करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई(पीएमयू) का गठन भी किया गया है।

आईईसी गतिविधियों के अधीन मंत्रालय विभिन्न हितधारकों के साथ राज्य और क्षेत्र स्तर की कार्यशालाओं का आयोजन करके सामुदायिक रेडियो योजना का व्यापक प्रचार कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा समुदाय आधारित संगठन सामुदायिक रेडियो स्टेशन लगाने के लिए आगे आएं। साल 2007 के बाद करीब 55 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। इसके अलावा चार राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किए गए हैं।

साल 2012–13 के दौरान, तीन संगठनों– वन वर्ड फाउंडेशन इंडिया, कॉमनवेल्थ एजुकेशन मीडिया सेंटर फॉर एशिया और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से 9 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गईं। ये कार्यशालाएं माउंट आबू, ओरछा (मध्यप्रदेश), आगरा, डिब्रूरूगढ़, दार्जिलिंग, गोआ, विजग, धर्मशाला और ऊटी में आयोजित की गईं।

फरवरी 2013 में आयोजित तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय सीआर पुरस्कार प्रदान किए गए। इस समारोह में सामुदायिक रेडियो(सीआर) सारांश का तीसरा संस्करण भी जारी किया गया।

वित्त वर्ष 2013–14 में मंत्रालय की ओर से नौ जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। ये आयोजन फरीदाबाद, भुवनेश्वर, कोच्चि, बेंगलुरु, जयपुर, जमशेदपुर, दार्जलिंग और पटना शहरों में किए गए। ये कार्यशालाएं और विचार विमर्श सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए दिशा निर्देशों, आवेदन प्रक्रिया, विषय वस्तु और निरंतरता के मामलों को सुलझाने में सफल रहीं।

दिसंबर 2013 में नई दिल्ली में सीआर और डिजिटल टूल्स पर तीन दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका मकसद सीआर स्टेशनों की पहुंच व्यापक बनाने के लिए फेसबुक, यू–ट्यूब, मोबाइल, वेबसाइट जैसे डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल करने की क्षमता को विकसित किया जाना रहा। इस कार्यशाला में करीब 30 एनजीओ आमंत्रित किए गए। इसका आयोजन डिजिटल इम्पॉवरमेंट फाउंडेशन ने किया था।

चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन 13–15 मार्च 2014 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। इसमें करीब 200 सामुदायिक स्टेशनों के प्रतिनिधियों, संबद्ध मंत्रालयों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए गए और सामुदायिक सारांश का चौथा संस्करण भी जारी किया गया।

मंत्रालय ने समीक्षा के जरिए सीखने और सुधार के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को बेहतर बनाने की कोशिश की। कॉमनवेल्थ एजुकेशन्ल मीडिया सेंटर फॉर एशिया(सीईएमसीए) के साथ यूनेस्को और सामुदायिक रेडियो और यूनीसेफ की डिजाइन की हुई टूल किट्स इस्तेमाल की गईं।

दो अलग चरणों में 68 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों ने इसमें हिस्सा लिया। सभी स्टेशनों को इन टूल किट्स के जरिए अपने स्टेशन का आत्मनिरीक्षण करना था। प्रत्येक स्टेशन से एक प्रतिनिधि ने दो अन्य स्टेशनों का निरीक्षण किया। इसी प्रक्रिया के बाद अनुभवों को साझा करने के लिए पहले चरण में नई दिल्ली में 13–15 मई 2015 को कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई। दूसरे चरण की कार्यशाला दिसंबर 2014 में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में पिछली कार्यशाला में हिस्सा लेने वाले 68

सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि कार्यशाला से मिले अनुभव के बाद वे अपने रेडियो स्टेशन की चुनौतियों और ताकतों को पहचान पाए। इसके अलावा कार्यशाला में हिस्सा लेने के बाद वे खुद के स्टेशन के लिए योजना भी बेहतर तरीके से बना पाए। एक-दूसरे से सीखने के लिए संपर्क बनाने में भी कार्यशालाएं सफल साबित हुईं, जिसमें कागजी कार्यवाही की प्रक्रिया, सॉफ्टवेयर, विचारों का आदान प्रदान और सिस्टम की जानकारी जैसी जरूरी बातों पर काम शुरू हो पाया।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान मंत्रालय ने आठ जागरूक कार्यशालाएं पुणे, भोपाल, कोलकाता, मसूरी, लखनऊ, गुवाहाटी, भुज और वायानाद में आयोजित कीं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए देशभर में क्षेत्रीय सम्मेलनों का ऐलान किया। राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय रेडियो स्टेशनों के विस्तार के लिए इस बारे में मांग उठाई गई थी। जिसके पीछे तर्क जमीन से जुड़ी कहानियां, मुद्दे, सफलताएं और विफलताओं के बारे में चर्चा किया जाना है।

पहला तीन-दिवसीय सामुदायिक रेडियो स्टेशन क्षेत्रीय सम्मेलन मंत्रालय के सहयोग से वन वर्ल्ड फाउंडेशन इंडिया की ओर से पोंडेचरी में 28 से 30 सितंबर 2014 आयोजित किया गया। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा और पोंडेचरी के 40 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों ने इसमें हिस्सा लिया।

दूसरा तीन दिवसीय क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन मंत्रालय और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन(सीआरए) की ओर से 10-12 अक्टूबर 2014 को लखनऊ में आयोजित किया गया। उत्तर भारत के 90 स्टेशनों में से 65 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस क्षेत्रीय सम्मेलन में प्रत्येक रेडियो स्टेशन से दो प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया।

(ख) मिशन डिजीटाइजेशन

लागू नहीं। क्योंकि रु. 7.88 करोड़ की एक एस एफ सी ''मिशन डिजीटाइजेशन'' को लागू करने के लिए अनुमोदित की गई थी परन्तु कुल परिव्यय रु. 13.02 करोड़ के साथ एक आर सी ई मेमोरेन्डम, जो कि अप्रैल 2017 तक पूरा किया जाना था, को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय–5

वित्तीय समीक्षा

2012-2013

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2012-2013			संशोधित अनुमान 2012-2013			वास्तविक 2012-13		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
राजस्व खंड									
प्रमुख शीर्ष '2251' – सचिवालय सामाजिक सेवाएं									
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	**861000**	**409200**	**1270200**	**617500**	**416000**	**1033500**	**429603**	**407553**	**837156**
प्रमुख शीर्ष – '2205' – सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन									
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	0	65000	65000	0	64370	64370	0	63997	63997
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	1700	1700	0	1530	1530	0	1074	1074
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	**0**	**66700**	**66700**	**0**	**65900**	**65900**	**0**	**65071**	**65071**
प्रमुख शीर्ष – '2220' – सूचना, फिल्म और प्रचार									
4. फिल्म प्रभाग	9000	372800	381800	9000	355300	364300	7661	350651	358312
5. फिल्म समारोह निदेशालय	0	92000	92000	0	101500	101500	0	89925	89925
6. भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	20000	46800	66800	10000	43100	53100	9230	41601	50831
7. सत्यजीत रे फिल्म और टेली. सं., कोलकाता का अनुदान सहायता	80000	70000	150000	80000	90100	170100	80000	90100	170100
8. बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता	0	15500	15500	0	21400	21400	0	21400	21400
9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	0	135000	135000	0	178400	178400	0	178400	178400
10. फिल्म सोसायटी को अनुदान सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद	0	43800	43800	0	44600	44600	0	43335	43335
12. न्यू मीडिया विंग (पूर्ववर्ती गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग)	0	21700	21700	0	18050	18050	0	16946	16946

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2012-2013			संशोधित अनुमान 2012-2013			वास्तविक 2012-2013		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
13. आईआईएमसी को अनुदान सहायता	0	71700	71700	46000	78150	124150	47000	78150	125150
14. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	990000	673300	1663300	949300	634900	1584200	1059915	617973	1677888
15. पत्र सूचना कार्यालय	153000	383300	536300	117000	402400	519400	79262	392649	471911
16. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	53200	53200	0	55500	55500	0	55500	55500
17. पीटीआई के ऋण पर ब्याज के बदले रियायत	0	0	0	0		0	0	0	0
18. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100	0	100	100	0	0	0
19. पत्रकार कल्याण कोष में हस्तांतरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	70000	430700	500700	36600	431100	467700	5463	441411	446874
21. गीत एवं नाटक प्रभाग	72000	232400	304400	72000	223600	295600	61863	219339	281202
22. प्रकाशन विभाग	18000	227000	245000	7000	243000	250000	0	241946	241946
23. रोजगार समाचार	0	269000	269000	0	191200	191200	0	200566	200566
24. भारत का समाचारपत्र पंजीयक	2000	41700	43700	2000	39100	41100	1943	39178	41121
25. फोटो प्रभाग	4500	40600	45100	6000	37400	43400	1888	37870	39758
26. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान	0	1700	1700	0	1700	1700	0	0	0
27. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के लिए योगदान	0	2000	2000	0	2000	2000	0	2118	2118
कुल : प्रमुख शीर्ष '2220'	**1418500**	**3224300**	**4642800**	**1334900**	**3192600**	**4527500**	**1354225**	**3159058**	**4513283**
कुल : प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	**2279500**	**3700200**	**5979700**	**1952400**	**3674500**	**5626900**	**1783828**	**3631682**	**5415510**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2012-2013			संशोधित अनुमान 2012-13			वास्तविक 2012-13		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221)									
ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष)									
निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	0	0	0
टेलीविजन (उप प्रमुख शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	0	0	0
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष)									0
प्रसार भारती (लघु शीर्ष)									0
अनुदान सहायता	1119800	14623500	15743300	790000	16500000	17290000	790000	16500000	17290000
कुल-प्रसारण	**1120000**	**14623700**	**15743700**	**790200**	**16500200**	**17290400**	**790000**	**16500000**	**17290000**
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना									
एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	210500	0	210500	184500	0	184500	0	0	0
कुल-राजस्व खंड	**3610000**	**18323900**	**21933900**	**2927100**	**20174700**	**23101800**	**2573828**	**20131682**	**22705510**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2012-13			संशोधित अनुमान 2012-13			वास्तविक 2012-13		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
ए- पूंजी खंड									
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. पत्र सूचना कार्यालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. गीत एवं नाटक प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. फोटो प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. मुख्य सचिवालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. भारतीय जनसंचार संस्थान हेतु उपकरण का अधिग्रहण	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0
8. सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे हेतु उपकरण का अधिग्रहण	60000	0	60000	30000	0	30000	0	0	0
10. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण का अधिग्रहण	15000	0	15000	7500	0	7500	0	0	0
11. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र- मशीनरी तथा उपकरण	80000	0	80000	80000	0	80000	8600	0	8600
13. प्रकाशन विभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. रोज़गार समाचार हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बी- भवन									
15. फिल्म प्रभाग हेतु बहु-मंजिला भवन - प्रमुख कार्य	20000	0	20000	10000	0	10000	0	0	
16. चलचित्र संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग)- प्रमुख कार्य	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
17. नाइट्रेट वॉल्ट्स/कर्मचारी आवास (एनएफएआई हेतु) निर्माण	10000	0	10000	5000	0	5000	0	0	0
18. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण का भवन निर्माण	30000	0	30000	15000	0	15000	0	0	0

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2012-13			संशोधित अनुमान 2012-13			वास्तविक 2012-13		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
19. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक - प्रमुख कार्य	10000	0	10000	5000	0	5000	0	0	0
20. कोलकाता में फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना,	70000	0	70000	35000	0	0	0	0	0
21. सूचना भवन का निर्माण - प्रमुख कार्य	150000	0	150000	108300	0	108300	85700	0	85700
22. क्षेत्रीय प्रचार हेतु कार्यालय और आवासीय परिसर का निर्माण	20000	0	20000	100	0	100	0	0	0
23. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना	90000	0	90000	164500	0	164500	117800	0	117800
24. भारतीय प्रेस परिषद हेतु भवन का निर्माण	12000	0	12000	6000	0	6000	0	0	0
25. आईआईएमसी हेतु भवन निर्माण तथा आवास परियोजना	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0
26. निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए भवन और टावर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. मास मीडिया संस्थान की स्थापना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0
निवेश									0
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	**705000**	**0**	**705000**	**496400**	**0**	**496400**	**212100**	**0**	**212100**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2012-13			संशोधित अनुमान 2012-13			वास्तविक 2012-13		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
सूचना और प्रचार हेतु ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6220)									
फिल्म (उप प्रमुख शीर्ष)									
सार्वजनिक क्षेत्र और अधीन उपक्रमों के लिए ऋण									
(लघु शीर्ष)									
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम									
ऋण और अग्रिम राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2012-13			संशोधित अनुमान 2012-13			वास्तविक 2012-13		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
प्रसारण के लिए ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6221)									
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य अधीन उपक्रमों के लिए ऋण									
प्रसार भारती									0
ऋण और अग्रिम राशि	4010000	0	4010000	2826600	0	2826600	3335000	0	3335000
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत									
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना									
(प्रमुख शीर्ष - 4552)									
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के लिए उपकरणों का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भारतीय जनसंचार संस्थान के लिए उपकरणों का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आईआईएमसी के नए केंद्रों की शुरुआत	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0
सीबीएफसी ढांचे का उन्नयन और विस्तार	3000		3000	1500	0	1500	0	0	0
(प्रमुख शीर्ष - 4552)	5000	0	5000	1500	0	1500	0	0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत									
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना									
(प्रमुख शीर्ष - 6552)									
प्रसार भारती	720000	0	720000	508400	0	508400	0	0	0
कुल - पूंजी खंड	**5440000**	**0**	**5440000**	**3832900**	**0**	**3832900**	**3547100**	**0**	**3547100**
कुल सूचना प्रसारण मंत्रालय	**9050000**	**18323900**	**27373900**	**6760000**	**20174700**	**26934700**	**6120928**	**20131682**	**26252610**

वित्तीय समीक्षा

2013-2014

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2013-14			संशोधित अनुमान 2013-14			वास्तविक 2013-14		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
राजस्व खंड									
प्रमुख शीर्ष '2251' - सचिवालय सामाजिक सेवाएं									
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	980000	457000	1437000	370200	427000	797200	324249	417959	742208
प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन									
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	0	68700	68700	0	63150	63150	0	62050	62050
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	1700	1700	0	1250	1250	0	906	906
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	0	70400	70400	0	64400	64400	0	62956	62956
प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार									
4. फिल्म प्रभाग	10000	387600	397600	8000	379600	387600	7835	376357	384192
5. फिल्म समारोह निदेशालय	0	93300	93300	0	112000	112000	0	111325	111325
6. भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	20000	46200	66200	12900	38000	50900	12897	38914	51811
7. सत्यजीत रे फिल्म और टेली. सं., कोलकाता का अनुदान सहायता	150000	101100	251100	150000	99000	249000	150000	99000	249000
8. बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता	0	26300	26300	0	22000	22000	0	22000	22000
9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	150000	187200	337200	150000	192700	342700	150000	192700	342700
11. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र	0	49400	49400	35000	36700	71700	34996	33824	68820
12. गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग	0	21600	21600	0	20900	20900	0	21326	21326
13. आईआईएमसी को अनुदान सहायता	68000	88900	156900	35500	102700	138200	37000	102700	139700
14. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	1685000	705600	2390600	1790000	626000	2416000	1923443	621517	2544960

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2013-14			संशोधित अनुमान 2013-14			वास्तविक 2013-14		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
15. पत्र सूचना कार्यालय	130000	426400	556400	94000	430500	524500	101968	428538	530506
16. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	57100	57100	0	51100	51100	0	51100	51100
18. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100	0	0	0	0	0	0
20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	72000	458000	530000	18900	464200	483100	10642	467063	477705
21. गीत एवं नाटक प्रभाग	72000	238000	310000	59000	232900	291900	64280	229318	293598
22. प्रकाशन विभाग	10000	248000	258000	28900	242700	271600	14146	263323	277469
23. रोजगार समाचार	0	255200	255200	0	220900	220900	0	204422	204422
24. भारत का समाचारपत्र पंजीयक	3000	44200	47200	3000	40400	43400	2252	40736	42988
25. फोटो प्रभाग	3500	41000	44500	4000	42600	46600	4011	42486	46497
26. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान	0	1700	1700	0	1500	1500	0	0	0
27. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के लिए योगदान	0	2000	2000	0	2500	2500	0	2433	2433
कुल : प्रमुख शीर्ष '2220'	**2373500**	**3478900**	**5852400**	**2389200**	**3358900**	**5748100**	**2513470**	**3349082**	**5862552**
कुल : प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	**3353500**	**4006300**	**7359800**	**2759400**	**3850300**	**6609700**	**2837719**	**3829997**	**6667716**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2013-14			संशोधित अनुमान- 2013-14			वास्तविक 2013-14		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221)									
ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष)									
निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)									
वेतन	0	100	100	0	0	0	0	0	0
टेलीविजन (उप प्रमुख शीर्ष)									
वेतन 100	0	100	100	0	0	0	0	0	0
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष)									
प्रसार भारती (लघु शीर्ष)									
अनुदान सहायता	4503500	17300000	21803500	3595600	17300000	20895600	4100000	17300000	21400000
कुल-प्रसारण	**4503500**	**17300200**	**21803700**	**3595600**	**17300000**	**20895600**	**4100000**	**17300000**	**21400000**
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना									
एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	905000	0	905000	740000	0	740000	0	0	0
कुल-राजस्व खंड	**8762000**	**21306500**	**30068500**	**7095000**	**21150300**	**28245300**	**6937719**	**21129997**	**28067716**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2013-14			संशोधित अनुमान- 2013-14			वास्तविक 2013-14		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
ए) पूंजी खंड									
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण का अधिग्रहण	7500	0	7500	7500	0	7500	9959	0	9959
3. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र-मशीनरी तथा उपकरण मशीनरी तथा उपकरण	100000	0	100000	100000	0	100000	75000	0	75000
बी- भवन									
5. फिल्म प्रभाग हेतु बहु-मंजिला भवन - प्रमुख कार्य	30000	0	30000	19900	0	19900	12511	0	12511
6. चलचित्र संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग)- प्रमुख कार्य	10000	0	10000	5000	0	5000	0	0	0
7. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण का भवन निर्माण बंगलों तथा डिजीटल पुस्तकालय स्थापना के लिए	30000	0	30000	20000	0	20000	18245	0	18245
8. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक - प्रमुख कार्य	20000	0	20000	20000	0	20000	14851	0	14851
9. सूचना भवन का निर्माण - प्रमुख कार्य	40000	0	40000	64000	0	64000	62991	0	62991
	8000	0	8000	100	0	100	0	0	0
11. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना	5000	0	5000	21000	0	21000	20961	0	20961
12. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में ढांचागत सुविधाओं में सुधार	7500	0	7500	2500	0	2500	0	0	0
13. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र - प्रमुख कार्य	20000	0	20000	35000	0	35000	0	0	0
कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	**288000**	**0**	**288000**	**305000**	**0**	**305000**	**214518**	**0**	**214518**
कुल - मांग संख्या - 61	**9050000**	**21306500**	**30356500**	**7400000**	**21150300**	**28550300**	**7152237**	**21129997**	**28282234**

वित्तीय समीक्षा

2014-15

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2014-15			संशोधित अनुमान- 2014-15		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
राजस्व खंड						
प्रमुख शीर्ष '2251' - सचिवालय सामाजिक सेवाएं						
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	**769400**	**496100**	**1265500**	**415599**	**512500**	**928099**
प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन						
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	0	70100	70100	71200	71200	0900900
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	1700	1700	0	900	900
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	**0**	**71800**	**71800**	**0**	**72100**	**72100**
प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार						
4. फिल्म प्रभाग	10000	401800	411800	5001	401700	406701
5. फिल्म समारोह निदेशालय	0	123800	123800	0	121300	121300
6. भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	20000	46500	66500	15900	43400	59300
7. सत्यजीत रे फिल्म और टेली. सं., कोलकाता का अनुदान सहायता	160000	108900	268900	160000	114900	274900
8. बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता	0	27000	27000	0	27400	27400
9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	250000	210100	460100	190000	204400	394400
10. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद	96800	40700	137500	98800	26400	125200
11. गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग का नया नाम हुआ न्यू मीडिया विंग	0	24900	24900	0	23200	23200
12. आईआईएमसी को अनुदान सहायता	215000	95500	310500	119700	101900	221600

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2014-15			संशोधित अनुमान- 2014-15		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
13. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	1606000	697700	2303700	1450600	654200	2104800
14. पत्र सूचना कार्यालय	140000	453000	593000	66000	527286	593286
15. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	61300	61300	0	61400	61400
16. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100	0	25	25
17. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	45000	497400	542400	40400	498389	538789
18. गीत एवं नाटक प्रभाग	72000	243600	315600	22000	243100	265100
19. प्रकाशन विभाग	50000	260500	310500	45000	285000	330000
20. रोजगार समाचार	0	251900	251900	0	215800	215800
21. भारत का समाचारपत्र पंजीयक	2000	46500	48500	2500	47400	49900
22. फोटो प्रभाग	4500	46700	51200	3500	42000	45500
23. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान	0	1700	1700	0	1900	1900
24. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के लिए योगदान	0	2500	2500	0	2500	2500
कुल : प्रमुख शीर्ष '2220'	**2671300**	**3642100**	**6313400**	**2219401**	**3643600**	**5863001**
कुल : प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	**3440700**	**4210000**	**7650700**	**2635000**	**4228200**	**6863200**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2014-15			संशोधित अनुमान- 2014-15		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221)						
ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष)						
निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)						
वेतन	0	0	0	0	0	0
टेलीविजन (उप प्रमुख शीर्ष)						
वेतन	0	0	0	0	0	0
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष)						
प्रसार भारती (लघु शीर्ष)						
अनुदान सहायता	5315800	18900000	24215800	3812400	20019800	23832200
कुल-प्रसारण	**5315800**	**18900000**	**24215800**	**3812400**	**20019800**	**23832200**
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर						
क्षेत्र अन्य व्यय योजना						
एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	1005000	0	1005000	752000	0	752000
कुल-राजस्व खंड	**9761500**	**23110000**	**32871500**	**7199400**	**24248000**	**31447400**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2014-15			संशोधित अनुमान- 2013-14		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
ए) पूंजी खंड						
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	10000	0	10000	13000	0	13000
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण का अधिग्रहण	10000	0	10000	5010	0	5010
3. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार	0	0	0	100	0	100
4. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र-मशीनरी तथा उपकरण	93200	0	93200	93200	0	93200
बी) भवन						
5. फिल्म प्रभाग की ढांचागत भवन सुविधाओं में सुधार	20000	0	20000	22000	0	22000
6. चलचित्र संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग)- प्रमुख कार्य	10000	0	10000	100	0	100
7. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण का भवन निर्माण डिजिटल पुस्तकालय स्थापना हेतु	50000	0	50000	48000	0	48000
8. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक	50000	0	50000	53900	0	53900
9. सूचना भवन का निर्माण - प्रमुख कार्य	300	0	300	300	0	300
10. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के राज्यों में केन्द्रीय सूचना भवन	0	0	0	0	0	0
11. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना	25000	0	25000	25000	0	25000
12. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की ढांचागच सुविधाओं में सुधार	10000	0	10000	1990	0	1990
13. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र - - प्रमुख कार्य	10000	0	10000	58000	0	58000
कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	**288500**	**0**	**288500**	**320600**	**0**	**320600**
कुल - मांग संख्या - 61	**10050000**	**23110000**	**33160000**	**7520000**	**24248000**	**31768000**

वित्तीय समीक्षा

2015-16

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2015-16		
	योजना	गैर योजना	कुल
राजस्व खंड			
प्रमुख शीर्ष '2251' - सचिवालय सामाजिक सेवाएं			
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	**1769000**	**583300**	**2352300**
प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन			
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	0	75100	75100
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	1700	1700
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	**0**	**76800**	**76800**
प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार			
4. फिल्म प्रभाग	10000	431000	441000
5. फिल्म समारोह निदेशालय	0	124300	124300
6. भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	20000	47500	67500
7. सत्यजीत रे फिल्म और टेली. सं., कोलकाता का अनुदान सहायता	100000	123700	223700
8. बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता	0	29800	29800
9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	200000	220600	420600
10. फिल्म सोसाइटी को अनुदान सहायता	0	0	0
11. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद	90000	14100	104100
12. गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग का नया नाम हुआ न्यू मीडिया विंग	0	23100	23100
13. आईआईएमसी को अनुदान सहायता	130000	109500	239500

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2014-15		
	योजना	गैर योजना	कुल
14. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	170000	740200	910200
15. पत्र सूचना कार्यालय	100000	548100	648100
16. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	66300	66300
17. पीटीआई को दिए गए ऋण पर ब्याज पर सबसिडी	0	0	0
18. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100
19. पत्रकार कल्याण निधि का अंतरण	0	0	0
20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	29800	532800	562600
21. गीत एवं नाटक प्रभाग	30000	247800	277800
22. प्रकाशन विभाग	45000	285400	330400
23. रोजगार समाचार	0	242100	242100
24. भारत का समाचारपत्र पंजीयक	2000	52200	54200
25. फोटो प्रभाग	5200	41700	46900
26. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान	0	1700	1700
27. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के लिए योगदान	0	2500	2500
कुल : प्रमुख शीर्ष '2220'	**932000**	**3884500**	**4816500**
कुल : प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	**2701000**	**4544600**	**7245600**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2015-16		
	योजना	गैर योजना	कुल
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221)			
ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष)			
निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)			
वेतन	0	0	0
टेलीविजन (उप प्रमुख शीर्ष)			
वेतन	0	0	0
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष)			
प्रसार भारती (लघु शीर्ष)			
अनुदान सहायता	5274300	23421200	28695500
कुल-प्रसारण	**5274300**	**23421200**	**28695500**
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर			
क्षेत्र अन्य व्यय योजना			
एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	920000	0	920000
कुल-राजस्व खंड	**8895300**	**27965800**	**36861100**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2015-16		
	योजना	गैर योजना	कुल
ए) पूंजी खंड			
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	5000	0	5000
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण का अधिग्रहण	20000	0	20000
3. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार	100	0	100
4. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र-मशीनरी तथा उपकरण	75000	0	75000
बी) भवन			
5. फिल्म प्रभाग की ढांचागच भवन सुविधाओं में सुधार	20000	0	20000
6. चलचित्र संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग)- प्रमुख कार्य	5000	0	5000
7. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण का भवन निर्माण डिजिटल पुस्तकालय स्थापना हेतु	40000	0	40000
8. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक	19900	0	19900
9. सूचना भवन का निर्माण - प्रमुख कार्य	0	0	0
10. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के राज्यों में केन्द्रीय सूचना भवन	0	0	0
11. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना	0	0	0
12. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की ढांचागत सुविधाओं में सुधार	20000	0	20000
13. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र - - प्रमुख कार्य	45000	0	45000
निवेश			
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	0	0	0
कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	**250000**	**0**	**250000**
कुल - मांग संख्या - 61	**9145300**	**27965800**	**37111100**

वित्तीय समीक्षा

विषय-शीर्षानुसार वर्गीकरण

(हजार रुपये में)

विवरण	बजट अनुमान 2012-2013		संशोधित अनुमान 2012-2013		वास्तविक 2012-2013		बजट अनुमान 2013-2014		संशोधित अनुमान 2013-2014		वास्तविक बजट 2013-2014		अनुमान 2014-2015		संशोधित अनुमान 2014-2015		बजट अनुमान 2015-2016	
	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना
राजस्व खंड																		
वेतन	10200	1925600	10200	1960400	0	1941169	10000	2117200	0	2042800	0	2057729	0	2226700	0	2305700	0	2467100
मजदूरी	16300	6940	8700	6090	457	6353	32872	7340	1630	7476	971	7275	100	17800	0	10600	400	11100
समयोपरि भत्ता	0	6735		4746	0	3955	0	5925	50	4635	0	3594	50	5875	0	3530	0	4555
चिकित्सा व्यय	0	33065		28380	0	26838	0	29600	0	33355	0	28564	0	29690	0	29008	0	30010
घरेलू यात्रा व्यय	13800	58755	12450	52360	7320	52869	13900	58500	7550	62220	6568	60239	20600	67961	12161	56088	10392	68080
विदेशी यात्रा व्यय	12200	9000	8200	7860	3075	6362	12000	8400	7250	7020	2585	2549	16100	8500	10572	8240	12500	8500
कार्यालय व्यय	180900	219080	96200	222951	52077	232478	86770	205245	140270	229505	78024	241385	91600	239845	38259	295050	86765	284295
किराया, महसूल और कर																		
स्वीकृत	0	46295	0	41599	0	39904	0	51813	0	48467	0	37053	0	48689	0	50733	0	56206
भारित	0	300		300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रकाशन	600	39740		59072	0	58325	50	54250	0	50600	0	59326	15500	55110	2100	58123	5000	57000
अन्य प्रशासनिक व्यय.	19100	19620	23950	20288	17986	18425	31350	27620	17150	23100	15045	19632	95600	27700	120107	23532	1364830	26900
आपूर्ति एवं सामग्री	49500	223995	36200	155300	14977	159133	40552	215900	33700	188700	25231	166139	30200	212900	5408	174350	1080	197000
पी.ओ.एल.	0	20200	0	17630	0	16798	0	20300	0	14720		15256	0	16800	0	21720	1764	21800
विज्ञापन और प्रचार	997100	495675	990400	440940	1093247	436841	1754850	487400	1783900	420200	1973241	402829	1681850	470270	1466168	408420	213556	441300
लघु कार्य	0	75185	0	73295	0	66527	0	85140	5000	101410	5000	116631	52900	112150	80910	134770	43000	136100
व्यावसायिक सेवाएं	502800	88355	304350	77702	192589	75104	569950	90255	128450	68560	108547	68822	383340	77335	159287	62520	244761	101000
सहायता अनुदान	1280300	1384586	907500	1389633	910000	1389645	1034500	1423020	783000	1421504	916217	1421531	1411000	1455060	529950	1464395	494500	1626260
पूंजी सृजन के लिए अनुदान	70000	551514	106000	12613	107000	12613	4018500	10900	3228100	9460	3604000	9460	4797800	9160	3827350	8200	5301300	9160
वेतन अनुदान	0	13033325	0	15521799	0	15521799	0	16327500	0	16337500	0	16337500	0	17939700	0	19058200	0	22336800
अंशदान	0	3700	0	3700	0	2118	0	3700	0	4000	0	2433	0	4200	0	4400	0	4200
आर्थिक सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एकमुश्त प्रावधान	210500	1700	184500	1530	0	1074	905000	0	740000	0	0	0	1005000	0	752000	0	920000	0
अन्य प्रभार	245500	62985	237250	61857	174006	49122	246344	58587	217050	53500	200352	52615	145800	68800	180231	57106	180352	61609
सूचना और प्रौद्योगिकी	1200	17550	1200	14655	1094	14230	5362	17905	1900	21568	1938	19385	14060	15755	14897	13313	15100	16825
केंद्रीय अनुश्रवण सेवाए																		
कुल	**3610000**	**18323900**	**2927100**	**20174700**	**2573828**	**20131682**	**8762000**	**21306500**	**7095000**	**21150300**	**6937719**	**21129997**	**9761500**	**23110000**	**7199400**	**24248000**	**8895300**	**27965800**

(हजार रुपये में)

विवरण	बजट अनुमान 2012-2013		संशोधित अनुमान 2012-2013		वास्तविक 2012-2013		बजट अनुमान 2013-2014		संशोधित अनुमान 2013-2014		वास्तविक 2013-2014		बजट अनुमान 2014-2015		संशोधित अनुमान 2014-2015		बजट अनुमान 2015-2016	
	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना
पूंजी भाग																		
मशीन और उपस्कर	171000	0	117500	0	8600	0	117500	0	117500	0	84959	0	114200	0	111310	0	100100	0
मुख्य निर्माण कार्य	534000	0	378900	0	203500	0	170500	0	187500	0	129559	0	174300	0	209290	0	149900	0
निवेश	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ऋण एवं अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ऋण प्रसार भारती	4010000	0	2826600	0	3335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर पूर्वी व सिक्किम	725000	0	509900	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
के लाभ के लिए	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	**5440000**	**0**	**3832900**	**0**	**3547100**		**288000**	**0**	**305000**	**0**	**214518**		**288500**	**0**	**320600**	**0**	**250000**	**0**
कुल योग	**9050000**	**18323900**	**6760000**	**20174700**	**6120928**	**20131682**	**9050000**	**21306500**	**7400000**	**21150300**	**7152237**	**21129997**	**10050000**	**23110000**	**7520000**	**24248000**	**9145300**	**27965800**

वित्तीय समीक्षा

स्वायत्त संस्थानों के आधार पर वर्गीकरण

(हजार रुपये में)

विवरण		बजट अनुमान 2012-2013		संशोधित अनुमान 2012-2013		वास्तविक 2012-2013		बजट अनुमान 2013-2014		संशोधित अनुमान 2013-2014		वास्तविक 2013-2014		बजट अनुमान 2014-2015		संशोधित अनुमान 2014-2015		बजट अनुमान 2015-2016	
		योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना
बाल फिल्म समिति	(R)	0	15500	0	21400	0	21400	0	26300	0	22000	0	22000	0	27000	0	27400	0	29800
भारतीय फिल्म और	(R)	0	135000	0	178400	0	178400	150000	187200	150000	192700	150000	192700	0	152500	190000	204400	200000	220600
टेलीविजन संस्थान पुणे	(C)	70000	0	35000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सत्यजीत रे फिल्म और	(R)	80000	70000	80000	90100	80000	90100	150000	101100	150000	99000	150000	99000	160000	108900	160000	114900	100000	123700
टेलीविजन संस्थान कोलकाता	(C)	70000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भारतीय जनसंचार	(R)	0	71700	47000	78150	47000	78150	70000	88900	37000	102700	37000	102700	230000	95500	134700	101900	150000	109500
संस्थान	(C)	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भारतीय प्रेस परिषद	(R)	0	53200	0	55500		55500	0	57100	0	51100	0	51100	0	61300	0	61400	0	66300
प्रसार भारती	(R)	1119800	14623500	790000	16500000	790000	16500000	5140000	17300000	4100000	17300000	4100000	17300000	6050300	18900000	4360000	20019800	6050300	23421200
	(C)	4730000	0	3335000	0	3335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

उपभोग शेष के समेत विभिन्न निकायों को जारी अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	नाम	अवधि में जारी अनुदान				अप्रयुक्त शेष (यदि कोई हो)			
		2012-2013		2013-2014		2012-2013		2013-2014	
		योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना
1.	बाल फिल्म समिति	0.00	214.00	0.00	220.00	0.00	----	----	- - - -
2.	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे	Nil	1784.00	1500.00	1927.00	0.00	NIL	NIL	N I L
3.	सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता	800.00	901.00	1500.00	990.00	Nil	NIL	0.66	N I L
4.	भारतीय जनसंचार संस्थान	470.00	781.50	370.00	1027.00	68.52	5.06	37.13	0 . 0 4
5.	भारतीय प्रेस परिषद	NIL	555.00	NIL	511.00	NIL	23.43	NIL	0.16
6.	प्रसार भारती	7900.00	165000.00	41000.00	173000.00	1246.00	NIL	1453.00	NIL
	कुल	**9170.00**	**169235.00**	**44370.00**	**177675.00**	**1314.52**	**28.49**	**1490.79**	**0.00**

अध्याय-6

स्वायत्तशासी निकायों की समीक्षा और प्रदर्शन

सूचना क्षेत्र

भारतीय जनसंचार संस्थान

जनसंचार के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षण और अनुसंधान के मामले में आईआईएमसी का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है क्योंकि आईआईएमसी ने अपने पाठ्यक्रम के संचालन के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों, सेना और अर्द्ध सैनिक बलों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया। आईआईएमसी ने मंत्रालयों और सरकारी विभागों की ओर से शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं के संबंध में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।

आईआईएमसी ने आयोजना योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपने उन्नयन के लिए भी समय पर कार्रवाई की है। इस दिशा में, आईआईएमसी ने पहले चरण में, मीडिया उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए पत्रकारिता एवं जनसंचार के एक वर्ष के पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को मास्टर डिग्री के समतुल्य बनाने के लिए दो वर्ष के एडवांस पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में बदलने का प्रस्ताव किया है और जम्मू व कश्मीर, मिजोरम, महाराष्ट्र (विदर्भ) और केरल में चार नई शाखाएं खोली हैं।

भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद संवैधानिक स्वायत्त निकाय है। मंत्रालय में ईआरसी की अनुशंसाओं पर चर्चा के दौरान यह महसूस किया गया कि भारतीय प्रेस परिषद के कामकाज की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये, जो प्रेस का स्व: नियमन निकाय है, ऐसी कोई समीक्षा न तो समुचित होगी और न ही ऐसी समीक्षा के लिये ऐसी कोई ''आदर्श निकाय'' उपलब्ध है। मंत्रालय के स्वायत्त संस्थाओं पर ईआरसी की रिपोर्ट पर मंत्रालय की ओर से जवाब दिये जाने के दौरान ही वित मंत्रालय को उक्त निर्णय से अवगत करा दिया गया।

प्रेस परिषद के प्रदर्शन की समीक्षा हालांकि संसद के द्वारा इसकी स्थायी समिति के जरिये हुई जब प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्च 2011 में स्थायी समिति के समक्ष उपस्थित हुए। समिति ने पेड न्यूज की भी समीक्षा की जिसने अनेक महत्वपूर्ण अनुशंसायें भी की। भारत सरकार इन अनुशंसाओं पर विचार कर रही है।

मामलों का ब्यौरा

क्रम संख्या	विवरण	2013–14	2014–15 से दिसंबर	2014–15 जनवरी, 2015 से मार्च के लिये संभावित	अप्रैल 15 से मार्च 16 तक (संभावित)
1	लम्बित मामले	870	942	1168	1058
2	दर्ज कराये गये मामले	1414	846	290	1200
3	परिषद द्वारा तय किये गये मामले	240	39	60	.
4	अध्यक्ष द्वारा तय किये गये मामले	1102	581	340	.
5	लंबित मामले 942	1168	1058	.	

फिल्म क्षेत्र

बाल फिल्म समिति, भारत

विगत पांच वर्षों के दौरान बनायी गई फिल्मों की संख्या और बाल दर्शकों तक पहुंच निम्नलिखित है :

2010–11

निर्माण – वर्ष के दौरान कोई भी फिल्म पूरी नहीं हुई। हालांकि 3 फीचर फिल्में और एक लघु फिल्म निर्माणाधीन रही।

विपणन– 6,378 प्रदर्शनों का आयोजन, जिनमें लगभग 28 लाख बाल दर्शकों को कवर किया गया।

व्यय – 400.00 लाख रुपये का व्यय।

2011–12

निर्माण –3 फीचर फिल्में और एक लघु फिल्म बनकर तैयार हुईं।

विपणन– 7444 प्रदर्शनों का आयोजन, जिनमें लगभग 30.65 लाख बाल दर्शकों को कवर किया गया।

व्यय – 654.00 लाख रुपये का व्यय।

2012–13

निर्माण –2 फीचर फिल्में बनकर तैयार हुईं और 6 फीचर फिल्में और एक लघु फिल्म निर्माणाधीन रही।

विपणन– 9,833 प्रदर्शनों का आयोजन, जिनमें लगभग 29 लाख बाल दर्शकों को कवर किया गया।

व्यय – 1136.00 लाख रुपये का व्यय।

2013–14

निर्माण –वर्ष के दौरान कोई भी फिल्म पूर्ण नहीं हुई। हालांकि 6 फीचर फिल्में और एक लघु फिल्म निर्माण की विविध अवस्थाओं में रहीं।

विपणन– 277 प्रदर्शनों का आयोजन, जिनमें लगभग 75,241 लाख बाल दर्शकों को कवर किया गया।

व्यय – 467.00 लाख रुपये का व्यय ।

2014–15

निर्माण –वर्ष के दौरान एक फीचर फिल्में बनकर तैयार हुईं, हालांकि 5 फीचर फिल्में और एक लघु फिल्म निर्माण की विविध अवस्थाओं में रहीं।

विपणन– 1066 प्रदर्शनों का आयोजन, जिनमें लगभग 2,87,598 लाख बाल दर्शकों को कवर किया गया।

व्यय – 260.00 लाख रुपये का व्यय।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

स्वायत्त निकायों के कार्य की समीक्षा और निष्पादन

1960 में स्थापित किया गया फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे में बदला गया, सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वास्यत संस्था है। इस सोसाइटी में फिल्म, टेलीविजन, संचार, संस्कृति की मशहूर शख्सियतों के साथ-साथ संस्थान के पूर्व विद्यार्थी और सरकार के पदेन सदस्य शामिल हैं। संस्थान अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक शासी परिषद द्वारा संचालित होता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जाने-माने फिल्म निर्देशक श्री सईद मिर्जा हैं। यह संस्थान डायरेक्शन, सिनेमैटोग्राफी, एडिटिंग, ऑडियोग्राफी में तीन साल पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स, दो साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स एक्टिंग, आर्ट डायरेक्शन व प्रोडक्शन डिजाइन में और एनिमेशन व कंप्यूटर ग्राफिक्स, ऑडियोग्राफी और टेलीविजन इंजीनियरिंग में सर्टिफिकेट कोर्स की सुविधा देता है। बेसिक डिप्लोमा कोर्स करवाने वाले संस्थानों से अलग यह कामकाजी प्रोफेशनल्स के लिए विभिन्न शॉर्ट टर्म कोर्स भी आयोजित करता है। यह संस्थान फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को उच्च दक्ष प्रशिक्षित विशेषज्ञ और तकनीशियन उपलब्ध करवाता है। एफटीआईआई के विद्यार्थी भारतीय फिल्म और टेलीविजन उद्योग में एक छाप भी छोड़ते हैं। फिल्म उद्योग के कई जाने-माने चेहरे इस संस्थान के पूर्व छात्र हैं। यहां के विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई डिप्लोमा फिल्में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में हिस्सा लेती हैं और उन्हें सराहना भी मिलती है। फंड देते समय, गवर्निंग काउंसिल और वित्तीय परिषद के साथ बैठक के दौरान, संस्थान की कार्यप्रणाली की समय-समय पर सरकार द्वारा जांच की जाती है, इसमें सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वार्षिक रिपोर्ट और संस्थान की ऑडिट रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, इसका कामकाज संतोषजनक पाया गया है।

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

स्वायत्त निकायों के कार्य की समीक्षा और निष्पादन

सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा 1995 में सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अंर्तगत स्थापित किया गया था और इसे पश्चिम बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के तहत रजिस्टर किया गया था। इस सोसाइटी में फिल्म, टेलीविजन, संचार, संस्कृति की मशहूर शख्सियतों के साथ-साथ संस्थान के पूर्व विद्यार्थी और सरकार के पदेन सदस्य शामिल हैं। संस्थान अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक शासी परिषद द्वारा संचालित होता है। यह संस्थान निर्देशन, पटकथा लेखन, संपादन, सिनेमेटोग्राफी, ऑडियोग्राफी और फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन में तीन साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करवाता है। बेसिक डिप्लोमा कोर्स के अलावा संस्थान विभिन्न लघु पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है और फिल्म उद्योग और विभिन्न संगठनों के निवेदन पर विभिन्न प्रोजेक्ट्स भी चलाता है।

यह संस्थान फिल्म इंडस्ट्री को उच्च प्रशिक्षित विशेषज्ञ और तकनीशियन देता है। एसआरएफटीआई के विद्यार्थी भारतीय फिल्म और टेलीविजन उद्योग में एक छाप भी छोड़ते हैं। विद्यार्थियों की डिप्लोमा फिल्म्स विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में हिस्सा लेती हैं और उन्हें सराहना भी मिलती है। हाल ही में संपन्न हुए दूसरे नेशनल स्टूडेंट फिल्म अवॉर्ड्स में छह स्टूडेंट्स की फिल्मों ने विभिन्न श्रेणियों में अवॉर्ड प्राप्त किए हैं। फंड देते समय, गवर्निंग काउंसिल और वित्तीय परिषद के साथ बैठक के दौरान, संस्थान की कार्यप्रणाली की समय-समय पर सरकार द्वारा जांच की जाती है, इसमें सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वार्षिक रिपोर्ट और संस्थान की ऑडिट रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, इसका कामकाज संतोषजनक पाया गया है।

प्रसारण क्षेत्र

प्रसार भारती

प्रसार भारती देश का लोक सेवा प्रसारक है, जिसके दो संघटक आकाशवाणी और दूरदर्शन हैं। इसका गठन 23 नवंबर, 1997 को किया गया था। इसे जनता को सूचना देने, उसे शिक्षित बनाने और उसका मनोरंजन करने के लिए लोक प्रसारण सेवाओं के आयोजन और संचालन का दायित्व सौंपा गया है। उसके कामकाज में देश में प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करना भी शामिल है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए प्रसार भारती की 2013-14 और 2014-15 के वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादनों का विवरण अध्याय-4 में दिया गया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय योजनाओं/परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी दो स्तरों पर करता है : (1) मीडिया इकाई और (2) मंत्रालय स्तर पर। प्रसार भारती को जारी योजना कोश के व्यय की गति की निगरानी के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मंत्रालय स्तर पर नियमित योजना समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। प्रगति की निगरानी वित्तीय और वास्तविक, दोनों मापदडों पर की जाती है। योजना परिव्यय के उपयोग के उद्देश्य से मंत्रालय तीव्र विकास प्रक्रिया तथा योजनाओं /कार्यक्रमों के कार्यान्वयनों को प्रभावित करने वाली अड़चनों को दूर करने पर निरंतर जोर देता रहा है।

लेज़र टाइपसेटिंग : मेसर्स क्वीक प्रिंट्स, नारायणा, नई दिल्ली
मुद्रक : जे के ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि., नई दिल्ली